षोडश माला, खंड 10, अंक 31 गुरुवार, 7 मई, 2015

17 वैशाख, 1937 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 10 में अंक 31 से 35 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

अस्वीकरण

इस वेबसाइट पर उपलब्ध 16वीं और 17वीं लोक सभा की वाद- विवाद के मूल पाठ का हिन्दी अनुवाद कृत्रिम मेधा (AI) साधनों के माध्यम से केवल संदर्भ हेतु किया गया है। यद्यपि सटीक अनुवाद उपलब्ध करने का हर संभव प्रयास किया गया है, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पूर्ण प्रामाणिक संस्करण हेतु लोक सभा की वेबसाइट पर "वाद-विवाद" वेबलिंक के तहत उपलब्ध लोक सभा वाद-विवाद के आधिकारिक मूल संस्करण का संदर्भ लें।

विषय - सूची

षोडश माला, खंड 10, चौथा सत्र, 2015 / 1937 (शक)

अंक 31, गुरुवार, 7 मई, 2015 / 17 वैशाख, 1937 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 581 से 584	16-44
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**45**
तारांकित प्रश्न संख्या 585 से 600	
अतारांकित प्रश्न संख्या 6659 से 6888	

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 46

राज्य सभा से **संदेश और राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक** 63

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

पाँचवां प्रतिवेदन 64

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति, लोक सभा

पहला और दूसरा प्रतिवेदन 64

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

चौथा प्रतिवेदन 66

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

पांचवां प्रतिवेदन 67

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

(एक) 15 वां प्रतिवेदन 67

(दो) विवरण 68

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

258वें से 260वें प्रतिवेदन 69

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति की दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 70

श्री संतोष कुमार गंगवार

(दो) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्यान्वयन' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति की 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति 71

श्री पीयूष गोयल

कार्य मंत्रणा समिति के अठारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 72

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) दिल्ली में श्री सुदीप बंदोपाध्याय संसद सदस्य के निवास पर चोरी की घटनाओं के बारे में निवेदन 72

(दो) उत्तर प्रदेश के अमेठी में मेगा फूड पार्कों के निरस्त किए जाने के बारे 83

नियम 377 के अधीन मामले 104

(एक) झारखंड में प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 104

(दो) जेलों को शहरों के बाहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित किये जाने की आवश्यकता

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गाँधी 106

(तीन) एक विश्व वैदिक साहित्य संग्रहालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता

डॉ. सत्यपाल सिंह 107

(चार) कर्नाटक के बेलागवी में समपार संख्या-385 और 388 पर सड़क उपरिपुलों के निर्माण हेतु निधियां जारी किये जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश सी. अंगड़ी 108

(पाँच) आला हजरत एक्सप्रेस, राज्यरानी एक्सप्रेस, गुवाहाटी एक्सप्रेस, सद्भावना एक्सप्रेस का ठहराव उत्तर प्रदेश के गजरौला रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिये जाने की आवश्यकता

श्री कंवर सिंह तवंर 109

(छह) उत्तर प्रदेश में कुम्हार जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता

श्री राजेंद्र अग्रवाल 110

(सात) जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, उनको पर्याप्त मुआवजा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्रीमती ज्योति धुर्वे 111

(आठ) वर्ष 2013 में प्राकृतिक आपदा के कारण उत्तराखंड में तबाह हुये क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्य की गति में तेजी लाये जाने की आवश्यकता

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह 112

(नौ) कुरमाली और मुण्डरि भाषाओं को संविधान की आठवें अनुसूची में शामिल किये जाने की आवश्यकता

श्री बिद्युत बरन महतो 113-114

(दस) उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में 6 लेन वाले राजमार्ग के पूरा होने तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-25 पर बारा जोड़ स्थित टोल टैक्स प्लाजा पर टोल टैक्स संग्रहण पर तत्काल प्रतिबंध लगाये जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 115

(ग्यारह) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों के वार्षिक आवंटन में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता

श्री एम.आई. शनवास 116

(बारह) पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज परियोजना का पर्याप्त रख-रखाव सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

श्री अधीर रंजन चौधरी 117

(तेरह) तमिलनाडु में विद्युत संयंत्रों के लिये कोयला ब्लॉक आवंटित करने और तमिलनाडु के तूतीकोरिन में तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कार्पोरेशन लिमिटेड-एन.एल.सी. संयुक्त उद्यम को चालू करने हेतु पर्यावरणीय मंजूरी दिये जाने की आवश्यकता

श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू 118

(चौदह) बच्चों की गुमशुदगी की घटनाओं को रोकने और ऐसे बच्चों को ढूंढने के लिये एक सशक्त तंत्र बनाये जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार जेना 119

(पंद्रह) महाराष्ट्र के रामटेक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बी.एस.एन.एल. के टावर स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री कृपाल बालाजी तुमाने 120

(सोलह) राष्ट्रीय जलमार्ग नं.6 के विकास हेतु आवश्यक निधियां उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री राधेश्याम बिश्वास 121-122

(सत्रह) विशेषकर पंजाब में उन कैदियों को जिन्होंने अपनी सज़ा की अवधि पूरी कर ली है, जेल से रिहा किये जाने की आवश्यकता

श्री भगवंत मान 123

(अठारह) बिहार के भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बिहपुर रेलवे स्टेशन के पूर्वी और पश्चिमी छोर पर समपारों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

श्री शैलेश कुमार 124

(उन्नीस) काजू उद्योग को श्रम गहन क्षेत्र और ब्याज माफी के लिये पात्र उद्योगों की सूची में शामिल किये जाने की आवश्यकता

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन 125

निरसन और संशोधन विधेयक, 2014

(राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन)

विचार करने के लिए प्रस्ताव 126

खंड 1 127

संशोधनों पर सहमति 128

किशोर न्याय (बालकों की देख **रेख और संरक्षण) विधेयक, 2014** 129-220

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत 129-132

श्रीमती रंजीत रंजन 133-136

श्री असादुद्दीन ओवैसी 137-139

श्री जय प्रकाश नारायण यादव 140-142

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर 142-143

श्री कौशलेन्द्र कुमार 143-145

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन 145-147

श्रीमती सुष्मिता देव 148-149

श्री हुकुम सिंह 150

श्रीमती मेनका संजय गांधी 151-162

खंड 2 से 111 और 1 162-434

पारित करने के लिए प्रस्ताव 218-220

संविधान (एक सौ उन्नीसवें संशोधन) विधेयक, 2013 221

विचार करने के लिए प्रस्ताव 215

श्रीमती सुषमा स्वराज 221-226, 228-226

श्री अधीर रंजन चौधरी 227-231

श्री एस.एस.अहलुवालिया 232-237

श्री के.एन.रामचंद्रन 238-241

श्री मुलायम सिंह यादव 242-244

प्रो. सुगत बोस 245-251

श्री रवीन्द्र कुमार जेना 252-254

श्री विनायक भाऊराव राऊत 255-256

डॉ. रविन्द्र बाबू 257-258

श्रीमती कलवकुंतला कविता 259-263

श्री मोहम्मद सलीम 264-269

श्री वारा प्रसाद राव वेलगापल्ली 270-271

श्री सिराजुद्दीन अज़मल 272-273

श्री राम प्रसाद शर्मा 274-276

श्री कौशलेन्द्र कुमार 277

श्री गौरव गोगोई 278-281

श्री राजेन गोहेन 281-283

खंड 2, 3 और 1 320

पारित करने के लिए प्रस्ताव

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ.एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

गुरुवार, 7 मई, 2015 / 17 वैशाख, 1937(शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन* हुईं]

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 581.

… (व्यवधान)

श्री एंटो एन्टोनी (पथनमथीट्टा): महोदया, मैंने स्थगन प्रस्ताव की अधिसूचना दी है।

माननीय अध्यक्ष: मैंने स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है।

आइए हम प्रश्नकाल आगे बढ़ाते हैं।

… (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

[1]प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माननीय अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 581. श्री सुरेश सी.अंगड़ी

(प्रश्न संख्या 581)

श्री सुरेश सी.अंगड़ी: आदरणीय महोदया, मुझे जल संसाधन मंत्री से यह अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद।

देश में सिंचाई की बहुत सारी परियोजनाएं हैं। जब भी सुनामी, भूकंप आदि की समस्याएं आती हैं, तो हम सब एक साथ आ जाते हैं। लेकिन जब भी पेय जल की समस्या होती है, तो हम जल पर राजनीति करते हैं।

माननीय मंत्री से मेरा यह प्रश्न है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र कर्नाटक में मेरे जिले और मेरे पड़ोसी जिलों बागलकोट और धारवाड़ के पेय जल के लिए कलसा-बंदूरी परियोजना नामक एक छोटी परियोजना है। हमने उस जगह का दौरा किया है। कर्नाटक की सरकार ने वहां का कार्य भी पूरा कर दिया है। कलसा-बंदूरी की दो सहायक नदियां मदई नदी में मिलती हैं। लेकिन महाराष्ट्र और गोवा राज्यों ने इस परियोजना पर बिना किसी ठोस कारण के आपत्ति जताई है। जब श्री खड़गे सिंचाई मंत्री थे, तभी यह कार्य पूरा हो चुका था। वहां भी हमारी सरकार ने कार्य किया।

इसलिए, महोदया, कर्नाटक में पेयजल अब एक प्रमुख समस्या है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जल पर कोई राजनीति न करते हुए, वे संबंधित तीनों मुख्यमंत्रियों तथा सिंचाई मंत्रियों को बुलाएं और इस परियोजना में कर्नाटक के पेयजल के मुद्दे को सुलझाएं। हमारे माननीय प्रधान मंत्री का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है।

---

[1] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

माननीय अध्यक्ष: क्या आप सुझाव दे रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं?

श्री सुरेश सी. अंगड़ी: महोदया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण परामर्श का है, टकराव का नहीं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए मैंने एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात की थी। उन्होंने मुझे माननीय मंत्री से मिलकर इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कहा। पीने के पानी का प्रश्न है, इसे जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए, मैं इसमें राजनीति नहीं लाना चाहता। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हमें कलसा-बंदूरी के मुद्दे को यथाशीघ्र ही सुलझाना चाहिए। इसे कब क्लीयर करेंगे, इसकी जानकारी दें?

[हिन्दी]

सुश्री उमा भारती : माननीय अध्यक्ष महोदया, मूलतः यह प्रश्न पोलावरम प्रोजेक्ट से है। माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है उसका इस प्रश्न के उत्तर से सरोकार नहीं है फिर भी मैं संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस विषय पर आवश्यक परामर्श जरूर करूंगी। माननीय सदस्य और सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहती हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि साढ़े चार वर्ष तक विकास करना और आखिरी छह महीने में राजनीति करनी है। इसलिए हम पानी को लेकर कोई राजनीति नहीं करेंगे, हम केवल विकास प्रक्रिया को अपनाएंगे। उत्तर प्रश्न की परिधि में नहीं आता इसलिए बाद में परामर्श करके माननीय सदस्य को जानकारी देंगे।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: यह केवल पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में है।

श्री सुरेश सी. अंगड़ी: जब माननीय मंत्री जी ने मुख्यमंत्री को फोन किया।....(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : यह सवाल नहीं है। पोलावरम प्रोजेक्ट का प्रश्न आपने खुद ही पूछा है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुरेश सी. अंगड़ी: महोदया, यह पेय जल के बारे में है। यही कारण है कि मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुझे खेद है। आपके पास कोई प्रश्न नहीं है। आपको केवल उस प्रोजेक्ट से संबंधित प्रश्न पूछना होगा।

श्रीमती कोथापल्ली गीता: महोदया, आपने मुझे इस पोलावरम प्रोजेक्ट पर बात करने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी को उनके उत्तर के लिए धन्यवाद देती हूं। भारत सरकार ने बहुउद्देशीय टर्मिनल जलाशय परियोजना के महत्व को समझते हुए इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और एन.डी.ए. सरकार का आभार व्यक्त करती हूं। जनहित में यह उचित है कि केंद्र सरकार इस परियोजना को पूरा करने का नियंत्रण अपने हाथ में ले तथा परियोजना पूरी होने तक पोलावरम परियोजना प्राधिकरण के तहत आवश्यक धनराशि भी उपलब्ध कराए। इस परियोजना के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों की 222 बस्तियाँ जलमग्न हो रही हैं। अब तक सरकार ने केवल पांच गांवों में पुनर्वास का कार्य शुरू किया है जो अब तक पूरा हो चुका है। पोलावरम परियोजना प्राधिकरण ने भी इसे चार चरणों में पूरा करने का निर्णय लिया है। यह परियोजना लंबे समय से लंबित है। इस परियोजना की कल्पना वर्ष 1940 से की जा रही है। इसलिए, इस परियोजना के शीघ्र और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए पड़ोसी राज्यों को भी बोर्ड के अधीन लाया जाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि क्या

मंत्रालय इस परियोजना को पूरा करने के लिए पोलावरम परियोजना प्राधिकार को शीघ्र निधियां उपलब्ध कराने का प्रस्ताव कर रहा है।

[हिन्दी]

सुश्री उमा भारती : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य महोदया ने अपनी यह चिंता व्यक्त की है कि पोलावरम प्रोजैक्ट क्या समय पर पूरा हो जायेगा? जब से यह नैशनल प्रोजैक्ट डिक्लेयर हुआ है, तब से इसे पांच वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। राज्य सरकार ने इस पर बहुत तेजी से काम किया है। उन्होंने उस पर आने वाले वित्तीय प्रावधानों की बात कही है कि हम इसमें तेजी लायें और वित्तीय प्रावधानों की भी तेजी से व्यवस्था करें। चूंकि हमने इसे नैशनल प्रोजैक्ट डिक्लेयर किया है और स्पेशल एक्ट के अंदर उसकी हन्डर्ड परसेंट धनराशि अपने ऊपर वहन करने का निश्चय किया है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य महोदया और जो भी सदस्य पोलावरम प्रोजैक्ट को लेकर चिंतित हैं, उन सबको बताना चाहती हूं कि हमारे मंत्रालय ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है, क्योंकि पोलावरम प्रोजैक्ट राष्ट्रीय गर्व है और हमें इसे समय पर ही पूरा करना है। आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री महोदय बहुत चिंतित रहते हैं और हम स्वयं भी इसे लेकर बहुत कन्सर्न रहते हैं।

मैं सदस्य महोदया को अवगत कराना चाहूंगी कि हम स्वयं इस प्रोजैक्ट को लेकर इतने चिंतित हैं कि जब इरीगेशन प्रोजैक्ट में कट लगा, तो मैं स्वयं अपने मंत्रालय को लेकर नीति आयोग के पास बैठक करने के लिए गयी। मैंने कहा कि पोलावरम प्रोजैक्ट को बिल्कुल अलग से ट्रीट किया जाये। पोलावरम प्रोजैक्ट के लिए मैंने चिट्ठी लिखी कि इसमें कोई भी कट नहीं लगना चाहिए और इसे समय पर पूरा करने के लिए हमारा मंत्रालय कार्य कर सके, इसके लिए हमें आपका पूरा सहयोग चाहिए।

मैं माननीय सदस्य महोदया को यह भी अवगत कराना चाहूंगी कि हम इस बात के लिए दृढ़ निश्चय हैं कि पोलावरम प्रोजैक्ट को समय पर ही पूरा करवायेंगे। इसके लिए मैंने बाद में नीति आयोग को अलग से पत्र भी लिखा है। मैं इस कटिबद्धता को यहां जाहिर करती हूं।

[अनुवाद]

प्रो. ए.एस.आर. नायक: महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद।

महोदया, माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि सुरक्षात्मक तटबंध के कारण परियोजना निर्माण से 222 गांवों के 1,88,370 लोगों के विस्थापित होने की संभावना है। अब तक केवल छह गांवों के 1730 व्यक्तियों का पुनर्वास हुआ है। शेष जनसंख्या के बारे में क्या? जो लोग 222 गांवों में रह रहे हैं वे मुख्य रूप से आदिवासी लोग हैं। फिर भी, वे पलायन कर रहे हैं। नए अधिनियम के अनुसार, धारा 24(2) उन सभी लोगों पर लागू होती है जो अभी भी अपने मूल घरों में रहते हैं और अपनी जमीन पर खेती करते हैं। भले ही वर्ष 1894 के कानून के तहत मुआवजे का भुगतान किया गया हो, फिर भी एक नया कानून लाया जाना चाहिए, जिसे लागू किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

प्रो. ए.एस.आर. नायक: मुझे एक और बात पूछनी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जल संसाधन मंत्रालय को पत्र लिखकर हाल ही में एक राष्ट्रीय निगरानी समिति गठित करने को कहा है। महोदया जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से उस समिति की स्थिति और उनके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानना चाहता हूँ।

[हिन्दी]

सुश्री उमा भारती : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। कुछ लोगों को विकास के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। खासकर जब जल संसाधनों के भराव और भंडारण की बात आती है तब कुछ लोगों को अपना जन्म स्थान, गृह स्थान छोड़कर जाना पड़ता है। अभी तक जाने के लिए जो सबसे अच्छा पैकेज

माना गया है, वह सरदार सरोवर का माना गया है। यद्यपि यह पूर्णतः राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि जो शेष लोग रह गए हैं, वे ठीक से अपने स्थानों को छोड़कर जाएं। हमारा मंत्रालय, हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर कटिबद्ध हैं कि हम उन्हें बैटर लाइफ दें। उन्हें जो लाइफ अभी उन स्थानों को छोड़ने से पहले मिली हुई है, उन स्थानों को छोड़ने के बाद बैटर लाइफ मिले, इसे हम सुनिश्चित करेंगे। इसे माननीय प्रधानमंत्री जी सुनिश्चित कर रहे हैं, हम सुनिश्चित कर रहे हैं और राज्य सरकार भी इसे सुनिश्चित करेगी।

श्री गुत्था सुकेंद्र रेड्डी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। 222 गांवों में जबरदस्ती दो लाख ट्राइबल्स को हटाया जा रहा है। हम इस प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि इन लोगों को नए लैंड एक्वीजिशन के तहत कम्पैनसेशन दिया जाएगा या नहीं? इससे पहले 1984 एक्ट के तहत कुछ लोगों को एक लाख रुपया दिया गया जबकि वे लोग उधर ही रह रहे हैं, वहीं खेती कर रहे हैं। इन लोगों का रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है। यूपीए सरकारवर्ष 2013 में लैंड एक्वीजिशन रिहेबिलिटेशन रिसैटलमेंट एक्ट लाई थी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इसके तहत लोगों को लैंड एक्वीजिशन का मुआवजा दिया गया है या नहीं? क्या इसे लागू किया गया है?

सुश्री उमा भारती: माननीय अध्यक्ष जी,मैं खासकर इस तरफ के विपक्ष के सदस्यों से अनुरोध करूंगी,अंग्रेजी में कहावत है - 'वे अपना केक चाहते हैं और खाते भी हैं।' मतलब एक तरफ लैंड एक्वीजिशन का विरोध कर रहे हैं, पास होने नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ लैंड एक्वीजिशन के आधार पर पूछ रहे हैं कि हम खाली कराई गई जमीनों का मुआवजा ठीक से दे रहे हैं या नहीं।

मेरा विपक्ष के माननीय सदस्यों, खासकर मूल विपक्ष, मुख्य विपक्ष से अनुरोध है पहले आप अपने आप में सैटल हो जाएं कि आप चाहते क्या हैं। आप लैंड एक्वीजिशन विषय को लेकर सैटल्ड नहीं हैं। हम अपनी तरफ से इतना कह सकते हैं कि यह पूर्णतः विषय राज्य सरकार का है। इसमें हमारी तरफ से राज्य सरकार

को जो सहयोग चाहिए, पूरी तरह से देंगे। माननीय सदस्य ने रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के एक पत्र का उल्लेख किया है। इस पत्र को ध्यान में रखकर जो बैस्ट पैकेजिंग हो सकती है, हम उसे देने के लिए तैयार हैं।

मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि लैंड एक्वीजिश बिल का विरोध करना बंद कीजिए नहीं तो इरीगेशन प्रोजेक्ट बहुत बड़े संकट में पड़ जाएंगे और किसानों पर बहुत बड़ा संकट मंडराएगा। मेरा आपके माध्यम से यही अनुरोध है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 582, श्री नलीन कुमार कटील।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: हम अगले प्रश्न पर आ गए हैं।

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब हम दूसरे प्रश्न पर चले गए हैं। आप फिर कभी चर्चा की डिमांड कीजिएगा।

(प्रश्न संख्या 582)

[अनुवाद]

श्री नलीन कुमार कटील: माननीय अध्यक्ष महोदया, कुछ राज्यों में मजदूरों के फर्जी जॉब कार्ड की घटनाएं सामने आई हैं। दस्तावेजों में हेराफेरी करके फर्जी जॉब कार्ड धारकों के नाम पर पैसे निकाले गए हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ताकि गरीब मजदूरों को इस योजना का लाभ मिल सके।

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदया, हमने यह सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था की है कि कोई रिसाव न हो और नवीनतम उपाय जो हमने किया है वह है आधार कार्ड। जॉब कार्ड, जो नौकरी के लिए बनाया गया है, केवल तभी दिया जाएगा जब जॉब कार्ड धारक के पास आधार कार्ड हो। उस स्थिति में, काफी हद तक रिसाव नहीं होगा। यह एक ऐसा कदम है जो हमने उठाया है । इसको अच्छी प्रतिक्रिया मिली है क्योंकि इसकी शुरुआत तब हुई जब जॉब कार्ड काल्पनिक था। जॉब कार्ड कोई व्यक्ति नहीं है जो नौकरी मांग रहा है। यह एक ऐसा कदम है जो शुरू किया गया है और अधिकांश राज्य इसका अनुसरण कर रहे हैं।

श्री नलीन कुमार कटील : देश के विभिन्न भागों में नरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी में बहुत अंतर है। उदाहरण के लिए, मेरे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, दक्षिण कन्नड़ जिले में नरेगा योजना के तहत कार्य की प्रगति वेंछित स्तर तक नहीं है। इसका कारण यह है कि नरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी स्थानीय क्षेत्र में दी जाने वाली मजदूरी से बहुत कम है। इसलिए, मेरा जिला इस योजना के तहत संपत्ति बनाने में पिछड़ रहा है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार स्थानीय क्षेत्र में दी जाने वाली मजदूरी के बराबर मजदूरी बढ़ाने के लिए कोई प्रावधान करने का प्रस्ताव रखेगी।

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह: महोदया, राज्य सरकारों द्वारा सृजित नौकरियों के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाता है और यह राज्य दर राज्य अलग-अलग होता है। कुछ राज्यों में मजदूरी अधिक है। जहाँ तक हमारे वेतन का प्रश्न है, हम किसी भी राज्य को मनरेगा में दिए गए वेतन से कम भुगतान करने की अनुमति नहीं देते हैं।

श्री डी.के. सुरेश: धन्यवाद, महोदया। मनरेगा ने करोड़ों लोगों को आजीविका दी है और इसके मुख्य लाभार्थी महिलाएं, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। इस मांग आधारित कार्य के लिए बजट सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.3 प्रतिशत है, लेकिन यह ग्रामीण आबादी के 25 प्रतिशत से अधिक लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है - इतने सारे लाभार्थियों के लिए यह बहुत कम लागत है।

मनरेगा के अंतर्गत सामुदायिक और व्यक्तिगत कार्य श्रेणी में विभिन्न प्रकार के कार्यों को निष्पादित किया जा सकता है। व्यक्तिगत श्रेणी के तहत कृषि, रेशम उत्पादन, बागवानी फसल, भूमि विकास गतिविधि, बकरी

और पशु शेड के निर्माण और जल संरक्षण कार्यों के विस्तार की अनुमति दी गई है। नरेगा के वर्तमान नियमों के अनुसार श्रम और सामग्री का अनुपात 60:40 है। व्यक्तिगत श्रेणी में यदि कोई जॉब कार्ड धारक अपनी जमीन पर बकरी या मवेशी शेड बनाता है तो वह 35,000 रुपये प्राप्त करने के लिए पात्र है। यह अनुमान नरेगा नियमों और विनिर्देशों द्वारा स्थापित किया गया है। हालाँकि, किसानों को वास्तविक धनराशि 35,000 रूपये के बजाय केवल 17,000 रूपये का भुगतान किया जाता है। अधिकारी उन्हें पूरी अनुमानित धनराशि देने से इनकार कर रहे हैं। मैं सरकार को सुझाव है कि व्यक्तिगत श्रेणी के लिए पूरी अनुमानित धनराशि ई.एफ.एम.एस.आई. जॉब कार्ड के माध्यम से हस्तांतरित की जानी चाहिए।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि नरेगा निधि राज्यों को समय पर जारी नहीं की जाती है। जॉब कार्ड धारकों को समय पर मजदूरी नहीं मिल रही है। इसके कारण बहुत से लोग काम की तलाश में आगे नहीं आ रहे हैं। निहित स्वार्थों का एक झूठा प्रचार किया जा रहा है कि भविष्य में मनरेगा मजदूरी में देरी होगी और उसे देने से मना कर दिया जाएगा। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री डी.के. सुरेश: महोदया, यह एक तकनीकी मुद्दा है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है कि मजदूरी का भुगतान समय पर कैसे किया जाए? झूठे प्रचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या एन.डी.ए. सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन के प्रति गंभीर है? पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष प्राप्त मानव दिवसों की कुल संख्या कितनी है?

जानकारी के अनुसार, देश में 4,50,00,000 परिवार ऐसे हैं, जिन्होंने रोजगार की मांग की है। इसमें से केवल 3,90,00,000 को ही नौकरी दी गई थी। जहां तक कर्नाटक का प्रश्न है, लगभग 15,00,000 परिवारों ने नौकरी की मांग की, लेकिन केवल 10,00,000 परिवारों को ही नौकरी दी गई है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपको सभी विवरण नहीं देने चाहिए। आपको केवल एक संक्षिप्त प्रश्न पूछना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मंत्री जी, कृपया उनके प्रश्नों का उत्तर दीजिये।

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह: महोदया, माननीय सदस्य ने दर्जन भर प्रश्न पूछे हैं। यदि वे कोई विशिष्ट प्रश्न पूछें तो मैं उत्तर देने में सक्षम हो सकूंगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप कुछ नहीं पूछ रहे हैं। आप कुछ न कुछ जोड़ते जा रहे हैं।

यदि आपके पास कोई विशेष प्रश्न हो तो आप उसे पूछें।

श्री डी.के. सुरेश: विशिष्ट प्रश्न यह है कि व्यक्तिगत लाभार्थी के मामले में 60:40 का अनुपात हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि सभी भुगतान लाभार्थी को मिलता है। … (व्यवधान)

बहुत से लोगों ने रोजगार की मांग की है। वर्ष 2015-16 के लिए, स्वीकृत कार्रवाई क्या है?... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप जो पढ़ रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं। यदि आपके पास कोई विशेष प्रश्न हो तो आप उसे पूछें। इस विधेयक का प्रयोजन बस इतना ही है। क्या आपके पास कोई प्रश्न नहीं है?

श्री डी.के.सुरेश: क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है कि मजदूरी का भुगतान समय पर कैसे किया जाए? झूठे प्रचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह: महोदया, मैंने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि जहां तक मनरेगा के श्रम भाग का प्रश्न है, यह 60 प्रतिशत ही रहेगा, यह अभी भी 60 प्रतिशत है, और माननीय सदस्य के मन में किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए।

जहां तक उनका प्रश्न है कि बकरी आश्रय के लिए कुल धनराशि 35,000 रूपये आती है, लेकिन केवल 17,000 रूपये ही क्यों दिए जाते हैं, तो हमें केवल मजदूरी का भुगतान करना है; सामग्री का खर्च लाभार्थी को वहन करना है, जिसे मनरेगा का लाभ लेना है।

जहां तक तंत्र का प्रश्न है, इसमें कोई देरी नहीं है। मुझे लगता है कि माननीय सदस्य कर्नाटक से हैं और कर्नाटक ऐसा राज्य है जहां वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय उनके पास 250 करोड़ रूपये शेष थे। तो, इसका अर्थ है कि कर्नाटक सरकार पूरी धनराशि का व्यय नहीं कर पाई है। जहां तक कर्नाटक सरकार का प्रश्न है, यह नवीनतम स्थिति है।

श्रीमती वी. सत्यबामा: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

मनरेगा उन प्रमुख योजनाओं में से एक है, जिसे केंद्र सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित कर रही है, तथा इसमें मुख्य भूमिका पंचायती राज संस्थाओं को दी गई है, लेकिन कार्यान्वयन की इस पूरी प्रक्रिया में गैर सरकारी संगठनों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिला परिषदों, ग्राम पंचायतों, स्थानीय प्राधिकरणों आदि जैसी अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को भी भूमिका निभानी पड़ती है।

तमिलनाडु में, पुरात्ची थलाइवी अम्मा द्वारा वर्ष 2001 में शुरू किया गया वर्षा जल संचयन आंदोलन मनरेगा के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है। देश भर में प्रतिवर्ष कम वर्षा होने और सूखा पड़ने जैसी स्थिति के साथ, विशेष रूप से गर्मियों की चरम स्थिति के दौरान जल की भारी कमी को देखते हुए, क्या माननीय मंत्री जी वर्षा जल संचयन के लिए मनरेगा का उपयोग करने के तमिलनाडु मॉडल का अनुकरण करेंगे, जिससे हमारी सभी जल संबंधी समस्याओं का समाधान हो जाएगा?

पूरे वर्ष मनरेगा के सुनिश्चित करना रोजगार नियोजन करने की आवश्यकता है। मौसमी परिस्थितियां मनरेगा के कार्यान्वयन में बाधा नहीं बननी चाहिए। तभी हम पूरे वर्ष मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान कर सकते हैं। क्या माननीय मंत्री जी मनरेगा के अंतर्गत पूरे वर्ष रोजगार सुनिश्चित करने के लिए पिछले 11 महीनों में किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डालेंगे?

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह: मनरेगा के तहत, हमने यह प्रावधान किया है कि मनरेगा निधि का 60 प्रतिशत हिस्सा कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

यहां तक कि सिंचाई उद्देश्यों के लिए भी, यह एक प्रावधान है कि मनरेगा निधियों का उपयोग सिंचाई उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों और समुदाय द्वारा भी किया जा सकता है। एक बात बहुत स्पष्ट है कि हमने राज्य सरकारों से भी कहा है कि वे लाइन विभागों को, जो भी इच्छुक हों, एकजुट करें और 20 लाइन विभाग यह कहते हुए आगे आए हैं कि वे मनरेगा निधियों के साथ एकजुट होने के लिए तैयार हैं। पिछले वर्ष, हम मनरेगा निधि को संबंधित विभागों की निधि से जोड़कर लगभग 16,000 करोड़ रूपये जुटाने में सफल रहे। यह 35 प्रतिशत बनता है। इस तरह, हम सिंचाई परियोजनाओं और कृषि परियोजनाओं में गुणवत्तापूर्ण परिसंपत्तियां बनाने में सक्षम हुए हैं और इससे हमें लाभांश मिला है।

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल: माननीय अध्यक्ष महोदया, अभी माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि मनरेगा डिमांड ड्रिवेन स्कीम है। यदि यह एक डिमांड ड्रिवेन स्कीम है तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2012-13 में 52.33 लाख परिवारों के लिए डिमांड किया गया था, तो उसके उसके अगेंस्ट 49.47 लाख परिवारों को ही रोजगार मिला। जिन लोगों को जॉब नहीं मिला, चूंकि यह एक डिमांड ड्रिवेन स्कीम है, जैसा कि सेक्शन-7 में 15 दिनों में बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही गयी है, यदि 15 दिनों के भीतर जॉब नहीं मिलेगा तो उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। यदि उत्तर प्रदेश में डिमांड के अगेंस्ट कम जॉब मिला, तो कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिला है? इसी प्रकार से वर्ष 2013-14 में 55 लाख परिवारों के लिए डिमांड किया गया था, जिसके अगेंस्ट 49.95 लाख परिवारों को रोजगार मिला और वर्ष 2014-15 में यह और कम हो गया है, 45.47 लाख परिवारों के लिए डिमांड आयी है और अभी तक केवल 39.05 लाख परिवारों को ही रोजगार देने के लिए पैसा रिलीज हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस डिमांड ड्रिवेन स्कीम के अगेंस्ट, अगर जिन राज्यों से डिमांड आ रही है, उसके अगेंस्ट पैसा रिलीज नहीं हो रहा है और उनको काम नहीं मिल रहा है, तो 15 दिनों से ज्यादा होने के बाद उन परिवारों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है? यदि दिया गया है, तो इसके तहत कितनी धनराशि दी गयी है? एक वर्ष से सिद्धार्थ नगर में डिमांड ड्रिवेन स्कीम के तहत कोई धनराशि नहीं जा रही है।

माननीय अध्यक्ष : आपकी बात पूरी हो गयी, प्रश्न समझ में आ गया।

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : मैडम स्पीकर, यह सही बात है कि इस ऐक्ट में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति मनरेगा के तहत काम करना चाहे, तो उसे 15 दिनों के भीतर काम देना पड़ेगा। यदि उसे काम नहीं देंगे, तो जिस अवधि तक उसे काम नहीं मिलेगा, तब तक उसे बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक भत्ता देने की बात है, तो यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हमारा काम है, जो लेबर बजट है, उसे राज्य सरकार इस्तेमाल करे, लेकिन जिस अवधि तक वे काम नहीं देंगे, तो राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि राज्य सरकार उसे बेरोजगारी भत्ता दे।

यदि सरकार यह न दे, तो भी उसी स्थिति में यह सरकार की ही जिम्मेदारी है। इसमें बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान केन्द्र सरकार के फंड से नहीं है, यह उन्हें ही देना पड़ेगा और मैं बताना चाहूंगा कि 500 करोड़ रुपये आज भी विभिन्न राज्य सरकारों ने, जिन लोगों को मनरेगा के तहत काम नहीं मिला है, उन्हें भत्ता देने की देनदारी उन राज्यों को है, जो अभी तक नहीं दे सके हैं। जहाँ तक बात है कि मैन डेज कम हुए हैं, जो जॉब कार्ड बनाकर हमारे विभाग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है, तो वह उस पर तुरंत आ जाता है। हमने पिछले वर्ष 34 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान मनरेगा के तहत किया था। वह सारा पैसा हमने राज्य सरकारों को दिया है। आज के दिन 12 हजार करोड़ रुपये वर्ष 2015-16 में पहली किस्त के तौर पर सभी राज्य सरकारों को जारी किया है। राज्य सरकारों की देनदारी, जो मनरेगा के तहत लेबर कम्पोनेंट की है, उस देनदारी को भी वे दे सकेंगे, लेकिन मैं फिर यह रिपीट करता हूँ कि जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात है, तो वह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:अध्यक्ष महोदया,अभी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने उत्तर दिया है,उनके उत्तर में यह स्पष्ट है कि अगर वर्ष 2012-13 और वर्ष 2013-14 के आंकड़े देखेंगे, तो रोजगार की मांग करने वाले परिवारों, में 5,14,59,000 रुपये दिये गये, फिर वर्ष 2013-14 में 5,17,97,000 रुपये दिये गये हैं। लेकिन आपने जो प्रोवाइड किया है, उसमें केवल चार करोड़ 13 लाख रुपये वर्ष 2014-15 में और वर्ष 2013-14 में चार करोड़

79 लाख रुपये का प्रॉविजन किया है। अगर आपका पैसा पूरा खर्च हुआ है तो मैन डेज कैसे कम हो गए? इसका मतलब यह है कि वेज़ेज बढ़ गए हैं, उन वेज़ेज के अनुरूप आपका बजट प्रॉविजन नहीं है, इसकी वजह से मैन डेज कम हुए हैं। आप यह कह रहे हैं कि बजट के तहत किया गया प्रॉविजन खर्च हो गया है, लेकिन जितने मैन डेज जॉब आपको देनी थी, उतने मैन डेज, उतने लोगों को, उतने हाउसहोल्ड्स को आपने इम्प्लायमेंट नहीं दिया। यह पहली बात है। दूसरी चीज, यह सिर्फ मेरा कहना नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप प्रश्न पूछिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अभी इसके बारे में 13000 करोड़ रुपये देना बाकी है, लेकिन आपने कहा है कि हमने चुकता कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान साहब ने एक लेटर लिखा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, प्रश्न पूछिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : जिसमें उन्होंने कहा है:

[अनुवाद]

"केंद्र सरकार की निधियों के विलंब से जारी होने के कारण, मनरेगा के सात लाख से अधिक मजदूरों का काम रुका हुआ है।"

[हिन्दी]

इसी तरह से वसुन्धरा राजे जी कहती हैं :

[अनुवाद]

"इस वित्तीय वर्ष से, भारत सरकार ने निधि आवंटन पर एक सीमा निर्धारित की है, जो क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों और श्रमिकों को हतोत्साहित कर रही है।"

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, केवल प्रश्न पूछिए। अभी पत्र क्यों पढ़ रहे हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप केवल प्रश्न पूछिए।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक तरफ चीफ मिनिस्टर्स ऐसा पत्र लिख रहे हैं कि पैसे की कमी है, दूसरी तरफ मंत्री जी यह कह रहे हैं कि पैसे की कमी नहीं है और हम पैसा दे रहे हैं।...(व्यवधान) क्या सेंट्रल गवर्नमेंट हमें सत्यता नहीं बता रही है या फिर स्टेट चीफ मिनिस्टर्स सत्यता से दूर हैं?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका यही प्रश्न है? प्रश्न तो पूछिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: यह तरीका नहीं है। यह क्या है?

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आप बोलिए, क्या स्थिति है? यदि वे जो कह रहे हैं वह असत्य है,तो कृपया हमें बताएं। ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है, आप लोग बैठिए, यह प्रश्नोत्तर काल है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के. सी. वेणुगोपाल: इसका उत्तर क्या है? … (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अगर आपको लगता है तो चर्चा मांगिए, हम देंगे। लेकिन ऐसे नहीं होता है।

... (व्यवधान)

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह: मैडम, मैंने माननीय सदस्य श्री जगदम्बिका पाल जी ने पूछा है, उसके जवाब में भी मैंने बताया है कि विभिन्न राज्य सरकारों का कहना है कि आज के दिन 5000 करोड़ रुपये से ऊपर का काम करवाया है और वह पैसा मिलना चाहिए। ...(व्यवधान) उसमें मैने यह भी कहा है कि 12000 करोड़ रुपये हमने अभी अप्रैल के महीने में सात तारीख से पहले विभिन्न राज्य सरकारों के लिए रिलीज कर दिया है। उसके साथ-साथ मैंने यह भी कहा है कि जो पैसा उनको देना है, राज्य सरकारों को देना है, जो पैसा उनको अनइम्प्लायमेंट एलाउंस के रूप में देना था, वह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अब राज्य सरकारें यह लिखें कि हमने काम किया है, हमें पैसा दीजिए, तो मैंने पहले भी बताया है कि जो डिमाण्ड-ड्रिवेन स्कीम है, उसमें जो भी डिमाण्ड आएगी, उसका पैसा हम रिलीज करते हैं।...(व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिए। ...(व्यवधान) सुन लीजिए। इसी प्रकार से हमने जो पैसा इस बजट में दिया है, सदन को याद होगा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने यह कहा है कि जब से मनरेगा की स्कीम चली है, सबसे ज्यादा पैसा, 34,912 करोड़ रुपये हमने इस बार के बजट में प्रावधान किया है। इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा कि 5000 करोड़ रुपये हम मनरेगा के लिए

और देंगे, ताकि काम करने वालों को काम मिले। यह आज तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो पिछले छः-सात वर्ष में नहीं हुई।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

... (व्यवधान)... *

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठिए, कितने प्रश्न पूछेंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर ऐसा है, तो आप चर्चा मांगिए, अन्य साधन भी हैं, उनका उपयोग कीजिए। बैठिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय: महोदया, हमारे पश्चिम बंगाल राज्य में 100 दिनों की मजदूरी का ब्यौरा बिल्कुल कम है। मुख्यमंत्री ने उन्हें एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि मजदूरों को 100 दिनों की मजदूरी के लिए धनराशि जारी नहीं की जा रही है। भूख से जूझते युवा लड़के और लड़कियाँ, जो जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें यह पैसा नहीं मिल रहा है। इसलिए, यह पश्चिम बंगाल राज्य है जिसे बहुत बुरी तरह से वंचित किया गया है। मेरा प्रश्न यह है कि सरकार अपनी बकाया राशि कब जारी करेगी? अपने उत्तर के अंतिम

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

पृष्ठ पर उन्होंने उल्लेख किया है कि यह बेरोजगारी भत्ता है। यह बेरोजगारी भत्ता नहीं है। यह वह धन है जो राज्य को जारी किया गया था। शायद यही सच्चाई होगी। मुझे लगता है कि यह उत्तर गलत है। यदि यह गलत है, तो इसे त्रुटि रहित किया जा सकता है।

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह: महोदया,यह मेरा उत्तर नहीं है। यह प्रश्न संख्या 582 (ङ) है। इसमें कहा गया है :

> "यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि जरूरतमंद लोगों को 100 दिनों की नौकरी या बेरोजगारी भत्ता की गारंटी दी जाए? "

प्रश्न यही है। मैं यह नहीं कहता कि यह बेरोजगारी भत्ता है। बेरोजगारी भत्ते का अर्थ केवल तब होता है जब राज्य सरकार 15 दिनों के भीतर कोई काम प्रदान करने की स्थिति में नहीं होती है। … (व्यवधान)

श्री सुदीप बंदोपाध्याय :वह धनराशि किस बात का उल्लेख करती है?... (व्यवधान)

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह:मैं यही कह रहा हूँ। यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है, मैंने बताया है कि हमने श्रम बजट प्राक्कलन के अनुसार हर राज्य को पहली किस्त में ₹12,000 करोड़ जारी रूपये किए हैं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर आपको इस पर चर्चा चाहिए तो नोटिस दीजिए।

प्रश्न संख्या 583, श्री बी. एन. चन्द्रप्पा

(प्रश्न संख्या 583)

[अनुवाद]

श्री बी. एन. चन्द्रप्पा: माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत में एक अध्ययन के अनुसार, हर वर्ष लगभग 68.8 मिलियन टन कचरा उत्पन्न होता है और इस कचरे का निपटान एक प्रमुख पर्यावरणीय और स्वास्थ्य खतरा है। देश में लगभग 5,500 नगर निगम हैं।

आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि सरकार कौन-कौन से कदम उठाने जा रही है ताकि नगरपालिका द्वारा अन्य प्रकार के कचरे को समयबद्ध तरीके से हटाकर ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सके।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप लोग इस पर चर्चा मांगिए, चर्चा के लिए नोटिस दीजिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पीयूष गोयल: माननीय अध्यक्ष महोदया, देश में लगभग 4,041 वैधानिक कस्बे और शहर हैं। हम चिंताओं से बहुत अवगत हैं। ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप लोग प्लीज बैठिए। यह प्रश्न काल है और हम लोग दूसरे प्रश्न पर चले गए हैं। अगर अगर मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो यहाँ कई तरीके हैं। आप पूछ सकते हैं। आप उनका उपयोग कीजिए, तब एलाऊ करेंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ऐसे नहीं होता है, हम दूसरे प्रश्न पर चले गए हैं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पीयूष गोयल : महोदया, देश में लगभग 4,041 वैधानिक कस्बे और शहर हैं जो नगरपालिका अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं।... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : हमारी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो नोटिस दे सकते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो नोटिस दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

<u>पूर्वाह्न 11.40 बजे</u>

इस चरण पर श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, श्री जय प्रकाश नारायण यादव, श्री मोहम्मद सलीम और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पीयूष गोयल: अभी तो आपके नेता चले गए हैं, अब किसको दिखाने के लिए यह कर रहे हैं, अब तो शांति से बैठ जाएं...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप नोटिस दीजिए और चर्चा मांगिए।

...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: भारत में जो म्युनिसिपल वेस्ट बनता है, उसका ठीक तरीके से, सुचारू रूप से डिस्पोज़ल हो, उसके लिए सरकार की कई स्कीम्स हैं।...(व्यवधान) हमने स्वच्छ भारत आभियान में यह निर्णय लिया है कि 2 अक्तूबर, 2019 तक सभी म्युनिसिपल वेस्ट को प्रोसेस करना है। साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, जिसकी वजह से पांच पायलट प्रोजेक्ट्स में यह काम सीमित किया गया है। ...(व्यवधान) इन पांच प्रोजेक्ट्स में एक दिल्ली में चल रहा है। इसके अलावा दो प्रोजेक्ट्स 2015 में शुरू होंगी। ...(व्यवधान) उनकी रिपोर्ट जब उच्चतम न्यायालय में दर्ज होगी, उसके बाद उच्चतम न्यायालय फाइनल निर्णय देगी और इस काम में और प्रगति आ सकेगी।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: सभा पूर्वाह्न 11:50 बजे पुनः समवेत हेतु स्थगित हुई।

<u>पूर्वाह्न 11.42 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर पचास मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

पूर्वाह्न 11.50 बजे

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर पचास मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*)

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : महोदया, मैं यह चाहता हूं कि जो मनरेगा का पैसा है, वह सांसद निधि में जोड़ दिया जाए। सरकार जो शर्तें लगाना चाहे, लगा दे। इससे मनरेगा के धन का दुरुपयोग नहीं होगा। सांसद डरेगा कि अगर दुरुपयोग हुआ तो मेरी बदनामी होगी और वोट नहीं मिलेगा। इसमें इतना दुरुपयोग हो रहा है कि मैं आपको अपने गांव की बता सकता हूं कि वहां मनरेगा का दुरुपयोग हुआ। दूसरा, मेरी अपील है और इसे प्रधानमंत्री जी और फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुंचा देना कि मनरेगा के पैसे को सांसद निधि में जोड़ दिया जाए और सरकार जो शर्तें लगाना चाहे, लगा दे।...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.51 बजे

इस चरण पर श्री ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया, श्री कल्याण बनर्जी, श्रीमती पी.के. श्रीमती शिक्षिका और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

पूर्वाह्न 11.51 1/2 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर...जारी।

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन* हुईं)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 583 जारी रखा जा सकता है।

(प्रश्न संख्या 583)

श्री बी.एन. चन्द्रप्पा: माननीय अध्यक्ष महोदया, संसद सदस्य अपने-अपने जिलों में सतर्कता और निगरानी समिति के प्रमुख होते हैं। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री निशिकांत दुबे। कुछ भी कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) ...*

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे : अध्यक्ष महोदया, कस्तूरीरंगन कमेटी बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट 12 मई, 2014 को सरकार के पास आई है। उसमें बहुत से चेंजिज के बारे में कहा गया है। ...(व्यवधान) उसमें कहा कि फ्रेमिंग आफ एमएसडब्ल्यु रूल, 2013 और नेशनल अर्बन सैनिटेशन पालिसी, 2011 को चेंज करने की बात कही गयी है। क्योंकि हमारे यहा कें वेस्ट की कैलोरीफिक वैल्यु केवल 800 है और कोई भी पॉवर प्रोजेक्ट जब तक कि 1400 कैलोरीफिक वैल्यु पर नहीं होगा, तब तक कोई भी पॉवर प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं होगा। इसलिए वेस्ट से एनर्जी का जो कांसेप्ट है,...(व्यवधान) इसमें रिड्याूस, रिफयुज़, रिकवर, रिसाइकिल और रिमैनुफैक्चरिंग का जो कांसेप्ट है और इसके लिए जो टेक्नोलोजी है,...(व्यवधान) चाहे पारोलोसिस गैसिफिकेशन का हो, चाहे मास बर्नर का हो, चाहे वर्मी कम्पोजिशन का हो।...(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सरकार कस्तूरीरंगन रिपोर्ट के आधार पर किस तरह की पालिसी लाना चाहती है और कौन-सी टेक्नोलोजी लाना चाहती है, जिसके कारण वेस्ट एनर्जी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाएं?...(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : अध्यक्ष महोदया, माननीय सांसद ने बहुत अहम प्रश्न उठाया है। जैसा मैंने पहले बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार हमें पांच प्रोजेक्ट्स के ऊपर रोक दिया गया है।...(व्यवधान) इन पांच प्रोजेक्ट्स की अलग-अलग टेक्नोलोजी स्टडी करके जो रिपोर्ट आएगी, उच्चतम न्यायालय को और एनजीटी को पेश की जाएगी, उसके बाद ही फाइनल निर्णय हो पाएगा।...(व्यवधान) वैसे भारत का जो वेस्ट है, इसमें आगेरनिक पैटर्न जो डिग्रेबल और बायोडिग्रेबल है, वह सिर्फ तीस से पचास प्रतिशत है जबकि इनआउट पैटर्न करीब चालीस से पचास है। इस इनआगेरनिक पैटर्न से बिजली नहीं बनती है।...(व्यवधान) चार-पांच प्रकार की टेक्नोलोजी का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, एनोरोबिक डायजेशन, बायोमिक्नेशन टेक्नोलोजी, रिफ्यूज्ड ड्राइ फ्यूल एंड कम्बश्चन टेक्नोलोजी है, लैंडफिल गैस रिकवरी टेक्नोलोजी है और इनसिनरेशन है।...(व्यवधान) इन सबका व्यापक रूप से पायलेट प्रोजेक्ट्स से पता चलेगा, उसके हिसाब से फाइनल निर्णय लिया जाएगा और कैलेरिफिक वैल्यु जिसका जिक्र किया है, वह जनरलाइज नहीं हो सकती है। जब वेस्ट को सैग्रीगेट करेंगे तो इसके हिसाब से उसकी केलेरिफिक वैल्यु बढ़ सकती है।...(व्यवधान)

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बड़े-बड़े शहर हैं, वहां से रोज कचरा उठाने की कोई सुविधा नहीं है।...(व्यवधान) कचरे को डंपिंग करने की जगहें भी आस-पास के नागरिक कचरा डालने के लिए नहीं देते हैं।...(व्यवधान) मेरे शहर में पांच सौ टन कचरा रोज निकलता है। अगर कचरे से बिजली बनाने की योजना को प्रोत्साहन देना है जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि पावर जेनरेशन फ्रोम मिस्लेनियस सोलिड वेस्ट प्रोजेक्ट के लिए दो करोड़ रुपए से दस करोड़ रुपए तक की मदद करेंगे।...(व्यवधान) मैं कहूंगा कि पूरे शहर की स्वच्छता ठीक करनी होगी। लेकिन इसके लिए हमें पूरी साफ-सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा तथा बिजली बनाने के काम को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। उसके लिए आपको टाउन प्लानिंग एक्ट में भी परिवर्तन करना पड़ेगा और यह परिवर्तन इसलिए करना पड़ेगा कि जो

डम्पिंग एक ही जगह करेंगे, उसका आसपास के लोग विरोध करते हैं। इसलिए इसका विरोध न हो उसके लिए जमीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। बायो गैस के लिए टैक्स...(व्यवधान) और उसके बाद में जो भी एक्साइड और कस्टम ड्याूटी बहुत अच्छी है। इसलिए टाउन प्लानिंग एक्ट में भी थोड़ा परिवर्तन करके जो डम्पिंग ग्राउंड करेंगे, वहीं वह प्रोजैक्ट बनायेगें। पुणे में एक प्रोजैक्ट बनकर चालू हो गया और हमारे संभाजीनगर महानगरपालिका में भी वह बन रहा है। इसके लिए प्रोत्साहन ज्यादा करने के लिए सरकार की उसमें ज्यादा से ज्यादा मदद होनी चाहिए। उसमें सब्सिडी होनी चाहिए और उसमें हर एक चीज के लिए अगर ज्यादा से ज्यादा सहूलित हुई तो यह कचरा क्लीन हो जायेगा और स्वच्छता भी बढ़ेगी।

श्री पीयूष गोयल : मैडम स्पीकर, सरकार वचनबद्ध है कि 2 अक्टूबर, 2019 तक स्वच्छता आभियान को तेजी से बढ़ायें और पूरे भारत को स्वच्छ करें। माननीय सांसद ने सही बात कही, मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहूंगा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूना उन पांच प्रोजैक्ट्स में से एक हैं, जिस पर काम चल रहा है। बाकी और म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोजैक्ट को हम अभी पैसा नहीं दे सकते, जब तक उच्चतम न्यायालय का निर्णय चेंज नहीं होता। इंडस्ट्रियल वेस्ट को अभी भी दो करोड़ रुपये प्रति मेगावाट सब्जैक्ट टू ए मैक्सीमम ऑफ टेन करोड़ फॉर ए प्रोजैक्ट हम सहायता देते हैं। इसके अलावा जो म्युनिसिपल वेस्ट है, यह लैंडफिल में जाए, कम्पोस्ट मैटिरियल में जाए, उसमें कोई रोक नहीं है।

श्री आभिषेक सिंह : अध्यक्ष महोदया, वर्तमान में भारत सरकार का जो प्रमुख फोकस है, वह वेस्ट टू इनर्जी के बड़े प्रोजैक्ट्स में हैं। मुख्य रूप से म्युनिसिपल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट और जो एग्रीगकल्चर वेस्ट हैं, उसमें भी जो बड़े प्रोजैक्ट्स हैं, उनसे ऊपर उनका फोकस आधिक रहा है। पूरे भारत में वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में परिदृश्य बदलता जा रहा है। गांवों में कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। अभी स्वच्छ भारत आभियान के माध्यम से हर गांव में शौचालय का निर्माण भी हो रहा है।

मैं आदरणीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या स्माल स्केल, माइक्रो लैवल पर ग्राम पंचायत या जनपद के लैवल पर माइक्रो वेस्ट टू इनर्जी प्रोजैक्ट्स को लांच करने की शासन की कोई योजना है, जिससे

हमें रोजगार उत्पन्न करने में भी मदद मिलेगी और साथ ही साथ स्वच्छ भारत आभियान को गति भी मिलेगी?..(व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : महोदया, युवा सांसद ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहूंगा कि भारत सरकार की मंशा सिर्फ देश की इनर्जी नहीं, देश की वैल्थ है। हम समझते हैं कि जो भी देश, जहां-जहां भी यह उत्पन्न होता है, उसे कैसे कुछ न कुछ अच्छे काम में लाना है और उसमें से वैल्थ जनरेशन करना है, हमारा पूरा ध्यान उस पर आकर्षित है। गांवों में छोटे-छोटे लैवल पर बायो गैस के प्लान्ट्स लग सकें, छोटे-छोटे लैवल पर वर्मीकल्चर लेकर कम्पोस्ट बने और इस प्रकार से देश की इनर्जी का इस्तेमाल हो। लेकिन देश की इनर्जी पर उच्चतम न्यायालय की रोक होने की वजह से नये प्रोजैक्ट्स को अभी हम प्रोत्साहन नहीं दे पा रहे हैं।... (व्यवधान)

(प्रश्न संख्या 584)

[अनुवाद]

श्री वी. एलुमलाई: माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत में रोजगार सृजन के मामले में जहाज निर्माण उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर से मुझे पता चलता है कि वर्तमान में दो शिपयार्ड, जो कोच्चि और कोलकाता में हैं, पोत परिवहन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि क्या सरकार की अपने नियंत्रण में शिपयार्डों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना है, विशेष रूप से तमिलनाडु में?

श्री पोन राधाकृष्णन: हम जब भी किसी परियोजना में निवेश करते हैं, तो समाज के लिए रोजगार सृजन को लेकर हमारी गंभीर चिंता रहती है।

वर्ष 2013 ,तक जहाज निर्माण उद्योग ने समाज को 37,000 नौकरियां दी हैं। जहाज निर्माण उद्योग इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक्स, अभियाँत्रिकी और विद्युत उपकरण, बंदरगाह अवसंरचना, व्यापार और नौवहन सेवाओं जैसे अनुषंगी उद्योगों के माध्यम से नियोजन सृजन भी सुनिश्चित करता है।

जहां तक नए शिपयार्डों की बात है, ऐसी कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्लीज़ मेरी बात सुनिए। प्रश्न काल समाप्त हो चुका है। आप लोग अपनी सीटों पर जाइए।

... <u>(व्यवधान)</u>

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी सीटों पर वापस जाएं।

<u>मध्याह्न 12.00 बजे</u>

इस चरण में, श्री ज्योतिरादित्य एम, सिंधिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[2*]प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 585 से 600
अतारांकित प्रश्न संख्या 6659 से 6888)

[2*] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए। https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय अध्यक्ष: अब, प्रपत्र रखे जाने हैं। श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा।

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तिय आयोग (श्री डी०वी० सदानन्द गौड़ा):महोदया अधिनियम, 2014 की धारा 13 के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्तियां आयोग (विशिष्ट व्यक्तियों को देय फीस और भत्ते) नियम, 2015 जो 17 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 297 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या. एल.टी. 2548/16/15]

[हिन्दी]

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री (सुश्री उमा भारती) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ -

(1) (एक) राष्ट्रीय जल विकास आभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जल विकास आभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या. एल.टी. 2549/16/15]

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ -

(1) (एक) राष्ट्रीय जूट बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जूट बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या. एल.टी. 2550/16/15]

(3) कंपनी आधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2013-2014 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या. एल.टी. 2551/16/15]

(5) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या. एल.टी. 2552/16/15]

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं :-

(1) (एक) कोल माइन्स प्रोविडेंट फण्ड ऑर्गनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कोल माइन्स प्रोविडेंट फण्ड ऑर्गनाइजेशन, धनबाद के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या. एल.टी. 2553/16/15]

(3) वर्ष 2015-2016 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या. एल.टी. 2554/16/15]

(4) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या. एल.टी. 2555/16/15]

(दो) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या. एल.टी. 2556/16/15]

(तीन) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड तथा कोयला मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या. एल.टी. 2557/16/15]

(चार) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड तथा एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या. एल.टी. 2558/16/15]

(5) कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1957 की धारा 31 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(एक) का.आ. 871 (अ) जो 27 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष को इसमें उल्लिखित अनुसूची-1 कोयला खानों के प्रबंधन और प्रचालन के लिए नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक नियुक्त किया गया है।

का.आ. 877 (अ) जो 30 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो इसमें उल्लिखित नामनिर्दिष्ट अभिरक्षक को कोयला खानों के प्रबंधन और प्रचालन के लिए नियुक्त किए जाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या. एल.टी. 2559/16/15]

संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री, पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): मैं सभा पटल पर रखता हूँ: -

(1) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या. एल.टी. 2560/16/15]

(3) एयरपोर्ट्स इकोनामिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या. एल.टी. 2561/16/15]

(4) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14 क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) -

(1) वायुयान (संशोधन) नियम, 2015 जो 14 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 32 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) वायुयान (तीसरा संशोधन) नियम, 2015 जो 10 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 78 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) वायुयान (संशोधन) नियम, 2013 जो 30 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 804 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) वायुयान (संशोधन) नियम, 2015 जो 14 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 31 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या. एल.टी. 2562/16/15]

[हिन्दी]

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. सांवर लाल जाट): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखने की अनुमति चाहूंगा -

(1) डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय के बीच वर्ष 2014-2015 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या. एल.टी. 2563/16/15]

(2) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रूड़की के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, रूड़की के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या. एल.टी. 2564/16/15]

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अनुमति चाहूंगा नहीं, अनुमति से रखना है। आपको पत्र सभा पटल पर रखने होंगे। यह मैं सभी के लिए बोल रही हूँ।

[अनुवाद]

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री और पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): मैं सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2015 जो 9 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.174 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या. एल.टी. 2565/16/15]

(2) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1956 की धारा 9 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) संशोधन नियम, 2015 जो 23 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.220 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या. एल.टी. 2566/16/15]

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) का.आ. 800 (अ) जो 15 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (औरंगाबाद से बरवा-अड्डा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(2) का.आ. 1357 (अ) जो 22 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 32 (पुपांकी से मिर्धा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(3) का.आ. 752 (अ) जो 13 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 (आई.टी.आई. मोड़ चास से चार्ज खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(4) का.आ. 811 (अ) जो 15 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (औरंगाबाद से बरवा-अड्डा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(5) का.आ. 848 (अ) जो 20 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (औरंगाबाद से बरवा-अड्डा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(6) का.आ. 538 (अ) जो 25 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (औरंगाबाद से बरवा-अड्डा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(7) का.आ. 539 (अ) जो 25 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 (राँची-बिरमित्रपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(8) 3 का.आ. 810 (अ) जो 15 मार्च, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (औरंगाबाद से बरवा-अड्डा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(9) का.आ. 1279 (अ) जो 15 मई,2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (औरंगाबाद से बरवा-अड्डा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(10) का.आ. 32 (अ) जो 7 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 102 (छपरा-रीवाघाट-मुजफ्फरपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(11) का.आ. 33 (अ) जो 7 जनवरी, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 (छपरा-हाजीपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(12) का.आ. 3632 (अ) जो 11 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 (बख्तियारपुर-मोकामा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(13) का.आ. 2783 (अ) जो 14 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 (आई.टी.आई. मोड़ चास से चार्ज खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(14) का.आ.3214(अ) जो 22 अक्तूबर,2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 104 (बंजारिया से शिवहर खंड) के

निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन हेतु इसमें उल्लिखित अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

(15) का.आ. 2656 (अ) जो 2 सितम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(16) का.आ. 3637 (अ) जो 11 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 दिसम्बर, 2012 की अधिसूचना सं.का.आ. 2964 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(17) का.आ. 3702 (अ) जो 18 दिसम्बर, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (पानागढ़ बाईपास सहित बराकर से पानागढ़ खंड) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(18) का.आ. 2955 (अ) जो 21 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 (पानागढ़ से कोलकाता खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(19) का.आ. 338 (अ) जो 3 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 (हाजीपुर-मुजफ्फरपुर खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(20) का.आ. 339 (अ) जो 3 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में उसमें उल्लिखित विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(21) का.आ. 340 (अ) जो 3 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में उसमें उल्लिखित विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(22) का.आ. 341 (अ) जो 3 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में उसमें उल्लिखित विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(23) का.आ. 342 (अ) जो 3 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में उसमें उल्लिखित विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(24) का.आ. 432 (अ) जो 11 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना सं.का.आ. 926 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(25) का.आ. 347 (अ) जो 4 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर श्रावती नदी के पुल के प्रयोग के लिए यांत्रिक वाहनों संबंधी शुल्क के संग्रहण के लिए मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग) कर्नाटक, लोक निर्माण विभाग को प्राधिकृत किया गया है।

(26) का.आ. 505 (अ) जो 13 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 57 (पूर्णिया-फारबिसगंज झंझारपुर-दरभंगा-मुजफ्फरपुर खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(27) का.आ.768(अ) जो 16 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 फरवरी, 2009 की अधिसूचना सं.का.आ. 412(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(28) का.आ. 2583 (अ) जो 1अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 200 (पुराना) (कनकटोरा झारसुगुडा खंड) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(29) का.आ. 2791 (अ) जो 29 अक्तूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 (नया एन.एच. 30) (धमतरी जगदलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(30) का.आ. 2981 (अ) जो 26 नवम्बर, 2014 के भारत का राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 10 फरवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 335 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(31) का.आ. 2982(अ) जो 26 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 111 (नया एन.एच. 130) (बिलासपुर-अम्बिकापुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(32) का.आ. 3022(अ) जो 28 नवम्बर, 2014 के भारत का राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र में राष्ट्रीय संख्या 50 (नासिक सिन्नार खंड) के निर्माण, अनुसक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(33) का.आ. 3021(अ) जो 28 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के निर्माण, अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(34) का.आ. 3020(अ) जो 28 नवम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (बिऔरा-एम.पी./राजस्थान सीमा खंड) के निर्माण, अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(35) का.आ. 3115(अ) जो 10 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 (नया एन.एच. 30) (धमतरी-जगदलपुर खंड) के निर्माण, अनुरक्षण प्रबंध और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(36) का.आ. 3246(अ) जो 22 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 जून, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 1610(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(37) का.आ. 3268(अ) जो 24 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के निर्माण, अनुरक्षण प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(38) का.आ. 3317(अ) जो 30 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (रीवा से एम.पी./यू.पी. सीमा खंड) के प्रयोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले शुल्क की दरों के बारे में है।

(39) का.आ.० 3327(अ) जो 31 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 फरवरी, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 315(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(40) का.आ.० 27(अ) जो 2 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 अक्तूबर, 2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 3316(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(41) का०आ०28(अ) जो 2 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (ब्यावर बधाना खंड) के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(42) का.आ.० 107(अ) जो 8 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 935(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(43) का.आ. 498(अ) जो 12 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 214 (नया एन.एच. 216) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(4) उपर्युक्त (3) की मद सं (एक) से (सत्रह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या. एल.टी. 2567/16/15]

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुदर्शन भगत) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ -

(1) (एक) काउंसिल फॉर एडवेंसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2012 -2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फॉर एडवेंसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या. एल.टी. 2568/16/15]

(3) (एक) काउंसिल फॉर एडवेंसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काउंसिल फॉर एडवेंसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या. एल.टी. 2569/16/15]

अपराह्न 12.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

और

राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक*

[अनुवाद]

महासचिव: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की रिपोर्ट देनी है:-

> "राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के प्रावधानों के अनुसार, मुझे दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015 की एक प्रति संलग्न करने का निर्देश दिया गया है, जिसे 6 मई, 2015 को राज्य सभा की बैठक में पारित किया गया है।"

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं 6 मई, 2015 को राज्य सभा द्वारा पारित दिल्ली उच्च न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015 को सभा पटल पर रखता हूं।

* सभा पटल पर रखा गया

अपराह्न 12.03 बजे

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

पांचवें प्रतिवेदन

[**हिन्दी**]

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : महोदया, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का पांचवें प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.03 ½ बजे

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति, लोक सभा

प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन

डॉ. एम. तंबिदुरै (करूर): मैं एम.पी.एल.ए.डी. पर समिति की निम्नलिखित रिपोर्ट (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करना चाहता हूं: -

(1) पशु एम्बुलेंसों के क्रय और एक ही गांव/स्थानीय क्षेत्र में एक से अधिक सामुदायिक केन्द्र के निर्माण हेतु एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में आशोधनों के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रस्तावों के बारे में प्रथम प्रतिवेदन (16$^{वीं}$ लोक सभा)।

(2) एमपीलैड्स के अंतर्गत सृजित आस्तियों के नाम विशिष्ट व्यक्तियों/राष्ट्रीयविभूतियों/स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखने और विद्यालयों में सिविल निर्माणसंकर्म के लिए एमपीलैड्स निधि का

उपयोग शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के मानकों के अनुसार करने हेत एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में आशोधनों के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रस्तावों के बारे में दूसरा प्रतिवेदन (16वी लोक सभा)।

अपराह्न 12.04 बजे

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

चौथा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : महोदया, मैं "विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 " के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2014-15) का चौथा प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.04 1/2 बजे

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

पांचवें प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़) : महोदया, मैं पेट्रोलिमय और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के " राष्ट्रीय ऑटो फ्यूल नीति " विषयक पांचवें प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

अपराह्न 12.05 बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

(एक)15वें प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री रमेश बैस (रायपुर): महोदया, मैं "निःशक्त व्यक्तियों के आधिकार विधेयक, 2014 " के बारे में सामाजिक न्याय और आधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2014-15) का 15वें प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मद सं 16 - श्री रमेश बैस।

[हिन्दी]

श्री रमेश बैस: महोदया, वह हो गया है।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: नहीं, वह मद सं 15 था।

(दो) विवरण

[हिन्दी]

श्री रमेश बैस : महोदया, मैं सामाजिक न्याय और आधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ -

(1) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के "बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम योजना " विषय पर 27वें प्रतिवेदन (15वें लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 38वें प्रतिवेदन (15वें लोक सभा) में अंतर्विष्ट, टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(2) सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय (निःशक्त व्यक्ति आधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों, 2013-14 के बारे में 35वें प्रतिवेदन (15वें लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 40वें प्रतिवेदन (15वें लोक सभा) में अंतर्विष्ट, टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(3) सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और आधिकारिता विभाग) की अनुदानों की मांगों, 2013-14 के बारे में 36वें प्रतिवेदन (15वें लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर

सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 41वें प्रतिवेदन (15वें लोक सभा) में अंतर्विष्ट, टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

(4) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों, 2013-14 के बारे में 34वें प्रतिवेदन (15वें लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 43वें प्रतिवेदन (15वें लोक सभा) में अंतर्विष्ट, टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण।

<u>अपराह्न 12.06 बजे</u>

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

258 वें से 260 वा प्रतिवेदन

श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती): महोदया, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में 258वें प्रतिवेदन।

(2) जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारे में 259वें प्रतिवेदन।

(3) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2015-2016) के बारें में 260वें प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.07 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15), के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के द्वितीय प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।*

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदया, मैं वस्त्र मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15), के बारे में श्रम संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल. टी. 2570/16/15।

<u>अपराह्न 12.08 बजे</u>

(2) विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यान्वयन' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।*

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): महोदया, मैं विद्युत मंत्रालय से संबंधित 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्यान्वयन' के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य देने के लिए सभा पटल पर रखता हूँ।

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2571/16/15

अपराह्न 12.14 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के अठारहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष: मद सं.20, श्री राजीव प्रताप रूडी।

[हिन्दी]

प्रो. सौगत राय (दमदम) : महोदया, मेरा इस पर एक प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): आप अभी कैसे बोल रहे हैं?...(व्यवधान) अभी पहले मुझे तो बोलने दीजिए, यहाँ काम इंपोर्टेंट है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पहले उनको बोलने तो दीजिए, उनको कंप्लीट तो करने दीजिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूं:-

> "यह सभा 6 मई, 2015 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति की अठारहवें प्रतिवेदन से सहमत है। "

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "यह सभा 6 मई, 2015 को सभा में प्रस्तुतकार्य मंत्रणा समिति की अठारहवें प्रतिवेदन से सहमत है। "

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आपको इस पर क्या कहना है?

प्रो. सौगत राय : महोदया, कुछ नहीं कहना है, बस थोड़ा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। 288(1) आप देखिए कि कमेटी का फंक्शन क्या होगा?

[अनुवाद]

"इस समिति का कार्य यह अनुशंसा करना होगा कि ऐसे सरकारी विधेयकों और अन्य कार्यों के विभिन्न चरणों पर चर्चा के लिए कितना समय आवंटित किया जाना चाहिए, जैसा कि अध्यक्ष, सदन के नेता से परामर्श करके, समिति को संदर्भित करने के लिए निर्देशित करें।"

नियम 31, कार्य सूची को दर्शाता है कि कार्य सूची कैसे तैयार की जानी है। हमें उस सूची की एक प्रति मिली है जिसे कार्य मंत्रणा समिति ने अंतिम रूप दिया है और उस समय लगभग सात विधेयकों के लिए आवंटित किए गए हैं। आज, जब मैंने मद सं. 25 पर कार्य सूची देखी तो लिखा है:

“श्री अरुण जेटली अप्रकटित विदेशी आय और परिसंपत्तियों के लिए प्रस्ताव करने वाले विधेयक, ऐसी आय और परिसंपत्तियों से निपटने की प्रक्रिया और किसी अप्रकटित विदेशी आय पर कर अधिरोपित करने का प्रस्ताव करने वाले विधेयक पर विचार करें"।

और फिर उन्हें यह प्रस्ताव रखना होगा कि विधेयक पारित किया जाए।

इस विधेयक का व्यापार कार्य मंत्रणा समिति की सूची में कहीं भी उल्लेख नहीं है। हमने इस सदन में बार-बार कहा है कि या तो आप कार्य मंत्रणा समिति को खत्म कीजिए, अन्यथा जो भी मंत्री शामिल करना चाहते हैं, आप उन्हें कार्य मंत्रणा समिति की प्रतिवेदन में शामिल कीजिए। कम-से-कम इस प्रतिवेदन में इस विधेयक का

उल्लेख नहीं किया गया है। मैं केवल इतना ही उल्लेख करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी सभा के समक्ष रखा जा रहा है, उसे हम सभा के समक्ष रखने की परंपरा को बनाए रखें क्योंकि हमें आज भारत-बांग्लादेश समझौते पर संविधान (संशोधन) विधेयक की एक प्रति सभा में दी गई थी। इसका उल्लेख कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में किया गया है। अप्रकटित विदेशी आय और परिसंपत्तियों पर इस विधेयक को क्यों शामिल नहीं किया गया है और ऐसी क्या जल्दी है कि इस पर आज विचार करना होगा और फिर पारित करना होगा जब हम इस सत्र के अंतिम चरण में हैं? इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ, यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, कि या तो आप कार्य सूची को बदल दें या आप कार्य मंत्रणा समिति की प्रक्रिया को बदल दें।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी। यस, यू आर राइट, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट अभी प्रेजेंट हो रही है, जो कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ, वह रिपोर्ट अभी प्रेजेंट हो रही है। आप जिस बिल की लिस्टिंग की बात कर रहे हैं, पहले ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उसके लिए टाइम अलॉट हो चुका है। आज के एजेंडा में यह नहीं था। कार्य मंत्रणा समितिको विधेयकों के लिए समय आवंटित करना होगा। और वह रिपोर्ट आज सामने आई है। आप जिस विधेयक की बात कर रहे हैं, उसके लिए पिछली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ऑलरेडी उसके लिए चार घंटे का समय रखा जा चुका था। ऐसा नहीं है कि यह अचानक आ गया है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैडम, मैं एक मिनट बताना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: इसलिए, किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : माननीय सदस्य बीच-बीच में उठकर* .... कम से कम अपनी तैयारी ठीक करके आएँ। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़ आप बैठिये। मैंने बता दिया है। आप प्लीज़ बैठिये।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैंने अपना निर्णय दे दिया है। मुझे मालूम है। प्लीज़, कुछ मत बोलिये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: रूडी जी, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने अपना निर्णय दे दिया है। कृपया आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आपको रूलिंग तो नहीं देना है, प्लीज़ समझिए। मैंने व्यवस्था दे दी है। ऐसा नहीं होता है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़ आप लोग बैठिये। मैं समझाऊँगी।

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: जब मैंने अपनी व्यवस्था दे दी है तो श्री. रूडी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैंने बोल दिया है। अब आप बैठिये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह बात रिकार्ड पर नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। इंटरफियर भी नहीं करना चाहिए।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : किसी सदस्य का यह अपमान जैसा है। उनको माफी मांगनी चाहिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैंने अपना निर्णय दे दिया है।

प्रश्न यह है:

"यह सभा 6 मई, 2015 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति की अठारहवें प्रतिवेदन से सहमत है"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, हम 'शून्य काल' प्रारंभ करेंगे।

[हिन्दी]

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील (भिवंडी) : अध्यक्ष महोदया, मेरे भिवंडी लोक सभा क्षेत्र में महामार्ग क्रमांक 222 है जो कल्याण से लेकर अहमदनगर तक जाता है, जो अभी फिलहाल 7 मीटर चौड़ा है। कल्याण जंक्शन होने की वजह से और मुम्बई से कल्याण में ज्यादा लोगों के रहने के लिए आने की वजह से इस रोड पर बहुत ज्यादा यातायात बढ़ गया है। अभी इस रोड की चौड़ाई 7 मीटर होने की वजह से और यातायात ज्यादा होने की वजह से रोज़ाना वहाँ पर एक्सीडैंट होते रहते हैं और रोज़ाना कोई न कोई आपत्ति आती रहती है। सालाना सौ से सवा सौ लोग उसमें गंभीर रूप से ज़ख्मी होते हैं या अपनी जान गँवाते हैं। इस रोड का सर्वे भी कराया गया है और 80 प्रतिशत जो ज़मीन है, वह आधिग्रहीत भी हो गई है। मेरी आपके माध्यम से परिवहन मंत्रालय से विनती है कि ज़मीन आधिग्रहीत होने की वजह से इस रोड का जल्द से जल्द टैन्डर निकालकर यह रोड फोर लेन करना ज़रूरी है। इसे फोर लेन करने की जल्द से जल्द कृपा करें और जो यातायात ज्यादा है, उससे जनता को राहत दिलाएँ।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी को श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी (राँची) : अध्यक्ष महोदया, मैं शून्यकाल के माध्यम से आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि कई राज्यों में पेयजल की समस्या है। उसी तरह से हमारे झारखंड में रांची में पेयजल की काफी समस्या उत्पन्न हो गई है। वहाँ पर पहले चापाकल वगैरह भी लगता था, जहाँ आवश्यकता होती थी। वह भी बंद है और

पुराने चापाकलों की भी मरम्मत नहीं हो रही है। वहाँ जल स्तर बहुत नीचे चला गया है और वहाँ राज्य में धन की कमी हो गई है जिससे यह काम भी नहीं हो रहा है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जहाँ डीप बोरिंग की आवश्यकता है, वहाँ डीप बोरिंग लगाई जाए और पुराने चापाकलों की मरम्मत कराई जाए और जल मीनार की व्यवस्था की जाए।

चूंकि जल ही जीवन है, यह हम सभी लोग जानते हैं। उसके बाद भी अभी काफी परेशानी वहां पर पेयजल की हो रही है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि डीप बोरिंग और जल मीनार बनाकर, जैसी भी जहां जिस तरह की आवश्यकता है, वह व्यवस्था सरकार करे। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि इसके लिए झारखंड सरकार को धन मुहैया कराये। मेरा आपसे यह आग्रह है।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री निशिकांत दुबे को श्री राम टहल चौधरी द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

अपराह्न 12.15 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(1) श्री सुदीप बन्दोपाध्याय ने दिल्ली में संसद सदस्यों के निवास पर चोरी की घटनाओं के बारे में निवेदन

[हिन्दी]

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): मैडम, मैं आपके माध्यम से राजनाथ सिंह जी का एटेंशन ड्रा करता हूं।

[अनुवाद]

मेरा बंगला 1ख मौलाना आज़ाद रोड पर स्थित है, जो जनपथ और मौलाना आज़ाद रोड के जंक्शन पर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 10 जनपथ देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मैं उस क्षेत्र में और उसके आसपास रहता हूं। पिछले तीन महीने में मेरे बंगले में तीन बार चोरी हो चुकी हैं। माननीय सदस्य, श्री कल्याण बनर्जी ने एक बार इस मुद्दे को सदन में उठाया था। पहली चोरी 7 मार्च, 2015, को हुई, फिर 9 मार्च, 2015 और फिर कल ही, 6 मई, 2015 को हुई। चोर मेरे शयनकक्ष से ही रंगे हाथ पकड़े गए हैं। कल जब मैं सदन में जी.एस.टी. बिल पारित होने के बाद अपने घर वापस गया तो चोरी की घटना के बाद संयुक्त पुलिस आयुक्त, डी.सी. (पुलिस) सभी उपस्थित थे। हमने देखा कि एक चोर मेरा कंप्यूटर लेकर भाग रहा था। चोर ने मेरे निजी सचिव को पीटा और उसका बायां हाथ गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया।

महोदया, मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूं और मैं अपना टाइप 8 बंगला तुरंत बदलना चाहता हूं और शहर में कहीं भी टाइप 6 फ्लैट में स्थानांतरित होना चाहता हूं। हालांकि ऐसा फ्लैट मुझे करीब 15 दिन पहले

ही आवंटित किया गया है, लेकिन अभी तक मुझे फ्लैट का कब्जा नहीं मिल रहा है। मैं आपकी सुरक्षा चाहता हूं। यह ऐसे पॉश क्षेत्र और एक सुरक्षित क्षेत्र में हो रहा है। मुझे नहीं पता कि चोरी जैसी चीज बार-बार ऐसे क्षेत्र में क्यों हो रही है। यह जगह तुगलक रोड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आती है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से इस मामले में कार्रवाई करने का अनुरोध करूंगा।

महोदया, मैं कल कोलकाता वापस जाऊंगा। मैं पिछले दिसंबर से एक बहुत ही गंभीर बीमारी से इस वर्ष मार्च तक गंभीर रूप से बीमार था। मैं अस्पताल में भर्ती था। यह मेरे जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। इसलिए, मैं उस अवधि के दौरान दिल्ली से अनुपस्थित था। मुझे लगता है कि मामले में उचित सावधानी बरतनी चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर गंभीरता से निपटाया जाना चाहिए।... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदया, सदस्य असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष महोदय: मुझे पता है। कृपया अपनी सीट पर बैठें। हर चीज़ पर, सौगत राय जी, नहीं बोलते। मुझे मालूम है लेकिन मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री जी इस मामले को देखें। प्लीज़ बैठिये। मैं हूं ना। यह बात सही है, मैंने गृह मंत्री जी को बोला है, आपका जो बंगला बदलने की भी बात थी, उस पर भी हमने दखल दिया है। वे बोल रहे हैं, हर एक को हर बात पर बोलने की आवश्यकता नहीं है।

... (व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य सुदीप बन्दोपाध्याय जी ने जिस इश्यू की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है, उसके सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहूंगा कि अभी तक इस घटना की जानकारी मुझे नहीं थी, लेकिन इस सम्बन्ध में मैं कमिश्नर पुलिस से बात करूंगा और मैं यह एन्श्योर करूंगा कि प्रोपर सिक्योरिटी वहां पर प्रोवाइड की जा सके।

माननीय अध्यक्ष : यह बात सही है कि दो-तीन बार घटना हो गई है और इसलिए मकान बदलने की भी कार्रवाई हो रही है।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय: महोदया, इस मामले पर सभा में चर्चा हुई थी और आश्वासन दिया गया था कि उचित सुरक्षा दी जाएगी। इस मामले पर सभा में चर्चा हुई और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अपने पैरों पर खड़े हुए और हमें आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा और उन्होंने मेरी सुरक्षा के साथ-साथ बंगले की सुरक्षा का भी आश्वासन दिया। यह तथ्य कि यह मामला माननीय गृह मंत्री के संज्ञान में नहीं लाया गया, शर्म और आश्चर्य की बात है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्री महोदय, आप कृपया इस मामले पर गौर करें।

[हिन्दी]

सौगत राय जी, फिर वही बात हो रही है। जब हम केयर कर रहे हैं, मैंने खुद बोला है। उनका मकान बदलने की भी बात है, कुछ एलाट हुआ है, लेकिन वह तैयार हो रहा है। हम भी ध्यान रख रहे हैं। ऐसा नहीं है। मगर हां, कल फिर से घटना हुई है, इसलिए सीरियस बात है और इसलिए हमने ध्यान में लाई है। हम भी केयर करते हैं, आपके नेता हैं, लेकिन वे आपके नेता ही नहीं, हमारे साथी भी हैं।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय: महोदया, दिन के समय चोरी हो रही है।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शून्य काल में एक आति महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहता हूं। सरकार ने सी-सैट परीक्षा के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें लोक सभा और राज्य सभा के 26 दलों को बुलाया गया था। इसमें माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय अरूण जेटली साहब, प्रधान मंत्री कार्यालय के माननीय जितेन्द्र सिंह जी, माननीय राजीव प्रताप रूडी जी, मुख्तार अब्बास नक़वी साहब एवं दोनों सदनों के अन्य सांसदगण थे। आदरणीय राजनाथ सिंह जी और वेंकैया नायडू जी ने कहा था कि सी-सैट एक संवेदनशील मुद्दा है और सरकार सभी दलों के साथ विचार करके सी-सैट के मामले में गंभीरता से विचार करेगी। उसकी रिपोर्ट भी अब आने वाली है।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रति वर्ष आयोजित की जाने वाली प्रशासनिक सेवा परीक्षा में सी-सैट के अंग्रजी भाषा समझ कौशल को भारतीय भाषा में किया जाए, चाहे वह भारतीय भाषा कोई भी हो। सी-सैट परीक्षा को खत्म करने की मांग पिछले वर्ष बजट सत्र में मैंने और अन्य माननीय सदस्यों ने एक साथ की थी। इसके लिए आंदोलन भी हुए। कई छात्र घायल हुए। वे जेल भी गए। उनकी कुशाग्रता के साथ मजाक होता रहता है। सरकार ने यह वचन दिया था कि सी-सैट के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलायी जाएगी। उसमें पांच मुद्दे थे -

1. पेपर-II में अंग्रेजी भाषा के विषय में।
2. विश्लेषणात्मक अंगों के जारी रहने पर महत्व को कम किया जाए।
3. योग्यता के लिए पेपर-II बनाया जाए।
4. ऐच्छिक पेपर को दोबारा शुरू किया जाए।
5. कोई अन्य विकल्प दिया जाए।

अभी आदरणीय मुलायम सिंह जी ने भी कहा है कि हम लोग इस मामले में माननीय प्रधान मंत्री जी से मिलेंगे। वर्ष 2015 की प्रशासनिक सेवा परीक्षा की घोषणा 16 मई, 2015 को होने जा रही है, जिसमें लाखों छात्र-छात्राएं परीक्षा में सफलता हेतु परीक्षा देते हैं।

माननीय अध्यक्ष : बैठिए।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : भारत सरकार ने सी-सैट के संदर्भ में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। यह अत्यंत ही दुःखद है।...(व्यवधान) भारतीय भाषा में और हिन्दी भाषा में इस परीक्षा को लेने का उपाय किया जाए।...(व्यवधान) यह अत्यंत ही दुःखद है और छात्रों के लिए यह अन्याय है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय को श्री जय प्रकाश नारायण यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : महोदय, यह परीक्षा सभी क्षेत्रीय भाषाओं में होनी चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : महोदय, हम भारतीय भाषाओं के पक्ष में हैं, केवल हिन्दी के पक्ष में नहीं हैं। हम अंग्रेजी के पक्ष में नहीं हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : उनकी जो मातृभाषा है, उनमें उन्हें लिखने की अनुमति देने का निर्णय सरकार को लेना चाहिए।

अपराह्न 12.24 बजे

सदस्यों द्वारा प्रस्तुतियाँ...जारी

(दो) उत्तर प्रदेश के अमेठी में मेगा फुड पार्कों के निरस्त किए जाने के बारे में निवेदन

[अनुवाद]

श्री राहुल गांधी (अमेठी): माननीय अध्यक्ष महोदया, इस मामले को सदन में उठाने का मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

महोदया, अमेठी में जो फूड पार्क बन रहा था, उसके बारे में मैं यहां बात करना चाहता हूं। कुछ वर्ष पहले मैं यू.पी. के दौरे पर था। वहां एक किसान मेरे पास आया और मुझसे एक प्रश्न पूछा। उसने कहा कि राहुल जी, आप मुझे एक बात समझाइए। हम आलू बेचते हैं दो रुपये किलो। मगर, जब हमारे बच्चे चिप्स खरीदते हैं तो दस रुपये का एक पैकेट आता है और उसमें एक आलू होता है। किसान ने मुझ से पूछा कि आप हमें बताइए कि यह क्या जादू हो रहा है? मैंने उन किसानों से पूछा कि आपको क्या लगता है? इसका क्या कारण है?...(व्यवधान)

भैया, मैं सूट की बात नहीं कर रहा हूं, आलू की बात कर रहा हूं।...(व्यवधान) आप मत घबराइए।...(व्यवधान)

महोदया, मैंने किसानों से पूछा और उन्होंने कहा कि राहुल जी, इसका कारण यह है कि जो फैक्ट्रियां बनती हैं, वह हम से दूर होती हैं। अगर हम अपना माल डायरेक्टली फैक्ट्रीज़ में बेच पाते, तो बीच में जो लोग, बिचौलिए पैसे ले जाते हैं, उनको फायदा नहीं होगा और पूरा पैसा हमें मिलेगा। फूड पार्क के पीछे यह सोच थी।

एक प्रकार से अमेठी और उत्तर प्रदेश के जो दस-बारह जिले हैं, उनके मजदूरों और किसानों की लड़ाई थी। आहिस्ता-आहिस्ता यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ा। दस जिलों के लाखों किसानों को इस प्रोजेक्ट का फायदा मिलेगा। चालीस फैक्ट्रियां वहां लगनी थीं, जहां किसान डॉयरेक्टली अपना माल बेच पाए।

अब मैं आपको पिछले चुनाव में ले जाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी अमेठी आए और उन्होंने ...(व्यवधान) आप किस बात पर ऐतराज कर रहे हैं? ...(व्यवधान) महोदया, मैं दो मिनट में खत्म कर रहा हूँ। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बोलते रहिए, आपकी बात ही रिकॉर्ड होगी।

... (व्यवधान)

श्री राहुल गांधी : प्रधानमंत्री जी ने 52 मिनट का भाषण किया। ...(व्यवधान) उन्होंने भाषण में एक अच्छी बात कही, जो उस समय मुझे अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ बदले की राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं बदलाव की राजनीति करने आया हूँ। ...(व्यवधान) राजनेताओं के पास अपना वायदा ही होता है और सबसे जरूरी वायदा हिन्दुस्तान में प्रधानमंत्री जी का होता है। ...(व्यवधान) प्रधानमंत्री जी ने किसानों से वायदा किया, मजदूरों से वायदा किया कि वे बदले की राजनीति नहीं करेंगे मगर वह हुआ है। फूड पार्क को कैंसल किया गया है। ...(व्यवधान)

मैं यहाँ सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि इस फूड पार्क से अमेठी के किसानों की जिन्दगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, उनको पैसा मिलेगा, उनको फायदा होगा। इस फूड पार्क को आप कैंसल मत कीजिए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.आर. सुन्दरम।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सुन्दरम जी, एक मिनट।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज आप बैठिए। आपस में इस तरह से बात करना अच्छी बात नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ज्योतिरादित्य जी, दो दिन से आपको क्या हो गया है?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : महोदया, मैं भी गाँव का रहने वाला हूँ और किसान परिवार की माँ की कोख से पैदा हुआ हूँ। ...(व्यवधान) अभी इस सदन के सम्मानित सदस्य श्री राहुल गाँधी जी ने यह कहा कि दो रूपए का आलू, जब उसकी चिप्स तैयार होती है तो दस रूपये की दर से बिकती है, कम जानते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि दो रूपए किलो के आलू की चिप्स 50 रूपए, 75 रूपए में पैकेट में मिलता है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह क्या हो रहा है? क्यों आपस में सब लोग बोलते हैं?

... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : आप लोग शांत रहिए, केवल उन लोगों को बोलने दीजिए, आप लोग शांत रहिए। इधर से कोई न बोले। दूसरी चीज, इन्होंने यह कहा है कि इस सरकार ने वह जादू कहां से सीखा है। ...(व्यवधान) यह क्या जादू है? ...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्व माधवराव सिंधिया (गुना) : इन्होंने जादू नहीं बोला है। ...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : नहीं, जादू बोला है...(व्यवधान) कार्रवाई...(व्यवधान) यह जादू...(व्यवधान) यह क्या जादू है? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जादू हमारी सरकार ने नहीं इज़ाद किया है बल्कि जादू यदि किसी ने इज़ाद किया है तो उनकी सरकार ने इज़ाद किया है। ...(व्यवधान) हमारी सरकार ने इसका इज़ाद नहीं किया है। ...(व्यवधान) लेकिन जहां तक इस फूड प्रोसेसिंग पार्क का प्रश्न है। ...(व्यवधान) इस संबंध में, मैं कहना चाहता हू।

माननीय अध्यक्ष : आप फूड पार्क की बात करें।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्या हो गया है, श्री ज्योतिरादित्य जी?

... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : आप दिखवा लीजिएगा।...(व्यवधान) क्या जादू है? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री ज्योतिरादित्य जी, कृपया बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : क्या जादू है? ...(व्यवधान) यह कहा था।...(व्यवधान) मान लिया कि सरकार के संबंध में नहीं, लेकिन यह कहा कि क्या जादू है? ...(व्यवधान) इस जादू का इज़ाद यदि हुआ है तो पहले ही हुआ है, पिछली सरकार के शासन काल में ही हुआ है। ...(व्यवधान) इस जादू का इज़ाद हम लोगों के शासन काल में नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस मेगा फूड पार्क का प्रश्न है, इसको प्रिंसिपल एप्रूवल वर्ष 2010 में मिला था। ...(व्यवधान) तीन-चार सालों में जो हो रहा था, मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। जो मेरी अब तक की जानकारी है, शायद कम्पनी ने ही इसको रिफ्यूज कर दिया...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी इतने क्यों उत्तेजित हो रहे हैं?

... (व्यवधान)

श्री राजनाथ सिंह : मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि सम्मानित सदस्य ने उस विषय को सदन में उठाया है तो इस मामले को मैं दिखवाऊंगा कि फैक्ट क्या है?...(व्यवधान) राहुल जी, बदले का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है।... (व्यवधान) हम तो यह मान कर चलते हैं कि हम लोग देश का विकास करना चाहते हैं। अकेले सत्ताधारी दल देश का विकास नहीं कर सकता है, जब तक कि सब का सहयोग प्राप्त नहीं होगा। हमारी यह सोच है। यदि आपने कहा है तो इस मामले को दिखवा लूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको इसकी जानकारी भी दे दूंगा।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. सुंदरम (नामाक्कल): मैं तमिलनाडु में भारतीय मछुआरों को श्रीलंका के क्षेत्रीय जल में अतिक्रमण न करने की चेतावनी देने के लिए माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के हालिया बयान पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करता हूं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के बयान श्री लंकाई नौसेना को निर्दोष भारतीय मछुआरों के खिलाफ अपने क्रूर हमलों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, भले ही वे हमारे क्षेत्र में मछली पकड़ रहे हों।

यह उनके पिछले सभी अमानवीय हमलों को भी उचित ठहराएगा, जिसमें कई सौ भारतीय मछुआरों की जान चली गई थी, और उनकी मछली पकड़ने की नौकाओं और उपकरणों को जब्त कर लिया गया था। दुनिया का कोई भी देश अपने पड़ोसी देशों के मछुआरों पर इस तरह के क्रूर हमले नहीं करता है।

ऐसा इस तथ्य के कारण है कि मछुआरे आम तौर पर समुद्र में उतरकर अपना जीवन पूरा करते हैं और वे बहुत गरीब होते हैं। इन परिस्थितियों में, असहाय मछुआरों के खिलाफ ऐसी चेतावनियाँ केवल आजीविका को खतरे में डाल देगी, विशेष रूप से तमिलनाडु में।

इसलिए, मैं सरकार से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने और कम से कम भविष्य में गहरे समुद्र में अपनी रोजमर्रा की आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे भारतीय मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने का आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर गाजियाबाद से लेकर मेरठ तक का मार्ग पिछले तीन माह से अत्यंत क्षतिग्रस्त है। केन्द्र सरकार द्वारा मरम्मत के लिए धन धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, लेकिन लोक निर्माण के विभाग के आधिकारियों की लापरवाही के कारण अभी तक राष्ट्रीय राजमार्ग गढ्ढों से भरा पड़ा है। इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर मेरठ के परतापुर बाइपास से मुज्जफर नगर के रामपुर तिराहे तक यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं संबंधी निर्माण कार्य भी अभी अधूरा है। जनवरी, 2013 में इन सुविधाओं के निर्माण कार्य करने के लिए मेरठ एवं मुज्जफरनगर के प्रशासनिक आधिकारियों, एन.एच.ए.आई की तकनीकी समिति तथा सुरक्षा सलाहकार द्वारा सर्वे किया गया था एवं एन.एच.ए.आई. द्वारा 85 करोड़ रुपये का कार्य स्वीकृत किया गया था। एनएचएआई के कुछ आधिकारियों की लापरवाहियों के कारण यह कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है जिससे इसकी लागत निरंतर बढ़ती जा रही है जो अब 128 करोड़ रुपये तक हो जाने का अनुमान है। इस कारण से राष्ट्रीय राजमार्ग पर निरंतर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यह राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत महत्वपूर्ण है, यह दिल्ली से हरिद्वार होते हुए चीन की सीमा तक जाती है। मैं आपके

माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-58 की गाजियाबाद से मेरठ के बीच के मार्ग को तुरंत मरम्मत की जाए तथा मेरठ से मुजफ्फरपुर के बीच आतिरिक्त सुविधाओं का निर्माण शीध्र किया जाए।

श्री गणेश सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। आर्ट्स गैलरी में भारत की दुनिया में एक अलग पहचान है। इसकी देश में असीम संभावनाएं मौजूद हैं। एक से एक प्रतिभाशाली कारीगर जगह-जगह मौजूद हैं। विभिन्न्न वस्तुओं से हजारों ऐसी कलाकृतियां हैं जिन्हें विश्व के बाजार में प्रथम स्थान मिल चुका है। आज देश के अंदर अनेकों ऐसी प्राचीन धरोहरें हैं जिनमें कला की गहराई पर नजर जाती है जिससे अद्भुत कल्पनाएं सामने आती हैं। आर्ट्स लोगों की खूबी बन चुका है। मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना में इंचौल आर्ट्स के नाम से निजी कलाकार ने श्रीमती आम्बिका वेरी और संजीव वेरी ने स्टोन और रेलवे के कबाड़ और वेस्टेज मेटेरियल से नई-नई कलाकृतियां तैयार की हैं, वह आकर्षण का केन्द्र बनी हुई है। ऐसी कलाकृतियों को विश्व मंच पर प्रस्तुत करने की जरूरत है। एक ओर मैं श्रीमती वेरी तथा अन्य सभी कारीगरों को शुभकामनाएं देता हूं, दूसरी तरफ भारत सरकार से मांग करता हूं कि सतना के इंचौल आर्ट्स कलाकृतियों को विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण कराया जाए और हर संभव सहायता दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.पी. चौधरी को श्री गणेश सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री दद्दन मिश्रा (श्रावस्ती) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जीवन के लिए सबसे जरूरी पेयजल की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। लगातार भूगर्भ में पेयजल की जांच से यह साबित हो चुका है कि भूगर्भ से पेयजल का उपयोग करने वाले लोग पानी में आसेरनिक और फ्लोराइड जैसे खतरनाक तत्वों को भी निरंतर ग्रहण कर रहे हैं जिसकी वजह से प्राणघातक बीमारियों के शिकार होकर असमय काल के गाल में समाते जा रहे हैं। अशुद्ध पानी पीने के कारण एनीमिया, मंह में जलन, लकवा, स्मरण में कमी, लीवर फेल होना, किडनी और फेफड़ों का कैंसर जन जीवन पर कहर ढाता जा रहा है।

गांव हो या शहर हर जगह कम गहराई से पीने का पानी प्राप्त करने वाले लोग लगातार बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, महंगी चिकित्सा के कारण समय से इलाज न हो पाने पर मौत से जीतना मुश्किल होता जा रहा है। पेयजल के भारी संकट पर भारत सरकार को गंभीरता से चिंतन कर इसकी समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। पहले इंडिया मार्का 2 हैंड पम्प की स्थापना भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से की जाती थी, उक्त व्यवस्था को बगैर वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना ही बंद कर दी गई है। अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि प्रत्येक गांवों में पीने के पानी के लिए टैंक का निर्माण करवाकर उसमें आधुनिक मशीनों द्वारा शुद्ध पेयजल का संग्रह कर लोगों को पीने का पानी मुहैया करवाया जाए। जब तक हर घर में शौचालय और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक स्वास्थ्य, सुंदर और साक्षर भारत का सपना साकार नहीं हो सकता है। जब तक हम नई व्यवस्था लागू नहीं करते तब तक पुरानी योजना को बहाल करते हुए इंडिया मार्का-2 को जारी रखा जाए, जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके।

माननीय अध्यक्ष : कुमारी शोभा कारान्दलाजे, श्री निशिकान्त दुबे, श्री देवजी एम. पटेल, श्री अजय मिश्रा टेनी, श्री पी.पी.चौधरी और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री दद्दन मिश्रा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती (सीकर): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में नीम का थाना सीकर जिला के अंतर्गत आता है। वह पहाड़ी इलाका है, विशेषतौर से वहां टेलीफोन की व्यवस्था ही खराब रहती है। वहां टॉवर नहीं है जिसका मूल कारण फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट के अंदर टॉवर नहीं लगाने देते हैं, 50-50 किलोमीटर की दूरी तक टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है।

मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि उस क्षेत्र में बीएसएनएल या अन्य किसी कंपनी के टॉवर लगाएं जाएं जिससे लोगों को फोन की सुविधा हो सके।

[अनुवाद]

श्रीमती रक्षाताई खाडसे (रावेर): धन्यवाद महोदया। देश भर में विभिन्न व्यापार पाठ्यक्रमों के तहत तकनीकी कौशल विकास पाठ्यक्रमों को लेने और उनका चयन करने वाले कई छात्र हैं। यह पता चला है कि कई कोर्स-कंप्लीटेड ट्रेड अप्रेंटिस हैं, जिन्होंने रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से पश्चिमी और मध्य रेलवे में रेलवे बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण की है। पश्चिम रेलवे में, पी.एल. वर्कशॉप के 42 प्रशिक्षुओं सहित बैच नंबर 18, से कुल 140 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियमित नियुक्ति के लिए नियुक्त किया जाना बाकी है। यह मामला काफी समय से लंबित है। मध्य रेलवे में भी वर्ष 2013 के बाद के बैचों को नियमित नियुक्तियों के लिए रेलवे में लगाया जाना बाकी है। यह भी पता चला है कि मध्य रेलवे के एक बैच के अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और वे नियमित नियुक्ति के लिए पात्र थे और उनका मेडिकल परीक्षण भी हो चुका था, लेकिन वे अभी भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। रेलवे में कुशल तकनीशियनों के लिए बहुत सारी रिक्तियां हैं और उन्हें अच्छी तरह से शामिल किया जा सकता है। माननीय सदन के माध्यम से, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे ऐसे लंबित मामलों का पता लगाएं और इन कुशल प्रशिक्षुओं को तुरंत रेलवे सेवाओं में शामिल करने का निर्देश दें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री पी.पी. चौधरी और कुमारी शोभा कारान्दलाजे को श्रीमती रक्षाताई खाडसे द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति दी गई है।

[हिन्दी]

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल (भावनगर) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में मेरे गुजरात और पूरे देश में आयुर्वेद में रूचि रखने वाले लोगों की जो इच्छा है, उसे सदन में रखने का मौका दिया।

आदरणीय अध्यक्षा जी, हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद केवल मात्र चिकित्सा पद्धति ही नहीं है, बल्कि निरोगी जीवन जीने की कला इसमें छुपी हुई है। हमारे चार पुरुषार्थ--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति

भी आयुर्वेद से होती है। भारत की यह दुर्लभ संस्कृति है, जो हमें विरासत में मिली है। हमारे लिए गर्व की बात है कि आयुर्वेद को अब विदेशों में भी लोग अपनाने लगे हैं।

आदरणीय अध्यक्षा जी, हमारे गुजरात के जामनगर में स्थित गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है, जहां पर देश-विदेश के छात्र आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। वर्तमान में भी 17 देशों के विद्यार्थी यहां पर आयुर्वेदाचार्य की शिक्षा ले रहे हैं और 65 विभिन्न देशों के विद्यार्थी आयुर्वेदाचार्य करके जा चुके हैं। यह एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है, जिसमें चिकित्सा के तीनों विभाग को दीक्षा दी जाती है और इसी विश्वविद्यालय में ई-लर्निंग की सुविधा भी प्रारंभ की जा चुकी है। गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय पहला ऐसा विश्वविद्यालय है, जिसमें कम समय में दस विभिन्न प्रकार के कोर्सेज देश-विदेश के छात्रों को करवाये जाते हैं। ये देश का ऐसा विश्वविद्यालय है, जहां पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एवं रिसर्च इन आयुर्वेद के साथ-साथ फार्मेकोलॉजी लेबोरिटी विद एनीमल हाउस के आतिरिक्त इस विश्वविद्यालय में दूसरे अन्य कोर्सेज जैसे एम.फार्म (आयु.), एम.एस.सी. (मेडिसिनल प्लांट्स) और पी.एच.डी. इन आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल साइंस जैसे बहुत से कोर्सेज किये जाते हैं। इस विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट अस्पताल में 300 बेड्स हैं जिसमें प्रतिदिन लगभग 1500 मरीजों को देखा जाता है।

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी डिमांड रखिये।

डॉ. भारतीबेन डी. श्याल : इसी विश्वविद्यालय की फार्मेसी में लगभग तीन करोड़ की औषधियां प्रतिवर्ष तैयार करवाई जाती हैं। गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय गुजरात व आसपास के राज्यों की जरूरत बन चुका है, इसलिए इसको बढ़ावा व प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

आदरणीय अध्यक्षा जी, मैंने स्वयं इस विश्वविद्यालय से आयुर्वेदाचार्य किया है और ये मेरा गौरव रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय संबंधित मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि गुजरात के इस एकमात्र आयुर्वेद विश्वविद्यालय को सैंट्रल यूनीवर्सिटी का दर्जा दिया जाये और विशेष पैकेज दिया जाये। मैं आपकी आभारी रहूंगी। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : डा. बंशीलाल महतो, श्री रामसिंह राठवा, श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री पी.पी. चौधरी को. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

डॉ. के. कामराज (कल्लाकुरिची): माननीय अध्यक्ष महोदया, चिन्नासलेम से कल्लाकुरिची रेलवे लाइन परियोजना को कुड्डालोर से सलेम ब्रॉड गेज रूपांतरण परियोजना के भौतिक संशोधन के एक भाग के रूप में वर्ष 2006 में मंजूरी दी गई थी। परियोजना की शुरुआती लागत 39.91 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर लगभग 128 करोड़ रुपये हो गई है। इस परियोजना की लागत रेलवे और तमिलनाडु सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात के आधार पर साझा की गई थी।

जैसा कि हमारी माननीय नेता, पुरैची थलाइवी अम्मा ने कल्लाकुरिची में चुनावी भाषण में वादा किया था, तमिलनाडु सरकार ने 64.5 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जो कि कुल 129 करोड़ रुपये की परियोजना की 50 प्रतिशत लागत है, विशेष रूप से चिन्नासलेम से कल्लाकुरिची परियोजना के लिए, और 59.30 करोड़ रुपये पूर्ण कुड्डालोर से सेलम ब्रॉड गेज रूपांतरण परियोजना के लिए है। रेल मंत्री जी ने इस चालू वर्ष के बजट में कुड्डालोर-विरुधाचलम परियोजना के लिए 1 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं। उक्त परियोजना के लिए रेलवे के पास 124 करोड़ रुपये की धनराशि पड़ी हुई है।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को मंजूरी देने और इस परियोजना को जल्द से जल्द निष्पादित करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया): माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। देश की डिफेंस की लैंड पर बड़े पैमाने पर आतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य में

गौतमबुद्ध नगर जिले में वायुसेना किंग रेंज के विकास के लिए आरक्षित 482 एकड़ रक्षा भूमि पर विकास प्रशासन और सरकारी आधिकारियों की मिलीभगत से अवैध कब्जा करके निर्माण किया गया है। अवैध निर्माण में बंगले, इमारतें, फ्लैट्स बेचकर करोड़ों रुपए का घोटाला करके सरकारी राजस्व का नुकसान किया गया है। इस संदर्भ में कई जांच कमेटियां और सरकार की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस संदर्भ में जन प्रतिनिधियों ने 3 जनवरी, 2015 को लिखित पत्र प्रस्तुत किया गया था लेकिन अभी तक सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैंने माननीय रक्षा मंत्री जी को 18.04.2015 को पत्र लिखा था। सरकार को निधाररित समय में भूमि प्रत्यर्पित करने के मामले में दोषी प्रशासक और सरकारी आधिकारियों पर कार्यवाही करने का कोई ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है।

मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश या देश के अन्य राज्यों में डिफेंस की लैंड पर जिस तरह से आतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, इस तरफ सरकार को ध्यान देकर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री भीमराव बी. पाटील (ज़हीराबाद): धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। मेरे निर्वाचन क्षेत्र जहीराबाद में 5000 से 6000 एकड़ और पूरे तेलंगाना में लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में अदरक की खेती होती है। अदरक की खेती में शामिल प्रमुख लागत बीज सामग्री है जिसकी लागत लगभग 50,000 रुपये से 1,00,000 रुपये प्रति एकड़ है और अन्य खर्च जिसमें भूमि की तैयारी, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक आदि शामिल हैं, की लागत 1,00,000 रुपये है। इसलिए, संक्षेप में लागत 2,00,000 रुपये प्रति एकड़ तक आती है जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए बहुत महंगा है। कभी-कभी अदरक मृदु गलन, प्रकंद गलन और उकठा जैसे रोगों से प्रभावित हो जाता है। इनसे उपज पर जबरदस्त असर पड़ता है और किसानों को उनकी पूरी लागत का नुकसान हो जाता है। मसाला बोर्ड और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड जैसी सरकारी संस्थाओं से उस समय भी किसानों को कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली।

आज की तारीख में बाजार मूल्य 25 रुपये से 30 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच है और कभी-कभी यह 10 रुपये से 15 रुपये प्रति किलोग्राम तक गिर सकता है जो किसानों के लिए आर्थिक रूप से बिल्कुल भी व्यवहार्य नहीं है।

सरकार द्वारा अदरक के लिए भी उसी प्रकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाना चाहिए, जिस प्रकार चावल और गेहूं के लिए तय किया गया है।

सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा वह यह है कि मसाला बोर्ड केरल के कोझिकोड में स्थित है, जो तेलंगाना राज्य से बहुत दूर है। जब भी किसानों को बीज खरीदना होता है तो उन्हें काफी दूर दूसरे राज्य में जाना पड़ता है।

मेरा अनुरोध है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक मसाला बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए ताकि किसानों को बीज खरीदने में आसानी हो। उसके अलावा, उत्पादों को भी स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करें जिन्हें मूल्यवर्धन के साथ निर्यात किया जा सके, जिससे अदरक किसानों को आर्थिक रूप से समर्थन मिलेगा।

श्री ई. अहमद (मलप्पुरम): धन्यवाद माननीय अध्यक्ष। मैं सरकार का ध्यान एक ऐसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जिसमें अनिश्चित काल के लिए देरी हुई है।

दूरसंचार विभाग ने पिछले वर्ष 3 नवंबर को देशभर में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एम.एन.पी.) को पूरी तरह लागू करने के लिए ट्राई की सिफारिशों को मंजूरी दे दी थी और इसे छह महीने की अवधि के भीतर लागू किया जाना था, जो 3 मई को समाप्त हो गई। लेकिन इसे लागू नहीं किया गया है। पूर्ण एम.एन.पी. से उपभोक्ताओं को देश के किसी भी हिस्से में अपना मोबाइल नंबर बनाए रखने की सुविधा मिलेगी, भले ही वे अपना ऑपरेटर

या राज्य बदल लें। दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय नंबर योजना (एन.एन.पी.) में संशोधन करते हुए दूरसंचार ऑपरेटरों से कहा था कि वे अपने उपभोक्ताओं को बिना किसी उपसर्ग के समान सर्किल के साथ-साथ अंतर-सर्किल मोबाइल नंबर पर डायल करने की अनुमति दें।

वर्तमान में, एम.एन.पी. ग्राहकों को केवल उसी टेलीकॉम सर्कल में अपना नंबर बरकरार रखते हुए मोबाइल नेटवर्क बदलने की अनुमति देता है। भारत अपनी उच्च जनसंख्या और विकास क्षमता के साथ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला दूरसंचार नेटवर्क है। हालाँकि, ग्रामीण भारत में अभी भी मजबूत बुनियादी ढांचे का अभाव है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि वह देश भर में एम.एन.पी. को शीघ्रता से लागू करने के लिए तत्काल कार्रवाई करे, जिससे लाखों मोबाइल उपयोगकर्ताओं को अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार ऑपरेटर चुनने में मदद मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष : एडवोकेट जॉइस जॉर्ज को श्री ई. अहमद द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

[हिन्दी]

श्री विनोद लखमाशी चावड़ा (कच्छ) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपने लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र कच्छ और महाराष्ट्र की जनता सांस्कृतिक, औद्योगिक रोजगार के संदर्भ में परस्पर जुड़ी हुई है। देश का आर्थिक नगर मुम्बई है इसलिए देश के हर प्रांत के साथ रेल, विमान, सड़क से जुड़ा हुआ है। इसी तरह मेरा निर्वाचन क्षेत्र मुम्बई रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। कच्छ से मुम्बई के लिए दो ट्रेनें प्रतिदिन चलाई जा रही हैं। एक सहजी एक्सप्रैस और कच्छ एक्सप्रैस हैं। एक और ट्रेन चलाने की मेरी मंत्रालय से मांग है। वर्तमान में शादी, ब्याह और बच्चों की छुट्टियों का समय है। इस कारण मुसाफिरों की आवाजाही इतनी बढ़ गई है कि वेटिंग लिस्ट पूरा होने के उपरांत भी नो रूम का जवाब मिलता है। मुसाफिर बहुत परेशान हो रहे हैं। मुझे लोक संपर्क के दौरान बड़ी संख्या में इस सुविधा के लिए उग्र फरियाद सुनने को

मिलती है। मेरी आपके माध्यम से रेल मंत्रालय से मांग है कि इन दोनों ट्रेनों में दो कोच आतिरिक्त तुरंत लगाए जाएं ताकि मुसाफिरों को सुविधा प्राप्त हो सके।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : माननीय अध्यक्ष जी, पंजाब और हरियाणा जैसे प्रदेश जहां गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है, उनके सामने एक तरह की नयी मुश्किल सामने आई है जिसकी ओर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारा जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड का फॉर्मूला बना हुआ है, उसमें यह होता है कि अकसर जब आति बारिश होती है या सूखा पड़ता है या ओलावृष्टि होती है तो ओलावृष्टि में फसल की फिजीकल वैरीफिकेशन होती है। लेकिन इस बार हमारे पंजाब और हरियाणा में एक नयी बात हुई। उसमें कुछ हिस्सा जो उत्तर प्रदेश का भी है, वहां पर फसल देखने में ठीक लगती थी किंतु जब यील्ड आई तो वह बहुत कम आई है। सुबह जब गृह मंत्री जी हाउस में थे, मैं आपके माध्यम से उनके नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड है, उसके या तो नॉर्म्स बदले जाएं क्योंकि स्टेट के पास रिलीफ फंड होता है और यील्ड का सर्वे कराकर किसानों को बौंड्स के रूप में 200 रुपये प्रति क्विंतल दिया जाए ताकि किसान इस मुसीबत से बच सके। मैं सरकार को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं क्योंकि यह सरकार किसान के हित में काम कर रही है लेकिन आज पता चला कि हमारे जो मित्र हैं, ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : नहीं, उसकी बात नहीं करिए। अब आपकी बात पूरी हो गई।

... (व्यवधान)... *

माननीय अध्यक्ष: यह कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह इससे संबंधित नहीं है। यह कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।... (व्यवधान)... *

[हिन्दी]

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.पी.चौधरी और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री एम. उदयकुमार (डिंडीगुल) : माननीय अध्यक्ष महोदया, वणक्कम! मैं अपनी पार्टी सुप्रीमो और तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डॉ. अम्मा को यह अवसर देने के लिए अत्यंत कृतज्ञता के साथ धन्यवाद देना चाहता हूँ।

मेरे डिण्डीगुल निर्वाचन क्षेत्र में, डिण्डीगुल शहर पारंपरिक ताला उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जिसे 'डिण्डीगुल पुट्टू' कहा जाता है। सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के रूप में उद्योग इकाई का वर्गीकरण उन्हें सरकार के साथ-साथ बैंकों से कुछ रियायतें प्राप्त करने का अधिकार देता है। सेवा क्षेत्र में प्रस्तावित निवेश सीमा सूक्ष्म उद्योग के लिए 10 लाख रुपये, लघु उद्योग के लिए 5 करोड़ रुपये और मध्यम उद्यम के लिए 15 करोड़ रुपये होगी। नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाना, उत्पादन का आधुनिकीकरण और कच्चे माल के उपयोग में कटौती न केवल डिण्डीगुल ताला उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक है, बल्कि कड़ी वैश्विक प्रतिस्पर्धा, विशेष रूप से चीन से मुकाबला करने के लिए भी आवश्यक है।

नई प्रौद्योगिकियों से गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि होगी। अलीगढ़ में 200 से अधिक ताला उद्योग पिन बेलनाकार तालों पर स्थानांतरित हो गए हैं।

आधुनिकीकरण और नई प्रौद्योगिकियों के आगमन से किसी भी उद्योग का रूप बदल देगा और विस्तार और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन आधुनिकीकरण ने मैन्युअल ताला बनाने के कौशल के धीरे-धीरे खत्म होने के संकेत दिए हैं, अंततः, पारंपरिक ताला उद्योग, जो अत्यधिक श्रम-गहन उद्योगों में से एक है और डिण्डीगुल जिले का प्रतिष्ठा प्रतीक है।

पहले से ही, यह उद्योग, जो सबसे लोकप्रिय आम के आकार के लोहे और पीतल के ताले का उत्पादन करता है, खराब बाजार, उत्पादन तकनीक में बदलाव और कुशल कार्यबल में तेज गिरावट के कारण मंदी की ओर है। अब, मेरे डिण्डीगुल निर्वाचन क्षेत्र के नल्लमपट्टी और नागाल नगर में केवल कुछ कारीगर ही आम के आकार के ताले बनाते हैं। केवल बड़े ज्वैलर्स और उद्योग जिन्हें अचूक सुरक्षा की आवश्यकता होती है, वे ही आम के आकार के ताले के ऑर्डर देते हैं। कई निर्माता बॉक्स-प्रकार के ताले में स्थानांतरित हो गए हैं।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से पारंपरिक डिण्डीगुल ताला उद्योग में सुधार के लिए विशेष वित्तीय सहायता और विशेष रियायत आवंटित करने का आग्रह करता हूँ। धन्यवाद।

प्रो. सौगत राय : महोदया, मैं जिस समस्या का उल्लेख कर रहा हूँ वह न केवल मेरे संसदीय क्षेत्र दम दम से संबंधित है, बल्कि बैरकपुर जिसका प्रतिनिधित्व श्री दिनेश त्रिवेदी करते हैं, श्रीरामपुर जिसका प्रतिनिधित्व श्री कल्याण बनर्जी करते हैं, और हुगली जिसका प्रतिनिधित्व डॉ. रत्ना डे (नाग) करती हैं, से भी है।

पश्चिम बंगाल में 2.5 लाख श्रमिकों को रोजगार देने वाला जूट उद्योग गंभीर संकट से गुजर रहा है। हालांकि हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा उद्योग में एक त्रिपक्षीय मजदूरी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। विभिन्न मिलों में, विशेष रूप से इस महीने मजदूरी का भुगतान न करने पर गंभीर श्रमिक की समस्या पैदा हो रही है। 1 मई की सुबह, बराकपुर औद्योगिक बेल्ट में नफरचंद और काकीनाडा जूट मिलों में काम के निलंबन का नोटिस जारी किया गया था। उसी रात, हुगली औद्योगिक बेल्ट में विक्टोरिया जूट मिल, टेलीनिपारा में काम के निलंबन के लिए समान नोटिस जारी किया गया था। यह मिल 5,000 श्रमिकों को रोजगार देती हैं। 2 मई को, श्रीरामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ऋषरा और भारत जूट मिल के वेलिंगटन जूट मिल में श्रम की समस्या उत्पन्न हो सकती है। कमरहट्टी क्षेत्र में प्रबार्थक जूट मिल को हाल ही में बंद कर दिया गया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कमरहट्टी जूट मिल भी कुछ समय पहले बंद कर दी गई है। उत्तरी कोलकाता में कलकत्ता जूट मिल भी बंद पड़ी हुई है। ये सभी बंद जूट मिलें कुल मिलाकर 50,000 श्रमिकों को रोजगार देती हैं। उनकी परेशानी का मुख्य कारण जूट सामान पैकेजिंग सामग्री अधिनियम के तहत भारत सरकार से मिलों को पर्याप्त ऑर्डर नहीं मिलना

है। उन्हें राज्य सरकारों से भी ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। उन्हें राज्य सरकारों के आदेश भी नहीं मिल रहे हैं। कच्चे जूट की बढ़ती कीमत को लेकर भी समस्या है।

जब तक कपड़ा मंत्रालय तुरंत हस्तक्षेप नहीं करता, संकट और भी बदतर होता जाएगा और अधिक कर्मचारी रोजगार से वंचित हो जाएंगे।

महोदया, मैं चाहूंगा कि वस्त्र मंत्री जी कुछ कहें। अगर वह उपस्थित नहीं तो भी कोई दूसरा मंत्री जवाब दे सकता है। जैसे गृह मंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण पर एक प्रश्न का जवाब दिया, कपड़ा मंत्री की ओर से कोई अन्य मंत्री जवाब दे सकता है।

माननीय अध्यक्ष: मैं उन्हें मजबूर नहीं कर सकता।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : महोदया, यह एक गंभीर मुद्दा है... (व्यवधान) राज्य में जूट मिलें बंद कर दी गई हैं। मंत्री जी क्या कर रहे हैं?

श्री दिनेश त्रिवेदी (बैरकपुर) : यह बहुत ही गंभीर विषय है। जूट मिलों को संरक्षित किया जाना चाहिए... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: डॉ. रत्ना दे (नाग) को प्रो. सौगत राय द्वारा उठाए गए मुद्दे पर जुड़ने की अनुमति है।

अपराह्न 01.00 बजे

श्रीमती पी.के. श्रीमथी टीचर (कन्नूर) : महोदया, यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मुद्दा है। श्री एम.बी. राजेश उस मुद्दे को उठाएंगे। एक लड़की ने आत्महत्या कर ली और दो लड़कियों की हालत गंभीर बनी हुई है।

श्री एम.बी. राजेश (पालक्काड़) : मैं कल केरल में हुई एक अत्यंत दुखद और चौंकाने वाली घटना की ओर इस सभा और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। केरल के अलेप्पी में भारतीय खेल प्राधिकरण के केंद्र में चार एथलीट लड़कियों ने आत्महत्या करने का प्रयास किया और आज सुबह एक एथलीट की मौत हो गई। वह एक राष्ट्रीय विजेता थी और दो लड़कियों की हालत बहुत गंभीर है। खबरों के अनुसार, यह उत्पीड़न की वजह से हुआ है। यह मीडिया प्रतिवेदन है। एस.ए.आई. एक महत्वपूर्ण संस्थान है और यह राष्ट्रीय महत्व और प्रतिष्ठा का संस्थान है। यदि एस.ए.आई. जैसे संस्थान में इस प्रकार की स्थिति बनी रहती है तो यह गंभीर चिंता का विषय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, केरल राज्य ने एथलेटिक के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है और आत्महत्या करने वाली यह लड़की कयाकिंग में राष्ट्रीय विजेता है। यह आंखें खोलने वाली बात होनी चाहिए। इस सरकार को गंभीरता से हस्तक्षेप करना चाहिए और स्थिति और परिस्थितियों पर गंभीरता से गौर करना चाहिए। सभी विवरण उपलब्ध नहीं हैं। ऐसा आज ही हुआ है।

माननीय अध्यक्ष : मुझे इसके के बारे में पता है। इसलिए, मैंने आपको अनुमति दी है।... (व्यवधान)

श्री एम.बी. राजेश : मैं इस मामले में समर्थन और सहयोग के लिए श्री के .सी. वेणुगोपाल और के. सुरेश दोनों का आभारी हूँ।

यह सतर्क वाली बात होनी चाहिए। सरकार को विशेष रूप से साईं केंद्रों में खेल छात्रावासों में व्याप्त स्थितियों पर गंभीरता से गौर करना चाहिए और सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए एक समिति नियुक्त करनी चाहिए कि खेल छात्रावास और साईं केंद्रों में एथलीट की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मैं यह भी मांग करता

हूँ कि इस समग्र मामले को देखने के लिए एक समिति की नियुक्ति के अतिरिक्त इस विशेष घटना की व्यापक जांच होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.के. बीजू, वकील जॉइस जॉर्ज, श्री पी. करुणाकरण, श्रीमती पी.के. श्रीमथी टीचर, श्री जोस के. मणि, श्री सी. एन. जयदेवन और डॉ. शशि थरूर को श्री एम.बी. राजेश द्वारा उठाए गए मामले से सहयोग करने की अनुमति दी गई है।

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): महोदया, यह घटना कल शाम को हुई है। मैंने मेडिकल कॉलेज अस्पताल, अलप्पुझा से संपर्क किया था। मैंने जिला कलेक्टर से भी संपर्क किया था। इन चार लड़कियों ने जहर खा लिया है। यह घटना अपने आप में हुई है। तीन लड़कियां अभी भी अस्पताल में हैं। हम उनके जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।

मैं सरकार से यह भी आग्रह कर रहा हूँ कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इसे दोहराया नहीं जाना चाहिए महोदया। इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी पाए जाते हैं, उन्हें सरकार द्वारा दंडित किया जाना चाहिए।

अपराह्न 01.02 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

माननीय अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सदन के पटल पर रखे जाएंगे। जिन सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सदन के पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर व्यक्तिगत रूप से मामले का पाठ सदन के पटल पर सौंप सकते हैं। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाएगा जो निर्धारित समय के भीतर लिखित रूप में पटल पर प्राप्त होंगे। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

अब हम मद सं22 लेंगे।

(एक) झारखंड में प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : यह दुःखद त्रासदी है कि देश में असमय बारिश, ओलावृष्टि के पश्चात देशवासियों को भूकंप का भी दंश झेलना पड़ रहा है। पूर्व की प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की रबी फसल और अन्य फसलों का भारी नुकसान हुआ है। झारखंड में इन चरणबद्ध प्राकृतिक आपदाओं से किसानों सहित अन्य लोग प्रभावित हुए हैं। ऐसी स्थिति में इन प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों का जिलावार आकलन करना चाहिए। इस प्रयोजन हेतु केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की जाँच टीम की रिपोर्ट के आधार पर सहायता धनराशि प्रदान करने की आवश्यकता है। आज पूरे देश में भूकम्प के प्रकोप से लोग भयभीत हैं।

* सभा पटल पर रखा माना गया

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए और बैंकों के द्वारा विशेष शिविर का आयोजन कर किसानों के लिए 'ऋण माफी योजना' की शुरूआत और 'किसान क्रेडिट कार्ड' का वितरण सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही साथ झारखंड के किसानों और भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए 'विशेष आपदा प्रबंधन कोष' की स्थापना और भूकंप प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाए।

(दो) जेलों को शहरों के बाहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर) : अक्सर यह देखा गया हे कि बड़े-बड़े महानगरों तथा छोटे-छोटे नगरों में घनी आबादी के कारण भूमि की कीमत आसमान छूने लगी है। शहरों में जमीन उपलब्ध न होने के कारण शहर के कई सरकारी कार्यालय तथा निवासी भी महानगर/शहर की सीमा रेखा के बाहर स्थानान्तरित हो रहे हैं। यह जनता अपने रोज के व्यवहार के कारण शहरों में आती है और ज्यादा भीड़ होने के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। महानगर/शहरों की घनी आबादी के कारण शहर के कारागृह शहरों के मध्यवर्ती क्षेत्र में आ गये हैं। जेल कैदियों का आवागमन तथा उनको मिलने हेतु आने वाले लोगों की वजह से कारागृह के आस-पास की जनता भयभीत रहती है। कारागृह के पास सैंकड़ों एकड़ भूमि खाली पड़ी है जिसकी आज बाजार दरों से करोड़ों में कीमत है। अगर ये कारागृह शहर के बाहर कम दाम पर भूमि लेकर स्थानान्तरित किये गये तो शहर स्थित कारागृह के आस-पास की जनता को राहत मिलेगी और महानगरों/शहरों मे मध्यवर्ती क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ भूमि सरकार को मिलेगी। वहाँ सारे सरकारी कार्यालय, कालोनियाँ बसाकर महानगर/शहर के विकास के साथ-साथ शहर के मध्यवर्ती क्षेत्र में जैसी शैक्षणिक सुविधा भी उपलब्ध हो सकती हैं। महानगर/शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए मध्यवर्ती क्षेत्र में बसे हुए कारागृह शहर के बाहर स्थानान्तरित किए जाएं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस सूचना पर गंभीरता से विचार करके कार्यवाही करें।

(तीन) विश्व वैदिक साहित्य संग्रहालय स्थापित किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत) : दुनियाभर के बुद्धिजीवियों ने लगभग सर्वसम्मति से यह माना है कि वेद व वैदिक साहित्य प्राचीनतम हैं। चारों वेदों की 1131 शाखाएं थी। पर देश के इतिहास में राजनैतिक व सामाजिक अंधकार का एक ऐसा लंबा युग आया कि दुनिया का सबसे समृद्ध, पूर्णतया वैज्ञानिक, वैश्विक और सर्वांगीण विकास का रास्ता दिखाने वाला साहित्य धीरे-धीरे नष्टप्रायः हो गया। आज देश के अंदर वेदों को केवल आठ शाखाएँ सुरक्षित हैं तथा पूरी दुनिया में पूर्ण व आंशिक केवल मात्र 29 शाखाएँ जिन्दा हैं। देश में जगह-जगह जैसे तंजौर, बंगलौर, श्रृंगेरी, जोधपुर, बड़ौदा, ग्वालियर, अजमेर, बनारस, झज्जर एवं पटना इत्यादि स्थानों पर विभिन्न पुस्तकालयों में आज भी वैदिक साहित्य के लाखों हस्तलिखित ग्रंथ उपलब्ध हैं। कुछ ग्रंथों की हालत अत्यंत जर्जर है। वेद व वैदिक साहित्य को यूनिसेफ ने भी विश्व सम्पदा घोषित किया है।

अतः मेरा माननीय सांस्कृतिक मंत्री जी से आग्रह है कि वेदों व वैदिक साहित्य की लुप्त अथवा अप्राप्त शाखाओं / ग्रंथों को विश्वभर से माइक्रो फिल्म व डिजीटाइज करके मंगवाने की कोशिश करेंगे तथा पूरे देश में विभिन्न पुस्तकालयों से पुस्तकों की कॉपी कराकर के एक वृहद विश्व वैदिक साहित्य संग्रहालय की स्थापना करने का प्रयत्न करेंगे ताकि विश्व के बुद्धिजीवियों के लिए एक शोध केन्द्र बन सके तथा आगे आने वाली पीढ़ियाँ अपनी संस्कृति पर गर्व कर सकें।

(चार) कर्नाटक के बेलागवी में समपार संख्या-385 और 388 पर सड़क उपरिपुलों के निर्माण हेतु निधियां जारी किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुरेश सी. अंगड़ी (बेलगाम) : एक दशक पहले जब बेलगावी के तेजी से बढ़ते शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में एल.सी. संख्या 385 और 388 पर रोड ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी.) को मंजूरी दी गई थी, तो हमें खुशी हुई थी। राज्य सरकार पहले ही अपनी लागत का हिस्सा जमा कर चुकी है, लेकिन काम अभी शुरू नहीं हुआ है। करीब एक माह पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन समेत रेलवे के संबंधित अधिकारियों से चर्चा के बाद कुछ संतुष्टि हुई। लेकिन मेरी खुशी अल्पकालिक थी क्योंकि रेलवे ने केवल एक आर.ओ.बी. अर्थात एल.सी. 385 के लिए निधि जारी किया है और फिर से अन्य एल.सी. संख्या 388 को उन कारणों से लंबित रखा है जो उन्हें सबसे अच्छी तरह से ज्ञात हैं।

पिछले 10 वर्षों में, इन एल.सी. के माध्यम से कार्यालयों विद्यालयों, महाविद्यालयों, अस्पतालों आदि में जाने वाले लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए बहुत कम काम किया गया है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि एल.सी. क्रमांक.385 और 388 पर आर.ओ.बी. को तत्काल शुरू करने और पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें।

(पाँच) आला हजरत एक्सप्रेस, राज्यरानी एक्सप्रेस, गुवाहाटी एक्सप्रेस, सद्भावना एक्सप्रेस का ठहराव उत्तर प्रदेश के गजरौला रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कंवर सिंह तंवर (अमरोहा) : मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र अमरोहा (उत्तर प्रदेश) के गजरौला व उसके आस-पास के दैनिक रेल यात्रियों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र से हजारों लोग अपनी आजीविका आर्जित करने के लिए दिल्ली एन.सी.आर. में कार्य करने के लिए जाते हैं। साथ ही गजरौला प्रमुख धार्मिक नगरी गढ़ का निकटतम जंक्शन है जहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु पहँचते हैं परंतु गजरौला रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। वहाँ यात्रियों के बैठने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। सुबह-शाम के समय कोई ऐसी ट्रेन नहीं है जिससे यह लोग अपने काम पर दिल्ली-एनसीआर आ-जा सकें जिसके कारण इन्हें या तो बस से आना-जाना पड़ता है जो इनके लिए बहुत महँगा पड़ता है तथा समय भी बहुत लगता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि गजरौली रेलवे स्टेशन पर आला हजरत एक्सप्रेस, राजरानी एक्सप्रेस, गुवाहाटी एक्सप्रेस तथा सद्भावना एक्सप्रेस का स्टॉपेज बनाया जाए जिससे इन लोगों की समस्या का निदान हो सके तथा लोग समुचित रूप से रेल सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

(छह) उत्तर प्रदेश में कुम्हार जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के शासनादेश संख्या 12025/1/2008-एस.सी.डी.(आर.एल.सैल) दिनांक 31.03.2008 में उल्लेख है कि 'शिल्पकार जाति' उत्तराखंड की अनुसूचित जाति की सूची में क्रम सं. 64 पर आधिसूचित है। दिनांक 24.04.1996 की उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन पर्वतीय मंत्रालय के अधीन उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में प्रमुख सचिव द्वारा आदेश सं. 223/उ.ख.दे./96 में सूचित किया गया कि 'शिल्पकार जाति' अनेक प्रकार की दस्तकारी में संलग्न उपजातियों का समूह है। इन उपजातियों के संबंध में व्याप्त भ्रान्तियों को दूर करने के लिए 16 दिसम्बर, 2013 को उत्तराखंड शासन द्वारा जारी की गई आधिसूचना में इन 'शिल्पकार जाति' के समूह के अंतर्गत आने वाली 38 उपजातियों को स्पष्ट किया गया है जिसमें क्रमांक 25 पर 'कुम्हार' अंकित है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहे उत्तराखंड में तो कुम्हार जाति अनुसूचित जाति में सम्मिलित है परंतु उत्तर प्रदेश में यह जाति अभी तक अनुसूचित वर्ग में सम्मिलित नहीं की गई है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि भारत सरकार के दिनांक 31.03.2008 के शासनादेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश में भी कुम्हार जाति को अनुसूचित वर्ग में शामिल करने का कष्ट करें।

(सात) जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, उनको पर्याप्त मुआवजा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बैतूल) : मैं सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश समेत देश में हुई भारी वर्षा एवं ओलावृष्टि से हुई किसानों की फसल के नुकसान की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूँ। पिछले दिनों प्रदेश में भारी वर्षा एवं ओलावृष्टि से किसानों की 70 प्रतिशत से आधिक फसल नष्ट हो गयी है। सरकार ने प्रभावित किसानों के नुकसान का सर्वेक्षण कराकर तत्काल उन्हें राहत धनराशि देने का वायदा किया था परंतु प्रदेश सरकार ने किसानों की फसल, वन एवं कृषि भूमि की व्यापक रूप से हुई क्षति का अभी तक सर्वे नहीं कराया है जिससे किसानों में घोर निराशा और हताशा व्याप्त है। किसान भुखमरी के कगार पर हैं। मजबूर किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि किसानों की क्षतिग्रस्त फसल का शीघ्र सर्वे कराकर कृषकों को उचित मुआवजा दिए जाने हेतु तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार को निर्देश देने की कृपा करें, उनके ऋणों को माफ किया जाए तथा जब तक उनके ऋण को माफ नहीं किया जाता तब तक तत्काल प्रभाव से उसकी वसूली पर रोक लगायी जाए।

(आठ) वर्ष 2013 में प्राकृतिक आपदा के कारण उत्तराखंड में तबाह हुए क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्य की गति में तेजी लाये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह (टिहरी गढ़वाल) : मैं सरकार का ध्यान पिछले वर्ष उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा की ओर दिलाना चाहती हूं। दो वर्ष पूर्व उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इस वर्ष भी अभी तक भारी बारिश और बर्फ के कारण सड़कें टूट चुकी हैं। चार धाम यात्रा का सीजन आरंभ हो गया है लेकिन पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों में दहशत बनी हुई है। कुदरत के इस कहर से विश्वभर में उत्तरराखंड के चार धाम यात्रा को लेकर दहशत का वातावरण बना हुआ है। पिछले वर्ष के बाद राज्य सरकार ने किसी प्रकार यात्रा आरंभ कर दी थी, परंतु इस वर्ष अभी तक सड़कें यात्रा करने लायक नहीं हैं। स्थानीय लोगों के घरों का अभी भी पुनर्निर्माण नहीं हुआ है जिससे लोगों में दहशत बनी हुई है। उत्तरकाशी में आपदाग्रस्त गांवों में पुनर्निर्माण का कार्य धीमी गति से चल रहा है, उसके कार्य में तेजी लायी जाए।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए जाएं तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु प्रदेश सरकार से निर्माण कार्यों की रिपोर्ट मांगी जाए।

(नौ) कुरमाली और मुण्डरि भाषाओं को संविधान की आठवें अनुसूची में शामिल किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विद्युत वरण महतो (जमशेदपुर): क्षेत्रीयता की संतुष्टि के लिए भारत के संविधान में 8वें अनुसूची की व्यवस्था की गई है। अब तक इसमें हिन्दी सहित 22 क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया जा चुका है। साथ ही 38 भाषाएं केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन हैं और 8वें अनुसूची में शामिल होने के लिए प्रतीक्षारत है। झारखंड की 5 भाषाएं भी प्रतीक्षा सूची में है। इन भाषाओं की प्रतीक्षा कब खत्म होगी, यह कहना मुश्किल है। इस संबंध में भारत सरकार को अंतिम निर्णय लेना है। झारखंड की जिन 5 भाषाओं को संविधान की 8वें अनुसूची में शामिल किए जाने के लिए केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव दिया गया है, उनमें हो, कुडुख, कुरमाली, मुंडारी एवं नागपुरी शामिल हैं।

कुरमाली भाषा झारखंड की एक प्रमुख भाषा है। यह केवल झारखंड में ही नहीं, बल्कि उड़ीसा में क्योंझर, बोनई, बामडा, मयूरभंज, सुंदरगढ़, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत पुरूलिया, मिदनापुर, बंकुरा, मालदा, दिनाजपुर के सीमावर्ती इलाके, जो बिहार से सटे हैं एवं बिहार के भागलपुर इलाके में भी बोली जाती है। यह भाषा केवल कुर्मियों तक ही सीमित नहीं बल्कि इनके साथ निवास करने वाले अन्य जातियों के भाव-विनियम का भी साधन है। इसी तरह मुंडारी भाषा विश्व के प्राचीनतम भाषाओं में से एक है और इसकी संस्कृति भी प्राचीनतम है। मुंडारी भाषा ने दूसरी भाषाओं को भी प्रभावित किया है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि लाखों लोगों की भावनाओं को समझते हुए कुरमाली एवं मुंडारी भाषाओं को तत्काल आठवें सूची में शामिल किया जाए।

(दस) उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में 6 लेन वाले राजमार्ग के पूरा होने तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-25 पर बारा जोड़ स्थित येल टैक्स प्लाजा पर टोल टैक्स संग्रहण पर तत्काल प्रतिबंध लगाये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : मैं केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे संसदीय यक्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 25 जालौन-गरौठा-भोगनीपुर से जिला कानपुर देहात के बारा जोड़ से उरई होते हुए झांसी तक जाता है जिस पर ओवर ब्रिज पर सर्विस रोड़ भोगनीपुर, उरई, कुईया, करमेर, राठ, एट, पिरौना, पूंछ, मोठ तक के सभी सर्विस रोड़ों का कार्य कंपनी ने पूर्ण नहीं किया है लेकिन एन.एच. ए.आई. ने सारे भुगतान कर दिए हैं और विशेष तौर पर बारा जोड़ पर जो टोल टैक्स है, वहां पर एक तरफ का टैक्स 120 रूपया सिस्स लाइन रोड़ का वसूला जा रहा है जबकि रोड़ बनने के बाद ही टैक्स वसूला जाना चाहिए लेकिन यह करीब 2 वर्षों से टैक्स वसूला जा रहा है। यह व्यवस्था न्यायपूर्ण नहीं है। मार्ग बनने के बाद ही टैक्स वसूला जाना चाहिए। वर्तमान व्यवस्था से क्षेत्रवासियों में घोर असंतोष है और आये-दिन बारा जोड़, जिला कानपुर देहात के टोल टैक्स पर वसूली बूथ पर झगड़े होते रहते हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि ओवर ब्रिजों के सर्विस रोड़ों की जांच कराकर एवं बारा जोड़ के टोल टैक्स बूथ पर हो रही अवैध वसूली को रोका जाए।

(ग्यारह) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों के वार्षिक आवंटन में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम.आई. शानवास (वायनाड) : किसी भी जिले में प्रगति और अवसरंचना विकास का मुख्य आधार संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.एस.) है जो पारदर्शी तरीके से सामाजिक अवसरंचना और क्षमता निर्माण के लिए आवंटित किए जाने वाले केंद्र द्वारा स्वीकृत संसाधनों का इष्टतम उपयोग प्रदान करती है। हालाँकि, प्रधानमंत्री की स्वप्न परियोजना के रूप में सामने आई सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाई.) में बजट आवंटन के रूप में एक रुपया भी नहीं है। इसके अलावा सांसद आदर्श ग्राम योजना में पहले से ही 5 करोड़ रुपये की अल्प निधि से धन आवंटित करने की बात कही गई है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए बजटीय आवंटन का प्रावधान न करने से सरकार का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। मैं सरकार से सांसद आदर्श ग्राम योजना जैसा शून्य वित्त पोषित कार्यक्रम बनाने के बजाय एम.पी.एल.ए.डी.एस. की निधियन को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये करने का आग्रह करूंगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी) के माध्यम से कॉर्पोरेट से संसाधनों की मांग की योजना पर विचार किया गया है लेकिन इसमें सार्वजनिक संपत्ति पर कॉर्पोरेट के स्वामित्व और नियंत्रण का अंतर्निहित खतरा है। सामाजिक संपत्ति के कॉर्पोरेट के साथ साझा हो जाने का खतरा है और इस तरह यह एक अर्ध-कॉर्पोरेट संसाधन तंत्र का सृजन करता है,जो दीर्घ काल में लोकतांत्रिक संस्थानों को नष्ट करने में सक्षम है।

(बारह) पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज परियोजना का पर्याप्त रखरखाव सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर):फरक्का बैराज भारत के आधुनिक मंदिरों में से एक है क्योंकि यह बांग्लादेश को पानी प्रदान करता है और कोलकाता बंदरगाह तक पानी के प्रवाह की आवश्यकता को पूरा करता है। लेकिन मामला यह है कि यह परियोजना दशकों से उदासीनता और उपेक्षा का शिकार रही है और अब एक खतरनाक स्थिति में गिरने के लिए तैयार है।

यह परियोजना के अपर्याप्त रखरखाव के कारण है कि वर्ष 1985 से 2011 के बीच छह अवसरों पर प्रमुख द्वार की विफलता का सामना करना पड़ा है। कुछ महीने पहले भी द्वार की विफलता को देखा गया था, जो चिंता का कारण था। सी.ऐ.जी. ने अपने प्रतिवेदन में तीखी आलोचना की है और कहा है कि रखरखाव में गंभीर कमी है। बैराज वर्ष 1974 में चालू किया गया था। द्वार रिमोट कंट्रोल प्रणाली और बैराज के नेविगेशनल लॉक को दशकों से गैर-कार्यात्मक छोड़ दिया गया है। यदि बैराज पर लॉक गेट और अन्य गतिविधियों के रखरखाव पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है तो यह एक आपदा का कारण बन सकता है जिसके अंतरराष्ट्रीय परिणाम हो सकते है। मैं जल संसाधन,नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय से आग्रह करूंगा कि किसी और नुकसान को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर इसका व्यापक स्तर पर रखरखाव किया जाए।

(तेरह) तमिलनाडु में विद्युत् संयंत्रों के लिए कोयला ब्लॉक आवंटित करने और तमिलनाडु में तूतीकोरिन में तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड (टैंजेडको) - एन.एल.सी. संयुक्त उद्यम को चालू करने हेतु पर्यावरणीय मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू (चेन्नई उत्तर): टीएन जेनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टी.ए.एन.जी.ई.डी.सी.ओ.) की पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की स्थापित क्षमता 28 फरवरी*, 2015* को क्रमशः 13,231.44 मेगावाट और 8400.71 मेगावाट थी।

जब वर्तमान सरकार ने तमिलनाडु का कार्यभार संभाला तो वर्ष 2011 की पहली छमाही में 4,000 मेगावाट का बिजली घाटा व्यवस्थित रूप से दूर हो गया था और केंद्र और राज्य क्षेत्र में नए बिजली स्टेशनों के चालू होने और मध्यम और दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौतों के माध्यम से राज्य में 4,991.5 मेगावाट का अतिरिक्त प्रवाह सुनिश्चित किया गया था। इसने राज्य की दैनिक औसत बिजली आपूर्ति को वर्ष 2011 में 200 मिलियन इकाइयों से बढ़ाकर वर्तमान वर्ष में 260 मिलियन इकाइयों तक बढ़ाने में मदद की है।

तमिलनाडु ने पहले ही एक कोयला ब्लॉक के लिए आवेदन किया है और एक और कोयला ब्लॉक के आवंटन की मांग की है। राज्य सरकार की मांग के अनुसार ओडिशा में महानदी और मच्छकटा कोयला ब्लॉकों को टैंजेडको को आवंटित करने से तमिलनाडु में चल रही और आगामी पांच थर्मल परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, तूतीकोरिन 2x500 मेगावाट पर तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड-एनएलसी जेवी के कमीशन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की भी प्रतीक्षा है।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह तत्काल अनुकूल कार्रवाई करने के लिए मामले की गंभीरता पर विचार करे।

(चौदह) बच्चों की गुमशुदगी की घटनाओं को रोकने और ऐसे बच्चों को ढूँढ़ने के लिये सशक्त तंत्र बनाये जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): मैं सरकार का ध्यान हमारे समाज अर्थात भारत के गुमशुदा बच्चों की एक निरंतर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। गृह मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2011 से 2014 जून के बीच 3.25 लाख बच्चे गुमशुदा हो गए। फिर भी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) की आल इंडिया डायरेक्टरी इसकी संख्या बहुत कम दिखाती है। वर्ष 2014 में,राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार,1290 बच्चे -328 लड़के और 962 लड़कियां - गुमशुदा बताए गए हैं। इनमें से 39 बच्चे - 10 लड़के और 29 लड़कियां - ओडिशा से गुमशुदा होने की सूचना मिली है। इसमें से केवल 7 का पता लगाया जा सका है या पाया जा सका है। बचपन बचाओ आंदोलन जैसे संगठनों का दावा है कि सरकार के पास दर्ज ऐसे मामलों की संख्या देश में लापता बच्चों की वास्तविक संख्या से काफी कम है। यह एक स्थापित तथ्य है कि मानव तस्करी; भीख मांगने और वेश्यावृत्ति रैकेट के बढने का संबंध देश में बच्चों के लापता होने की समस्या से है और यह एनसीआरबी डेटा में भी दिखाई देता है।

दि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्शन रिसर्च ने गुमशुदा व्यक्तियों के विषय में वर्ष 2003 में सिफारिश की थी कि नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटड चिल्ड्रेन स्थापित किया जाना चाहिए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भी कई दस्तावेजों में इसका सन्दर्भ लिया गया है, लेकिन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि "ट्रैक चाइल्ड" के सरकारी पोर्टल की बहुत सराहना की जाती है, वेब पोर्टल के आंकड़ों और एन.सी.आर.बी. के पास मौजूद आंकड़ों के बीच समन्वय की आवश्यकता है,जो वर्तमान में दिखाई नही देता है। वर्ष 2011 और 2014 जून के बीच,148115 बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनका कोई सुराग नही मिला है या फिर सरकारी अभिलेखों में कभी नहीं पाए गए हैं। मैं सरकार से इस संबंध में राज्यों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित

करने के लिए कदम उठाने और देश में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक अधिक सुदृढ़ तंत्र विकसित करने का आग्रह करता हूं।

(पन्द्रह) महाराष्ट्र के रामटेक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बी.एस.एन.एल. के टावर स्थापित किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक) : आज देश के ग्रामीण एवं शहरी भागों में, मोबाइल और इन्टरनेट हम सभी के जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं। देश में अनेक लोग विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बी.एस.एन.एल. की सेवा लेना पसंद करते हैं, लेकिन गाँवों में आवश्यक मात्रा में बी.एस.एन.एल. के टावर उपलब्ध नहीं है। इसमें मेरे संसदीय क्षेत्र रामटेक (महाराष्ट्र) के अंतर्गत आने वाला गाँव गोडेगाँव कालोनी भी शामिल है। इस गाँव में बी.एस.एन.एल. का कोई टावर नहीं है तथा मोबाइल के नेटवर्क हमेशा गायब ही रहते हैं जिससे स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का समना करना पड़ रहा है। इसी तरह की स्थिति अन्य गाँवों में भी है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गाँव गोडेगाँव कालोनी में बी.एस.एन.एल. टावर लगाया जाए, साथ ही अन्य गाँवों का भी सर्वेक्षण करवाकर बी.एस.एन.एल. के टावर स्थापित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे क्षेत्रीय जनता की परेशानियाँ दूर हो सकें।

(सोलह) राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 6 के विकास हेतु आवश्यक निधियां उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री राधेश्याम बिश्वास (करीमगंज):भारत सरकार ने विभिन्न उत्पादों के परिवहन के लिए जलमार्गों का उपयोग और सुधार करने की घोषणा की थी क्योंकि परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षाकृत इसकी लागत बहुत कम है। भारत और बंग्लादेश के मध्य पारगमन और व्यापार पर एक अंतर्देशीय जल परिवहन प्रोटोकॉल मौजूद है, जिसके अंतर्गत एक देश के जहाज निर्दिष्ट मार्गों के माध्यम से पारगमन कर सकते हैं,जिसमें करीमगंज और कोलकाता के बीच का मार्ग शामिल है। कोलकाता और करीमगंज के बीच दो प्रकार के कार्गो जहाज चलते हैं - छोटे कार्गो जहाज जो 500 से 600 टन माल ले जा सकते हैं और दुगने कार्गो जहाज जो लगभग 1500 मिलियन टन माल ले जा सकते हैं। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान, स्टीमर नेविगेशन सेवा कंपनी इन दोनों बंदरगाहों के बीच कार्गो जहाज चलाती थी लेकिन वर्ष 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के कारण ऐसी यात्राएं रुक गईं थी। इसे वर्ष 1972 में फिर से शुरू किया गया था। भारत सरकार ने असम में बराक नदी के क्षेत्र में करीमगंज, बंगा और लखीपुर खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 घोषित किया था। इसका उद्देश्य वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत हिन्दुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक इकाई पंचग्राम पेपर मिल के लिये कोयला और अन्य खनिज को उद्योग स्थल पर आसानी से भेजना था और परिवहन की कम लागत पर देश के अन्य हिस्सों में पेपर उत्पादों को भी भेजना था।

पोत परिवहन मंत्रालय मंत्रालय द्वारा 24/07/2014 को उत्तर दिए गए मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 2125 में,यह कहा गया है कि लखीपुर तक गोदाम सुविधाओं के साथ करीमगंज टर्मिनल का उन्नयन निकट भविष्य में किया जाएगा।

इसलिए, मैं पोत परिवहन मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि वह बराक घाटी के एकमात्र उद्योग अर्थात् पंचग्राम पेपर मिल को बचाने के लिए और इस उपेक्षित क्षेत्र के आर्थिक उत्थान के लिए जलमार्ग विकसित करने हेतु आवश्यक धनराशि प्रदान करे।

(सत्रह) देश में विशेषकर पंजाब में उन कैदियों को जिन्होंने अपनी सजा की अवधि पूरी कर ली है, जेल से रिहा करने किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भगवंत मान (संगरूर): देश की जेलों में बंद कैदियों में से बहुत से कैदी ऐसे हैं जिनकी सजाएं पूरी हो चुकी हैं लेकिन उनको रिहा नहीं किया जाता। पंजाब की जेलों में भी बहुत कैदी ऐसे हैं जिनकी रिहाई के लिए हड़तालें, धरने व भूख हड़तालें होती रहती हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि जेलों में बंद सजा पूरी कर चुके कैदियों को जेल से बाहर लाने के लिए उचित निर्देश दिए जाएं।

(अठारह) बिहार के भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बिहपुर रेलवे स्टेशन के पूर्वी और पश्चिमी छोर पर समपारों के निर्माण किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र भागलपुर (बिहार) में पूर्व-मध्य रेल के सोनपुर रेल मंडल के अंतर्गत बिहपुर रेलवे स्टेशन के पश्चिम केबिन से झण्डापुर इमली चौक तक लगभग एक किलोमीटर तक रेलवे लाइन के उत्तर तरफ से दक्षिण तरफ जाने के लिए कोई समपार नहीं है। बिहपुर रेलवे स्टेशन के उत्तर तरफ रेलवे के अधीन की भूमि पर रेलवे लाइन के समानान्तर पूर्व से ही निर्मित सड़क है जो वर्तमान में एकदम जर्जर स्थिति में है। इस सड़क पर बिहपुर से संबंधित रजिस्ट्री कार्यालय सहित कई महत्वपूर्ण कार्यालय हैं लेकिन बिहपुर रेलवे स्टेशन की इस सड़क से स्टेशन के दक्षिण तरफ आने-जाने के लिए पैदन रेलवे लाइन को पार करने के अलावा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। आम नागरिक पैदल ही रेलवे लाइन को पार करते हैं जो हमेशा ही खतरे को आमंत्रित करता है जबकि बिहपुर रेलवे स्टेशन के उत्तर तरफ घनी आबादी बसी हुई है। लोगों को आपातकालीन स्थिति में रेल लाइन को पैदल ही पार करना पड़ता है। इस स्थिति में दुर्घटना की संभावना प्रबल होती है। यहां न तो रेलवे समपार है और न ही पैदल पारपथ है। अतः स्थानीय नागरिकों की मजबूरी है कि रेल लाइन को पैदल पार करें।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि बिहपुर रेलवे स्टेशन के पश्चिम छोर तथा पूर्वी छोर पर रेलवे लाइन के उत्तर समानान्तर सड़क को रेलवे लाइन के दक्षित तरफ से जोड़ने के लिए बिहपुर रेलवे स्टेशन के पश्चिम छोर तथा पूर्वी छोर रेलवे पर समपार का निर्माण तथा क्षतिग्रस्त सड़क को पुनर्निर्मित कराने के लिए संबंधित रेल आधिकारियों को आवश्यक निदेश देने का कष्ट करें।

(उन्नीस) काजू उद्योग को श्रम गहन क्षेत्र में और ब्याज माफ़ी के लिये पात्र उद्योगों की सूची में शामिल किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम):काजू भारत के सबसे श्रम गहन उद्योगों में से एक है। 90 प्रतिशत से अधिक श्रमिक विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। काजू क्षेत्र 10 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान कर रहा है। अब इन उद्योगों को बाहर की प्रतिस्पर्धा के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है। काजू प्रसंस्करण को अत्यधिक श्रम प्रधान क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। इसलिए श्रमिक अत्यधिक श्रम गहन क्षेत्र के लिए उपलब्ध लाभ और कल्याणकारी योजनाओं के हकदार नहीं है

हाल ही में घोषित सरकार की विदेश व्यापार नीति, काजू को छोड़कर अन्य सभी नटों के लिए शुल्क न देने की पात्रता सभी कंट्री ग्राउंड कोड के लिए 5 प्रतिशत पर बरकरार रखी गई है। लेकिन काजू की गुठली के लिए वियतनाम और दक्षिण अफ्रीका से प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए कंट्री ग्रुप कोड ए एंड बी के लिए इसे 2प्रतिशत तक घटा दिया गया है और वियतनाम और साउथ अफ्रीका के साथ प्रतिस्पर्धा को देखते हुए कंट्री ग्रुप सी के लिये इसे शून्य कर दिया गया है । यह निर्णय काजू निर्यात, काजू प्रसंस्करण और इस तरह काजू उद्योग और उद्योग में 10 लाख से अधिक श्रमिकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। इसलिए,मैं सरकार से काजू उद्योग को श्रम गहन क्षेत्र में और ब्याज सहायता के लिए पात्र उद्योगों की सूची में शामिल करने और काजू के लिए 5 प्रतिशत पर ड्यूटी स्क्रिप पात्रता बनाए रखने का आग्रह करता हूँ।

अपराह्न 01.05 बजे

निरसन और संशोधन विधेयक, 2014

(राज्य सभा द्वारा सरकारी विधेयक में किए गए संशोधन)

विधि एवं न्याय मंत्री (श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किये गए कुछ अधिनियमों को निरस्त करने और कुछ अन्य अधिनियमों में संशोधन करने के लिए विधेयक में किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।"

अधिनियम सूत्र

1. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 9 "चैसठवें ' के स्थान पर, '* छियासठवें " रखें।

खंड 1

2. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 4, '" 204 " के स्थान पर, *' 205 " रखें।

माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि राज्य सभा द्वारा निरसन और संशोधन विधेयक,2014 में किए गए संशोधनों पर, जैसा कि प्रवर समिति में बताया गया है, विचार किया जाए। यह गणतंत्र के वर्ष से संबंधित केवल एक परिणामी संशोधन है और दूसरा लघु शीर्षक से संबंधित है।

माननीय अध्यक्ष: यह एक छोटा सा संशोधन है। कृपया बैठ जाइए।

श्री डी.वी.सदानन्द गौड़ा: पहला 2014 का निरसन और संशोधन विधेयक होगा। अब यह निरसन और संशोधन (दूसरा) अधिनियम,2015 होगा। केवल इन दो परिणामी संशोधनों पर कृपया विचार किया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"कि राज्य सभा द्वारा विधेयक में किये गए कुछ अधिनियमों को निरस्त करने और कुछ अन्य अधिनियमों में संशोधन करने के लिए विधेयक में किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए।"

अधिनियम सूत्र

3. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 9 "चैसठवें ' के स्थान पर, '* छियासठवें " रखें।

खंड 1

4. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 4, '" 204 " के स्थान पर, *' 205 " रखें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियम सूत्र

माननीय अध्यक्ष: मैं अब संशोधनों को सदन के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:

5. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 9 "चैसठवें ' के स्थान पर, '* छियासठवें " रखें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1

माननीय अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

6. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 4, '" 204 " के स्थान पर, *' 205 " रखें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री डी.वी.सदानन्द गौड़ा: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों पर सहमति हो।"

माननीय अध्यक्ष महोदया: प्रश्न यह है:

"राज्य सभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों पर सहमति हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

<u>अपराह्न 01.07 बजे</u>

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक,2014 - जारी

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष :माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि हम किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक,2014 पर और विचार करें, मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे माननीय सदस्यों से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह सूचित किया गया है कि सरकार विधेयक के खंड 7 को अस्वीकृत करने का इरादा रखती है।

अब, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत इस विधेयक पर बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : धन्यवाद अध्यक्ष महोदया।

अध्यक्ष महोदया, किशोरों को न्याय और संरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में आर्टिकल 15, आर्टिकल 39 और उसके अनेक उपबन्धों में प्रावधान किए गए हैं। उनके अनुरूप जो कानून इस देश में बना हुआ था, उस कानून में परिवर्तन करने के लिए जो बिल लाया गया है, मैं उस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

<u>अपराह्न 01.08 बजे</u> **[माननीय उपाध्यक्ष** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, कल जब इस बिल पर चर्चा हो रही थी, तब प्रतिपक्ष की माननीय सदस्या सुप्रिया जी ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा था - चूंकि मैं एक मां हूं, मेरे घर में किशोर वय के दो बच्चे भी हैं, तो मैं उस दृष्टिकोण से सोचती हूं। इसलिए उन्होंने अपना पक्ष उसी दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। मेरे मित्र शशि थरूर जी ने जब अपनी बात आरंभ की, चूंकि वह वैश्विक संस्कृति के पुजारी हैं और वैश्विक संस्कृति के अनुरूप अपना जीवन जीते हैं, इसलिए उन्होंने उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी दृष्टिकोण से अपनी बात कहनी शुरू की।

महोदय, मैं भारतीय संस्कृति का पुजारी हूं। हमारे देश के इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं। यदि मैं चर्चा करूं गुरू गोविन्द सिंह के उन दोनों किशोर वय बच्चों की, उन्होंने जो सांस्कृतिक गुण एवं सांस्कृतिक मूल्य अपने परिवेश एवं अपने परिवार से प्राप्त किए थे, उन मूल्यों के आधार पर, जब उन दोनों बच्चों को अपने धर्म की रक्षा के लिए दीवार में जिन्दा चुन दिया गया, तब भी उन्होंने धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा।

महोदय, मैं राजस्थान से आता हूं। वहां महाराज जसवंत सिंह जी के पुत्र अपने पिता की आस्मिता की रक्षा के लिए, अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए आठ वर्ष की आयु में शेर के साथ लड़े और शेर का जबड़ा फाड़कर उस पर विजय हासिल की। ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। अगर हम महाभारत काल की चर्चा करें तो उस वक्त आभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में जो ज्ञान प्राप्त किया था, उसके बल पर उन्होंने महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह को तोड़ने का काम किया था।

मैं ये बातें इसलिए रख रहा हूं कि किशोर या बालक जिस तरह का आचरण करता है, क्योंकि किशोर का मन सामाजिक व्यवस्था और उसके आसपास के परिवेश का प्रतिबिम्ब या दर्पण होता है और वह उस रूप में कार्य करता है। इसलिए उस सामाजिक परिवेश का प्रतिबिम्ब उसके मन में साफ दिखाई देता है और उसका आचरण उसका प्रतिबिम्ब होता है।

इस बिल पर चर्चा करने के साथ-साथ, क्योंकि सदन इस देश का भविष्य निर्धारण करने का काम करता है, यह आवश्यक भी है कि हम इस बात की भी समीक्षा करें कि ऐसी स्थिति क्यों आई है कि जहां इस देश में ऐसे उदाहरण थे, वहां इस तरह के विषयों पर चर्चा करने की हमें जरूरत पड़ रही है। पिछले अनेक वर्षों से जिस तरह से हमारे सामाजिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, जिस तरह से भौतिकवाद से हमारे विभिन्न सांस्कृतिक मूल्यों पर चौतरफा हमला हो रहा है, वह एक सुनियोजित तरीके से इस देश में पाश्चात्य संस्कृति को थोपने का काम हो रहा है। इस वजह से देश में ऐसी स्थिति बनी है कि आज हमारे किशोर, जिनका आचरण समाज का प्रतिबिम्ब होता है, वे गम्भीर अपराधों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस बारे में लगातार समाचार आते रहते हैं और समाचार पत्रों में भी ऐसी घटनाओं की उल्लेख होता है कि देश का किशोर ऐसे गम्भीर अपराधों में संलिप्त हो

रहा है। इस देश का किशोर इस तरह का आचरण कर रहा है, जिसकी वजह से ऐसे गम्भीर प्रवृत्ति के अपराध हो रहे हैं। इसलिए इस पर चिंता व्यक्त करते हुए इस कानून में यह संशोधन बिल लाकर इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है।

मेरे मित्रों ने चर्चा करते हुए कहा कि इस बिल को लाकर हम बच्चों का बचपन खत्म कर रहे हैं, किशोरों का आधिकार समाप्त कर रहे हैं। जिस तरह के मानवीय आधिकार उन्हें प्राप्त थे, हम उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास करें और यह काम प्राथमिकता पर होना चाहिए। मैं उनकी बात से सहमत हूं। मैं मानता हूं कि किसी भी देश की सरकार की प्राथमिकता यही होगी और होनी चाहिए।

मैं भी इस बात को मानता हूं कि किशोरों को समाज की मुख्यधारा में फिर से लाने के लिए एक मौका मिलना चाहिए। इस बिल में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं। जिस तरह से 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने का प्रावधान है, उसके लिए बिल के उपबंध में कहा गया है कि 16 वर्ष की आयु में इस प्रकार के गम्भीर प्रवृत्ति के अपराध अगर कोई किशोर करता है तो प्रत्येक जिले में जो किशोर न्याय समिति या किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जाएगा। इस बोर्ड में ऐसे लोग होंगे जिन्होंने चाइल्ड साइक्लॉजी में विशेषज्ञता प्राप्त की हो, मनोविज्ञान या समाज विज्ञान में दक्षता रखते हों। ऐसे लोगों द्वारा ऐसे अपराधों के लिए उसके फिजीकल स्टेटस, मेंटल स्टेटस का इवेल्यूएशन किया जाएगा और इवेल्यूएशन करते हुए इस तरह के अपराधों की प्रकृति और उसके लिए सजा देने का प्रावधान होगा।

यह जो बिल लाया गया है, यह निश्चित रूप से किशोरों का जो वैश्विक मानदंड है, उसके अनुरूप और आधिक संरक्षण प्रदान करने के लिए कारगर साबित होगा। साथ ही साथ इस बिल में जो 14 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चे अलग-अलग जगहों पर काम करते हैं, उनका जो शोषण होता है, उन्हें संरक्षण देने के लिए भी प्रावधान किया गया है, जो कि स्वागतयोग्य है।

महोदय, हमारे मंत्री महोदय, ने यह जो बिल प्रस्तुत किया है, पूरे विश्व में पशुओं के विरुद्ध जो अत्याचार होता था, जो बोल नहीं सकते हैं। उनके खिलाफ अत्याचार न हो, उनको संरक्षण देने के लिए इनको ख्याति

प्राप्त है। एक ऐसी महिला जिन्होंने मूक पशुओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों से संरक्षण प्रदान करने की कोशिश की है। इस बिल से बच्चों को पूरा-पूरा संरक्षण मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : उपाध्यक्ष महोदय, कल बहुत सारे सांसदगण ने जुवाइनल एक्ट में संशोधन पर काफी चर्चा की थी। हम सब एक-दूसरे को सुन रहे थे। मेरी स्थिति हां और ना वाली है। मन में एक द्वंद है। कल शशि जी ने बहुत जज्बात के साथ निर्भया काण्ड का उल्लेख करते हुए बहुत जोर दिया कि इस तरह के काण्ड से सारे बच्चों का भविष्य तय नहीं कर सकते हैं। उनके जज्बात भी सही हैं। उनका कहना था कि अगर हम वयस्क जेल में उस बच्चे को रखते हैं तो निश्चित तौर से 10, 15 या 20 वर्ष बाद जब वह आता है तो वह अपराधी बनकर ही आएगा। लेकिन मैं इस के साथ एक चीज और जोड़ना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि जेल में ही, चाहे वह वयस्क हो या नाबालिग हो, वह अपराधी बनता है। हमारे यहां जो बाल सुधार गृह हैं, शेल्टर्स हैं, अनाथ बच्चों के लिए जो शेल्टर्स हैं, वहां क्या-क्या होता है, उस पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। ऐसे जगहों के बहुत से केसिस आए हैं। इस तरह के अपराधों में बच्चे क्यों संलिप्त हो रहे हैं? उसका मेन कारण यह भी है कि होमोसेक्सुआलिटी हो, सेक्सुअल हेर्सामेंट हो या अश्लीलता हो, बाल सुधार गृह और शेल्टर्स के लोग उस तरह की हरकतें उन बच्चों के साथ करते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हम लोगों के सामने आती हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जरूर जानना चाहूंगी कि मैं आपके बिल के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एक द्वंद जरूर है कि क्या यह बिल उन बच्चों को सुधारने के लिए है, कोई बोल रहा है 60 प्रतिशत बढ़ गया है, कोई 65 प्रतिशत बोल रहा है, लेकिन टोटेलिटी में 1 परसेंट से भी कम है।

दूसरा, एक सर्वे के अनुसार दिल्ली में कुछ सालों में 33 हजार घटनाओं में 25 हजार घटनाएं नाबालिगों ने की, जिसमें से एक हजार घटनाएं 7 से 12 वर्ष के बच्चों ने की, 11 से 12 हजार घटनाएं 12 से 16 वर्ष के बच्चों ने की। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि सज़ा देने का प्रावधान कहां तक जाएगा? क्या हम आने वाले कुछ सालों में 7 से 12 वर्ष के बच्चों को भी वयस्क में लेकर आएंगे? आज जरूरत इस बात की है कि हम इसकी जड़ में जाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वजह है कि इसका परसेंटेज गरीब, स्लम एरिया और झौंपड़पट्टी में ज्यादा है? जिनकी आमदनी एक लाख रुपये से कम है, 50 हजार रुपये से कम है या 25 हजार रुपये से सालाना कम है, यह सब वहीं क्यों कर रहे हैं? इसका रीज़न जो मुझे समझ में आता है और हम

लोग देखते हैं कि चौक-चौराहों पर छोटे-छोटे बच्चे नशा कर रहे होते है, विक्स से कर रहे होते हैं, कोरेक्स खा रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को पकड़ा है जो रुमाल में लेकर सूंघ रहे होते हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि हम सज़ा का प्रावधान क्राइम होने के बाद के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन वह अपराध में क्यों घुस रहा है? बच्चे सरेआम चौक-चौराहे पर बच्चे नशा कर रहे होते हैं, पुलिस उनसे सरेआम हफ्ता लेती है और जब वे क्राइम कर लेते हैं तब हम सज़ा के लिए शोर मचाते हैं। उसको क्राइम करने से रोकने के लिए हमारे कानून में कोई प्रावधान नहीं है। अगर मंत्री महोदय कुछ करना चाहें तो मैं उन चौक-चौराहों का नाम भी बताना चाहूंगी, दिल्ली में पटेल नगर है, सिद्धार्थ है, निजामुद्दीन है, जहां सारे नशेड़ी बैठते हैं, नशे का सामान भी बेचते हैं। उनके बच्चे भी नशेड़ी हैं। हम निर्भया की बात करते हैं, लेकिन अगर बलात्कार करने वाला नशेड़ी है तो आप जितनी भी सज़ा का प्रावधान कर लें, क्या वह दोबारा बलात्कार नहीं करेगा? जिस व्यक्ति को इस बात की समझ ही नहीं है, जो व्यक्ति इस कुंठा में जी रहा है, फिर किस तरह से सिर्फ सजा के प्रावधान से हम इसे कम कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके दो पहलू और हैं। एक तरफ हम मानते हैं कि आज के बच्चों की सोच बहुत आगे बढ़ गई है, वे बहुत जल्दी वयस्क हो गये हैं, उनका खान-पान पहले से ज्यादा न्यूट्रिशियस हो गया है, अब न्यूट्रिशियस हो गया है या मैं कहूंगी कि हमारा खान-पान भी कुंठित हो चुका है। एक तरफ हम उन्हें रोकने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुझे लगता है कि हम सब दोषी हैं और बाल सुधार गृह के पदाधिकारी और वे भी व्यक्ति दोषी हैं। आज बच्चों को ओपनली अश्लीलता नेट से, टी.वी. से हर जगह से मिल रही है, इसके लिए वे भी दोषी हैं। एक तरफ समाज उन्हें ये सब परोस रहा है, दूसरी तरफ अमीर बच्चों को शराब भी आसानी से मिल रही है, लड़कियां भी आसानी से मिल रही हैं। दूसरी तरफ उस गरीब बच्चे की कुंठा यह है कि आखिर वह शराब क्यों नहीं पी सकता, आखिर वह लड़की क्यों नहीं खरीद सकता। जब उसके पास लड़की खरीदने के पैसे नहीं होते हैं तो वह जाकर बलात्कार करता है, छेड़छाड़ करता है। मैं समझती हूं कि यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारी अमीरी और गरीबी की जो दीवार है, उस बच्चे की कुंठा है, वह भी इस बात के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं। हम उस गैप को कम नहीं कर पा रहे हैं। मैं कुछ आइडियाज देना चाहूंगी कि आखिर एक

तरफ हम सजा का प्रावधान कर रहे हैं, आप जरूर करें, लेकिन मैं यह भी कहूंगी कि कुछ सालों के लिए करें, संशोधन को खुला रखें और अगर इससे भी आपराधिक घटनाएं नहीं घटती हैं तो इसे दोबारा संशोधित किया जाए।

महोदय, मैं यह जरूर कहूंगी, एक एनजीओ है, जिसका मैं नाम भूल रही हूं। उन्होंने स्लम्स एरियाज और झोंपड़-पट्टी के बच्चों को और गरीब बच्चों को मिलाकर, जो स्कूल पढ़ने नहीं जाते हैं, उनकी स्पोर्ट्स की टीमें बनाई हैं। उन्हें फुटबाल खिलाया जाता है, उन्होंने बहुत मेहनत करके उनकी टीम बनाई। चूंकि यह जरूरी है कि उन बच्चों की ऊर्जा, जो दिनों-दिन हमारे जवान होते बच्चों में बढ़ती है, उसे डाइवर्ट करें। हम उसे डाइवर्ट नहीं करते हैं। दूसरे उनके पास मनोरंजन के साधन बहुत कम हैं, इसलिए एक ही साधन आसानी से मिलता है और वह अपराध है। अपराध अपनी कुंठा के लिए भी है, अपनी इनर्जी को डाइवर्ट करने के लिए भी है और वह कुंठा भी है कि अमुक व्यक्ति इतना अमीर क्यों हैं और मैं इतना गरीब क्यों हूं। हत्या, चोरी, डकैती और बलात्कार आदि का एक बहुत बड़ा रीजन यह भी है। मैं यह कहना चाहूंगी कि कुछ इस तरह से एनजीओज आगे आएं और गवर्नमैन्ट हर मिनिस्ट्री में यह लेकर आए कि जो बच्चे स्लम्स और चौक-चौराहों पर सरेआम रहते हैं, उन्हें हम डाइवर्ट करने के लिए, चाहे संगीत एकेडमी हो, चाहे स्पोर्ट्स एकेडमी हो या नाट्या एकेडमी हो, हम कुछ ऐसे संशोधन क्यों नहीं लाते कि उनका ध्यान डाइवर्ट किया जाए, सिर्फ सजा के प्रावधान से यह कंट्रोल नहीं होगा।

दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं कि स्कूलों में आज यह जरूरत है कि जिस तरह से हमारे बच्चे आज दिनों-दिन बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं, आज स्कूलों में स्पोर्ट्स को आनिवार्य विषय करना आति आवश्यक है। यह जरूरी है कि सजा से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम उन्हें किस तरह से डाइवर्ट करें, यह आति महत्वपूर्ण विषय है।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि माननीय मंत्री जी जानवरों के प्रति बहुत प्रेम रखती हैं। मंत्री जी के बारे में यह बात सबको मालूम है। जब भी जानवर गलती करता है तो उसके बारे में हर व्यक्ति कहता है कि जानवर है, यह उसकी नेचर है। इसी तरह से ह्यूमैन बींग का भी नेचर होता है। जिस समाज में वह जीया है,

उसका नेचर उस तरह का बन जाता है और खासकर अगर वह बच्चा है तो मेरी आत्मा यही कहती है कि अगर उसका जघन्य अपराध नहीं है तो उसे माफी दी जानी चाहिए और उसे एक बार जिंदगी का हक मिलना चाहिए।

महोदय, मैं एक संशोधन के बारे में और बोलना चाहूंगी कि आपने जो दिया है कि एक महीने के टाइम में बाल सुधार गृह या ट्रायल कोर्ट तय करेगा कि इसका जघन्य अपराध था या नार्मल बाल अपराध था। लेकिन आप उसे जनरल जेल में रखने की बात कर रहे हैं, मैं कहूंगी कि आप इसे चेंज कीजिए और उस बच्चे को तब तक बाल सुधार गृह में रखना चाहिए, जब तक कि उसका अपराध तय नहीं हो जाता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : सर, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे इस बिल पर बात करने का मौका दिया। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को इस एवान के सामने रखना चाहूंगा कि अगर यह बिल कानून में तब्दील होगा तो यकीनन इसका सबसे बड़ा गलत इस्तेमाल अगर किसी पर होगा तो मुस्लिम अकलीयत, आदिवासी और दलित बच्चों के ऊपर होगा। वह क्यों होगा, वह इसलिए होगा क्योंकि 27 अप्रैल के दिन छत्तीसगढ़ के सुकमा डिस्ट्रिक्ट में कोमागुंडई विलेज में तीन आदिवासी लड़कियां, जिनकी आयु 15 वर्ष की थी, वे भैंस चरा रही थीं। उन्होंने सीआरपीएफ और स्पेशल फोर्स को देखकर भागना शुरू किया। सीआरपीएफ और स्पेशल टास्क फोर्स ने उनको यह कह कर गिरफ्तार किया कि वे उनको देख कर भागना शुरू क्यों किए? आठ घंटे उनको जंगल में चलाया। रात भर उन 15-16 वर्ष की आदिवासी लड़कियों को पुलिस स्टेशन में रखा और अभी भी वे जेल में हैं। उनके ऊपर आर्म्स एक्ट लगाया गया है। पूरा बस्तर रीजन केरल के बराबर है। बच्चियों के लिए वहां पर एक भी होम नहीं है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप यह कानून तरमीम कर रहे हैं। कानून को तरमीम करने से पहले आदिवासी बच्चियों पर आर्म्स एक्ट लगा कर जेल में रखा जा रहा है। यह सैक्शन 11 (ए) के खिलाफ है कि चौबीस घंटों में उनको पेश करना चाहिए था। यह छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है । सर, मेरे पास आंकड़े हैं। एनसीआरबी सन् 1971-87 तक आंकड़े देता था, आप उनको उठा कर देख लीजिए। मेरा जो ज्याती मुशायदा है कि हमारे शहरी इलाकों में जहां-जहां ज्युविनाइल कोर्ट्स हैं, जेल्स हैं, वहां पर सबसे ज्यादा शहरी इलाकों में मुसलमान बच्चे हैं, दलित बच्चे हैं। आप गांवों के इलाकों में जाइए, वहां पर आदिवासी बच्चे हैं। यह कानून आखिर क्यों बनाया जा रहा है? इससे क्या हासिल होने वाला है?

[अनुवाद]

सर, तीन फैक्टर्स हैं। जे.जे.बी. तीन कारकों को तय करेगा - एक बच्चे को वयस्क आपराधिक न्याय प्रणाली में भेजना; अपराध की परिस्थितियां - समय में वृद्धि, किसी अपराध की परिस्थितियों को तय नहीं करेगी। क्या मुझे अपने विचार रखने का अधिकार नहीं है? इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन हो या न हो, यही है जो निचली अदालत करती है। अब,आप केवल समय बढ़ा रहे हैं और आप शिकायतकर्ता या अभियोजक को यह

तय करने की अनुमति दे रहे हैं कि अपराध की परिस्थितियां क्या थीं। यह फिर से उन छोटे 16 या 17 वर्ष के लड़कों और लड़कियों के लिए एक गंभीर मुश्किल है। तीसरा शारीरिक रूप से दिखने के आधार पर आयु निर्धारण है। शारीरिक रूप से दिखने के आधार पर आयु कैसे निर्धारित की जा सकती है? धारा 95 यह कहती है। उसको मजबूत करने के बजाय आप कह रहे हैं कि जहां पर तर्कसंगत आधार या संदेह मौजूद है, वहां दस्तावेजों को देखा जाएगा। पहले से ही हमारी न्यायिक व्यवस्था चरमरा रही है। उनके पास दस्तावेज देखने का समय नहीं है। इसलिए,वे उनकी शारीरिक बनावट को देखेंगे और तय करेंगे कि व्यक्ति 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है।

हड्डी की बनावट के परीक्षण का परिचय! भगवान के लिए, हड्डी ऑसिफिकेशन का टेस्ट कैसे हो सकता है? इसमें दो वर्ष का त्रुटि मार्जिन है। जेजे अधिनियम 2000 के अनुसार विधिवत गठित बोर्ड की पुरानी प्रणाली बहुत बेहतर थी। उसमें केवल छह महीने की त्रुटि थी। इसके बजाय, सरकार ने 'उचित रूप से गठित बोर्ड' को समाप्त कर दिया है,और वे हड्डी ऑसिफिकेशन टेस्ट की एक पुरानी तकनीक लेकर आए हैं।

खंड 16 किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रारंभिक मूल्यांकन से संबंधित है। यह स्पष्ट रूप से प्रक्रियात्मक मनमानी पर संवैधानिक निषेध का उल्लंघन करता है। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के विरुद्ध है। वर्तमान विधेयक के खंड स्पष्ट रूप से यू.एन.सी.आर.सी. सुधार और पुनर्वास का उल्लंघन करते हैं। वे कार्यात्मक मूल्यांकन, परिवीक्षा और परामर्श को मजबूत नहीं कर रहे हैं; कुछ भी नहीं किया जा रहा है।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार 16 वर्ष के बच्चे को मत देने का अधिकार क्यों नहीं दे रही है। आप 16 वर्ष के बच्चे को मत देने से क्यों रोक रहे हैं? आप उन्हें शादी करने का अधिकार क्यों नहीं देते? आप उन्हें कार चलाने का अधिकार क्यों नहीं देते हैं? आप जघन्य अपराधों के संदर्भ में 16 और 18 वर्ष के आयु वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। आई.पी.सी. की कितनी धाराएं यहां लागू होती हैं? आई.पी.सी.के 21 खंड हैं, जो यहां लागू होते हैं, जिसमें धारा 121 (ख) शामिल है। मैं अभिलेख पर जा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि अगर कल

दलित, आदिवासी और मुस्लिम बच्चों पर धारा 121 (ख) लगेगी तो हमें आश्चर्य होगा क्योंकि आप उस आदमी को वर्दी में मौका दे रहे हैं।

मादक पदार्थों के बारह खंड अधिनियम और 1959 के शस्त्र अधिनियम को भी लागू किया जाएगा। ,मैंने शुरू में कहा है कि तीन आदिवासी लड़कियों पर हथियार अधिनियम लागू किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इतनी जल्दी क्या है एक घटना आपको ऐसे कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, जिसमें आप बच्चों के जीवन को नष्ट कर रहे हों बच्चे हमारे देश की नींव हैं। लेकिन आप उन्हें जेलों में भेजकर अपराधी बना रहे हैं।

माननीय.मंत्री, मुझे बताया गया है, कि एक एस.एच.ओ. स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि वह बंदरों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। मैं इसके लिए उसे सलाम करता हूं। लेकिन हमारे बच्चों का क्या? ये हमारे बच्चे हैं। मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि मैं उनके राजनीतिक संघर्ष के लिए उनका सम्मान करता हूं। मैं आपके माध्यम से उन्हें याद दिलाना चाहता हूं, एक घटना जहां वह थी; यह करीमनगर में वर्ष 1984 में हुई थी। करीमनगर के लोगों ने मुझे फोन किया है और मुझे इसके बारे में उन्हें याद दिलाने के लिए कहा है। उस समय माननीय सदस्य पर वर्ष 1984 में करीमनगर में हमला हुआ था। वहां कुछ समस्या थी; श्री अकबर अहमद डंपी भी वहां पर थे। यह 16 वर्षीय बच्चे थे जो हैदराबाद और करीमनगर में उनका समर्थन कर रहे थे। माननीय.मंत्री जी को जानवरों के प्रति ऐसी करुणा है, लेकिन,छोटे बच्चों के बारे में क्या? यह अवेंछित है। मुझे आशा है कि सरकार सद्बुद्धि से काम करेगी और वे इस पर पुनर्विचार करेंगे। इसे माननीय उच्चतम न्यायालय संवैधानिक रूप से खारिज कर देगा। इसमें बने रहने का कोई आधार नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : महोदय, एक आति महत्वपूर्ण विषय किशोर न्याय, बालकों की देखरेख संरक्षण विधेयक, 2014 पर आदरणीया श्रीमती मेनका संजय गाँधी द्वारा जा प्रस्ताव लाया गया है, उस प्रस्ताव के खिलाफ कई ऐसे प्रश्न हैं जिन पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। हम लोग यही पढ़ा करते हैं और आगे भी पढ़ेंगे कि बच्चे मन के सच्चे, लेकिन बच्चे मन के सच्चे नहीं, हमने इस बात की शुरूआत कानून के माध्यम से की है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, लेकिन नहीं भी होते हैं और अपनी आयु के हिसाब से अपराध करते हैं। यह एक बहुत बड़ी मानसिक रूप से प्रताड़ना हो रही है। बच्चे इसके लिए कम दोषी हैं और समाज ज्यादा दोषी है और समाज ज्यादा दोषी है, इसके कई कारण हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बलात्कार जैसी घिनौनी घटना, शर्मनाक, राष्ट्रीय शर्म की घटना करे, उसमें हम इस बात को कहें कि वह घटना हुई, उस पर लीपापोती करें। उसमें हम सब एकमत हैं, कोई भी ऐसी घटना करे, वह निंदनीय ही नहीं, दुःखद है, बहुत ही खतरनाक है, चाहे वह जिस भी उम्र का हो।

महोदय, माता-पिता सबसे बड़ी पाठशाला है। ज्ञान की रोशनी, संस्कार, संस्कृति का उदय माता-पिता से होता है। हमें बहुत सी चीजों में संभलकर आगे ख्याल रखना चाहिए, अवेयरनेस पैदा करना चाहिए। आज यह कहा जाता है, बच्चे आज कहते हैं कि जन्म दिया है तो शिक्षा दो। हम बच्चों को भारत में शिक्षा नहीं दे रहे हैं, उन तक ज्ञान की रोशनी नहीं जा रही है, वह अंधकार में है और अगर वह अंधकार में रहेगा तो जीवन में भटकाव होगा, भटकाव होगा तो उसमें बुरी आदतें आएंगी, बुरी आदतें आएंगी तो कई ऐसी घटनाएं होंगी जो अत्यंत दुःखद और खतरनाक होंगी। इसीलिए जैसे आज मौसम का मिजाज बदल रहा है, वैसे ही कई जगह छोटे बच्चों के मिजाज पर भी असर पड़ा है। हमें इसे देखना पड़ेगा, चटकीले विज्ञापन हो रहे हैं, यह भी दुःखद है। चटकीले विज्ञापन हमारे भविष्य को अंधकार में ले जा रहे हैं। बहुत ही खतरनाक स्थिति, अलार्मिंग सिचुएशन हो रही है। बुरी आदतों पर पहरेदार घर होगा, परिवार होगा, समाज होगा, संस्था होगी और सरकार होगी, हम सभी पहरेदार होंगे। गाँधी जी बुरी आदतों पर कहते थे कि तुम सिंह के सामने जाते समय भयभीत मत होना, वह पराक्रम की

परीक्षा है, तुम पर्वत शिखर से पाताल में कूद पड़ना, वह तप का साधन है, लेकिन तुम बुरी आदतों से, शराब और शराबियो से हमेशा भयभीत रहना, वह पाप और अनाचार की जननी है। जिस पाप और अनाचार की जननी शराब है, उसकी भट्टियाँ अगर गाँव-गाँव में रहेंगी, टोले-टोले में रहेंगी, स्कूल के पास रहेंगी, ऐसी जगहों पर रहेगी जो चौक-चौराहा होगा, तो हम आने वाले कल का, होनहार बच्चों का भविष्य पैदा नहीं कर सकते हैं। हमें शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोग पर और जो शोषण और अत्याचार होता है, उस पर भी ध्यान देना होगा।

महोदय, मैंने अभी अपनी बात शुरू की है, मुझे तीन मिनट मौका दिया जाए। हम अच्छी बात कह रहे हैं। शोषण और अत्याचार की समाज में बहुत बड़ी खड़ी रेखा आज भी बनी हुई है। समाज को पड़ी रेखा में आना चाहिए, जिसमें गरीबों पर अत्याचार न हो। दहेज प्रथा, बाल-विवाह जैसी प्रथा खत्म होनी चाहिए। मजदूरी मजबूरी है, पेट की भूख और दिमाग की गुलामी ने भी हमें बर्बाद किया है। इंसान को पेट से भूखा रखा गया है, दिमाग से भूखा रखा गया है और इस कारण बच्चे गलत राह में जाते हैं। आज हम कुत्ते से प्यार करते हैं, लेकिन बच्चों, इंसान से प्यार नहीं करते हैं। भारत की एक सभ्यता और संस्कृति रही है। कुत्ते से प्यार नहीं हमें इंसान से प्यार करना पड़ेगा। हम कृष्ण का उदाहरण देना चाहते हैं। कृष्ण सोलह कला के अवतार थे। कृष्ण को नटवरलाल भी कहा गया, नटवर भी कहा गया। ...(व्यवधान) उन दिनों में लव-कुश के अंगूठे काटे गए, कर्ण को प्रताड़ित किया गया, एकलव्य का अंगूठा काटा गया। इसीलिए हमें आर्थिक, सामाजिक, सामंती शोषण, पुलिस का ज़ुल्म, अनाथों के साथ अच्छा व्यवहार, इन सब के लिए सामाजिक स्तर पर प्रशिक्षण देना है, गृह सुधार करना है, आवासीय व्यवस्था करनी है, व्यवसाय तथा रोज़गार में लगाना है और हमें मिल-जुलकर एक बेहतर भारत बनाना है। हमें सभी जगह मौका नहीं मिला। हम बताना चाहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है - 16 से 10, यूनाइटेड किंगडम में 10 से 13, साउथ अमेरिका में 10 वर्ष, फ्रांस और कनाडा में 12 वर्ष, जर्मनी में 14 वर्ष - ये सब रिपोर्ट मेरे पास हैं। लेकिन हम कहेंगे कि भारतीय परिवेश में यह नहीं देखना है कि होनहार बच्चे सिर्फ इस ओर मुड़ रहे हैं। हमें और भी बातें इसमें जोड़नी हैं। माननीय मेनका गांधी जी ने जिन पर्यावरण के

सवालों पर, अन्य सवालों पर मेहनत करके अवेयरनैस पैदा की, मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूँ। ...(व्यवधान) इतना कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।

[अनुवाद]

श्री ई.टी.मोहम्मद बशीर (पोन्नानी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आम तौर पर इस विधान के समर्थन में हूं। इस विधान की पृष्ठभूमि समझ में आती है। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार बहुत चिंताजनक स्तर पर बढ़ रहा है। उनके कल्याण और चरित्र निर्माण के लिए बनी संस्थाओं में भी बच्चों का उत्पीड़न और शोषण हो रहा है। उनमें जीवन की गुणवत्ता का अभाव है।

भूमिका और ज़िम्मेदारी पर स्पष्टता की कमी और बाल कल्याण समितियों और किशोर न्याय बोर्ड की जवाबदेही एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। गोद लेने की औपचारिकताओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसी तरह, खोए हुए बच्चे, छोड़े गए बच्चे, ये सभी समस्याएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों द्वारा किए गए अपराधों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है।

इस तरह के विधानों पर अलग-अलग दृष्टिकोण होना स्वाभाविक है। अब मुख्य विवाद 16 से 18 वर्ष के बच्चों के बीच आयु को कम करने का है जिन पर जघन्य अपराधों को करने का आरोप लगाया गया है और जिन पर वयस्कों की तरह मुक़दमा चलाया जाना है। मैं सहमत हूँ कि हमारे पास बच्चों के अनुकूल विधान होने चाहिए। हमें सुधारात्मक उपाय करने का अवसर देना चाहिए। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। हममें बच्चों के प्रति प्यार और स्नेह होना चाहिए। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। साथ ही,मैं यह कहना चाहूंगा कि जरूरत से ज्यादा प्यार और स्नेह खतरनाक होता है। यहां तक कि बच्चों को अपराध करने वाले प्रकार के बच्चे भी बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि 16 की आयु को कम करना पूरी तरह से अतार्किक या अनुचित है। हमें इन सभी चीजों पर गहन चिंतन करना चाहिए।

जब हम अपराध के अभिलेखों को देखते हैं तो चोरी, बलात्कार, अपहरण, डकैती, हत्या और अन्य अपराधों की संख्या, जो वर्ष 2003 में 13,941 थी वो वर्ष 2013 में 25,804 हो गई। तब यह प्रश्न उठता है कि सुधारात्मक उपाय किए जाने चाहिए या नहीं। मैं सहमत हूँ, इसमें सुधारकारी उपाय होने चाहिए। यह भी इस अधिनियम में है। एक बार जब उन्हें जघन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाता है,तो बच्चे को 21 वर्ष की आयु तक सुरक्षा के स्थान पर रखा जाएगा। फिर इसकी जांच की जाएगी। इसी तरह अन्य बचाने वाले खंड भी हैं। हम निश्चित रूप से सुधारक कार्यों के लिए प्रयास कर सकते हैं और निश्चित रूप से हम इसके लिये बाध्य हैं। महोदय, मेरी राय है कि इस कानून को बच्चों के लिए क्रूर कहने का कोई तर्क नहीं है।

मैं बाल ग्रहों की दयनीय स्थिति के बारे में कुछ अतिरिक्त बिंदु जोड़ना चाहूंगा। मैं कहूंगा कि यह वास्तव में शर्मनाक है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि बाल ग्रहों में बच्चों में सुधार नहीं किया जाता है, बल्कि वे कठोर अपराधी बनकर उभर रहे हैं। उनका बेरहमी से शोषण किया जाता है। हम लोगों को इस पर भी चिंतन करना पड़ेगा ।

एक और व्यावहारिक बिंदु जो मैं जोड़ना चाहूंगा वह उन बड़े लोगों के बारे में है, जो अपराधियों के रूप में बच्चों के चरित्र को ढालते हैं। हम उन्हें किस प्रकार की कठोर सजा देने जा रहे हैं? बड़ों द्वारा किए गए अपराधों के लिए बच्चों को बलि का बकरा बनाया जाता है। बच्चों का यौन शोषण होता है और यहां तक कि आश्रय गृहों में भी उनका शोषण किया जाता है। तस्करी माफिया और अन्य प्रकार के माफिया बच्चों का दुरुपयोग कर रहे हैं। असामाजिक तत्व नवोदित पीढ़ी को नशे का आदी बना रहे हैं। ये सब चीजें हैं। यह अधिनियम के खंड (9) में कहा गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि दंड उपबंध अधिक कठोर होना चाहिए और बच्चों का दुरुपयोग करने वाले बड़े लोगों को बहुत कड़ी सजा दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक, जो बच्चों के भविष्य से सम्बन्धित है, किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) विधेयक, 2014 पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

वैसे तो सरकार इस संशोधन विधेयक में 16 से 18 वर्ष की आयु के बालकों द्वारा जघन्य अपराध करने पर उसके साथ वयस्कों की तरह व्यवहार किया जाये, यह मुख्य बिन्दु है, किन्तु किशोर न्याय आधिनियम, 2000 भी अपने आपमें पूर्ण है। प्रस्तावित संशोधन सिर्फ इसकी परिभाषा को अलग करता है। प्रश्न कानून बनाने का नहीं होता है, उस पर अमल करने की भी जरूरत होती है। कठोर से कठोर कानून बनाने के बाद भी अपराध बढ़े हैं, घटे नहीं हैं। इसके लिए हमें कुरीतियों को मिटाना होगा, इसमें भी सुधार करना होगा, अन्यथा कठोरतम कानून भी व्यर्थ हो जाता है।

जहां तक स्थायी समिति के सुझाव की बात आती है तो समिति आयु को 18 वर्ष से कम करने के पक्ष में नहीं है। हमें बच्चों में ही शिक्षा, मनोविज्ञान और उन्हें सही दिशा प्रदान कर अपराध करने के बोध को मिटाना चाहिए। बचपन से ही भरण-पोषण में सही व्यवस्था हो, सही आचरण के प्रति सजग रहकर इसमें सुधार करने की जरूरत है। खासकर देखा गया है कि गरीब परिवार के बच्चों में कुछ गलत अवधारणा आ जाती है। वह गलत संगत के कारण और आशिक्षा के कारण होता है, ऐसा मेरा मानना है। फिर उस व्यवस्था में उसे कैसे सुधारा जाये, कैसे असल किया जाये, इस पर चर्चा करने की जरूरत है।

आज बाल मजदूरी इसमें एक मुख्य कारण है। छोटे-छोटे बालकों से मजदूरी करवाई जाती है। वहां वह अन्य लोगों के सम्पर्क में आता है, जिनमें कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। वहीं से बालक जघन्य अपराधों के प्रति आकर्षित होता है और अपराध की दुनिया की ओर उसका झुकाव बढ़ता जाता है। इस पर गम्भीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है, इसे सुधारे जाने की आवश्यकता है, ताकि वह किशोर अपराध की दुनिया में कदम रखने की बजाय समाज का हिस्सा बन सके और सही रास्ते पर चल सके।

इन्हीं सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): महोदय, मैं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और सुरक्षा) विधेयक 2014 का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह विधेयक किशोर न्याय अधिनियम 2000 को निरस्त करने और फिर से अधिनियमित करने के लिए पुरःस्थापित किया गया है। मेरा पहला निवेदन स्थायी समिति के संबंध में है। इस विधेयक को मानव संसाधन विकास पर स्थायी समिति के पास भेजा गया था। स्थायी समिति ने विधेयक की विस्तार से जांच की और 2014 के विधेयक के संबंध में एक शानदार प्रतिवेदन प्रस्तुत की। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्थायी समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशों में से किसी को भी इस सरकार द्वारा माना नहीं गया है।

कल भी हम सब सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि वह स्थायी समिति की जांच के लिए विधेयक नहीं भेज रही है। विपक्ष की ओर से यह मुख्य आरोप था। इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजा गया था और जांच की गई थी, जिसके अध्यक्ष डॉ. सत्यनारायण जटिया हैं और समिति में भा.जा.पा. के अधिकांश सदस्य हैं। उस समिति ने कहा है कि विधेयक असंवैधानिक है और विधेयक की समीक्षा की जानी चाहिए। भाजपा से सांसद डॉ. सत्यनारायण ने स्थायी समिति की अध्यक्षता की है।

मैं भी एच.आर.डी. समिति का सदस्य हूँ और उस समिति ने एक प्रतिवेदन सौंपी है। प्रतिवेदन से पता चलता है कि विधेयक के अधिकांश प्रावधान संविधान में निहित मूल अधिकारों के विरुद्ध हैं। अतः, यह संविधान के अधिकारातीत है; इसलिए यह गैर कानूनी है। इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। मैं दो या तीन सिफारिशों का उल्लेख करना चाहूंगा। मुझे कृपया थोड़ा समय दिया जा सकता है ताकि मैं अपने विषय की पुष्टि कर सकूं।

एक अनुशंसा पैरा 3.21 में है। यह अनुशंसा क्या है? इसमें कहा गया है:

“उपर्युक्त से समिति केवल यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि मौजूदा किशोर प्रणाली न केवल सुधारात्मक और पुनर्वासकारी प्रकृति की है, बल्कि इस तथ्य को भी मान्यता देती है कि 16-18 वर्ष एक अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण आयु होती है जिसके लिए अधिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अतः, उन्हें अलग या वयस्क न्यायिक प्रणाली के अधीन करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15(3) के विरुद्ध जाएगा।”

पैरा 3.26 में एक अन्य अनुशंसा कहती है:

"मौजूदा प्रणाली जो सभी किशोरों को किशोर न्याय प्रणाली के भीतर व्यवहार करने की अनुमति देती है, संविधान के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है। इसलिए, समानता के अधिकार के पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देने की आड़ में मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करना अत्यधिक संदिग्ध है।”

फिर, प्रतिवेदन पैरा 3.27 के अनुसार:

“यह और भी अधिक चिंताजनक हो जाता है क्योंकि समाज के सबसे कमजोर वर्ग, हमारे बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसलिए, समिति का दृढ़ विचार है कि विधेयक के सभी प्रासंगिक खंडों की संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में समीक्षा की जानी चाहिए और संशोधित किया जाना चाहिए ताकि संविधान का पालन किया जा सके।"

यह उच्चतम न्यायालय के फैसले के भी विरुद्ध है। उच्चतम न्यायालय के पाँच फैसले हैं। यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की टिप्पणियों के भी विरुद्ध है। प्रतिवेदन का पैरा 3.40 के अनुसार:

> "उपर्युक्त समिति यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि किशोर न्याय प्रणाली का अंतर्निहित सिद्धांत हमेशा उन सभी बच्चों के साथ व्यवहार करना रहा है, जिन्होंने किशोर न्याय प्रणाली के भीतर अपराध किया है और अंतर उपचार या बच्चे को वयस्क आपराधिक न्याय प्रणाली में भेजने के लिए हमेशा उच्चतम न्यायालय द्वारा बाहर रखा गया था। समिति यह कहने के लिए बाध्य है कि देश के शीर्ष न्यायालय की टिप्पणियों/निर्णयों की केवल उपेक्षा की गई है। समिति इस घटनाक्रम को गंभीरता से ले रही है।"

मेरा यह कहना है। मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। यह संविधान के खिलाफ है। यह बच्चों के अधिकारों संबंधी यू०एन घोषणा पत्र जिस पर भारत ने वर्ष 1992 में हस्ताक्षर किये हैं, के विरुद्ध है।

विधेयक के खंड 7 और 21 के बारे में, मैं कहूंगा कि यह एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। भले ही सरकार ने स्थायी समिति की मांग और सिफारिशों को सुनने की परवाह नहीं की, आज सुबह माननीय अध्यक्ष ने इस सभा को सूषित किया कि खंड-7 अस्वीकार कर दिया जाएगा। यह पूर्णतः स्वागत योग्य है।

यदि यह विधेयक न्यायालय में जाता है तो निश्चित तौर पर इसे खारिज कर दिया जाएगा। अतः कृपया इस विधेयक की समीक्षा की जाये। हम इसलिए कानून पारित नहीं कर रहे हैं कि न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाए लेकिन इस मामले में हमारी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना होगा। इसलिए, एक बार पुन मैं अनुरोध करता हूं कि इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। धन्यवाद।

कुमारी सुष्मिता देव (सिल्चर): महोदय, क्या आप मुझे दो मिनट के लिए अनुमति देंगे? … (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: वाद-विवाद करने का समय पहले ही समाप्त हो चुका है।

... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): उनका केवल एक ही बिंदु है। वह केवल एक मिनट लेंगी। मंत्री भी इस बात से सहमत हैं। … (व्यवधान)

संविधान (एक सौ उन्नीसवें संशोधन) विधेयक

कुमारी सुष्मिता देव: महोदय, मैं बस एक बहुत ही संक्षिप्त बात कहना चाहती हूं। मैं इस अवसर के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

मेरा इस नए विधेयक के खंड 3 के बारे में एक बहुत ही साधारण सा मुद्दा है जिसमें कहा गया है कि किशोर के पक्ष में निर्दोषता की धारणा है और परिभाषा 18 वर्ष से कम है। परंतु खंड 16 (1) में प्रावधान है कि किशोर न्याय बोर्ड अपराध की परिस्थितियों के संबंध में जांच करेगा। आज, आप एक किशोर से पूछने जा रहे हैं, 'जब आप अपराध कर रहे थे तो आप क्या सोच रहे थे? मान लीजिए कि वह कहता है, 'मैं अपराध की घटना के समय नहीं था', तो क्या हम संवैधानिक उपबंध के विरुद्ध नहीं हैं कि उसे आत्म-दोषारोपण करने वाला वक्तव्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे ही यह जांच होती है तो यह विचारण बच्चे के इस संवैधानिक अधिकार के विरुद्ध होगा कि वह अपने को दोषी न माने।

दूसरा मुद्दा यह है जो मैं कहना चाहूंगी। इस देश को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम लोगों को दूर कर सकते हैं। कि क्या हम एक राष्ट्र के रूप में यह कहना चाहेंगे कि अपराध करने वाले 1.2 प्रतिशत लोग बच्चे है और हमने उन्हें जल भेज दिया है। यह प्रश्न नहीं है। डॉ. थरूर ने आंकड़े दिए हैं। मंत्री ने आंकड़े देते हुए कहा है कि बाल अपराध बढ़ रहे हैं। इस विधेयक के माध्यम से इस राष्ट्र को यह संदेश देना होगा कि हां, हम सुधार में

विश्वास करते हैं और मैं नहीं मानता कि किशोरों को दूर करके आप महिलाओं या इस देश के लोगों को इस राष्ट्र की गलियों में सुरक्षित बना रहे हैं। धन्यवाद।

श्री हुकुम सिंह (कैराना): महोदय, मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं। झ (ज) में दी गई परिभाषा में कहा गया है: "जो बिना किसी घर या निवास स्थान के और बिना किसी स्पष्ट आजीविका के पाया जाता है"

[हिन्दी]

यह इसमें दिया है जो बच्चे की केयर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए इंटाइटल्ड हैं। इस पर एक क्लेरिफिकेशन चाहिए। बहुत से रिलीजन हमारे यहां ऐसे हैं, जिसमें बचपन में ही दीक्षा लेते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने जैन धर्म की 8, 9, 10 या 12 वर्ष की आयु में दीक्षा ले ली, उसका घर तो रहा नहीं, पैरेंट्स भी उसके नहीं रहे, वह दीक्षा लेकर जंगल में जाकर साधु बन गया। उनको डर यह है कि कहीं उन लोगों को भी इसमें कवर न कर लिया जाए।

[अनुवाद]

माननीय मंत्री जब भी बोलें, इस पर स्पष्टीकरण दे सकती हैं।

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी): माननीय उपाध्यक्ष, सदन के सदस्यगण, मैं उत्तर देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इसे दो भागों में विभाजित करने जा रही हूँ; एक सामान्य उत्तर है और एक विशिष्ट है जो सदस्यों ने उठाया है क्योंकि कई दिलचस्प मुद्दे उठाए गए हैं।

मैं अपने पशु समर्थक, जन समर्थक होने के बारे में सुनता रहती हूं। आप जानते हैं, दिल एक दरवाजा है। जब यह खुलता है, तो यह सभी प्रजातियों, सभी चीजों के लिए खुलता है। मुझे नहीं पता कि क्या आप सभी जानते हैं कि पिछले 25 वर्षों से मैं बचाए गए बच्चों के लिए पांच केंद्र चला रही हूं और हमने 16,000 बच्चों को बचाया है। यह रगमार्क नामक एक संगठन है। यह देश में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। इसलिए, हम वास्तव में सभी प्रजातियों के लिए बहुत काम करते हैं।

इससे पहले कि मैं अपना उत्तर शुरू करूं, मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी, क्योंकि *दीक्षा* के बारे में यह बहुत दिलचस्प था।निश्चित रूप से, यह एक महत्वपूर्ण बात है और जब हम नियम बनाएंगे तो मैं उन्हें नियमों में शामिल करूंगा।

मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगी जिन्होंने चर्चा में भाग लिया। मैं उनकी टिप्पणियों, सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूं और उन्हें आश्वस्त करना चाहती हूं कि मैंने कल और आज सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों की जांच की है। मैंने विशेष रूप से श्री शशि थरूर, श्री सेल्वम, श्रीमती सुले और श्री पटेल द्वारा की गई समुक्तियों को नोट किया है। मैं इनका उत्तर देना चाहूंगी और अपनी अंतिम टिप्पणियां देना चाहूंगी।

मैं ऐसे समय में मंत्री बनी जब देश का बहुसंख्यक हिस्सा बच्चों को तुरंत फांसी देना चाहता था। एक निश्चित संख्या बच्चों के लिए तत्काल स्वतंत्रता चाहती थी। और इसलिए, मेरे विचार से, मैंने अपने जीवन के डेढ़ महीने का समय प्रतिदिन लगभग आठ घंटे की दर से लोगों को लाने, उनकी बात सुनने, न्यायाधीशों के पास जाने, इस पर उनके विचार सुनने के लिए लगाया। वास्तव में, मैं उन न्यायाधीशों से भी मिली, जिन्होंने

निर्भया मामले पर फैसला सुनाया था या जो मामले में बैठे थे और उनके विचार सुने। और, फिर यह देखने के लिए लाइन-दर-लाइन चला गया कि हम क्या कर सकते हैं जिससे बच्चों और देश दोनों के लिए न्याय मिलेगा।

विधेयक के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता के मुद्दे के संबंध में, श्री थरूर ने उल्लेख किया था कि विधेयक अनुच्छेद 14, 15, 20 और 21 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। मैं बताना चाहूंगी कि विधेयक अनुच्छेद 14 के अनुरूप है जो कानून के समक्ष समानता का प्रावधान करता है। विधेयक के अंतर्गत 16-18 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार किया जाता है और 16-18 वर्ष के आयु वर्ग के किसी भी दो बच्चे, जो जघन्य अपराध करते हैं, के साथ अलग-अलग व्यवहार किए जाने का प्रस्ताव है। अत: ऐसे बच्चों के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जायेगा।

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनन्तपुरम):16-18 आयु वर्ग के बच्चों और 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बीच अलग-अलग व्यवहार किया जाता है।... (व्यवधान)

श्रीमती मेनका संजय गांधी: हम उस पर बाद में आएंगे।

इसके अलावा, विधेयक के सामान्य सिद्धांत में कहा गया है कि लिंग, जाति, जातीयता, जन्म स्थान, विकलांगता और प्रत्येक बच्चे तक पहुंच, अवसर और उपचार की समानता सहित किसी भी आधार पर किसी बच्चे के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसलिए, विधेयक अनुच्छेद 15 के अनुरूप है जो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है।

इस विधेयक में 16 से 18 आयु वर्ग के किशोरों द्वारा जघन्य अपराध किए जाने पर उनके साथ क्या किया जाए, इस हेतु प्रक्रिया दी गयी है। इस विधेयक में यह प्रक्रया काफी सोच समझकर निर्धारित की गयी है। इसमें जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार हेतु संविधान की धारा 21 के प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में सुरक्षा से संबंधित संविधान के अनुच्छेद

21(1) के साथ दूर-दूर तक विरोधाभास न हो, मैंने पहले ही कहा है कि खंड 7 को विधेयक से हटाया जा रहा है।

डॉ. थरूर ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के साथ विरोधाभास का भी जिक्र किया था। यह प्रस्तावित विधेयक में अंतर्राष्ट्रीय लिखतों, जिसका भारत भी एक पक्षकार है, से कोई विरोधाभास नहीं है। बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन सिद्धांतों की एक रूपरेखा प्रदान करता है जिसके आधार पर बच्चों को अधिकार प्राप्त करना चाहिए और विशिष्ट आयु या आयु पर दिशा प्रदान नहीं करता है। किसी भी कानून में परिभाषित बच्चे की आयु प्रकृति में प्रासंगिक है, जो कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले कानूनी-सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों पर निर्भर करती है।

आपराधिक जिम्मेदारी की आयु के संबंध में, बाल अधिकारों की समिति ने कहा है कि देशों को आपराधिक जिम्मेदारी के लिए 12 वर्ष को पूर्ण न्यूनतम आयु के रूप में मानना चाहिए और आयु बढ़ाना जारी रखना चाहिए और किसी भी देश को आपराधिक जिम्मेदारी की न्यूनतम आयु 12 वर्ष तक कम नहीं करनी चाहिए। विभिन्न देशों में अपराधिक जिम्मेदार के लिए अलग-अलग आयु निर्धारित की गयी है। इंग्लैंड में यह आयु 10 वर्ष, आस्ट्रेलिया में 10 वर्ष, अर्जेंटीना में 16 वर्ष और फ्रांस में 13 वर्ष है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे छोटी आयु में ही तेजी से परिपक्व होने लगते हैं, आपराधिक जिम्मेदारी की आयु की परिभाषित करना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त यूनाइटेड नेशंस रूल्स फार द प्रोटेक्शन ऑफ जुवेनाइल डिप्राइब्ड ऑफ दीपर लिबर्टी, 1990 के खंड 16 में यह दर्शाया गया है कि इन नियमों को देश को विद्यमान आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू किया जाना चाहिए।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किशोर न्याय प्रणाली का परम उद्देश्य बच्चों में सुधार सुनिश्चित करना और उन्हें समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति के तौर पर उनका विकास करना है, इस विधेयक में अनेक प्रावधान किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रावधान, प्रत्येक बच्चे के लिए देखरेख योजना, सलाह परामर्श,

सामुदायिक सेवा, शिक्षा, कौशल विकास, व्यवहार सुधार उपचार तथा मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना शामिल है। किशोर न्याय बोर्ड का काम हर कदम और प्रक्रिया में बच्चे की सूचित भागीदारी सुनिश्चित करना है और बच्चे को पकड़ने, पूछताछ, उसके बाद की देखभाल और पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया के दौरान बाल अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी बच्चे को जेल न जाना पड़े और 21 वर्ष की आयु तक वह किशोर न्याय प्रणाली में रहे। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में कम से कम एक ऐसी सुरक्षित जगह होनी चाहिए जहां उन बच्चों को रखा जाए और जो जघन्य अपराध करते हैं।

इस विधेयक में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि चाहे किशोर न्याय सुधार अधिनियम अथवा किसी अन्य कानून के अंतर्गत किसी अपराध को करने पर बच्चों को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास न दिया जाए और जिसमें रिहा होने की संभावना न हो। यह प्रावधान बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुच्छेद 37 के अनुरूप है।

श्रीमती सुले ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने जेजे अधिनियम, 2000. के प्रावधानों को बरकरार रखा है, तो एक नया विधेयक क्यों प्रस्तावित किया जा रहा है। इसके लिए, मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगी कि उच्चतम न्यायालय के फैसले कानून में मौजूदा प्रावधानों के आलोक में सुनाए जाते हैं। माननीय न्यायालय के लिए उस विधेयक के आधार पर निर्णय देना संभव नहीं है जो अभी भी निर्माणाधीन है।

उच्चतम न्यायालय ने गुरव कुमार मोनू *बनाम* हरियाणा राज्य के मामले में दिनांक 6 अप्रैल, वर्ष 2015 की अपनी हालिया कार्यवाही में कहा है कि किशोरों द्वारा अपराधों में वृद्धि से निपटने के लिए एक प्रभावी कानून के बारे में सोचने का समय आ गया है, जिसमें विशेष रूप से जघन्य प्रकृति के अपराधों के संबंध में मौजूदा कानून के प्रावधानों पर फिर से विचार करने, पुन: जांच करने और पुनवचार करने की आवश्यकता है। पहले

भी, हमें विधि मंत्रालय से यह सलाह मिली थी कि किशोर न्याय अधिनियम में अनेक संशोधन करने के बजाय नया कानून लाना बेहतर होगा।

महोदय, अपराध संबंधी आंकड़ों के मुद्दे पर आते हुए, जिनका कुछ सदस्यों ने उल्लेख किया था, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा जारी किया गया आंकड़ा ही एकमात्र प्रामाणिक और सर्वाधिक व्यापक आंकड़ा है जो भारत सरकार के पास अपराध के विषय पर उपलब्ध है।

एन.सी.आर.बी. के अनुसार, वर्ष 2013 में विभिन्न अपराधों को अंजाम देने के लिए 16-18 वर्ष के आयु वर्ग के 28,830 बच्चों को पकड़ा गया था। इनमें से 3,883 बच्चों को बलात्कार, हत्या, अपहरण जैसे जघन्य अपराध करने के आरोप में पकड़ा गया था।

<u>अपराह्न 02.00 बजे</u>

इन आंकड़ों का मतलब है कि प्रस्तावित कानून के जघन्य अपराधों के प्रावधान देश के 47.2 करोड़ बच्चों में से 3,883 बच्चों पर लागू होंगे और अधिकांश बच्चे इन प्रावधानों से प्रभावित नहीं होंगे। मैं यहां से भिन्न होते हुए बस यह कहना चाहूँगा कि अपराध, विशेषकर जघन्य अपराध के लिए हमें केवल गरीबी को ही जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। यह बच्चों को वो काम करने के लिए प्रेरित करता है जो शायद उन्होंने नहीं किया होता। यह ईर्ष्या का कारण बनता है; यह क्रोध का कारण बनता है; यह कई चीजों का कारण बनता है जो शायद, एक अधिक विशेषाधिकार प्राप्त बच्चे के पास नहीं होता। लेकिन याद रखिए कि 47.2 करोड़ बच्चों में से अगर हम गरीबी को अपराध के लिए दोषी ठहराते हैं, खासकर जघन्य अपराध, तो ऐसा क्यों है कि एक वर्ष में केवल 28000 बच्चों ने ही अपराध किए हैं? ऐसा क्यों है कि केवल 3000 लोगों ने ही जघन्य अपराध किए हैं? निश्चित रूप से गरीबी का यह स्तर, जो हम अपने गांवों में देखते हैं, कहीं अधिक पैदा हुआ होगा। क्या गरीबी के कारण कम और कुछ अन्य कारकों के कारण अधिक हो सकता है? इसलिए, गरीबी को आधार स्तर के रूप में उपयोग करना और यह कहना कि चूंकि हम गरीब हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं, तो शायद यह लागू नहीं होगा क्योंकि आंकड़े बहुत कम हैं। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों द्वारा किए गए

अपराधों में सभी आयु के बच्चों द्वारा किए गए कुल अपराधों में 18,049 से बढ़कर वर्ष 2003 में 52.2 प्रतिशत से बढ़कर 28,813 हो गया है, जो वर्ष 2013 में 66.3 प्रतिशत है।

महोदय, हम इस विधेयक से क्या चाहते हैं? मैं बच्चों को गिरफ्तार नहीं करना चाहता। मैं उनके लिए मतलबी नहीं होना चाहता। कोई मां ऐसा नहीं चाहेगी। इस सभा का कोई सदस्य नहीं चाहेगा। लेकिन मुद्दा यह है कि हम चाहते हैं कि इस विधेयक में ऐसे बच्चों के लिए उपबंध निवारक के रूप में कार्य करें। जब मैं मंत्री बना तो पहली बार मुझे पुलिसकर्मियों के एक समूह से फोन आया जो बच्चों के साथ व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कुछ बहुत ही अजीब हुआ है। बच्चे अपराध करने के बाद आते हैं। उन्होंने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है और इस समय उन्हें यह भी पता नहीं था कि उन्होंने कोई अपराध किया है। वे खुद पुलिस स्टेशन में आएंगे और कहेंगे कि हमने यह क्राइम किया है अब हमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत रखो। उन्होंने कहा कि वे वास्तव में बच्चों के हितैषी होने लगे थे और अब एक बहुत ही कठोर अधिनियम का प्रस्ताव था जिसे हमने केवल इसी वजह से टाला है।

महोदय, कानून एकपक्षीय नहीं होना चाहिए और अपराध के पीड़ितों के अधिकारों की भी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। अपराध चाहे एक बच्चे द्वारा किया गया हो या किसी वयस्क द्वारा, के पीड़ित व्यक्ति को तो सामान्य रूप से खामियाजा भुगतना पड़ता है। विधेयक में इस बात का ध्यान दिया गया है कि हमें जघन्य अपराध करने वाले बच्चों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि पर भी ध्यान दिया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह याद रखना जरुरी है कि ऐसे अपराध के लिए गरीबी का बहाना नहीं बनाया जा सकता। आंकड़ों को देखते हुए यह कोई बहाना नहीं हो सकता। अधिकांश मामलों में, विशेषकर जघन्य अपराध के मामलों में गरीबों पर किए गए अपराध के लिए हम उन गरीबों के न्याय के अधिकार से उन्हें इसलिए वंचित नहीं कर सकते क्योंकि वे गरीब हैं।

प्रस्तावित विधेयक 14 वर्षों से अधिक समय तक लागू वर्तमान अधिनियम के सिद्धांत और संरचना पर आधारित है। अत विधेयक में कोई वित्तीय निहितार्थ शामिल नहीं हैं। इसके कार्यान्वयन के दौरान, बच्चों द्वारा जघन्य अपराधों, संस्थाओं में बच्चों के दुरुपयोग, बड़ी संख्या में लंबित मामले, दत्तक ग्रहण में विलंब,

स्टेकहोल्डरों की भूमिका और जिम्मेदारियों की स्पष्टता की कमी आदि से संबंधित अनेक मुद्दे उठे हैं। इन मुद्दों को हल करने के लिए, मौजूदा अधिनियम में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कई बदलाव प्रस्तावित किए गए थे। चूंकि वर्तमान अधिनियम में कई परिवर्तनों का प्रस्ताव किया गया है इसलिए मंत्रालय द्वारा इस अधिनियम को निरस्त कर एक नया अधिनियम बनाए जाने की सलाह दी गयी है। इसलिए इस कानून का प्रस्ताव किया गया है। यह कानून वास्तव में बहुत सकारात्मक है। प्रत्येक व्यक्ति ने 16 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बारे में बात की है लेकिन उन्होंने आगे नहीं देखा है। यह गोद लेने को आसान बनाने के लिए सबसे आश्चर्यजनक चीजें बनाता है। भारत में कुछ नया लाने के लिए जिसे फोस्टर केयर कहा जाता है। 2 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को बहुत कम ही गोद लिया जाता है। उन्हें क्या करना चाहिए? वे इन संस्थानों में जीवन भर नहीं रह सकते। मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि ये संस्थान खतरनाक हैं। यहां तक कि अगर हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, तो भी वे खतरनाक होंगे क्योंकि वे यहां न केवल खतरनाक हैं बल्कि वे पूरी दुनिया में खतरनाक हैं। एक परिवार से वंचित बच्चा एक खालीपन में रहता है। इसलिए, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। भारत में शायद यह पहली बार होगा जब कोई परिवार किसी बच्चे को गोद तो नहीं लेना चाहता है परंतु उसे लालन पालन देखरेख के लिए उसे ले जाएगा, उसे वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, उसे लाड़ प्यार देगा, उसे स्कूल भेजेगा और उसकी भावनात्मक जरूरतें पूरी करेगा। ऐसे बच्चों के लिए हम निधि का सृजन करेंगे। ऐसे आश्चर्यजनक प्रावधान इस विधेयक में किए गए हैं। दुर्भाग्यवश, ऐसा प्रतीत होता है कि हम विधेयक के पहले कुछ पत्रों में ही रुक गए हैं।

महिला और बाल विकास मंत्रालय एक केन्द्र प्रायोजित-समेकित बाल सुरक्षा योजना (आई.सी.पी.एस.) वर्ष 2009-10 से चला रही है जिसके द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय संसाधन प्रदान किए जाते हैं।

इस योजना ने न केवल किशोर न्याय अधिनियम के तहत वैधानिक संरचनाओं की स्थापना को बढ़ावा दिया है, बल्कि इसने बाल संरक्षण के लिए समर्पित सेवा वितरण संरचनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय

सहायता भी प्रदान की है।... (व्यवधान) यह योजना किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत यथा निर्धारित सेवाओं के संचालन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

उदाहरण के लिए, यह योजना किशोर न्याय बोर्डों की स्थापना के लिए दो प्रकार के अनुदान प्रदान करती है। हम एक नए किशोर न्याय बोर्ड के कार्यालय की स्थापना के लिए 7 लाख रुपये का एकमुश्त अनुदान और मौजूदा किशोर न्याय बोर्डों के कार्यालयों के रखरखाव के लिए 2 लाख रुपये का वार्षिक अनुदान प्रदान करते हैं। इसके अलावा, सभी किशोर न्याय बोर्डों को उनके संचालन के लिए प्रति वर्ष 7 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया जाता है।

इस विधेयक में पर्याप्त पुनर्वास और सामाजिक पुर्नमिलाप का प्रावधान किया गया है। कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के संबंध में, अवलोकन घर, विशेष घर और सुरक्षा के स्थान हैं।

श्री ओवैसी ने इस बारे में बात की थी कि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई संरचना नहीं है। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि बच्चों के लिए 60 घर हैं जिनमें उन्हें रखा जा सकता है। देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए घरों में बाल गृह, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसियां, मुक्त आश्रय और अच्छी सुविधाएं शामिल हैं। संस्थागत देखभाल के तहत, बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, नशामुक्ति उपचार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास, जीवन कौशल शिक्षा और परामर्श सहित विभिन्न सेवाएं प्रदान की जानी हैं ताकि उन्हें समाज में रचनात्मक भूमिका निभाने में मदद मिल सके।

केवल इतना ही नहीं है। हमने कुछ नया शुरू किया है। एक या दो या उससे ज्यादा की आयु के प्रत्येक बच्चे को आधार कार्ड मिला है ताकि उन्हें एक पहचान दी जा सके और उन्हें बाहर रहने में मदद मिल सके.... (व्यवधान) मुझे अपना जवाब समाप्त करने दीजिए।

माननीय उपाध्यक्ष: महोदया, आप कृपया अपनी बात जारी रख सकती है।

... (व्यवधान)

श्रीमती मेनका संजय गांधी: मैं उस मुद्दे पर आऊंगी। मुझे खुशी है कि आपने यह मुद्दा उठाया। मुझे अपना भाषण पूरा करने दीजिए और फिर मैं आपकी बात पर आऊंगी।

माननीय उपाध्यक्ष: उनका ध्यान न भटकाएं।

... (व्यवधान)

श्रीमती मेनका संजय गांधी: इस विधेयक में अनेक गैर-संस्थागत युक्तियों का भी प्रावधान किया गया है जैसे गोद लेना, लालन पालन देखरेख, स्पॉन्सरशिप आदि। समूह पालक परिचर्या सहित पालक परिचर्या को भी बच्चों को पारिवारिक वातावरण में रखने के लिए गैर-संस्थागत देखरेख के रूप में शामिल किया गया है जो बच्चे के जैविक परिवार से भिन्न है, जिसे बच्चों को परिचर्या प्रदान करने के लिए चयन, योग्य, अनुमोदित और पर्यवेक्षित किया जाना है।

मंत्रालय ने संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों की पूर्णरूप से जांच की है। जैसा कि मैंने बताया, हमने विधेयक से खंड 7 को हटा दिया है। यह विश्वास कि हमने कोई मूल्यवान सुझाव नहीं लिया, सही नहीं है। समिति ने 25 फरवरी को अपनी 264$^{वें}$ प्रतिवेदन प्रस्तुत की। कुल 13 सिफारिशें की गई थीं और हमने उनमें से सात को स्वीकार कर लिया। हमने आंशिक रूप से तीन को स्वीकार किया। तो, यह संख्या दस हो जाती है। विधेयक में पहले ही शामिल किया जा चुका है। इसलिए, केवल दो सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया।

हमने प्रारंभिक पूछताछ/आकलन की अवधि एक महीने से बढ़ाकर तीन महीने कर दी है, हमने स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक पूछताछ/आकलन कोई परीक्षण नहीं है, फिर से आपके द्वारा सुझाया गया है। समिति ने विधेयक के खंड 60 पर आपत्ति जताई थी जिसमें कहा गया है कि अगर किसी बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर घरेलू गोद नहीं दिया जाता है, तो उसे

अंतरदेशीय गोद लेने के लिए दिया जा सकता है। आपके सुझाव के अनुसार इस अवधि को बढ़ाकर 60 दिन करने का प्रस्ताव है।

बच्चों के समर्पण से संबंधित खंड 36 के संदर्भ में, समिति का विचार है कि माता-पिता/अभिभावक को बच्चे को दत्तक ग्रहण के लिए अभ्यपत करने के उनके निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए दी गई एक महीने की अवधि कम है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए। इस खंड में संशोधन किया गया है और माता-पिता को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए पर्याप्त अवसर देने के लिए पुनर्विचार की अवधि बढ़ाकर दो माह कर दी गई है। हमने बच्चों के लिए बच्चों के अनुकूल प्रक्रियाओं को जोड़ा है जब बाल न्यायालय द्वारा परीक्षण किया जाना है। समिति के सुझाव के आधार पर हमने जागरूकता प्रदान करने और निगरानी करने के संबंध में दो नए खंड जोड़े हैं। इसलिए, हम आपके सुझावों का बहुत सम्मान करते हैं और दिए गए 13 सुझावों में से ग्यारह को ले लिया है।

अपनी बात समाप्त करते हुए, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस महती सभा के समक्ष प्रस्तुत विधेयक में केवल किशोर अपराध की आयु घटाना ही एकमात्र मुद्दा नहीं है। किशोरों द्वारा किए जा रहे जघन्य अपराधों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखा गया है तथा साथ ही बाल अधिकार कार्यकर्ताओं की मांगों को भी ध्यान में रखा गया है और हमने इन दोनों के बीच द्विचरण मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। इसके अलावा, किशोर न्याय बोर्ड के आदेशों को दोनों चरणों में अपील किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार बच्चे के जन्मजात अधिकारों के साथ किसी भी स्तिथि में समझौता नहीं किया जाएगा साथ ही किशोरों के भविष्य के बिगड़ने से रक्षा करने के लिए न्यूनतम निरोधात्मक उपाय प्रावधान किया गया है, साथ ही जघन्य अपराधों से पीड़तों के भविष्य की सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। मैं चाहता हूं कि सदस्य इस बात की सराहना करें कि यह विधेयक बाल संरक्षण प्रणालियों को सुदृढ़ करने, दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में सुधार करने और आवश्यकता पड़ने पर बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए नए तंत्र की व्यवस्था करने के बारे में है। मैं माननीय सदस्य से इस विधेयक का समर्थन करने का अनुरोध करूंगी।

मैं कुछ अन्य वक्तव्य देना चाहूंगी। मैंने श्री ओवैसी द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर पहले ही दे दिया है। किशोर न्याय बोर्ड का आकलन एकतरफा मूल्यांकन नहीं है। बोर्ड बच्चे के विचारों का उचित नोटिस लेगा जिसके लिए एक मनोवैज्ञानिक और एक सामाजिक कार्यकर्ता को सदस्य के रूप में बनाया जाएगा। मूल्यांकन ही, जैसा कि मैंने पहले कहा, अपील योग्य रहा है।

मुझे कोशिश करने दें और समझाएं कि बात कैसे चलती है। यदि किसी बच्चे ने जघन्य अपराध किया है, तो उसे शुरू में जेल नहीं भेजा जाता है। परीक्षण जारी रहने के दौरान उसे एक बाल-अनुकूल संस्थान और सुधारक के पास भेजा जाता है। जब मुकदमा चल रहा होता है, जब प्रक्रिया शुरू होती है, तो वह किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष जाता है। मैं देखूंगी कि किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य कौन होंगे ताकि आप सुरक्षित महसूस कर सकें। किशोर न्याय बोर्ड यह तय करेगा कि बच्चे ने ऐसा बच्चे की तरह दिमाग से किया या उसने वयस्क दिमाग से किया। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो अपील योग्य है। मान लीजिए कि यह तय हो जाता है कि बच्चे ने वयस्क मन से ऐसा किया, तब भी वह जेल नहीं जाता। वह उस स्थान पर जाता है जिसे बोस्टेल के रूप में जाना जाता है, जो जेल प्रणाली से अलग बच्चों के लिए रखा गया एक विशिष्ट क्षेत्र है।... (व्यवधान)

डॉ. शशि थरूर: कृपया स्पष्ट करें कि आप यह कैसे मानती हैं कि बच्चे ने ऐसा बच्चे जैसे दिमाग से किया या वयस्क दिमाग से?... (व्यवधान)

श्रीमती मेनका संजय गांधी: बस एक मिनट प्रतीक्षा करें। मुझे इसे समाप्त करने दीजिए। (व्यवधान)

कुमारी सुष्मिता देव: मैं आपसे किए गए अपराध के तथ्यों और परिस्थितियों को बताने के लिए कह रही हूं। (व्यवधान)

श्रीमती मेनका संजय गांधी: क्या होता है कि वह फिर एक बोस्टेल में जाता है। वह 21 वर्ष की आयु तक वहां रहता है। 21 वर्ष की आयु में उसे एक और मौका मिलता है। यदि बच्चे ने इस अवधि के दौरान स्वयं का व्यवहार ठीक किया है और सुधार के संकेत दिखाई दिए हैं, तो उस समय भी, हम किशोर न्याय बोर्ड द्वारा लिए गए

निर्णय को बदल देते हैं। यदि बच्चा सुधार के लिए उत्तरदायी साबित नहीं हुआ है, तो वह सीधे एक प्रणाली को पूरा करने में चला जाता है जो एक वयस्क की है, जो किसी भी वयस्क के समान है। इसलिए, एक बच्चे को दो मौके दिए जाते हैं। वास्तव में, मैंने बच्चे के समर्थक होने के लिए बहुत मेहनत की है।

मैं अभी इसे समाप्त करूंगी। मैं जितना कह सकती थी, कह चुकी हूं। मैं इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहती हूं। धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय. सदस्यगण, कृपया बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

डॉ. ए. सम्पत्त (अट्टिंगल): महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष: तीसरी रीडिंग के समय, आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। आप इसे लिखित में दें। मैं आपको तब बोलने की अनुमति दूंगा, इस समय नहीं। वह चरण समाप्त हो गया है।

... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: सुश्री देव, मैं इसमें जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। आप पहले ही बोल चुके हैं। तीसरी रीडिंग के समय, आप पूछ सकती हैं। आप इसे लिखित में दें। मैं आपको अनुमति दूंगा। आप जो भी चाहती हैं, उसे लिखित में दीजिए। मैं आपको उस समय, तीसरे वाचन चरण में अनुमति दूंगा।

... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> “कि विधि का कथित रूप से उल्लंघन करने वाले बालकों से संबंधित विधि और संरक्षण के लिए समुचित देखभाल, संरक्षण, विकास, उपचार, सामाजिक पुनएकीकरण के माध्यम से उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करके, बालकों के सर्वोत्तम हित में मामलों के न्यायनिर्णयन और निपटान में बालक हितैषी दृष्टिकोण अपनाकर तथा उपबंधित प्रक्रियाओं के माध्यम से उनके पुनर्वास के लिए विधि का कथित और अटूट पाए जाने वाले बालकों से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने वाला विधेयक, और इसके अधीन स्थापित संस्थाओं और निकायों और उनसे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों पर विचार किया जाए। “

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: सभा विधेयक पर खंड-वार-खंड विचार करेगी। माननीय मंत्री संशोधन सं.3 से 5. उपस्थित करेंगे।

खंड 2 **परिभाषा**

संशोधन किए गए:

""पृष्ठ 2, पंक्ति 21, *"वैध" के स्थान पर,* "वैध" प्रतिस्थापित किया जाए	(3)
"पृष्ठ 2, पंक्ति 22, "वैध" के लिए, "जैविक" प्रतिस्थापित किया जाए	(4)
"पृष्ठ 3, पंक्ति 44, "कौन", *के बाद,* "किया गया है या" डालें।”	(5)

(श्रीमती मेनका संजय गांधी)

माननीय उपाध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी खंड 2 में संशोधन सं. 45 उपस्थित करेंगे। क्या आप पारित कर रहे हैं?

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): जी, महोदय। मैं कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं

"पृष्ठ 3, पंक्ति 28 से 31 के स्थान पर, -

प्रतिस्थापित करें	(5)"आफ्टरकेयर" का अर्थ है उन व्यक्तियों को वित्तीय या अन्यथा, सहायता का प्रावधान करना, जिन्होंने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और समाज के साथ एकीकृत होने में मदद करने के लिए कोई संस्थागत देखभाल छोड़ दी है;'" (45)

बचपन शरीर और मन दोनों के विकास की अवधि है और इसे उन भय के स्वभाव से नहीं मापा जा सकता है जिनके साथ कोई रहता है, लेकिन उन अनुभवों से जो किसी के माध्यम से रहा है। यह प्रक्रिया बौद्धिक क्षमता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहानुभूति से संबंधित परिपक्व मस्तिष्क की अलग-अलग गति से प्रभावित होती है, हानिकारक विकल्पों को रोकती है और स्थिति के अनुकूल होने के नए तरीके खोजती है। महोदय, 25 वर्ष पहले, भारत ने बाल अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का अनुसमर्थन किया था और बच्चों के अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन का वायदा करने में विश्व के साथ शामिल हुआ था। आज, किशोर न्याय विधेयक में सरकार के प्रस्तावित संशोधनों के साथ, भारत अपने वादे से पीछे हटने के गंभीर खतरे में है। इस सरकार ने किशोर न्याय (देखरेख और संरक्षण) विधेयक पुरस्थापित किया है जिसमें भारत में न्यायिक अधित्याग प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव है जिसके तहत 16 से 18 वर्ष की आयु के किशोर अपराधियों पर कतिपय अपराधों के लिए वयस्कों की भांति मुकदमा चलाया जाएगा और दंडित किया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा उपस्थित खंड 2 में संशोधन सं. 45 पर सभा के मत लूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: डॉ. शशि थरूर खंड 2 में संशोधन संख्या 56 और 57 पेश करेंगे। क्या आप पारित कर रहे हैं?

डॉ. शशि थरूर: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 5, पंक्ति 19 से 21 *के* स्थान पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित करें*-

` (33) "जघन्य अपराधों" के अन्तर्गत वे अपराध भी हैं जिनके लिए भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दण्ड के अन्तर्गत आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड सहित दण्ड है; (56)

"पृष्ठ 6, पंक्ति 38, *के* स्थान पर, *प्रतिस्थापित करें*-

"सात वर्ष या उससे अधिक समय के लिए;"। (57)

मैं ट्रेजरी शाखाओं को पूरे सम्मान के साथ बताना चाहता हूं कि जघन्य अपराधों की उनकी वर्तमान परिभाषा बहुत व्यापक है। यह मूल रूप से कहता है कि कोई भी अपराध जहां कानून लागू किया जा रहा है, वह सात वर्ष या उससे अधिक की कैद है, अब ऐसा कोई भी अपराध है, बच्चे को आजीवन कारावास दिया जा

सकता है, वयस्क के रूप में 20 वर्ष तक मुकदमा चलाया जा सकता है। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि हमें इतनी व्यापक परिभाषा नहीं रखनी चाहिए। यदि आप अपने विधेयक को सख्त करना चाहते हैं, तो आइए हम उन गंभीर अपराधों पर ध्यान केंद्रित करें जिनके बारे में आप चिंतित हैं, बलात्कार और हत्या, और इसलिए, मैं सुझाव दे रहा हूं कि यह कुछ समय के लिए कोई भी कानून होना चाहिए जिसमें आजीवन कारावास या मौत शामिल हो, जिसका अर्थ है, बलात्कार और हत्या। यदि आप ऐसा करते हैं, तो कम से कम विधेयक को इन दो गंभीर अपराधों तक सीमित रखें। यह सशस्त्र डकैती नहीं होनी चाहिए; यह हत्या का प्रयास नहीं होना चाहिए।.... ... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं डॉ. शशि थरूर द्वारा पेश किए गए खंड 2 के संशोधन संख्या 56 और 57 को सदन के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन रखे गये और अस्वीकृत कर दिये गये।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“कि खंड 2 यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने । ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 अधिनियम के प्रशासन में पालन किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या. 6 को प्रस्तुत करेंगे।

संशोधन किए गए:

"पृष्ठ 7, पंक्ति 46, में शब्द "किए गए अपराध" को *हटाया जाए* ।" (6)

(श्रीमती मेनका संजय गांधी)

माननीय उपाध्यक्ष : श्री सत्पथी अपने संशोधन संख्या 61 को खंड 3 _ में प्रस्तुत करने के लिए - उपस्थित नहीं। प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 किशोर न्याय बोर्ड

माननीय उपाध्यक्ष: माननीयमंत्री अनुच्छेद 4 में संशोधन संख्या. 7 प्रस्तुत करेंगे।

... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: यह अभी समाप्त नहीं हुआ है। मैंने अभी शुरू किया। वे चाहते हैं कि मैं इसे दोहराऊं; मैं इसे दोहराऊंगा।

... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष : मैं इसे दोहराऊंगा; बस इतना ही।

... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष : देखिए,डॉ. शशि थरूर के उस संशोधन के बारे में प्रक्रिया समाप्त हो गई है। उसके बाद ही उन्होंने इसे उठाया। यही कारण है कि मैंने अनुमति नहीं दी।

...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया मेरी बात सुनें। लेकिन, जहां तक इस संशोधन का संबंध है, इसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसमें कुछ असमंजस की स्थिति आ गई। इसीलिए, मैं इसे दोहरा रहा हूं; बस इतना ही। यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है।

संशोधन किए गए:

"पृष्ठ 8, पंक्ति 28, "दो अलग-अलग प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों से" को हटाया जाए"।

(7)

(श्रीमती मेनका संजय गांधी)

माननीय उपाध्यक्ष: डॉ. शशि थरूर, क्या आप अपना संशोधन संख्या 58 खंड 4 पेश कर रहे हैं?

डॉ. शशि थरूर: हां, महोदय। मैं प्रस्ताव करता हूँ:

पृष्ठ 8, पंक्ति 31*के बाद, जोड़ें—*

"बशर्ते कि बोर्ड की अध्यक्षता एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी, जो तब जघन्य या गंभीर अपराधों के मुकदमे के लिए पीठ का प्रधान मजिस्ट्रेट होगा और ऐसे बोर्ड को विशेष पीठ के रूप में उल्लिखित किया जाएगा।" (58)

महोदय,संशोधन संख्या 58 से खंड 4 तक, हम यहां क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही सरल रूप में निम्नलिखित है। फिलहाल वे कह रहे हैं कि एक बोर्ड बनाया जाएगा। इसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि मामला एक वयस्क अदालत को निर्दिष्ट किया जाएगा। मैं जो सुझाव दे रहा हूं वह यह है कि इसके बजाय हम वयस्क न्यायालय_के बजाय किशोर न्यायालय की एक विशेष पीठ स्थापित करेंगे। अतः,आवश्यकता केवल यह है कि हम मौजूदा खंड 4(2) को बनाए रखें। मेरा छोटा सा सुझाव यह है कि हमें यह जोड़ना चाहिएः "बशर्ते कि बोर्ड की अध्यक्षता एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी और इसे एक विशेष पीठ के रूप में उल्लिखित किया जाएगा।" इसका उद्देश्य यह है कि किशोर न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में अपने संविधान के साथ किशोर बोर्ड वयस्क अदालत में जाने के बजाय गंभीर, जघन्य अपराधों को देखेगा।

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं डॉ. शशि थरूर द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 58 खंड 4 को सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

... (व्यवधान)

डॉ. शशि थरूर: महोदय, मैं विभाजन चाहता हूं। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: ठीक है। दीर्घायें को साफ होने दीजिए-

अब, लॉबी साफ़ कर दी गई है।

महासचिव ने स्वचालित वोट रिकॉर्डिंग प्रणाली के संचालन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी।

स्वचालित वोट रिकॉर्डिंग प्रणाली के बारे में घोषणा

महासचिव: माननीय सदस्यों का ध्यान स्वचालित वोट रिकॉर्डिंग प्रणाली के संचालन में निम्नलिखित बिंदुओं पर आकर्षित किया जाता है।

1. प्रभाग शुरू होने से पहले प्रत्येक माननीय सदस्य को अपनी सीट पर बैठना चाहिए और उस सीट से ही प्रणाली का संचालन करना चाहिए।

2. जब माननीय अध्यक्ष महोदय कहेंगे "अब मत-विभाजन", तो महासचिव मतदान बटन को सक्रिय कर देंगे जिसके बाद माननीय अध्यक्ष की कुर्सी के दोनों ओर डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर "लाल बल्ब" चमक उठेगा और एक साथ गोंग ध्वनि सुनाई देगी

3. मतदान के लिए माननीय सदस्य कृपया निम्नलिखित दो बटन एक साथ "केवल" घंटा बजने के बाद दबाएँ और मैं दोहराता हूँ केवल पहला घंटा बजने के बाद।

   प्रत्येक माननीय सदस्य के सामने हेड फोन प्लेट पर लाल "वोट" बटन और सीट के डेस्क के शीर्ष पर निम्नलिखित में से कोई एक बटन लगा होना चाहिए।

पक्ष में, 'हां' वाले	:	हरा रंग
विपक्ष में 'न' वाले	:	लाल रंग
उपस्थिति से बचना	:	पीला रंग

4. दोनों बटनों को तब तक दबाए रखना आवश्यक है, जब तक कि दूसरा गोंग (घंटा) न सुनाई दे और प्लाज्मा डिस्प्ले के ऊपर लगे लाल बल्ब "बंद" न हो जाएं।

5. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि उनके वोट पंजीकृत नहीं किए जाएंगे।

   (i) यदि बटनों को प्रथम गोंग की ध्वनि बजने से पहले दबाया जाता है।

   (ii) दूसरे गोंग तक दोनों बटन एक साथ नहीं दबाए जा सकते।

6. माननीय सदस्य वास्तव में माननीय अध्यक्ष के आसन के दोनों ओर स्थापित डिस्प्ले बोर्ड पर अपना वोट "देख" सकते हैं।

7. यदि वोट पंजीकृत नहीं है, तो वे पर्चियों के माध्यम से मतदान के लिए कह सकते हैं।

माननीय उपसभापति: लॉबी पहले ही खाली कर दी गई है।

लोक सभा विभाजित हो गई।

प्रभाग **पक्ष में, 'हां' वाले** **अपराह्न 02:24 बजे**

बनर्जी, श्री प्रसून

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

बोस, प्रो. सुगाता

चौधरी, श्री अधीर रंजन

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

डे (नाग),डॉ. रत्ना

देव, कुमारी सुष्मिता

फ़ैज़ल, मोहम्मद

गोई, श्री गौराव

हज़रा, डॉ. अनूपम

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

जटुआ, श्री चौधरी मोहन

कल्वाकुन्तला, श्रीमती कविता

खान, श्री सौमित्र

महतो, डॉ. मृगांका

मुखर्जी, श्री अभिजित

नाइक, श्री बी.वी.

ओवैसी, श्री असादुद्दीन

पाटिल, श्री भीमराव बी.

पोद्दार, श्रीमती अपरूपा

प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

रंजन, श्रीमती रंजीत

रॉय, प्रो. सौगत

राई,श्रीमती शताब्दी

संपत, डॉ. ए.

संघामिता, डॉ. ममताज

सुले, श्रीमती सुप्रिया

टीचर, श्रीमती पी.के. श्रीमथि

ठाकुर, श्रीमती ममता

थरूर, डॉ. शशि

तिर्की, श्री दशरथ

श्रीमती देव वर्मा

<u>विपक्ष में 'न' वाले</u>

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहलावत, श्रीमती संतोष

आलूवालिया, श्री एस.एस.

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

भगत, श्री बोध सिंह

भगत, श्री सुदर्शन

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भोले, श्री देवेन्द्र सिंह

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बोहरा, श्री रामचरण

[3*]ब्रह्मपुरा, श्री रनजीत सिंह

चंद, श्री निहाल

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौहान, *श्री पी. पी.

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

छेवेंग, श्री थुपस्तान

[3*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

छोटेलाल, श्री

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, कर्नल सोनाराम

चौधरी, श्री बाबूलाल

चौधरी, श्री बीरेंद्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दोहरे, श्री अशोक कुमार

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गिर्री, श्री महेश

गोहेन, श्री राजेन

गुप्ता, श्री सुधीर

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री कौशल

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

कुलस्ते, श्री फग्गनसिंह

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

श्री कौशलेन्द्र कुमार

कुमार, श्री संतोष

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाह, श्री उपेन्द्र

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

श्री विद्युत बरन महतो

मांझी, श्री हरि

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मुंडा, श्री करिया

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

नगर, श्री रोड़मल

नाथ, श्री चाँद

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

ओराम, श्री जुएल

पाटल, श्रीमती कमला

पाल, श्री जगदम्बिका

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री राजेश

पाण्डेय, श्री रविन्द्र कुमार

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पासवान, श्री कमलेश

पासवान, श्री रामचंद्र

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती अनुप्रिया

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

फुले, साध्वी सावित्री बाई

प्रसाद, डॉ. भागीरथ

राय, श्री नित्यानंद

राय, श्री प्रेम दास

राज, श्रीमती कृष्णा

राजपूत, श्री मुकेश

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

राठौर, श्री डी. एस.

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

रे, श्री बिष्णु पद

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी, श्री चमकुरा मल्ला

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

रोड़ी, श्री चरणजीत सिंह

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री लखन लाल

साईं, श्री विष्णु देव

संजर, श्री आलोक

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, कुंवर भरतेन्द्र

सिंह, कुंवर हरिवंश

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री नागेंद्र

सिंह, श्री आर.के.

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राम किशोर

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

स्वराज, श्रीमती सुष्मा

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तेली, श्री रामेश्वर

ठकुर,श्रीमती सावित्री

तिवारी, श्री मनोज

तोमार, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

उदासी, श्री शिवकुमार

उसेंडी, श्री विक्रम

उटवाल, श्री मनोहर

वसावा, श्री मनसुखभाई धनजीभाई

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्रीमती रेखा

विचारे, श्री राजन

वेंगा, श्री चिंतामन नवाशा

यदव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव, श्री ओम प्रकाश

यादव, श्री राम कृपाल

[4*]येदियुरप्पा, श्री बी.एस.

<u>उपस्थिति से बचना</u>

शून्य

[4*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

माननीय उपाध्यक्ष: सुधार के अधीन[5*], प्रभाग का परिणाम है:

पक्ष में, 'हां' वाले: 032

विपक्ष में 'न' वाले: 183

उपस्थिति से बचना: 000

प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"वह खंड 4, यथासंशोधित, विधेयक का हिस्सा है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 अपराध करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति, जब व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु का था।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 8 खंड 6 प्रस्तुत करेंगे।

संशोधन किए गए:

[5*] निम्नलिखित सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया/शुद्धि की:

पक्ष में, 'हां' वाले: 032
विपक्ष में 'न' वाले: 183 + पी. पी. चौहान, रनजीत सिंह ब्रह्मपुरा, श्री बी.एस. येदियुरप्पा= 186
उपस्थिति से बचना : 000

"पृष्ठ 9,पंक्तियाँ 15 और 16, ",लेकिन इक्कीस वर्ष से कम आयु का है"*हटाया जाए*। (8)

(*श्रीमती मेनका संजय गांधी*)

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"वह खंड 6, यथासंशोधित, विधेयक का हिस्सा है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 इक्कीस वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए नियुक्त करना जब वह एक बच्चा था।

माननीय उपाध्यक्ष : इससे पहले कि मैं खंड 7 पर सभा के मत के लिए प्रस्तुत करूं, मुझे यह सूचित करना है कि विधेयक के खंड 7 में संशोधन संख्या 46 श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा सभा पटल पर रख दिया गया है। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं, सरकार खंड 7 को अस्वीकृत कराना चाहती है।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप अभी भी विधेयक के खंड 7 में संशोधन संख्या 46 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"पृष्ठ 9, पंक्ति 24 से 26 के स्थान पर *प्रतिस्थापित करें* -

"कोई गंभीर या जघन्य अपराध करने के लिए, जब ऐसा व्यक्ति अठारह वर्ष से कम आयु का था, तो उस पर बालक की तरह मुकदमा चलाया जाएगा।। " (46)

...(व्यवधान) आप तानाशाही क्यों कर रहे हैं? आप मुझे कैसे निर्देशित कर सकते हैं? अध्यक्षपीठ यहां है। ... (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया शान्त रहें। उन्हें परेशान न करें।

... (व्यवधान)

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : महोदय, मैं सरकार और माननीय मंत्री जी का बहुत आभारी हूं। मैं माननीय मंत्री जी को इस तथ्य को महसूस करने के लिए धन्यवाद देता हूं कि यह संविधान अर्थात् अनुच्छेद 20(1) के विरुद्ध

है। मैं इस उपबंध को हटाने के लिए सरकार की पूर्णत सराहना करता हूं। इसलिए,मेरा संशोधन बहुत विशिष्ट है। यह एक सकारात्मक तरीके से है। इसलिए, सरकार द्वारा नकारात्मक मत देने के बजाय सभा को सकारात्मक रहने दीजिए। यदि इस संशोधन को लागू किया जाता है,तो इसका क्या प्रभाव होगा? यह एक सकारात्मक प्रभाव होगा कि इस अनुच्छेद 20(1) का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। यह भी एक सकारात्मक पहलू है। सरकार को विपक्ष के संशोधन को स्वीकार करना चाहिए ताकि सरकार का उद्देश्य, जिसमें खंड 7 को हटाने के बजाय हम बच्चों के हितों की रक्षा करने और विपक्ष के साथ -साथ सरकार के हितों की रक्षा करने वाले खंड 7 को शामिल कर सकें। सदन के समक्ष यह मेरा विनम्र निवेदन है।

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा प्रस्तुत खंड 7 के संशोधन संख्या 46 को सदन के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"खंड 7 विधेयक का हिस्सा है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष: खंड 7 अस्वीकृत किया जाता है और विधेयक से हटा दिया जाता है।

...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: यह खत्म हुआ। अब उस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको तृतीय वाचन चरण में बुलाऊंगा।

खंड 8 और 9 बोर्ड और बोर्ड की शक्तियों, कार्यों और जिम्मेदारियों के संबंध में प्रक्रिया

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"वह खंड 8 और 9 विधेयक का हिस्सा हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 और 9 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 10 एक मजिस्ट्रेट द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसे इस अधिनियम के तहत सशक्त नहीं किया गया है

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 9 खंड 10 प्रस्तुत करेंगे।

संशोधन किए गए:

"पृष्ठ 11, पंक्ति 9, "धारा 7 के प्रावधानों के अधीन, यदि न्यायालय पाता है" के स्थान पर "यदि न्यायालय पाता है" *प्रतिस्थापित करें।* (9)

(*श्रीमती मेनका संजय गांधी*)

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"वह खंड 10, यथासंशोधित, विधेयक का हिस्सा है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11 कानून के शंका में कथित रूप से आरोपित बालक की गिरफ्तारी

माननीय उपाध्यक्ष : श्री तथागत सत्पथी खंड11 में संशोधन संख्या .62 प्रस्तुत करेंगे। श्री तथागत सत्पथी - उपस्थित नहीं

प्रश्न यह है:

"वह खंड 11 विधेयक का हिस्सा है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12 से 14 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 15 कानून के साथ संघर्ष में बच्चे के संबंध में बोर्ड द्वारा जांच

संशोधन किए गए:

"पृष्ठ 12,पंक्ति 32, "प्रारंभिक जांच" के स्थान पर, "प्रारंभिक मूल्यांकन" को प्रतिस्थापित करें। (10)

पृष्ठ 12,पंक्ति 33, "एक महीने" के स्थान पर, "तीन महीने" को प्रतिस्थापित करें। (11)

पृष्ठ 12,पंक्ति 35, "या गंभीर" को हटाया जाए। (12)

पृष्ठ 12,पंक्ति 37, "बशर्ते कि जघन्य अपराधों के लिए" के स्थान पर "बशर्ते कि गंभीर या जघन्य अपराधों के लिए" को प्रस्थापित किया जाए।" (13)

(श्रीमती मेनका संजय गांधी)

माननीय उपाध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप अपने संशोधन संख्या 47 से 48 को खंड 15 को प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: महोदय, मैं संशोधन संख्या 47 से खंड 15 तक प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं अपना संशोधन संख्या 48 खंड 15 में प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा विशिष्ट विवाद यह है कि मौजूदा प्रणाली को संरक्षित करना होगा। यह 18 वर्ष से अधिक है। मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 13,पंक्ति 11,_

के लिए " की तारीख तक सोलह वर्ष से अधिक आयु के बच्चे के लिए

कमीशन",

"आयोग की तारीख के अनुसार अठारह वर्ष से कम आयु के बच्चे

के लिए " प्रतिस्थापित करें। (48)

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा पेश खंड 15 में संशोधन संख्या 48 को सदन में मत के लिए रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"वह खंड 15, यथासंशोधित, विधेयक का हिस्सा बनेगा।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 15 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 16 बोर्ड द्वारा जघन्य अपराधों की प्रारंभिक जाँच

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 13, *के लिए* पंक्ति 13 से 19, *प्रतिस्थापित किए जाए—*

"16 *(I)* सोलह वर्ष की आयु पूरी कर चुके अथवा उससे अधिक आयु के बालक द्वारा कथित रूप से किए गए जघन्य अपराध के मामले में, बोर्ड ऐसा अपराध करने की उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमता, अपराध के परिणामों को समझने की क्षमता और उन परिस्थितियों के संबंध में प्रारंभिक मूल्यांकन करेगा जिनमें उसने कथित रूप से अपराध किया है, और धारा 19: की उपधारा (3) के प्रावधानों के अनुसार एक आदेश पारित कर सकता है

बशर्ते कि ऐसे मूल्यांकन के लिए, बोर्ड अनुभवी मनोवैज्ञानिकों या मनो-सामाजिक कार्यकर्ताओं अथवा अन्य विशेषज्ञों की सहायता ले सकता है।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक मूल्यांकन एक परीक्षण नहीं है, लेकिन ऐसे बच्चे की क्षमता का आकलन करने और कथित अपराध के परिणामों को समझने के लिए है।" (14)

पृष्ठ 13,पंक्ति 20, "प्रारंभिक जांच" के स्थान पर, "प्रारंभिक मूल्यांकन" का प्रतिस्थापन करें। (15)

पृष्ठ 13,पंक्ति 22,*अंत:स्थापित किया जाए*-

"बशर्ते कि मामले का निपटान करने के लिए बोर्ड का आदेश धारा 102 की उप-धारा (2) के तहत लागू होगा:"; (16)

पृष्ठ 13, पंक्ति 23, "बशर्ते कि" के स्थान पर, "बशर्ते कि आगे प्रदान किया गया" प्रतिस्थापित किया जाए (17)

पृष्ठ 13, पंक्ति 23, "पूछताछ" के स्थान पर , "मूल्यांकन" को प्रतिस्थापित किया जाए। (18)

माननीय उपाध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप अपने संशोधन संख्या 49 और 50 को खंड 16 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : हां,महोदय, मैं अपनी संशोधन संख्या 49 और 50 को आगे प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 13,पंक्ति 13,-

"सोलह वर्ष की आयु पूरी हो गई है या उससे अधिक है"के स्थान पर

"अठारह वर्ष से कम आयु का है" को प्रतिस्थापित किया जाए। (49)

पृष्ठ 13,पंक्ति 44,-

"सोलह वर्ष" के स्थान पर"

“अठारह वर्ष” को प्रतिस्थापित किया जाए।” (50)

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा पेश किए गए खंड 16 में संशोधन संख्या 49 और 50 को सदन के मत के लिए रखूंगा।

संशोधन रखे गये और अस्वीकृत कर दिये गये।

माननीय उपाध्यक्ष :श्री तथागत सत्पथी खंड 16 में संशोधन संख्या 63 प्रस्तुत करेंगे। श्री तथागत सत्पथी -- उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"वह खंड 16, यथासंशोधित, विधेयक का हिस्सा है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 17 से 18 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 19 कानून के विरोध पाए जाने वाले बच्चे के संबंध में आदेश

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 14,पंक्ति 33, "प्रारंभिक जांच" के स्थान पर, "प्रारंभिक मूल्यांकन" का प्रतिस्थापन किया जाए। (19)

पृष्ठ 14,पंक्ति 33, "परिणाम के लिए आता है" के स्थान पर, "एक आदेश पारित करें" प्रतिस्थापित किया जाए। (20)

पृष्ठ 14,पंक्ति 34 "आगे" को हटाया जाए"।" (21)

(श्रीमती मेनका संजय गांधी)

माननीय उपाध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप अपना संशोधन संख्या 51 खंड 19 में प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: हां, महोदय, मैं अपना संशोधन संख्या 51 खंड 19 में प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूँ:

पृष्ठ 14,पंक्ति 34,-

"एक वयस्क के रूप में" हटाया जाए (51)

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा पेश खंड 19 में संशोधन संख्या 51 को सदन में मत के लिए रखूंगा।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष :डॉ. शशि थरूर, क्या आप अपना संशोधन संख्या 59 खंड 19 में प्रस्तुत कर रहे हैं?

डॉ. शशि थरूर: नहीं, महोदय। पिछले मुद्दे में वोट को देखते हुए, मैं इसे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"वह खंड 19, जैसा कि संशोधित किया गया है, विधेयक का हिस्सा है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 20 **बाल न्यायालय की शक्तियाँ**

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 14,पंक्ति 37, "प्रारंभिक जांच" के स्थान पर, "प्रारंभिक मूल्यांकन" का प्रतिस्थापन किया जाए। (22)

पृष्ठ 14, पंक्ति 41, "धारा 22; अथवा", धारा 22, बालक की विशेष आवश्यकताओं, निष्पक्ष विचारण के सिद्धान्तों पर विचार करते हुए और बालक हितैषी वातावरण बनाए रखना; या"। (23)

पृष्ठ 14, पंक्ति 43 और 44, "धारा 18" के स्थान पर "धारा 19" प्रतिस्थापित किया जाए। (24)

(श्रीमती मेनका संजय गांधी)

माननीय उपाध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप अपना संशोधन संख्या 52से 54 खंड 20 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम) : हां, मैं अपना संशोधन संख्या 52, 53 और 54 के खंड 20 को प्रस्तुत कर रहा हूं। संशोधन संख्या 54 बहुत महत्वपूर्ण है,क्योंकि बच्चे को जेल भेजा जा रहा है। उस पर विचार किया जाना चाहिए। इसलिए, मैं इन सभी तीनों संशोधनों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 14,पंक्ति 39,--

"एक वयस्क के रूप में" हटाया जाए (52)

पृष्ठ 14,पंक्ति 42,-

"एक वयस्क के रूप में" हटाया जाए (53)

पृष्ठ 15,पंक्तियाँ 5 और 6,--

",जब तक वह इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है और (54)
उसके बाद,व्यक्ति को जेल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।" को
हटाया जाए

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा पेश किए गये संशोधन संख्या 52 से 54 को खंड 20 के सदन में मत के लिए रखूंगा।

संशोधन रखे गये और अस्वीकृत कर दिये गये।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"वह खंड 20, यथासंशोधित, विधेयक का हिस्सा बनेगा।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 20 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 22 आदेश जो कानून के साथ संघर्ष में एक बच्चे के खिलाफ पारित नहीं किया जा सकता है

माननीय उपाध्यक्ष: डॉ. शशि थरूर, क्या आप खंड 22 में संशोधन संख्या 60 प्रस्तुत कर रहे हैं?

डॉ. शशि थरूर: हां महोदय, मैं यह संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 15, पंक्तियाँ 31 को 34, *प्रतिस्थापित किया जाए* -

> “22. कानून के विरुद्ध किसी भी बच्चे को इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत या भारतीय दंड संहिता या इस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत ऐसे किसी भी अपराध के लिए मौत की सजा या सात वर्ष से अधिक के कारावास की सजा नहीं दी जाएगी। (60)

यह बहुत महत्वपूर्ण है। मंत्री जी ने उनके दिल की बात कही है। हम सभी ने समझाया है कि बच्चे को 20 वर्ष की सजा देना बच्चे के लिए बुरा और समाज के लिए बुरा क्यों है क्योंकि यह कठोर अपराधियों को उजागर करेगा। मैं उनसे एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि वे सरकार से गंभीरता से कहें कि वह हमारी इस सिफारिश पर विचार करे कि किसी भी मामले में एक बच्चे को तथाकथित जघन्य अपराधों के लिए भी सात वर्ष से अधिक की ,आजीवन कारावास सजा नहीं दी जा सकती है। आइए हम बच्चे का पुनर्वास करने का प्रयास करें, हमारे अनाथों को प्रतिशोध नहीं पुनर्वास पर होना चाहिए। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह केवल घुटने टेककर वोट न दे, बल्कि एक मिनट के लिए मानवीय रूप से सोचे और इस संशोधन को स्वीकार करे।

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं डॉ. शशि थरूर द्वारा पेश खंड 22 के संशोधन संख्या 60 को सदन में मतदान के लिए रखूंगा।

प्रस्तुत संशोधन को अस्वीकृत कर दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

“वह खंड 22 विधेयक का हिस्सा है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 23 और 24 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 25 किसी अपराध के निष्कर्षों पर निरर्हता को हटाना

संशोधन किए गए:

"पृष्ठ 16, पंक्ति 4,*को अंत:स्थापित करने* के बाद -

परन्तु ऐसे बालक की दशा में, जो सोलह वर्ष की आयु पूरी कर चुका है या उससे अधिक है और धारा 20 की उपधारा (1) के खंड (1) के अधीन बालक न्यायालय द्वारा विधि का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, उपधारा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे। (25)

पृष्ठ 16, पंक्ति 5, "पुलिस या बच्चों की अदालत और इसकी" के स्थान पर

“पुलिस द्वारा, या बाल न्यायालय द्वारा”प्रतिस्थापित किया जाए। (26)

पृष्ठ 16, पंक्ति 8 से 10 के *लिए* प्रतिस्थापित *करें*।

“बशर्ते कि किसी जघन्य अपराध के मामले में जहां बच्चा पाया जाता है

धारा की उपधारा (1) के खंड (1) के अंतर्गत कानून के साथ संघर्ष में होना

20,ऐसे बच्चे की दोषसिद्धि के सुसंगत अभिलेख बनाए रखे जाएंगे

बच्चों की अदालत। "." (27)

(श्रीमती मेनका संजय गांधी)

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन खंड 25 में संशोधन 55 प्रस्तुत करेंगे।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"पृष्ठ 16,पंक्तियाँ 9 और 10,-

"केवल तभी जब बच्चे को जेल भेजा जाता है" को हटाया जाए। (55)

माननीय उपाध्यक्ष: अब मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा प्रस्तुत खंड 25 के संशोधन संख्या 55 को सदन के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन प्रस्तुत किया गया और अस्वीकृत कर दिया गया

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"खंड 25, यथासंशोधित, विधेयक का हिस्सा है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 25 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 26 से 35 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 36 बच्चों का आत्मसमर्पण

संशोधन किए गए:

"पृष्ठ 19,पंक्ति 33, “एक महीने” के स्थान पर “दो महीने” प्रतिस्थापित किया जाए। (28)

(श्रीमती मेनका संजय गांधी)

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"खंड 36, यथासंशोधित, विधेयक का हिस्सा बनेगा।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 36 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 37 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 38 देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे के संबंध में पारित आदेश

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 20, पंक्ति 29, “38” *के स्थान पर “38(1)”* को प्रतिस्थापित किया जाए”. (29)

पृष्ठ 21,पंक्ति 7, "एक बार" हटाया जाए। (30)

(श्रीमती मेनका संजय गांधी)

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"वह खंड 38, यथासंशोधित, विधेयक का हिस्सा है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 38 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 39 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 40 पुनर्वास और सामाजिक पुन: एकीकरण की प्रक्रिया

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 22,पंक्ति 3 और 4 के स्थान पर -

"(4) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे जो संस्थागत देखभाल या कानून के साथ संघर्ष में बच्चों को छोड़ रहे हैं,विशेष घर या अठारह वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सुरक्षा का स्थान छोड़ सकते हैं," (31)

(श्रीमती मेनका संजय गांधी)

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"खंड 40, यथासंशोधित, विधेयक का हिस्सा बनेगा।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 40 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 41 से 46 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 47 बाल देखभाल संस्थानों को छोड़ने वाले बच्चों की देखभाल के बाद

संशोधन किए गए:

"पृष्ठ 24, पंक्ति 36, *"एक बार"* को छोड़ दें। (32)

(श्रीमती मेनका संजय गांधी)

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"वह खंड 47, यथासंशोधित, विधेयक का हिस्सा है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 47 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 48 से 59 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 60 किसी अनाथ अथवा परित्यक्त अथवा अभ्यपत बच्चे के अंतरदेशीय अंगीकरण की प्रक्रिया।

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 28,पंक्ति 6, "तीस दिन" के स्थान पर, "साठ दिन" प्रतिस्थापित किया जाए। (33)

पृष्ठ 28, पंक्ति 7, अंत:स्थापित करने के बाद--

“बशर्ते कि शारीरिक और मानसिक विकलांगता वाले बच्चों,भाई-बहनों और पांच वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को गोद लेने के नियमों के अनुसार,इस तरह के अंतर-देशीय अंगीकरण के लिए अन्य बच्चों की तुलना में प्राथमिकता दी जाए,जैसा कि प्राधिकरण द्वारा तैयार किया जा सकता है।” (34)

(श्रीमती मेनका संजय गांधी)

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"वह खंड 60, यथासंशोधित, विधेयक का हिस्सा बनेगा।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 60 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 61 से 75 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 76 बच्चे के प्रति क्रूरता के लिए सजा

संशोधन किए गए:

"पृष्ठ 32, *पंक्ति 42,* अंत:स्थापित करने के बाद -

"बशर्ते कि यह मामला पाया जाता है कि जैविक माता-पिता द्वारा बच्चे का (35)
ऐसा परित्याग उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण है, यह माना
जाएगा कि ऐसा परित्याग जानबूझकर नहीं है और इस धारा के दंडात्मक
प्रावधान ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे।"

पृष्ठ 32, पंक्ति 43, "बशर्ते कि" के स्थान, "बशर्ते कि आगे दिया गया" को प्रतिस्थापित किया जाए।

(36)

पृष्ठ 32, पंक्ति 47, "बशर्ते कि आगे",के स्थान "बशर्ते वह भी" (37)
प्रतिस्थापित किया जाए ।

(श्रीमती मेनका संजय गांधी)

माननीय उपाध्यक्ष : श्री तथागत सत्पथी खंड 76 में संशोधन संख्या 64-66 प्रस्तुत करेंगे - उपस्थित नहीं

प्रश्न यह है:

"वह खंड 76, यथासंशोधित, विधेयक का हिस्सा है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 76 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 77 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 78 एक बच्चे को मादक शराब अथवा मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ देने के लिए दंड

माननीय उपाध्यक्ष: श्री तथागत सत्पथी खंड 78 में संशोधन संख्या 67 प्रस्तुत करेंगे - उपस्थित नहीं

प्रश्न यह है:

"वह खंड 78 विधेयक का हिस्सा है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 78 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 79 किसी भी मादक शराब, मादक पदार्थ या मनोदैहिक पदार्थ को बेचने, बेचने, ले जाने, आपूर्ति करने या तस्करी करने के लिए बच्चे का उपयोग करना

माननीय उपाध्यक्ष: श्री तथागत सत्पथी खंड 79 में संशोधन संख्या 68 प्रस्तुत करेंगे - उपस्थित नहीं

प्रश्न यह है:

"वह खंड 79 विधेयक का हिस्सा है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 79 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 80 बाल कर्मचारी का शोषण

माननीय उपाध्यक्ष: श्री तथागत सत्पथी खंड 80 में संशोधन संख्या 69 प्रस्तुत करेंगे - उपस्थित नहीं

प्रश्न यह है:

"वह खंड 80 विधेयक का हिस्सा है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 80 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 81 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 82 किसी भी उद्देश्य के लिए बच्चों की बिक्री और वसूली

माननीय उपाध्यक्ष: श्री तथागत सत्पथी खंड 82 में संशोधन संख्या 70 प्रस्तुत करेंगे - उपस्थित नहीं

प्रश्न यह है:

"वह खंड 82 विधेयक का हिस्सा है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 82 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 83 से 101 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 102 **अपीलें**

संशोधन किए गए:

"पृष्ठ 38, पंक्ति 29 के बाद,*अंत:स्थापित करने के बाद -*

"(क) अधिनियम की धारा 16 के तहत एक गंभीर अपराध में प्रारंभिक मूल्यांकन करने के बाद पारित बोर्ड के आदेश के खिलाफ एक अपील सत्र न्यायालय के समक्ष होगी और अदालत, अपील का निर्णय लेते समय, उन लोगों के अलावा अनुभवी मनोवैज्ञानिकों और चिकित्सा विशेषज्ञों की सहायता ले सकती है जिनकी सहायता बोर्ड द्वारा उक्त धारा के तहत आदेश पारित करने में प्राप्त की गई है।" (38)

पृष्ठ 38, पंक्ति 32 के स्थान पर "सोलह वर्ष की आयु पूरी कर चुके या उससे अधिक आयु के बालक द्वारा जघन्य अपराध के अलावा कोई अन्य अपराध किया गया है; या" प्रतिस्थापित किया जाए। (39)

(श्रीमती मेनका संजय गांधी)

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"वह खंड 102, यथा संशोधित, विधेयक का हिस्सा है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 102 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 103 से 108 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

नियम 80 (1) के निलंबन के संबंध में प्रस्ताव

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी): मैं प्रस्ताव करती हूँ:

"कि यह सभा, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक, 2014 के सरकारी संशोधन सं. .40 पर अपने आवेदन में, प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक यह अपेक्षित हो, लोक सभा में निलंबित कर दे कि कोई संशोधन विधेयक के दायरे में होगा और उस खंड की विषय-वस्तु से सुसंगत होगा जिससे वह संबंधित है और इस संशोधन को सभा में पेश करने की अनुमति दी जाए।"

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक, 2014 के सरकारी संशोधन सं. .40 पर अपने आवेदन में, प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक यह अपेक्षित हो, लोक सभा में निलंबित कर दे कि कोई संशोधन विधेयक के दायरे में होगा और उस खंड की विषय-वस्तु से सुसंगत होगा जिससे वह संबंधित है और इस संशोधन को सभा में पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 108क अधिनियम के प्रावधानों पर जन जागरूकता

संशोधन किए गए:

"पृष्ठ 39, पंक्ति 47,*अंत:स्थापित करने के बाद* -

108क. केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी कि -

(क) इस अधिनियम के प्रावधानों को नियमित अंतराल पर टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया सहित मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार दिया जाता है ताकि आम जनता, बच्चों और उनके माता-पिता या अभिभावकों को ऐसे प्रावधानों के बारे में जागरूक किया जा सके;

(ख) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के अधिकारियों को इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है।"." (40)

(श्रीमती मेनका संजय गांधी)

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 108क विधेयक में जोड़ दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 108क विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80 (1) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी): मैं प्रस्ताव करती हूँ:

"कि यह सभा, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक, 2014 के सरकारी संशोधन सं. .41 पर अपने आवेदन में, प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक यह अपेक्षित हो, लोक सभा में निलंबित कर दे कि कोई संशोधन विधेयक के दायरे में होगा और उस खंड की विषय-वस्तु से सुसंगत होगा जिससे वह संबंधित है और इस संशोधन को सभा में पेश करने की अनुमति दी जाए।"

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) विधेयक, 2014 के सरकारी संशोधन सं. .41 पर अपने आवेदन में, प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (1) को, जहां तक यह अपेक्षित हो, लोक सभा में निलंबित कर दे कि कोई संशोधन विधेयक के दायरे में होगा और उस खंड की विषय-वस्तु से सुसंगत होगा जिससे वह संबंधित है और इस संशोधन को सभा में पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 108ख **कार्य के कार्यान्वयन की निगरानी**

संशोधन किए गए:

"पृष्ठ 39, पंक्ति 47 के बाद, अंत-स्थापन-

वर्ष 2006 का 4	**"108ख**. *(1)* धारा 3 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, या धारा 17 के अंतर्गत गठित राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (जिसे इसमें राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग के रूप में संदर्भित किया जा सकता है), बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अंतर्गत उन्हें सौंपे गए कार्यों के अतिरिक्त, इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी भी ऐसी रीति से करेंगे, जो विहित किया जाए। *(2)* यथास्थिति, राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित किसी मामले की जांच करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अधीन राष्ट्रीय आयोग या राज्य आयोग में निहित हैं।
वर्ष 2006 का 4	(3) राष्ट्रीय आयोग या, यथास्थिति, राज्य आयोग भी इस धारा के अधीन अपने क्रियाकलापों को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 16 में निर्दिष्ट वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित करेगा।""
	(41)
वर्ष 2006 का 4	*(श्रीमती मेनका संजय गांधी)*

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक में नया खंड 108ख जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक में नया खंड 108ख जोड़ा गया।

खंड 109 नियम बनाने की शक्तियाँ

संशोधन किए गए:

"पृष्ठ, 43 पंक्ति 8, के पश्चात्,*अंत:स्थापन* -

"*(एल.वी.आई.ए.)* सक्षम करने के लिए राष्ट्रीय आयोग, या यथास्थिति, धारा 108ख की उप-धारा *(1)* के अंतर्गत इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए राज्य आयोग हो सकता है;" (42)

(श्रीमती मेनका संजय गांधी)

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"वह खंड 109, यथासंशोधित, विधेयक का हिस्सा है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 109 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 110 और 111 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1 लघु शीर्षक, सीमा, प्रारंभ और अनुप्रयोग

संशोधन किए गए:

"पृष्ठ 2, पंक्ति 5, "2014", के स्थान पर, "2015"" प्रतिस्थापित किया जाए।" (2)

(श्रीमती मेनका संजय गांधी)

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"खंड 1, यथासंशोधित, विधेयक का हिस्सा बना रहेगा।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियम सूत्र

संशोधन किए गए:

"पृष्ठ 2, पंक्ति 1, "पैंसठवें", के स्थान पर, "छियासठवें" को प्रतिस्थापित किया जाए।" (1)

(श्रीमती मेनका संजय गांधी)

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"संशोधित अधिनियमन सूत्र विधेयक का हिस्सा होगा।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, विधेयक में जोड़ा गया।

विधेयक में प्रस्तावना और दीर्घ शीर्षक जोड़ा गया।

माननीय उपाध्यक्ष: अब मंत्री महोदय प्रस्ताव कर सकते हैं कि संशोधित विधेयक पारित किया जाए।

श्रीमती मेनका संजय गांधी: मैं प्रस्ताव करती हूं:

"विधेयक को, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

माननीय उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"विधेयक को, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

तीसरे चरण में सबमिशन की अनुमति है, इसलिए, मैं श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा को बुलाता हूं।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: महोदय, हम इस बात से काफी निराश हैं कि 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के साथ अधिक मानवीय तरीके से व्यवहार करने के संबंध में हमने जो भी संशोधन पेश किए थे, उन्हें सरकार ने अस्वीकार कर दिया तथा सरकार ने इस पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जो

विशिष्ट स्पष्टीकरण चाहता हूं वह यह है कि मंत्री जी ने अपने उत्तर के दौरान स्वीकार किया है कि जहां तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का संबंध है, बजट में कटौती की गई है तथा वे बजट वापस प्राप्त करने का प्रयास कर रही हैं। उसने कहा कि यहां पर हाथ धरे बैठे हुए है। वास्तव में, उसने ऐसा इशारा किया था। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए बजट वापस पाने के लिए हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने का क्या मतलब है।

श्री पी.पी. चौधरी (पाली): उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्याय 8 में अंगीकरण का प्रावधान है और यह बहुत विस्तृत है। यह बच्चों के हित में है। खंड 57,उप-खंड 3, उपबंध करता है कि इस अधिनियम की कोई भी बात हिंदू (अंगीकरण और भरण-पोषण) अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के किए गए बच्चों के अंगीकरण ग्रहण पर लागू नहीं होगी। यदि हम अध्याय 8, को देखें तो अंगीकरण माता-पिता की पात्रता के संबंध में बहुत कठोर प्रावधान हैं। अंगीकरण की प्रक्रिया भी बता दी गई है। लेकिन इसे कौन लायेगा? मान लीजिए, यदि अंगीकरण हिंदू (अंगीकरण एवं भरण-पोषण) अधिनियम, 1956, के अंतर्गत किया जाता है, तो इसके अंतर्गत दिए गए प्रावधानों और जिस उद्देश्य के लिए हमने इसे अधिनियमित किया है, उसका क्या होगा? मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इन प्रावधानों का समाधान कैसे किया जाए।

श्रीमती मेनका संजय गांधी : महोदय, मैं बस एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण देना चाहती हूं। बाल देखभाल के इस विशेष खंड के लिए आई.सी.पी.एस. बजट से मिलने वाली धनराशि के संबंध में, मेरे पास 430 करोड़ रुपये का पर्याप्त बजट है। इस भाग को कोई नुकसान नहीं होगा। अतः, इस बजट में इस अधिनियम के संबंध में आपने मुझसे जो प्रश्न पूछा है, वह ठीक है। … (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष: महोदया, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्रीमती मेनका संजय गांधी: एक मिनट रुकिए। बाल गृहों के लिए मेरे पास लगभग 430 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जो पर्याप्त है। अब, हम जिस बारे में बात कर रहे थे, जहां इससे नुकसान हो सकता है और जहां सरकार ध्यान देने जा रही है, वह है आई.सी.डी.एस., जो इस बहस के संदर्भ में बिल्कुल भी नहीं आता है।

मैं बस एक बात कहना चाहता हूं। मैं पहले भी यही कहना चाहता था। आपने बार-बार कहा कि यह एक परीक्षा है और कैसे कोई बच्चा किसी बात पर सहमत होकर अपने आप से समझौता नहीं कर सकता। यह एक बच्चे का परीक्षण नहीं है। यह एक मूल्यांकन है जो जे.जे. बोर्ड द्वारा किया जाता है। इसलिए, किसी बच्चे द्वारा स्वयं को दोषी ठहराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"विधेयक को, यथा संशोधित, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: विधेयक, यथासंशोधित, पारित हो गया है।

माननीय सदस्यगण, हमने अभी जो विधेयक पारित किया है, उसमें दो नये खंड सम्मिलित किये गये हैं तथा एक खंड को अस्वीकृत कर दिया गया है।

इसलिए, मैं निर्देश देता हूं कि जहां भी आवश्यक हो, बाद के खंडों को तदनुसार पुनः क्रमांकित किया जाए।

अब, दीर्घायें खोली जा सकती हैं।

अपराह्न 02.57 बजे

संविधान (एक सौ उन्नीसवें संशोधन) विधेयक, 2013

माननीय उपाध्यक्ष: अब हम अनुपूरक कार्यसूची की मद संख्या 23क - संविधान (एक सौ उन्नीसवें संशोधन) विधेयक, 2013 - पर विचार करेंगे।

माननीय मंत्री जी

[हिन्दी]

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : सभापति जी, मैं प्रस्ताव करती हूँ:-

> "कि भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच किए गए करार और उसके प्रोटोकॉल के अनुसरण में भारत द्वारा राज्य क्षेत्रों का अर्जन और कतिपय राज्य क्षेत्रों का बांग्लादेश को अंतरण किए जाने को प्रभावी करने के लिए भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

महोदय, इस विधेयक को विचार के लिए रखते समय मुझे सदन को एक बहुत अच्छी सूचना देनी है कि कल यह बिल राज्य सभा से सर्वसम्मति से पारित हुआ है।

महोदय, यह संविधान संशोधन है और हम जानते हैं कि संविधान संशोधन को पारित करने के लिए कुल सांसदों का 50 प्रतिशत और उपस्थित और मतदान करने वाले सांसदों के दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। लेकिन कल दो तिहाई बहुमत द्वारा नहीं, सर्वसम्मति द्वारा इस बिल को पारित किया गया। एक भी नो नहीं, एक भी ऐब्स्टेन्शन नहीं यानी न कोई पीला बटन दबा, न कोई लाल बटन दबा, केवल हरा ही हरा बटन दबाकर के कल लोगों ने इस बिल को पारित किया। यह बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि इससे बांग्लादेश में यह सन्देश गया कि जहाँ तक भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे सम्बन्धों का ताल्लुक है, भारत के तमाम राजनैतिक दल एक हैं, उनमें से किसी के अन्दर भी कोई दूसरा रूख नहीं है। यह बात मैं इसलिए कह रही हूँ

कि मैं आप सबसे भी अनुरोध कर सकूँ कि आज जब लोक सभा में यह बिल पारित हो तो जो सद्भावना कल राज्य सभा में दिखाई दी, वही अगर आज यहाँ लोक सभा में भी दिखाई देगी तो बांग्लादेश को एक बहुत बड़ा शुभ सन्देश जाएगा।

महोदय, इस बिल का एक इतिहास है और मैं बहुत संक्षेप में उस इतिहास को आपके सामने रखना चाहूँगी। जिस समय भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बने, उस समय आज का बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था और वह पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। उस समय एक

रेडक्लिफ अवॉर्ड हुआ, जिसने भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच सीमा तय की, लेकिन वह अवॉर्ड लागू नहीं हो सका। वर्ष 1971 में बांग्लादेश का एक नये राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ और उसमें भारत की जो भूमिका है, वह मुझे आज दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

<u>अपराह्न 03.00 बजे</u>

[हिन्दी]

मेरे सहयोगी राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह यहाँ बैठे हैं। वे उस युद्ध में थे। वे आज भी बांग्लादेश में एक मुक्ति योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। 1971 में बांग्लादेश का जन्म होने के तीन वर्ष पश्चात् 1974 में तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और बंग बंधु शेख मुजीबुर्रहमान के बीच एक समझौता हुआ जिसे इंदिरा-मुजीब समझौते के नाम से आज तक जाना जाता है। उस समझौते का बांग्लादेश की संसद ने तो अनुमोदन कर दिया लेकिन भारत में उसका अनुमोदन नहीं हुआ। 37 वर्षों तक उस पर किसी तरह की चर्चा भी नहीं हुई। अनुमोदन इसलिए नहीं हुआ कि ज़मीन पर जो चिह्नांकित किया जाना था, वह पूरा नहीं हुआ था।

फिर सन् 2011 में डॉ. मनमोहन सिंह ने पहल की। 2010 में श्रीमती शेख हसीना यहाँ आईं। 2011 में डॉ. मनमोहन सिंह वहाँ गए और वहाँ उन्होंने एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। आज यह जो बिल मैं आपके सामने ला रही हूँ, प्रस्तुत कर रही हूँ, यह 1974 के समझौते और 2011 के प्रोटोकॉल की तार्किक परिणति के

रूप में आपके सामने रखा गया है। लेकिन जिस समय यह बिल प्रस्तुत हुआ, यह राज्य सभा में प्रस्तुत हुआ था और मेरे पूर्व मंत्री श्री सलमान खुर्शीद साहब ने इसको रखा था। उस समय राज्य सभा में बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ और बहुत उग्र विरोध हुआ। तीन पार्टियाँ प्रमुख रूप में इसका विरोध कर रही थीं। एजीपी, बीजेपी और टीएमसी। एजीपी और बीजेपी का मानना था कि इस बिल में असम के हितों की अनदेखी हुई है। टीएमसी का रोष यह था कि ममता जी को यह लगता था कि इस बिल पर समझौते पर अमल किया जाएगा तो जो लोग आएँगे, वे तो पश्चिम बंगाल में आएँगे, लेकिन पश्चिम बंगाल पर उससे जो भार पड़ेगा, वह वहन करने की स्थिति में राज्य सरकार नहीं है, इसलिए उनसे बात करके वहाँ से यहाँ आने वाले लोगों के लिए वह पैकेज तय होना चाहिए, जिसकी पश्चिम बंगाल को ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए टीएमसी ने विरोध किया और एजीपी तथा बीजेपी ने भी विरोध किया। बिल को स्थायी समिति को रेफर कर दिया गया। लेकिन इससे पहले कि स्टैंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट देती, लोक सभा भंग हो गई और वह स्थायी समिति भी भंग हो गई। उसके बाद हमारी सरकार 26 मई, 2014 को आई।

मैं सदन को बताना चाहूँगी कि विदेश मंत्री के रूप में जो मेरी पहली विदेश यात्रा हुई, उसके लिए मैंने बांग्लादेश को चुना। जब मैं बांग्लादेश गई, तो वहाँ के सभी राजनेताओं ने, अलग-अलग भी जब वे मुझसे मिले तो उन्होंने मुझसे यही बात की। जब मैं प्रधान मंत्री शेख हसीना जी से मिली तो उन्होंने बहुत आग्रहपूर्वक कहा कि जो प्रोटोकाल मेरे और डॉ.मनमोहन सिंह के बीच में तय हुआ है, हस्ताक्षरित हुआ है, आप उसको आगे बढ़ाइए। वापस लौटकर मैंने प्रधान मंत्री जी को कहा, तो प्रधान मंत्री जी ने मुझे कहा कि इसमें जो अनसुलझे मुद्दे हैं, यानी जो उलझे हुए मुद्दे हैं, उनको तुम सुलझाओ और आगे बढ़ो।

सबसे पहले हमने ममता जी से बात की। ममता जी से बात करते समय पता चला कि वे एक पैकेज चाहती हैं कि वहाँ से जो लोग आएँगे, उस जिम्मेदारी को वहन करने के लिए जो खर्चा उनको उठाना पड़ेगा। ममता बनर्जी से दो-तीन चक्र बात हुई। ममता बनर्जी ने हमसे 3008 करोड़ रुपये का पैकेज मांगा जिसके दो भाग थे। एक भाग था जो फिक्स्ड एक्सपैंडीचर होने वाला था और वह फिक्स्ड एक्सपैंडीचर लगभग 775 करोड़ रुपये

का था जिसमें कूचबिहार डिस्ट्रिक्ट और वह एनक्लेव्स जिनका इनफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, उसके लिए उन्होंने मांगे और 2234 करोड़ रुपये उन्होंने वेरियेबल मांगे। वेरियेबल का मतलब था परिवर्तनीय - जो इस बात पर आधारित था कि कितने लोग वहाँ से आएँगे। जब आकलन किया गया कि कितने लोग आएँगे तो एक छोर और दूसरे छोर के बीच में बहुत बड़ा अंतर था। एक आकलन कह रहा था कि 3500 आएँगे। दूसरा आकलन कह रहा था कि 35000 आएँगे। इसलिए यह जो पैकेज बना, यह 35000 को सामने रखकर बना, कि जितने आएँगे, उसके आधार पर इसको परिवर्तित कर लेंगे, लेकिन यह पैकेज उनका आया।

मैं बहुत ही आभार प्रकट करना चाहूँगी भाई शशि थरूर जी का, जो हमारी स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, कि उन्होंने तीन महीने के अंदर इस कमेटी की रिपोर्ट हमको दी। जब नई कमेटियाँ गठित हुईं तो वह 1 सितम्बर को गठित हुई थीं। 16 सितम्बर को हमने इनको यह बिल रैफर किया और 1 दिसम्बर को इन्होंने हमें रिपोर्ट दे दी। वह सत्र 19 दिसम्बर को समाप्त हो गया, वरना हमारी कोशिश थी कि हम उसी सत्र में इसको लेकर आते। लेकिन शशि जी ने अपनी कमेटी की तरफ से काफी चीज़ों की हमसे अपेक्षा की थी। उसमें एक चीज यह थी कि यह पैकेज हम तय कर दें। दूसरा था कि वहां का लॉ एण्ड ऑर्डर सुरक्षित करने का हम लोग काम करें। ऐसे बहुत से काम थे, जो हमको करने थे, जो हम 19 दिसम्बर तक पूरे नहीं कर सके, लेकिन शशि जी ने मुझसे पूछा कि हमने कमेटी की रिपोर्ट में कहा है कि जल्दी आप इस बिल को लायें तो आप कब लाएंगी। मैंने कहा कि बजट सत्र के दूसरे खंड में ले आऊंगी, क्योंकि, बजट सत्र का पहला खंड तो राष्ट्रपति जी के आभिभाषण, रेल बजट और सामान्य बजट में चला जाता है, मैं इसे दूसरे खंड में ले आऊंगी। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपना वायदा निभा सकी और शशि जी, यहां बजट के दूसरे खंड में राज्य सभा से पारित कराकर इस बिल को मैं यहां ले आई।

जैसा मैंने कहा कि 3008 करोड़ का पैकेज ममता जी ने मांगा था, वह हम लोगों ने तय कर दिया तो टी.एम.सी. ने कहा कि हमारे सब मुद्दों का समाधान हो गया है और अब हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ममता जी स्वयं बंगलादेश गईं और उन्होंने वहां भी शेख हसीना जी से कहा कि मुझे अब इस बिल पर कोई आपत्ति

नहीं है। जहां तक असम का प्रश्न था, जब हमने वहां बातचीत करनी शुरू की, इससे पहले कि कोई समझाहट होती, वहां के मुख्यमंत्री ने हमारे ही स्वर में स्वर मिलाकर यह बात कही कि हां, असम की तो एक इंच भूमि भी जानी नहीं चाहिए और उस भूमि को हमें लेना चाहिए, तब हमने यह सोचा कि अगर यह बात है कि सारा का सारा असम आज एक होकर के यह कह रहा है कि उस भूमि को भी वापस लीजिए तो बेहतर यह होगा कि हम असम का हिस्सा इससे अलग रख करके और पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा वाला हिस्सा हम एल.बी.ए. के थ्रू पारित करवा लें और असम के हिस्से को रीनिगोशिएट कर लें। इसलिए मैं केबिनेट के पास गई और वहां से मैंने यह संशोधन करवा लिया कि हम असम को बाहर रख कर इस बिल को पारित करवा लें। लेकिन जब इसके बाद मैंने सभी पार्टी नेताओं से बातचीत करनी शुरू की, यहां शशि जी से बात की, राज्य सभा के नेता, प्रतिपक्ष गुलाम नबी जी से बात की, उनके उप-नेता आनन्द शर्मा जी से बात की, ममता बनर्जी जी से खुद बात की, सी.पी.एम. के सीताराम येचुरी जी से बात की तो असम पर उनको तो एतराज नहीं था, लेकिन कांग्रेस से मुझे बहुत साफ यह कहा गया कि हमारा समर्थन चाहिए तो असम को इसमें शामिल करो। फिर मैंने बाकी सबसे भी बात की और बैठ करके यह सोचा कि अब मेरे पास दो विकल्प हैं, एक विकल्प है कि मैं एल.बी.ए. को छोड़ दूं और दूसरा विकल्प है कि मैं असम को शामिल करके आगे बढ़ूं। आज मैं यहां कहना चाहूंगी कि एल.बी.ए. को छोड़ना बुद्धिमत्ता नहीं होती और इसीलिए सब की सहमति बन जाये, इस कारण से हमने यह निर्णय किया कि हम असम को भी इसमें शामिल करके एल.बी.ए. को वैसे ही पारित कराएंगे, जैसा 2013 में रखा गया था। मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की, दोबारा हम लोगों ने केबिनेट की बैठक की और उस केबिनेट में से जो संशोधन हमने पहले तय किये थे, वह छोड़कर हमने तय किया कि सब को साथ लेकर ही हम इस बिल को लाएंगे। फिर मैंने संशोधित तरीके से बिल वहां पेश किया, जो संशोधन राज्य सभा में पेश किये थे, उनको मूव नहीं किया और यह बिल 2013 में जिस तरह से प्रस्तुत हुआ था, बिल्कुल उसी रूप में राज्य सभा से पारित करवाया और उसी रूप में यहां लोक सभा में लेकर आई हूं।

मैं यह कहना चाहूंगी कि इस बिल से तीन बड़े लाभ हो रहे हैं। एक तो अनडिमाकेरटिड बाऊण्ड्री थी, यानि जिस भूमि का सीमांकन नहीं हुआ था, वह बाऊंड्री डिमार्केट हो जायेगी, सीमंकित हो जायेगी। दूसरे जो एन्क्लेव्ज़ हैं, उनमें रहने वाले लोगों का जो भाग्य अधर में लटका हुआ था, वह भाग्य सुनिश्चित हो जायेगा। तीसरा, एडवर्स पजेशन, यानि अनधिकृत कब्जा जिन दोनों देशों का जिस-जिस जमीन पर था, वह आधिकृत इसके अनुसार जो किया गया है, वह आधिकृत हो जायेगा। इन तीन चीजों के बाद हम उनसे ट्रांजिट, ट्रेड, इन सब के बारे में बात कर सकते हैं और जो हमारा नोर्थ ईस्ट है, वह हमारे और ज्यादा करीब आ सकता है और बंगलादेश के साथ आज हमारे रिश्ते, आज मैं यहां कहना चाहूंगी, उसी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं, जिस पर 1971 में पहुंचे थे। यह एक ऐतिहासिक क्षण है, 41 वर्ष बाद वह समझौता इस बिल को पारित होने के बाद आज आकार लेगा और यह सौवें संशोधन होगा। आपने देखा होगा कि जैसे पहला संशोधन इतिहास में दर्ज होता है, उसी तरह से सौवें भी इतिहास में दर्ज होता है तो यह सौवें संशोधन इतिहास में दर्ज हो जायेगा।

मैं इतनी बात कहते हुए इस बिल को चर्चा के लिए रखती हूं। चर्चा में जो मुद्दे उठेंगे, उनका जवाब मैं उत्तर देते समय दूंगी। मैं चाहूंगी कि आप इस बिल को चर्चा के लिए प्रस्तुत करें, धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुए समझौते और उसके प्रोटोकॉल के अनुसरण में भारत द्वारा क्षेत्रों का अधिग्रहण करने और बांग्लादेश को कुछ क्षेत्रों के हस्तांतरण को प्रभावी करने के लिए भारत के संविधान को और संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए, जैसा कि राज्य सभा द्वारा पारित किया गया है।"

[हिन्दी]

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : मैडम सुषमा स्वराज जी मीठी-मीठी बातें बोलने में सारे हिन्दुस्तान में माहिर हैं। बड़ी अच्छी बातें आप कहती हैं, वह सब को जानकारी है। आपको मैं याद दिला दूं कि आजादी के बाद सबसे पहले 1958 में नेहरू-नून एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद इंदिरा-मुज़ीब और उसके बाद मनमोहन सिंह-शेख हसीना पैक्ट हुआ। इन तीनों की परंपरा शायद आपको मालूम है। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि माननीय सुषमा स्वराज जी ने आज किस तरह इस हाउस को गुमराह करने की कोशिश की है। यह जो आपने कहा कि हम सबको हरा बटन दबाना चाहिए, तो हम सब हरा बटन दबाना चाहते हैं। मैं खुद पश्चिम बंगाल से आता हूं। पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात एक आत्मा की तरह है। आप शायद यह जानकर खुश होंगे कि एक ही कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश और हिन्दुस्तान, दोनों देशों के नेशनल एथेंम की रचना की है।

<u>अपराह्न 03.11 बजे</u> [**श्री रामेन डेका** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

बांग्लादेश के साथ हमारा इमोशनल अटैचमेंट है, हमारा कल्चरल अटैचमेंट है। हमारा फीचर, हमारी लैंग्वेज, हमारा खान-पान सब एक है। इसलिए जब बांग्लादेश की बात आती है तो बंगाल, त्रिपुरा, असम और मेघालय के हम सब लोगों के अन्दर एक इमोशनल अटैचमेंट पैदा होता है।

[अनुवाद]

मैडम सुषमा स्वराज, कृप्या मेरी बात सुनिए। इसमें कहा गया है कि भूमि अदला-बदली का मुद्दा विदेश मंत्रालय के आधीन है। लेकिन कुछ सप्ताह पहले गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में कहा था कि: "भारत-बांग्लादेश सीमा समझौते को अनुमोदित करने के लिए संविधान (संशोधन) विधेयक को असम को अलग करके एक बड़े बदलाव के साथ पेश किए जाने की संभावना है।" यह ऑन-रिकॉर्ड है।

केंद्रीय खेल राज्य मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने विधेयक से असम को अलग करने के सरकार के फैसले का बचाव किया। उन्होंने कहा कि : "यह कोई राजनीतिक निर्णय नहीं था। यह असम के लोगों की इच्छाओं का सम्मान करने वाला निर्णय है। इस समय असम के लोग अपनी भूमि बांग्लादेश को नहीं देना चाहते हैं।" यहां आप कहते हैं कि ए.जी.पी., बी.जे.पी. और तृणमूल कांग्रेस - हम सब एक हो गए और इसलिए हम यह बिल ला रहे हैं।...(व्यवधान) आप सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अधीर रंजन जी, मुझे नहीं मालूम कि जब मैंने सदन में इसके बारे में बोला, उस समय आप सदन में बैठे थे या नहीं। लेकिन, जो बात आप कह रहे हैं, वह तो मैंने शब्दशः बाली है। आप कौन-सी चीज़ कह रहे हैं कि कौन एक हो गया?

खड़गे जी, आप तो यहां थे, जब मैंने बोलना शुरू किया था। शशि जी कहां गए? ये सारी बातें, जो अधीर रंजन जी कह रहे हैं, वह मैंने खुद बोली है। श्री किरेन रिजीजू और श्री सर्वानन्द सोनोवाल की बात जो आप कह रहे हैं, उसके बारे में मैंने खुद बोला है कि जब यह बिल प्रस्तुत हुआ था तो हमने विरोध किया था। हमने इसका विरोध क्यों किया था, मैंने यह भी बताया। उसके बाद हम असम को छोड़ कर इस बिल को लाना चाहते थे, हमने यह भी बताया। अब असम को शामिल करके ला रहे हैं, यह भी बताया। क्या आप उस समय इस हाउस में नहीं थे या आपने अपना भाषण पहले से तैयार कर लिया है कि मैं जो भी बोलूं, आपको यही बोलना है? ऐसा लग रहा है।

सभापति जी, ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बोलूंगी, इसके बारे में बिना सोचे इन्होंने अपना भाषण तैयार कर लिया है और बिना मेरी बात सुने ये वह ही बोल रहे हैं।...(व्यवधान)

अधीर रंजन जी, जो आप कह रहे हैं, वह तो मैं सब कह चुकी हूं। मैंने बहुत पारदर्शिता से अपनी बात रखी है।...(व्यवधान) मैंने इतनी पारदर्शिता से अपनी बात रखी है कि हम असम को छोड़ कर इस बिल को ला रहे

थे। लेकिन, जब प्रमुख प्रतिपक्षी दल से बात हुई, बाकी लोगों से बात हुई तो हमको यह लगा कि असम को साथ लेकर हमें यह बिल लाना चाहिए। मैंने तो यहां तक कहा कि हम पूरा एल.बी.ए. बिल को रोक कर रखते तो यह बुद्धिमत्ता नहीं होती। इसलिए हमने असम को साथ में लेकर इसे करने की बात की। एक भी बात ऐसी नहीं है, जिसे आपने कहा और मैंने वह बात न बोली हो। आप यह पहले से लिखा हुआ भाषण छोड़ दीजिए और जो मैंने बोला है, आप उस पर बोलिए। मैंने कोई गुमराह करने वाली बात नहीं कही है। जो आप बोल रहे हैं, मैं वह सब बोल चुकी हूं।

श्री अधीर रंजन चौधरी : मैं आप जैसा विद्वान नहीं हूं, इसलिए मजबूरन थोड़ा पढ़ा-लिखा भाषण देना पड़ता है। मैडम सुषमा स्वराज जी, अगर असम को डीलिंक करने का प्रयास नहीं होता तो आज कांग्रेस पार्टी के साथ यह बिल लाने के लिए एनडीए को सलाह-मशविरा करने की कोई जरूरत नहीं होती। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

कृपया मेरी बात सुनिए। असम के मुख्यमंत्री श्री तरुण गोगोई ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से अनुरोध किया कि भारत गणराज्य की सरकार और बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच सितम्बर, 2011 में हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल में असम राज्य को शामिल किया जाए। मुख्यमंत्री श्री तरुण गोगोई ने संसद द्वारा अनुमोदित प्रोटोकॉल में असम क्षेत्र से संबंधित खंडों को शामिल न करने के भारत सरकार के कथित निर्णय पर आश्चर्य व्यक्त किया। भारत सरकार ने कोई परामर्श नहीं किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप असम को बाहर रखकर यह करना चाहते थे, क्योंकि असम में इलेक्शन था। ...(व्यवधान) असम का बीजेपी पार्टी का जो संघ परिवार है, वह नहीं चाहता था कि असम को इसमें लिंक किया जाए, क्योंकि चुनाव आने वाला है। इसलिए नरेन्द्र मोदी जी को खुद वहां जाकर संघ परिवार के लोगों को समझाना पड़ा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और एल.बी.ए. को पारित करना चाहिए। इसीलिए एल.बी.ए. को लाने में इतनी देर हो चुकी है। हम सब जानते हैं कि वर्ष 2011 में सलमान खुर्शीद जी इसे लाए। ... व्यवधान)

[अनुवाद]

संविधान (संशोधन) विधेयक, 2013 दिसंबर, वर्ष 2013 में विदेश मंत्री श्री सलमान खुर्शीद द्वारा राज्य सभा में पेश किया गया था। इसे संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया और मैडम ने भी इसका उल्लेख किया था। वर्ष 1974, में भारत-बांग्लादेश समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं होने के कारण इसे वास्तव में क्रियान्वित नहीं किया जा सका।

बांग्लादेश हमारा निकटतम पड़ोसी है। कोई अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है, लेकिन कोई अपने पड़ोसी को तलाक नहीं दे सकता। यही कारण है कि भूमि सीमा समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाना है। यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और जब मैं इस पर बहस में भाग ले रहा हूं तो मैं बहुत प्रसन्न और उत्साहित महसूस कर रहा हूं। यह ऐतिहासिक समझौता स्थिर और शांतिपूर्ण सीमा में योगदान देगा तथा द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगा। इससे सीमाओं का बेहतर प्रबंधन और समन्वय होगा तथा तस्करी, अवैध गतिविधियों और अन्य सीमापार अपराधों से निपटने की हमारी क्षमता मजबूत होगी।

वर्ष 2011 में, यह प्रोटोकॉल संबंधित राज्य सरकारों अर्थात् असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के पूर्ण समर्थन और सहमति से तैयार किया गया है। अब, किसी भी परिस्थिति में हमें वह क्षेत्र नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे राष्ट्रों के बीच भारत की छवि एक अविश्वसनीय देश के रूप में धूमिल हो जाए।

बांग्लादेश और भारत के बीच तीन मुद्दे लंबित थे। एक तो 6.1 किलोमीटर की अनिर्धारित भूमि सीमा है; बस्तियों का आदान-प्रदान और प्रतिकूल संपत्तियों का मामला अभी भी सुलझा नहीं है। सच्चाई यह है कि मैं मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल द्वारा व्यक्त की गई चिंता से बहुत सहमत हूँ क्योंकि रैडक्लिफ डिस्पेंसेशन जिसे औपनिवेशिक हैंगओवर माना जा सकता है, अभी भी हमें सता रहा है। रैडक्लिफ व्यवस्था के अनुसार, रेखा मनमाने ढंग से खींची गई थी, जो बांग्लादेश के पड़ोसी और समीपवर्ती राज्यों अर्थात् पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम और त्रिपुरा के लिए बहुत हानिकारक थी। इसलिए, मैं पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मांगे गए पुनर्वास पैकेज का पूर्ण समर्थन करूंगा। इतना ही नहीं। मैं यह भी प्रस्ताव रखूंगा कि पुनर्वास उचित और वैज्ञानिक होना चाहिए।

पुनर्वास एक सभ्य और बी.पी.एल.-जैसा पैकेज होना चाहिए। बांग्लादेश में भारतीय बस्तियों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को वर्ष 1950 से बुनियादी आवश्यकताओं और अधिकारों से वंचित रखा गया है। मुख्य भूमि पर आने के बाद उन्हें एक अच्छे पुनर्वास पैकेज का हक मिलना चाहिए।

बांग्लादेशी बस्तियों का स्थानीय क्षेत्र और आबादी के साथ निर्बाध एकीकरण आवश्यक है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इन परिक्षेत्रों के भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे को पड़ोसी क्षेत्रों के स्तर तक उन्नत करना होगा। यह आवश्यक है कि बांग्लादेश में भारतीय बस्तियों से लोगों के इस तरह के आवागमन और पुनर्वास तथा बांग्लादेशी बस्तियों से भारत में स्थानांतरित होने से स्थानीय असंतोष और सामाजिक तनाव पैदा न हो। इसीलिए, मेरा प्रस्ताव है कि प्रवेश के समय व्यक्ति को बायोमेट्रिक आधार कार्ड उपलब्ध कराया जाए और उसका नाम राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में दर्ज किया जाए। दूसरा, परिवारों को पूर्व निर्धारित स्थानों पर अस्थायी राहत शिविरों में रखा जाना चाहिए, अधिमानतः उसी पुलिस स्टेशन में जहां उनके मूल निवास स्थित थे। जिले में बड़ी संख्या में नदियों की उपस्थिति के कारण यह पी.एस.-वार स्थानांतरण बेहतर होगा तथा भौगोलिक निकटता के कारण समावेशन तेजी से होगा। परिवार के सदस्यों को ई.पी.आई. कार्ड, बी.पी.एल. राशन कार्ड और मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड भी जारी किया जाना चाहिए। जनधन योजना के तहत बैंक खाते भी खोले जाने चाहिए।

मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं इस ऐतिहासिक विधेयक में भाग ले पाया हूं। मैं पुनः माननीय विदेश मंत्री को याद दिलाना चाहूंगा कि उनकी सरकार किसी तरह की समस्याओं से जूझ रही है। उनकी सरकार फ्लिप और फ्लॉप साबित हो रही थी। कभी 'हां' और कभी 'न' की सरकार को यह सोचना चाहिए कि 'हां' और 'न' की बात हर वक्त नहीं चलती है। आज 'हां', कल 'न' को छोड़ें, हर वक्त 'हां' को 'हां' कहें और 'न' को 'न' कहें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

*__श्री एस.एस.अहलुवालिया (दार्जिलिंग):__ आदरणीय सभापति महोदय, आज संविधान (एक सौ उन्नीसवें) संशोधन विधेयक 2013, भारत द्वारा अनुमोदित करने के लिए इस सम्मानित सदन में प्रस्तुत किया गया है। मैं बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मंच ग्रहण करता हूँ और इस कानून का समर्थन करता हूँ तथा इसके बारे में कुछ शब्द कहता हूँ। मैं विशेष रूप से बंगाली में बोल रहा हूं क्योंकि सीमा के दोनों ओर लाखों लोग इस ऐतिहासिक घटना का इंतजार कर रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि भारतीय संसद आज क्या करने जा रही है और इसलिए वे रेडियो या टेलीविजन सेट से चिपके हुए हैं। इसलिए मैं अपना भाषण बंगाली में दूंगा। मैं सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि कोई हमसे बलपूर्वक एक कण भी जमीन छीनने की कोशिश करेगा, तो हमारे सुरक्षा बल किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहां तक कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे सकते हैं और यह बात भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए सत्य है। लेकिन मुझे याद है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी लाहौर यात्रा के दौरान क्या कहा था। उन्होंने कहा था, ‘‘हम इतिहास बदल सकते हैं, लेकिन भूगोल नहीं। हम अपने मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। इसका मतलब यह है कि यदि पाकिस्तान या बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध खराब हैं, तो प्रेम और शांति से कड़वे इतिहास को बदलना संभव है। लेकिन अगर हम अपने पड़ोसियों को पीछे धकेलना चाहते हैं या भूगोल बदलना चाहते हैं, तो यह संभव नहीं होगा। इस प्रकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और हमारी आदरणीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी अटल जी के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। हम कह सकते थे कि यह श्री मनमोहन सिंह और शेख हसीना की संधि है और इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन हमने ऐसा नहीं कहा। हमें श्री वाजपेयी जी के स्वप्न को साकार करना था और इसलिए हमने इस जिम्मेदारी को निभाया। इस प्रकार मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

मेरे पूर्व अध्यक्ष श्री अधीर रंजन चौधरी मुर्शिदाबाद से हैं। मुझे नहीं पता कि उनके जिले का कोई हिस्सा बांग्लादेश से जुड़ा है या नहीं। लेकिन मैं ऐसे निर्वाचित क्षेत्र से चुनकर आया हूं जिसका एक हिस्सा बांग्लादेश की सीमा से जुड़ा हुआ है। जब मैं उस इलाके में जाता हूं तो मेरे मोबाइल पर बांग्लादेश के सिग्नल आ जाते हैं और मुझे भारतीय कॉल बांग्लादेशी टावरों के माध्यम से प्राप्त करनी पड़ती हैं। इसलिए मैं उनके दर्द को महसूस कर सकता हूं। जब रेडक्लिफ पुरस्कार पर हस्ताक्षर किए गए थे, तब यह निर्णय लिया गया कि भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच 4096 किलोमीटर लम्बी सीमा खींची जाएगी। इसमें से 262 किलोमीटर हिस्सा असम के साथ, 856 किलोमीटर त्रिपुरा के साथ, 318 किलोमीटर मिजोरम के साथ, 433 किलोमीटर मेघालय के साथ तथा 2217 किलोमीटर लंबी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ खींची जाएगी। हालांकि पूरी तरह से सीमांकन नहीं किया जा सका और उन क्षेत्रों में समस्याएं पैदा हुईं जहां भारतीय और बांग्लादेशी बिखरे हुए थे। इन समस्याओं के समाधान के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। दिसंबर 1949 में, स्वीडन के उच्चतम न्यायालय के पूर्व सदस्य, एल्बोट बागे की अध्यक्षता में भारत-पाकिस्तान सीमा विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। भारत और पाकिस्तान का एक-एक प्रतिनिधि भी उपस्थित था। लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। इसके बाद 10,1958 सितम्बर 1958 को नेहरू-नून समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। उसके तुरंत बाद, बेरुबाड़ी का मुद्दा उठा और माननीय राष्ट्रपति ने मामले को सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज दिया। इसलिए प्रगति कुछ हद तक रुक गई। मुझे अभी भी याद है कि उस समय क्या हुआ था। 16 दिसंबर 1971, को जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष 90,000 पाक सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया। जनरल नियाजी के नेतृत्व में वे 90,000 सैनिक पूर्वी पाकिस्तान के निर्दोष लोगों को क्रूरतापूर्वक अत्याचार करते थे, जो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में अपने अधिकारों के लिए, आजादी के लिए लड़ रहे थे। बांग्लादेश में लगभग 3 लाख लोग मारे गये। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देश को बचाने के लिए भारतीय सैनिकों को पूर्वी पाकिस्तान भेजा और जगजीत सिंह ने इस सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व किया। यह एक छोटी अवधि की लड़ाई थी और 13 दिनों के भीतर 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं उस दिन की

कल्पना कर सकता हूं जब उन्हें बंधक बना लिया गया था। मैं उस समय 20 वर्ष का युवक था। मैं विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। जब बंगबोंधु मुजीबुर्रहमान को गिरफ्तार कर लाहौर ले जाया गया, तो बांग्लादेश के लोग रो रहे थे और विलाप कर रहे थे। लाखों लोग बेघर हो गए और वे शरणार्थी के रूप में कोलकाता आए। कलकत्ता विश्वविद्यालय में, मैं छात्र राजनीति में था और छात्र परिषद का सदस्य था। हमने शरणार्थियों के लिए शिविर स्थापित किये, उन्हें आश्रय, चिकित्सा सहायता और भोजन उपलब्ध कराया। मैं अभी भी उन दयनीय दृश्यों को याद कर सकता हूं। जिस दिन 8 जनवरी को बंगबंधु को लाहौर जेल से रिहा किया गया और दिल्ली हवाई अड्डे पर लाया गया, तो तत्कालीन राष्ट्रपति श्री वी.वी.गिरी, प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पूरे मंत्रिमंडल ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्हें आर.ए.एफ. विमान से ढाका भेजा गया। उसके बाद वर्ष 1974 में मैत्री समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। मई का यह महीना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इस महीने का क्या महत्व है और हम इस कानून को तत्काल पारित करने के लिए क्यों उत्सुक हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि 16 मई 1974 को दिल्ली में इंदिरा-मुजीब संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। भारत की संसद इतने वर्षों के बाद इस विधेयक को पारित करके इस समझौते की पुष्टि करने का प्रयास कर रही है। लेकिन इसमें इतना समय क्यों लगा? इसका कारण यह है कि 1974 के बाद कुचलीबारी में एक लड़ाकू समिति का गठन किया गया था। दहाग्राम और अंग्रपोटा में, एक आंदोलन आयोजित किया गया। वर्ष 1992 में तीनबीघा समझौते पर हस्ताक्षर किये गये। लेकिन इस आंदोलन ने तीन लोगों की जान ले ली और कई लोग विस्थापित हो गए तथा जेल भी गए। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए कड़ा संघर्ष किया। आज भी उनकी एकमात्र मांग यही दहाग्राम और अंगारपोटा भारत का हिस्सा बने रहें, जबकि तीनबीघा कॉरिडोर को खत्म कर दिया जाए। मुझे नहीं पता कि भारत सरकार इस पर विचार करेगी या नहीं। लेकिन आज पश्चिम बंगाल और पूरे देश के हित में, जब हम इंदिरा-मुजीब समझौते के साथ-साथ 6 सितंबर 2011 को श्री मनमोहन सिंह और शेख हसीना द्वारा हस्ताक्षरित संधि को अनुमोदित करके एक नए युग की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो हमें हर पहलू पर गौर करना होगा। वैसे शेख हसीना मुजीबुर रहमान की बेटी हैं।

बांग्लादेश के साथ मुद्दे केवल इस संधि को स्वीकार करने से हल नहीं हो जाएगे। बांग्लादेश के साथ अधिक सौहार्दपूर्ण और मधुर संबंध रखने के लिए, हमें उस देश में और अधिक विकास की आवश्यकता है।

यदि कोई पूछता है कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को एक स्वतंत्र देश क्यों चाहिए था उसका तो जवाब यह है कि जूट की खेती और जूट उद्योगों से उनकी सभी राजस्व आय को पश्चिमी पाकिस्तान में भेज दिया जाता था जो बदले में उसे रक्षा व्यय के ऊपर खर्च करता था। लोगों की मांग थी कि यह धन पूर्वी पाकिस्तान के विकास, सड़क, रेल अवसंरचना के निर्माण, बांध बनाने, कारखाने और उद्योग स्थापित करने पर खर्च किया जाना चाहिए ताकि क्षेत्र के बंगाली लोग सम्मान और अधिकारों के साथ रह सकें। इसके अतिरिक्त उन पर जबरदस्ती उर्दू की भाषा थोपी गई। बांग्लादेश के लोगों की मातृभाषा, धर्म रेखाओं से परे, बंगाली है। यदि बंगाली भाषा के लिए कुछ किया गया, तो वह ज्यादातर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों द्वारा किया गया, जिन्होंने बंगाली भाषा की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने बंगाली को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। ये दो मुख्य मुद्दे थे- एक, विकास और दूसरी भाषा। वे दोनों से वंचित रह गए। इसलिए उन्हें पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा और लड़ना पड़ा। शेख मुजीबुर रहमान को आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए दो बार जेल भेजा गया था। उन्होंने बंगाली समुदाय के विकास के लिए लड़ाई लड़ी; उन्होंने बंगाली भाषा के लिए लड़ाई लड़ी। उस देश के लोगों ने पूरे मन से उनका साथ दिया और आंदोलन को आगे बढ़ाया, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश नामक एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हुआ। आज उनके सपने सच होने वाले हैं; आज शेख मुजीब का सपना सच होने वाला है; आज इंदिरा-मुजीब संधि की परिकल्पना सच होने जा रही है; आज मनमोहन सिंह और शेख हसीना का लक्ष्य प्राप्त होने जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के लोग पद्मा के दोनों ओर विकास देखना चाहते हैं। वे बेरोजगारों के लिए नौकरी,अनपढ़ों के लिए शिक्षा,असहायों के लिए भोजन चाहते हैं। लोग गरीबी से मुक्ति चाहते हैं। इसलिए मेरी कुछ मांगें भी हैं। सबसे पहले, हमें सड़क तक पहुंचने की आवश्यकता है। पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र को सिलीगुड़ी के माध्यम से चक्कर लगा कर जाना पड़ता है। लेकिन अगर हम ढाका से होकर गुजरते हैं तो यह छोटा हो सकता है। अगर हमें अगरतला जाने की ज़रूरत है, तो हमें सिल्चर

से होकर जाना होगा। लेकिन अगर हम ढाका से होकर जा सकते हैं, तो यह हमारे लिए आसान हो सकता है। इस प्रकार मैं सड़क पहुंच, रेल पहुंच और नदी पहुंच या समुद्री संपर्क की मांग करता हूं। मुझे आशा है कि इस विधेयक के पारित होने के बाद सरकार निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में कुछ और समझौतों पर हस्ताक्षर करेगी। मुझे बांग्लादेश और भारत से पिछले कुछ दिनों से कई टेलीफोन कॉल मिल रहे हैं और लोग मुझे सूचित कर रहे हैं कि जगह-जगह पर असंतोष पनप रहा है। दोनों देशों में विपक्षी ताकतें सक्रिय हैं और भूमि या बस्तियों की अदला-बदली के बाद सांप्रदायिक दंगे, बलात्कार, विभिन्न असामाजिक गतिविधियां आदि होने की आशंका जता रही हैं। इसलिए दोनों देशों की सेनाओं को तत्काल एक साथ आकर समन्वय बल बनाना चाहिए ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

हम वादे कर रहे हैं कि जो भी सीमा के दूसरी तरफ से आएगा उसे भारतीय नागरिकता दी जाएगी लेकिन मैं मांग करता हूं कि न केवल नागरिकता, बल्कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, गैस कनेक्शन और नई बीमा योजना जैसे अन्य सभी अधिकार और सुविधाएं जो कल माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की जाने वाली हैं, उन्हें शून्य बैलेंस खाता सुविधा, जन धन खाता, शैक्षिक अधिकार, बुनियादी ढांचे आदि के साथ विस्तारित किया जाना चाहिए ताकि वे गर्व के साथ कह सकें कि हम अब गुलाम नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र भारतीय और बांग्लादेश के लोग कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र बांग्लादेशी हैं।

हम बंगाली में सोचते हैं, हम बंगाली में बोलते हैं, हम बंगाली से प्यार करते हैं। इसलिए मैं बंगाली में अपने विचार व्यक्त करना चाहता था। मुझे याद है, "मैं बंगाल में एक बंगाली के रूप में पैदा हुआ, मैं बंगाली में सोचता हूं, बंगाली में बोलता हूं, बंगाली में ही अलग-अलग रहता हूं और बंगाल को एकजुट करने के लिए फिर से हाथ मिलाता हूं"। गंगा मेरी मां है, पद्मा भी मेरी मां है; मेघना और यमुना आंसू हैं जो मेरी आंखों से बह रहे हैं। आकाश वही है, हवा वही है, सुख-दुख के भाव वही हैं, डोयल-कोयल पक्षियों के चहचहाने का संगीत वही है.... आज इस कानून का समर्थन करते हुए, मैं बस इतना कह सकता हूं कि मेरे पूर्वजों को भी सियालकोट से विस्थापित कर दिया गया था, लेकिन मैं बंगाल में पैदा हुआ था। कहां सियालकोट और कहां बंगाल, मेरी जन्मभूमि; इकबाल

की धरती से कवि नजरुल की धरती तक है। नजरूल बर्दवान का था और कवि गुरु रवेंद्रनाथ टैगोर पड़ोसी बीरभूम के थे। मैं नजरुल इस्लाम और टैगोर की इस पवित्र भूमि में पैदा हुआ और पला-बढ़ा। मैं बांग्लादेश के लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए ,मैं अपनी मांग को दोहराता हूँ कि दहाग्राम और अंगरापोट भारत का हिस्सा रहना चाहिए और तीनबीघा कॉरिडोर को समाप्त किया जाना चाहिए। एक नया तेतुलिया कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए क्योंकि अगर मुझे दशपारा-चोपड़ा से सिलीगुड़ी होते हुए तीस्ता पॉइंट जाना है, तो दूरी 117 किलोमीटर है लेकिन अगर हम तेतुलिया कॉरिडोर का उपयोग करते हैं तो यह दूरी 26 किलोमीटर रह जाती है। माथाभांगा से मेखलीगंज तक एक कॉरिडोर था जिसे आप्रवासन कॉरिडोर कहा जाता था। अगर इसे चालू किया जाता है तो दूरी 56 किलोमीटर से 26 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। लोगों के लाभ के लिए इस पर विचार किया जाना चाहिए। सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी के पास जो बांग्ला बंद सीमा खोली गई है, उसे चालू किया जाना चाहिए।

बर्लिन की दीवार ढहा दी गई है और यूरोप एक हो गया है। यदि दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में एक-दूसरे के प्रति शांति और प्रेम की समान भावनाएं फैलाई जाएं, तो हम सभी के साथ अधिक सौहार्दपूर्ण संबंध रख सकेंगे। इस आशा के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री के.एन.रामचन्द्रन (श्रीपेरम्बुदुर): मैं चर्चा में भाग लेने तथा संविधान (119वें संशोधन) विधेयक, 2013 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

यह विधेयक भारत और बांग्लादेश के बीच मई 1974 में भूमि सीमा के सीमांकन से संबंधित समझौते और सितम्बर 2011 में हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल के अनुसरण में भारत द्वारा क्षेत्रों के अधिग्रहण और कुछ क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित करने को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया है।

भारत और बांग्लादेश की आपसी भू-सीमा की लम्बाई लगभग 4097 किलोमीटर है। इस भू-सीमा का निर्धारण वर्ष 1947 के रेडक्लीफ अवार्ड के अनुसार किया गया था। इस अवार्ड के कुछ प्रावधानों ने विवादों को जन्म दिया जिन्हें वर्ष 1950 के बैज अवार्ड के माध्यम से हल करने की मांग की गई थी। विवादों के समाधान का यह पहला प्रयास था।

दूसरा प्रयास वर्ष 1958 के जवाहरलाल नेहरू-फिरोज खान नून के समझौते के माध्यम से किया गया था। इस समझौते में एक मुद्दा, अर्थात् बेरुबारी संघ का विभाजन, संविधान के अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा सलाहकार राय के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय को भेजा गया था।। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय का पालन करने के लिए वर्ष 1960 में 9$^{वें}$ संवैधानिक संशोधन अधिनियम पेश किया गया था। लेकिन मुकदमेबाजी और अन्य समस्याओं के कारण, इस 9$^{वें}$ संविधान संशोधन अधिनियम को पूर्ववर्ती पूर्वी पाकिस्तान या वर्तमान बांग्लादेश के क्षेत्रों के संबंध में अधिसूचित नहीं किया जा सका।

इसी तरह, पिछले 60 वर्षों से अधिक समय से उत्पन्न विवादों का समाधान करने के कई प्रयास किए गए थे। लेकिन वे व्यव्हार में नही लाये जा सके थे।

वर्तमान संविधान (संशोधन) विधेयक 1974 में भारत और बांग्लादेश के बीच किए गए समझौते एवं 2011 के प्रोटोकॉल को कानूनी रूप प्रदान करता है। सरकार ने यह भी कहा है कि संबंधित राज्य सरकारें अर्थात

असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल सरकारें अनिर्धारित सीमा के सीमांकन की प्रक्रिया तथा प्रतिकूल कब्जे वाले क्षेत्रों के निर्धारण और परिक्षेत्रों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया के दौरान निकटता से जुड़ी हुई थीं।

हम भारत सरकार से अनुरोधकि इस करार का वास्तविक रूप से क्रियान्वयन करते समय सम्बंधित राज्य सरकारों के साथ वार्ता एवं पारस्परिक विचार-विमर्श को लगातार जारी रखे। यह एक सराहनीय बात है। यह सही बात है। मैं तमिलनाडु से हूं और मुझे लगता है कि यह सही है।

इस समय, हम संसद की मंजूरी के बिना संविधान संशोधन के माध्यम से कच्चात्तेवु को श्रीलंका को सौंपे जाने के साथ इसकी तुलना करना चाहेंगे। इससे तमिलनाडु के मछुआरों, जो भारतीय नागरिक हैं, की आजीविका पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा है।

कच्चातीवु को सौंपना संवैधानिक प्रावधानों का पूर्ण उल्लंघन है तथा बेरुबारी मामले में राष्ट्रपति के संदर्भ में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए विचारों का भी उल्लंघन है।

यही कारण है कि हमारी आदरणीय नेता और जनता की मुख्यमंत्री मक्कलिन मुधलवार, डॉ. अम्मा ने वर्ष 2008 में हमारी पार्टी, ए.आई.ए.डी.एम.के. की महासचिव के रूप में व्यक्तिगत हैसियत से कच्चातीवु को सौंपे जाने के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला दायर किया था। इसके बाद, वर्ष 2011 में तमिलनाडु सरकार ने इस मामले में खुद को एक पक्ष के रूप में शामिल किया, क्योंकि राज्य सभी भूमि अभिलेखों का संरक्षक है। यह मामला अभी भी माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है। कच्चातीवु के इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं तो मैं कहूंगा कि यह टापू मूल रूप से भारतीय स्वतंत्रता से पहले तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के रामनाद साम्राज्य के स्वामित्व में था।। यह द्वीप ऐतिहासिक रूप से रामनाद राजा की जमींदारी का हिस्सा था और बाद में मद्रास प्रेसीडेंसी का हिस्सा बन गया। यह टापू हमेशा से ही सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है तथा इस क्षेत्र में खुफिया कार्यों के लिए इसका विशेष महत्व रहा है।।

अत: अनादि काल से यह टापू भारतीय भूभाग का हिस्सा था, लेकिन वर्ष 1974, में हुए समझौते के कारण, यह हमारे लिए एक बुरा समझौता था, इस टापू को श्रीलंका को सौंप दिया गया, जो मछुआरों की समस्याओं का मूल कारण है, जिसका हम पाक स्ट्रेट में प्रतिदिन सामना कर रहे हैं। यह फिर से असंवैधानिक है क्योंकि भारतीय क्षेत्र का यह हिस्सा संवैधानिक संशोधन के माध्यम से भारतीय संसद की मंजूरी के बिना श्रीलंका को सौंप दिया गया था। कच्चातिवु का दिया जाना गैरकानूनी है क्योंकि भारतीय संसद द्वारा किसी भी संवैधानिक संशोधन को मंजूरी नहीं दी गई थी।

दूसरा, कच्चातीवु में सेंट एन्टोनी चर्च है, जिसकी 150 वर्ष से भी अधिक पुरानी परंपरा है। यह चर्च वार्षिक कार उत्सव आयोजित करता है जो एक वर्ष में तीन दिनों तक चलता है। इस वार्षिक उत्सव के दौरान दोनों देशों के सभी धर्मों के लोग - चाहे वे ईएस.ए.आई. हों या हिंदू - इस पवित्र स्थान पर आते हैं और पूजा करते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह चर्च एक भारतीय कैथोलिक द्वारा बनाया गया था,जो एक तमिल है, जिसका नाम श्रीनिवास पडैयाची है। इसमें कोई संदेह नही है कि यह टापू तमिलनाडु का है और यह भारत का क्षेत्र है।

लेकिन वर्तमान विवादों के कारण, भारतीय तमिल लोगों को उस चर्च में जाने और पूजा करने की अनुमति नहीं है। अगर वे जाते भी हैं, तो वे श्रीलंकाई नौसेना के अधिकारियों से डरते हैं। यह धर्म और धार्मिक उत्सवों के प्रति दिखाए गया अपमान है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह कम से कम चर्च के तीन दिवसीय वार्षिक उत्सव के दौरान, उत्सव में भाग लेने के लिए वहां जाने वाले भारतीय तमिल लोगों के हितों की रक्षा के लिए दोनों देशों के सुरक्षाकर्मी वहां मौजूद रहें।।

श्रीलंका द्वारा पैदा की जा रही इन सभी गड़बड़ियों और परेशानियों के कारण, मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि वह श्रीलंका के साथ वर्ष 1974 में किए गए समझौते को रद्द कर दे और उस द्वीप पर भारत का अधिकार बहाल करे ताकि तमिलनाडु के मछुआरे निर्भय होकर पारंपरिक जल में जाकर मछली पकड़ सकें।

<u>अपराह्न 03.59 बजे</u> (**माननीय उपाध्यक्ष** *पीठासीन हुए*)

महोदय, वर्तमान विधेयक में बांग्लादेश के भारतीय एन्क्लेवों से लौटने वाले लोगों के लिये उपयुक्त पुनर्वास एवं क्षतिपूर्ति उपायों के लिये कोई प्रावधान नही किया गया है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि वह इस मुद्दे को गंभीरता पूर्वक समाधान करे तथा भारत लौटने वाले लोगों के पुनर्वास के लिये स्वीकार्य पैकेज उपलब्ध कराये। मैं इस सभा से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि कच्चातिवु द्वीप को भारत में पुनः लाने के लिए इसी प्रकार का संविधान संशोधन विधेयक लाया जाए।

इसी प्रकार, भारत सरकार को बांग्लादेशी एन्क्लेवों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिये पर्याप्त कदम उठाने चाहिए तथा उन्हें बांग्लादेशीनागरिकता प्राप्त करने एवं अन्य सम्बंधित लाभ उपलब्ध करने में सहायता प्रदान करनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

महोदय, यह विषय सीमा तक ही सीमित नहीं है, यह बहुत महत्वपूर्ण बहस है। मैं विदेश मंत्री जी से कहूंगा कि हमारी बात को गंभीरता से लीजिए। अब आप महासंघ बनाने का प्रयास कीजिए, हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तीनों को मिलाकर महासंघ बनाने की बात कीजिए। इस संबंध में समाजवादी पार्टी लगातार भाषणों में और इस सदन में बोलती रही है। इन तीनों देशों का महासंघ अगर सरकार बना दे तो आपका इतिहास बन जाएगा, तीनों देश व्यापार के मामले में सम्पन्न हो जाएंगे। खेल के मामले में दुनिया कोई हमसे नहीं जीतेगा। अगर भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें एक होकर खेलेंगी तो क्या कोई उसे हरा सकेगा। इसीलिए हम आपसे चाहते हैं कि सीमा तक ही बात सीमित मत रखिए, यह बिल अच्छा है, सीमा का विवाद सुलझाने का हम स्वागत करते हैं। आडवाणी साहब, आपसे मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, आप कोशिश कीजिए महासंघ बनाने की, आप हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तीनों को मिलाकर महासंघ बनाने का प्रयास कीजिए। ऐसा होने से तीनों देशों के बीच विवाद खत्म हो जाएगा, भेदभाव खत्म हो जाएगा, सम्पन्नता आएगी, आना-जाना बढ़ेगा और तीनों देशों में व्यापार बढ़ेगा। आडवाणी साहब से मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं। महासंघ बनाने के लिए कोशिश कीजिए। सीमा के बारे में यह बात अच्छी है, हम इसका समर्थन करते हैं, धीरे-धीरे सीमा सुलझ जाएगी तो आप महासंघ के लिए आगे बढिए। महासंघ के लिए प्रयास करिए। बांग्लादेश बनाने में हिन्दुस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका है, इस अवसर पर हम विशेष कर इंदिरा जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने बहुत मजबूती के साथ काम किया था। इसीलिए पाकिस्तान टूटा और उससे आपका कद बढ़ा और आपकी बहुत सी समस्याएं हल हो गयीं, वरना उधर बांग्लादेश और इधर पाकिस्तान, जब दोनों एक साथ थे, हमारे लिए समस्या बहुत गंभीर थी। उस समय डाक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस बात के लिए प्रयास किया था और तीनों देशों के लोगों से बात भी की थी। मैं आज यह बता रहा हूं, सत्ता में बैठे लोग महासंघ नहीं चाहते, लेकिन जनता चाहती है। पाकिस्तान के लोगों से मेरी बात हुई। अलीगढ़ में एक शादी में पाकिस्तान से लोग आए थे, उन लोगों

ने अपने आप कहा, साहब, जैसा आप बोलते हैं, अगर महासंघ बन जाए तो इससे बेहतर और कुछ हमारे लिए नहीं है। महासंघ बनाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, इसमें हमारा पूरा सहयोग है। हम जानते हैं कि पूरा सदन सहयोग करेगा कि हिन्दुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश का महासंघ बने, जिससे तीनों का व्यापार, खेल बढ़ेगा। अगर कुछ और नहीं तो खेल से ही शुरूआत कीजिए। धीरे-धीरे अगर यह महासंघ बनेगा तो हिन्दुस्तान दुनिया का सबसे मजबूत देश बनेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं बनेंगे, इससे हिन्दुस्तान मजबूत बनेगा। बांग्लादेश में आपके कितने लोग हैं, किसी तरह से ज्योति बसु यहां आ गए, वह भी बांग्लादेश के थे, वह इधर आ गए छोड़कर बांग्लादेश। इस बात को सदन गंभीरता से ले और इसके लिए हिन्दुस्तान को प्रयास करना होगा। आज जो बहस हो रही है, वह अच्छी बहस है। सीमा की बात ठीक है, जब सीमा का मामला सुलझेगा तो अच्छे संबंध बनेंगे। इसलिए हमारी अपील है कि इस संबंध में आडवाणी जी, आप अपनी पार्टी में प्रयास कीजिए। हमारी पार्टी सहमत है, सारे लोग सहमत हैं और पाकिस्तान में हमने अपना जो प्रतिनिधि भेजा, वहां की जनता ने माना, लेकिन जो लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान में सत्ता में बैठे होंगे, वे इसके लिए तैयार नहीं होंगे। यहां भी सत्ता में लोग बैठे हैं, मोदी साहब हैं, आडवाणी जी सत्ता में ही हैं, विदेश मंत्री जी बैठी हैं, वह समझ रही हैं। आपको लालच नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि सत्ता में बैठे लोग इसे नहीं होने दे रहे हैं, पाकिस्तान में सत्ता में जो लोग बैठे हैं, वे नहीं होने दे रहे हैं। बांग्लादेश में जो लोग सत्ता में बैठे हैं, वे नहीं होने दे रहे हैं, जिसने ऐसा करने का प्रयास किया था, उसकी हत्या कर दी गयी। बांग्लादेश बनाने मे आपके कितने लोग शहीद हुए, सेना के कितने लोग शहीद हुए हैं तब बांग्लादेश बना, तब पाकिस्तान टूटा।

<u>अपराह्न 04.00 बजे</u>

आज इस अवसर पर मैं विदेश नीति के संदर्भ में इंदिरा जी की तारीफ करता हूं और सराहना करता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान का विभाजन कराकर बांग्लादेश बनवाया। उसी का नतीजा है कि हमारी बहुत सी समस्याएं हल हुई हैं। इसलिए आडवाणी साहब भले ही आप सरकार में मंत्री न बने हों, लेकिन आप पहल करें और यहां पर विदेश मंत्री जी बैठी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप पहल कीजिए। हम भी प्रधान मंत्री जी से मिलेंगे

और इस सम्बन्ध में बातचीत करेंगे। इसलिए आप प्रयास करें एक महासंघ के गठन का, यही हमारे देश और तीनों देशों के हित में है। आज हमारी सीमा पर रोजाना हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, फायरिंग हो रही है, यह सब खत्म हो जाएगा और देश के लोग देश के विकास में जुटेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ उपाध्यक्ष जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

[अनुवाद]

प्रो. सुगाता बोस (जाधवपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से और अपने दल ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, एक सौ उन्नीसवें संविधान (संशोधन) विधेयक, जो एक संशोधन के पारित होने के बाद, एक सौवें संविधान (संशोधन) विधेयक बन जाएगा, को समर्थन करने के लिये खड़ा हूँ।

मैं माननीय विदेश मंत्री को एक ऐतिहासिक विधेयक को सभा में लेकर आने और इस चर्चा को शुरू करने के लिये एक राजनीतिक भाषण देने के लिये बधाई देता हूँ।

हमारे विदेश मंत्री ने वर्ष 1947 के रेडक्लिफ अवार्ड का उल्लेख किया था। आज हम संसद में जिस समस्या का हल करने जा रहे हैं उस समस्या की जड़े वर्ष 1947 में हुए देश के दुखद विभाजन तक जाती हैं। उस विभाजन की विडंबना को कवि डब्ल्यू.एच. औडन ने अपनी कविता “विभाजन” में सर्वश्रेष्ठ रूप से चित्रित किया, जहां उन्होंने रैडक्लिफ के बारे में लिखा था। उन्होंने यह कहा थाः

“कम से कम वह तब बिना दुर्भावना के था , जब वह अपने मिशन पर पहुंचा था।

इस भूमि पर कभी आँखें नहीं लगाए रखने के कारण उन्हें विभाजन के लिए बुलाया गया था।

उन्होंने उन्हें लंदन में 'टाइम' की जानकारी दी थी,'थोड़ा है। बहुत देर हो चुकी है

आपसी सुलह या तर्कसंगत वाद-विवाद के लिएः

एकमात्र समाधान अब विभाजन में निहित है।

वह काम पर उतर गया, लाखों के भाग्य को निपटाने के कार्य के लिए।

उनके निस्तारण में नक्शे आउट ऑफ डेट थे

और जनगणना लगभग निश्चित रूप से गलत हो जाती है।

लेकिन उन्हें जांचने का समय नहीं था, निरीक्षण करने का समय नहीं था

क्षेत्रों के लिये लड़े। खौफनाक था मौसम

और पेचिश की एक बाउट ने उसे लगातार ट्रोट पर रखा।

लेकिन सात हफ्तों में यह हो गया था, सीमाओं को तय कर दिया गया था।

बेहतर या बदतर के लिए एक महाद्वीप विभाजित हो गया था।

अगले दिन वह इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ, जहां वह जल्दी ही भूल गया

एक अच्छे वकील के रूप में उन्हें लौटना चाहिए था। लेकिन वह नहीं लौटेगा।

डरते हुए, जैसा कि उसने अपने क्लब को बताया, कि उसे गोली लग सकती है। “

रैडक्लिफ एक अच्छा सर्जन नहीं था। विभाजन को अक्सर सर्जिकल ऑपरेशन के रूप में जाना जाता था। न केवल उन्होंने वर्ष 1947 में खींची गई लाइनों के दोनों ओर के लोगों को दुख पहुंचाया, बल्कि किसी भी बुरे सर्जन की तरह, उन्होंने रोगी के अंदर स्वैब छोड़ दिया। ये वे एन्क्लेव थे जिनका आज आदान-प्रदान होने जा रहा है। पश्चिम बंगालकी स्थानिक भाषामें हम इसे *छित महल* कहते हैं

जैसा कि मैं आज बोल रहा हूं, मेरा दिमाग वर्ष 1971 की दक्षिण एशियाई इतिहास में संयोजन करने की तारीख पर वापस चला जाता है। मैं केवल एक हाई स्कूल का छात्र था, यहां तक कि कॉलेज में भी नहीं था। मैं अपने बाल रोग विशेषज्ञ पिता डॉ. शिशिर कुमार बोस के साथ बनगांव सीमा पर जाता था जहां लाखों शरणार्थी उस समय पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्र से आए थे। मैंने कोलकाता में गरीबी देखी थी। लेकिन मैंने कभी उस तरह की मानवीय दुर्दशा नहीं देखी थी जो मैंने वर्ष 1971 में बनगाँव शहर के चारों ओर शरणार्थी शिविरों में देखी थी।

लेकिन वहां कुछ और था। मैं बकचारा नामक एक गाँव में नेताजी फील्ड अस्पताल भी जाता था, जहाँ बांग्लादेश की मुक्ति बहिनी के बहादुर,घायल सैनिकों को सीमा पार लाया जाता था और कोलकाता के जन उत्साही डॉ. और सर्जन उनकी सर्जरी करते थे। यह मेरे जीवन का एकमात्र समय है जब मैंने खुले में ऑपरेशन देखा है और वहां कोई सेलाइन भी नहीं थी। मैंने डबर जल, नारियल पानी को सेलाइन की जगह इस्तेमाल करते देखा है। इन *मुक्ति योधाओं* ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। हमारे भारतीय सैनिकों ने बहुत बड़ा बलिदान दिया। हमने वर्ष 1971 में जो देखा वह आधुनिक इतिहास में सबसे क्रूर सैन्य कार्रवाई में से एक के खिलाफ एक शानदार स्वतंत्रता संग्राम था। 16 दिसंबर, 1971 की जीत के बाद, शेख मुजीबुर रहमान, बेंगो बोन्धु वापस आ गए, और मुझे याद है कि जनवरी के 17 को, मेरे पिता ने ढाका में उनसे मुलाकात की। सीमा कैसी थी? वह बस एक एम्बुलेंस में नए निर्दलीय बांग्लादेश के लिए चिकित्सा सामग्री ले जा रहे थे। यही वह सीमा थी जिसे हमने वर्ष 1971 में देखा था। लोग सम्मान का जीवन जीने के लिए एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं।

फिर, निश्चित रूप से वर्ष 1974 में, जिसका हमारे विदेश मंत्री ने उल्लेख किया है, बेंगो बोन्दु, शेख मुजीबुर रहमान और हमारे महान प्रधान मंत्री, इंदिरा गांधी के बीच ऐतिहासिक समझौते हुआ था। यह अफ़सोस की बात है कि इस संसद द्वारा उस समझौते की पुष्टि करने से पहले 41 वर्ष बीत चुके हैं। आज बेंगो बोन्दु के शब्द, उनका ऐतिहासिक भाषण मार्च के 7 को मेरे कानों में गूँज रहा है, जब उन्होंने कहा था,

"रक्ते जाखम दीहि, रेक्टा एरो डेबो एडिशिया मुक्ते कोइने एन्हांबो, इंशाल्लाह।"

“चूंकि हमने रक्त दिया है,हम इसमें से अधिक देंगे, *इंशाअल्लाह*, हम इस देश के लोगों को मुक्त करेंगे।" दूसरे शब्दों में, उन्होंने रक्त में अधिक बलिदान देने की पेशकश की ताकि पूर्वी बंगाल के लोग स्वतंत्र हो सकें। उन्होंने बांग्लादेश के लोगों को आजादी दिलाई।

हमें वर्ष 1974 में हुए समझौते और वर्ष 2011 में हुए तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह और प्रधान मंत्री शेख हसीना के बीच हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल को भी देखना होगा। मुझे प्रधानमंत्री से मिलने का सौभाग्य तब मिला जब उन्होंने दो वर्ष पहले मरणोपरांत मेरे पिता को पुरस्कार दिया था। मुझे लगता है कि यह वास्तव में

ऐतिहासिक है और इस सरकार द्वारा लाए गए इस विधेयक के बारे में यह वास्तव में सकारात्मक बात है। हमारे पास एक सावधानीपूर्वक संतुलित विधेयक है; हम राष्ट्रीय हित, राज्य हित और मानव हित की रक्षा और संवर्धन कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित में, क्योंकि यह विधेयक, जब आज इस सदन द्वारा पारित हो जाएगा, तो भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। मैं विदेश मंत्री से सहमत हूं कि हम वर्ष 1971 की भावना को फिर से जगाने में सक्षम होंगे। उसके बाद जब आप बांग्लादेश की जनता और बांग्लादेश की सरकार से व्यापार और ट्रांजिट की सुविधा के लिए पूछने जाएंगे, तब वे आपका सकारात्मक तरीके से जवाब देंगे, ताकि देशहित सबसे ऊपर हो। मैं जानता हूं कि इस सप्ताह के आरंभ में संकीर्ण दलीय-पक्षपातपूर्ण हितों का शिकार होने का थोड़ा प्रलोभन था, लेकिन आज महत्वपूर्ण बात यह है कि असम के लोगों ने भी इस अवसर पर अपनी आवाज उठाई और इस प्रलोभन का प्रतिरोध किया। राष्ट्रीय हित को दलीय-राजनीतिक हितों से ऊपर रखा गया।

दूसरा, राज्यों के हितों की रक्षा की गई है। विदेश मामलों की स्थायी समिति में कांग्रेस के डॉ. शशि थरूर, मोहम्मद साहब के साथ काम करना मेरे लिए सचमुच सौभाग्य की बात थी। सी.पी.आई.(एम) के सलीम, मेरे अपने सहयोगी, तृणमूल कांग्रेस के मुमताज शांगोमित्रा और भाजपा के कई सदस्य और सत्तारूढ़ गठबंधन से संबंधित अन्य दलों के सदस्य। यह हमारे संसदीय लोकतंत्र में स्थायी समिति प्रणाली के महत्व को दर्शाता है। 1 दिसंबर, वर्ष 2014 को इस सभा में हमने जो सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश की, उसमें हमने राज्यों के हितों की रक्षा की। यह तो हमने पहले के इतिहास के बारे में कहा था। हमने कहा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच उच्चतम राजनीतिक स्तर पर घनिष्ठ परामर्श वेंछनीय होगा। समिति राज्य सरकारों को साथ रखने के प्रयासों की सराहना करते हुए सरकार को सभी मामलों पर उनके साथ प्रभावी ढंग से समन्वय करने और जमीन पर समझौते के वास्तविक कार्यान्वयन से संबंधित यदि कोई कमी है तो उसे हल करने का सुझाव देगी।

मुझे बहुत खुशी है, मैं माननीय विदेश मंत्री को बताना चाहूंगा कि उन्होंने उच्च्च राजनैतिक स्तर पर परामर्श किया है जैसाकि हम चाहते थे। उन्होंने हमारी पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री कुमारी ममता बनर्जी

से इस विषय में कई बार बात की है। हमने यह भी कहा था कि समिति को उम्मीद है कि केंद्रीय सरकार और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार पुनर्वास पैकेज से संबंधित मुद्दे पर एक सहमति पर पहुँचेंगी। इस संबंध में केंद्र सरकार से सहायता सहित सभी मानवीय मुद्दों को पहले ही हल किया जाना चाहिए।

मुझे विश्वास है कि जैसा कि माननीय विदेश मंत्री ने सभा में आश्वस्त किया है कि जो पुनर्वास पैकेज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने 6 दिसंबर, वर्ष 2014 को केन्द्र सरकार को भेजा है, राज्य को उपलब्ध होगा ताकि हम आधारभूत ढांचे का निर्माण कर सकें और वहां रह रहे लोगों को जो गत 67 वर्षों से दयनीय जीवन जी रहे हैं, सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर दे सकें। यह इस विधेयक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है। हम मानवीय हितों का संरक्षण भी कर रहे है।

मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे अनुभवी, वरिष्ठ राजनेता आडवाणी *जी* , मुरली मनोहर जोशी *जी* आज दोपहर यहां बैठे हैं क्योंकि हम इस संविधान संशोधन विधेयक पर वाद-विवाद कर रहे हैं। मुझे हमारे महान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद आ रही है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि आज हम जो करने जा रहे हैं वह एक जटिल समस्या का समाधान है, एक समाधान जो *इंसानियत* की भावना से खोजा जाएगा। *इंसानियत* के संकेत के अंतर्गत, मनुष्य क्षेत्र, छोटी मात्रा, क्षेत्र के छोटे टुकड़ों पर प्राथमिकता ले रहे हैं जिनका भारत और बांग्लादेश के दो संप्रभु राज्यों के बीच केवल वैचारिक आदान-प्रदान किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि कभी-कभी मुझे इस समझौते के लिए कुछ औचित्य सुनने को मिलते हैं। मैं समझ सकता हूं कि सत्तारूढ़ दल को एक निश्चित प्रांत में अपने उद्दंड घटकों को संतुष्ट करने के लिए अक्सर इस प्रकार के तर्क देने पड़ सकते हैं। मैं अक्सर सुनता हूं कि इस विधेयक के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि विवाद का समाधान हो जाने के बाद गैर-कानूनी आव्रजन और सीमापार से हो रही तस्करी पर प्रभावी रोक लगेगी। यह उस समझौते का उप-उत्पाद हो सकता है जिस पर हम बांग्लादेश के साथ पहुंचने वाले हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि यह ऐतिहासिक कानून वास्तव में भारत और बांग्लादेश के कानून का पालन करने वाले नागरिकों के लाभ के लिए है। एक बार जब पूरी सीमा का सीमांकन हो जाता है,

तो मैं यह देखना चाहूंगा कि भारत और बांग्लादेश के कानून का पालन करने वाले निर्दोष नागरिक गरिमा के साथ सीमा पार कर सकें। मैं माननीय विदेश मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे माननीय गृह मंत्री से परामर्श कर भारत-बांग्लादेश सीमा पर समेकित चेक पोस्ट का निर्माण कराएं। हम ऐसा इसलिए चाहते हैं ताकि साधारण लोग आसानी से सीमा के आर-पार जा सकें। हम चाहते हैं कि संगीत उस सीमा के पार बहे जो दोनों बंगालों को अलग करती है। हम चाहते हैं कि दोनों बंगालों के थिएटर समूह एक-दूसरे के पास आए और अपना प्रदर्शन करें। एक छात्र के रूप में मैंने बांग्लादेश में सभी जिलों का दौरा करने, जिला रिकॉर्ड रूम में काम करने में बहुत समय बिताया है। मैंने देखा है कि बांग्लादेश के लोग देशबंधु चितरंजन दास, शरत चंद्र बोस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कितनी प्रशंसा करते है। मैंने डी.एल. रॉय के शाहजहां नाटक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ढाका के एक मंच पर देखा है, कोलकाता में इस तरफ नहीं, हालांकि हमारे पास पश्चिम बंगाल में महान थिएटर व्यक्तित्व और थिएटर समूह हैं और उनमें से कुछ वास्तव में अब हमारी पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से संबंधित है।

इसलिए, मैं कहना चाहूंगा कि आइए हम इस ऐतिहासिक कानून को दोनों बंगाल के लोगों को उपहार में दें और उस व्यक्ति को भी, जिसकी जयंती, *पोंचिशे बोइशाख* हम दो दिनों के भीतर पूरे देश में मनाने जा रहे है। *पोंचीशे बोइशाख* या तो मई के आठवें या मई के नौवें दिन है। उन्होंने न केवल हमारे दो देशों, भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान लिखे, बल्कि वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान उनके द्वारा लिखे गए सभी गीत वर्ष 1971 में बांग्लादेश के *मुक्तिजोद्धा* के लिए प्रेरणादायक थे।

"बांग्लादेशर रिडॉय होट कखान अपोनी,तुमी की अपू बहिर होले जननी,ओगो मा,तोमाई देखे देखे अंखी ना फेरे।" आप जानते हैं, हम उससे अपनी नजरें नहीं फेर सकते हैं। हमने हमेशा अपने राज्य बंगाल और भारतवर्ष की भी मां के रूप में कल्पना की है। यही भावना है। उन दिनों हम जिबानंद दास की कविता सुना करते थे - *बांग्लार मुख अमी देखियाची, ताई पृथबीर रूपोमी खुन्जिते ज्यार्ने।* हमने बंगाल की सुंदरता देखी है, इसलिए हमें बाहर जाकर दुनिया के बाकी हिस्सों में सुंदरता खोजने की जरूरत नहीं है। तो, आज यहां मुझे कुछ इसी तरह की याद दिलाई जा रही है।

अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि एक गाना है। बेशक, ऐसे कई अन्य गीत थे जिनका उल्लेख आलूवालियाजी ने किया था, जैसे भूपेन हजारिका का प्रसिद्ध गीत *गंगा अमर मा, पोद्दा अमर मां* लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि स्वदेशी आंदोलन के उत्कर्ष के दौरान, रवीन्द्र नाथ टैगोर ने एक बहुत ही सुंदर गीत लिखा था - *अमरा मिलेची अज मेयर डाके* - हम वास्तव में माँ के आह्वान पर यहाँ एकत्र हुए है। हम आज लोक सभा में इस ऐतिहासिक कानून को पारित करके मां के आह्वान का जवाब दे रहे है।

इस सदन में सभी की ओर से, यह देखना एक महान क्षण है कि हम सभी राजनीतिक दलीय मतभेदों से ऊपर उठ गए है। हमने आज राष्ट्रीय हित, राज्य के हित और मानव हित की रक्षा की है। इसलिए, जैसा कि राज्य सभा में हुआ है, हमें इस सभा के पूर्ण स्तर तक ऊपर उठना चाहिए और सर्वसम्मति से इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित करना चाहिए। पूरे दक्षिण एशिया में यह संदेश जाए कि हम इस महान उपमहाद्वीप में रहने वाले गरीबों और वंचितों के लिए शांति और विकास चाहते है।

इन कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री अपराह्न 5 बजे उत्तर देने वाले है। इसलिए, मैं वक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि वे अपने भाषण को बहुत संक्षिप्त रखें।

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज): यह एक बहुत ही मूल्यवान वाद-विवाद है, जो चल रही है।

माननीय उपाध्यक्ष: यह एक मूल्यवान वाद-विवाद है और मैं सदस्यों को इसमें भाग लेने की अनुमति दे रहा हूं। यह संविधान संशोधन है और यह सायं 6 बजे तक चलेगा।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को बोलने दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि मैं साढ़े पांच बजे ही जवाब दूँ। जब सारे सदस्य बोल लेंगे, मैं उसके बाद जवाब दे दूंगी।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : ठीक है।

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर): माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुए समझौते और इसके प्रोटोकॉल के अनुसरण में भारत द्वारा क्षेत्रों के अधिग्रहण और कुछ क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित करने के लिए भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए इस ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, मैं विदेश मंत्रालय के संबंध में कुछ तथ्यात्मक बातें अभिलेख पर रखना चाहता हूँ। मैं माननीय विदेश मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि वे विभिन्न मुद्दों को संभालने में अत्यंत दयालु रही हैं, जिन्हें हम अक्सर उठाते हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा कि मेरे मामले में, मुझे मंत्रालय से कुछ घंटों के भीतर जवाब मिल गया, न कि कुछ दिनों के भीतर। इसलिए, विदेश मंत्रालय से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संभालने के लिए माननीय विदेश मंत्री की ईमानदारी से सराहना करने का समय आ गया है। इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं।

महोदय, माननीय मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी के द्वारा दिए उद्घाटन भाषण में कही गई अभिव्यक्ति के बारे में सभा में इस पर अच्छी तरह से चर्चा की गई थी। यह एक सच्चाई है और पूरा देश जानता है कि वह बहुत अच्छी वक्ता है। लेकिन आज हमने जो देखा उसे स्पष्ट करते हुए उन्होंने घटनाओं के अनुक्रम को बहुत अच्छी तरह से सामने रखा था, जो इस विशेष घटना में हुआ था और आज की घटना में समाप्त हुआ। उन्होंने अतीत में भाजपा द्वारा अपनाए गए रुख और स्थिति को कवर करने की भी कोशिश की है और आज उन्हें इस पद पर आने के लिए मजबूर किया है।

महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की भी प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने दो राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुए समझौते का सम्मान किया है। इससे सम्पूर्ण देश में और समूचे विश्व में भी एक

सकारात्मक संदेश जाएगा। यह निश्चित रूप से न केवल हमारे देश के लोगों को बल्कि बड़े पैमाने पर दुनिया के लोगों को भी एक बहुत ही सकारात्मक संकेत भेजेगा। यह कहने के पश्चात्, यह सच है कि यह विधेयक राष्ट्रीय हित में बहुत कुछ करने जा रहा है। हालांकि इसके परिणामस्वरूप मामूली जनसांख्यिकीय परिवर्तन होंगे, यह उन लोगों के लिए बहुत सारे उत्पादक उद्देश्य की सेवा करेगा जो इस मुद्दे से प्रभावित हुए है। आइए देखें कि बांग्लादेश और भारत के एन्क्लेव में बैठे पचास हजार लोगों के साथ क्या हुआ होगा। वे उत्सुकता से देख रहे होंगे और वे ही लोग होंगे जो आज के कार्यक्रम के लाभार्थी होंगे। हम निश्चित रूप से इस विधेयक का समर्थन करने और इसे इसकी सही भावना से लागू करने के लिए खड़े हुए है।

यह कहने के पश्चात्, मैं कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियों पर आता हूं जिनके बारे में हमें अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। पहला मुद्दा सुरक्षा से संबंधित है उपाध्यक्ष महोदय। मैं अपने चुनाव क्षेत्र में गैर-कानूनी बांग्लादेसी नागरिकों के आने से पीड़ित हूं। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर हम सुरक्षा के मुद्दे पर ध्यान नहीं देंगे तो हम भविष्य में इसके शिकार हो सकते है। यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, मैं माननीय मंत्री महोदया से इस मामले को देखने के लिए कहूंगा।

दूसरा, बहुत सारे भारतीय हैं जो बांग्लादेश में रह रहे है। वे भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अपना स्थायी दावा खो देंगे। संभवतः वे आज आंसू बहाएंगे लेकिन भारत सरकार की यह जिम्मेदारी है कि कल जब वे बांग्लादेश का हिस्सा बनें तो उन्हें इसका शिकार न बनना पड़े या उनके साथ सौतेला व्यवहार न किया जाए। ऐसा करना हमारा दायित्व है।

तीसरा, यह महत्वपूर्ण है कि राज्यों को विश्वास में लिए बिना इस कानून को लागू नहीं किया जा सकता है।

मैं माननीय मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने राज्यों को विश्वास में लिया है, लेकिन यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कार्यान्वयन प्रक्रिया में राज्य पूरे आयोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे है।

एक अन्य मुद्दा उन बांग्लादेशी लोगों के *प्रामाणिक* ब्यौरे को लेकर है, जिनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। यह अत्यंत संभव है कि बहुत सारे दावेदार ऐसे होंगे जो *प्रामाणिक* नहीं होंगे। इसलिए बांग्लादेशी की *प्रामाणिकता* को सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता इंतजाम करने चाहिए ताकि हम आगे समस्या का सामना न करें जैसा कि आज कतिपय मामलों में हो रहा है।

अंत में हमें ऐसे एनक्लेवों जो भारत में आएंगे, में रह रहे लोगों के समयबद्ध विकास के लिए एक रूप-रेखा भी तैयार करनी चाहिए। यह कहने के बाद, विधेयक का समर्थन करते हुए और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी और सरकार द्वारा विधेयक को पारित करना महत्वपूर्ण है, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि विधेयक को अक्षरश कार्यान्वित किया जाए ताकि प्रभावित लोगों को उनका न्यायोचित न्याय मिल सके।

[हिन्दी]

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस विधेयक को पेश करने वाली विदेश मंत्री सम्माननीय सुषमा स्वराज जी का मैं आभिनंदन करता हूँ। हमारे शिवसेना प्रमुख आदरणीय हिन्दू हृदय सम्राट बाला साहब जी ठाकरे हमेशा गर्व से कहते थे कि स्वर्गीय इंदिरा गाँधी जी के बाद इस हिन्दुस्तान की सशक्त महिला नेता अगर किसी को कहा जाए तो उसका नाम है सुषमा स्वराज। उनको जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाए, उसको सुलझाने का काम, उसे न्याय देने का काम सुषमा स्वराज जी करेंगी। आज यह साबित हो चुका है कि पिछले कई वर्षों से जो प्रश्न आनिर्णित था, जो समस्या सुलझी नहीं थी, उस समस्या को सुलझाने का काम इस विधेयक के माध्यम से विदेश मंत्री माननीय सुषमा स्वराज जी कर रही हैं। शिवसेना की तरफ से इस विधेयक को पूरा समर्थन है और भविष्य में भी हिन्दुस्तान की सुरक्षितता के बारे में, रक्षा के बारे में जो-जो निर्णय वह करेंगी, इस सरकार के माध्यम से उन निर्णयों को लेने का काम करेंगी, उसका समर्थन करने का काम शिवसेना पूरी ताकत से करेगी।

महोदय, इस विधेयक के माध्यम से हिन्दुस्तान और बांग्लादेश का जो विवादित प्रदेश था, उसके बारे में तो निर्णय हो जाने वाला है। लेकिन एक प्रश्न बाकी रहा कि पिछले कई वर्षों से जो बांग्लादेशी और अन्य कई विदेशी नागरिक गैरकानूनी रूप से इस देश में रह रहे हैं, उनके बारे में भी निर्णय लेने का वक्त आ गया है। महाराष्ट्र के मुम्बई, ठाणे, पुणे या हिन्दुस्तान के कई अन्य प्रदेशों में लाखों की संख्या में जो बांग्लादेशी रहते हैं, उनको अभी उनके देश में भेजने का काम भी इस सरकार को करना चाहिए। उनमें से कई लोगों को राशन कार्ड मिला है, कई लोगों का नाम मतदाता सूची में आया है, उनको वोटिंग राइट्स मिले हैं। कई संशोधनों के बावजूद ऐसा साबित हुआ है कि कई प्रांतों में तथा खासकर महाराष्ट्र में जो बालक गैर कानूनी रूप से काम कर रहे हैं, वे सारे के सारे बांग्लादेश से आ रहे हैं। उनकी मजबूरी हो सकती है, उनको वहाँ उनके देश में रोज़गार नहीं मिलता होगा, इसके लिए हिन्दुस्तान में आते हैं, वह काम गैर-कानूनी है। लेकिन आज जिस तरीके से सीमा का प्रश्न सुलझाने का काम हमारी सरकार ने किया है, वैसे ही गैर-कानूनी रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों का संशोधन

करें और ऐसे गैर-कानूनी रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों को अपने देश में भेजने का काम भी इस सरकार को करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, भूमि का प्रश्न सुलझाने का काम तो हुआ है। आदान-प्रदान तो अभी हो जाएगा, लेकिन भूमि की सुरक्षा करने के लिए जैसे पिछले हफ्ते हमारे गृह मंत्री ने बताया कि पूरी जो सीमा है, उसमें सिर्फ 88 परसेंट सीमा की सुरक्षा करने का काम हुआ है। बाकी जो भूमि है, उसके ऊपर जिस तरह की सुरक्षा का प्रबंधन और प्रावधान करना चाहिए, कई कारणों से वह अभी तक नहीं हुआ है। कहीं फॉरैस्ट लैंड है, कहीं अन्यत्र प्रश्न हैं। मैं यहाँ एक सबमिशन करना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान की सुरक्षा के बारे में जब-जब प्रश्न निर्माण हो जाए, तब-तब फॉरैस्ट की भूमि हो या कोई और भूमि हो, उसके बाजू में रखकर भूमि सुरक्षा करने का प्रावधान होना चाहिए।

एक बात मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि भूमि की सुरक्षा हुई लेकिन समुद्र तटीय जो सुरक्षा है, उसके बारे में आज भी गंभीरता से नहीं देखा गया है। मैं सारे सदन को और संबंधित मंत्रालय को बताना चाहता हूँ कि कई वर्षों पहले जो कसाब मुम्बई में आया, समुद्र मार्ग से आया। क्यों आया, कैसे आया, सबको मालूम हो चुका है। एक बार हिन्दुस्तान की सारी की सारी भूमि को सुरक्षित करने के लिए, चाहे वह भूमि हो या समुद्र तट का क्षेत्र हो, उसकी सुरक्षा के बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी परदेशी नागरिक या आतंकवादी हिन्दुस्तान में न आ सके। परदेशी आतंकवादी द्वारा हिन्दुस्तान की सुरक्षा में धोखा पहुँचाने का जो काम हो रहा है, उसके बारे में भी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए।

महोदय, इस विधेयक के माध्यम से एक बड़ा कानून बनाने या बड़ा निर्णय लेने का काम माननीय विदेश मंत्री जी ने किया है, मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। धन्यवाद।

[अनुवाद]

डॉ. रविन्द्र बाबू (अमलापुरम): धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मेरा सौभाग्य है कि जब भी मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूँ, तो आप हमेशा पीठासीन रहते है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुझे एक या दो मिनट और बोलने की अनुमति दें क्योंकि जब भी मैं बोलता हूं तो आप हमेशा मुझे रोक देते है।

माननीय उपाध्यक्ष: मुझे भी आपको देखकर खुशी हुई। जब भी मैं यहां अध्यक्षता करता हूं, मुझे आपकी आवाज सुनने का मौका मिलता है, जो बहुत अच्छी बात है।

डॉ. रविन्द्र बाबू : महोदय, जब भी हम बांग्लादेश की चर्चा करते हैं तो हमें वर्ष 1906 का बंगाल विभाजन की याद आती है। बंगाल विभाजन और वर्ष 1911 में बंगाल विभाजन का निरसन ध्यान में आता है। इससे अंग्रेजों ने सबसे बड़ी शिक्षा ली कि वे बंगाल के लोगों को विभाजित नहीं कर सकते है। इसलिए, उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और अपनी राजधानी दिल्ली बना ली। बाद में, जब पाकिस्तान को विभाजित किया गया, तो हमें अलग कर दिया गया और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान अस्तित्व में आए।

भारतीय इतिहास के छात्रों के रूप में जब हम मानचित्र को देखते हैं, तो यह हमेशा अकल्पनीय और बहुत आश्चर्यजनक होता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा कैसे हो सकता है, जो भारत के दूसरी ओर स्थित है। पाकिस्तान उधर है, बंगलादेश इधर है तो ये दोनों एक ही कंट्री कैसे हैं। कोई भी बच्चा मैप को देखेगा तो हैरान हो जायेगा कि ये दोनों एक ही कंट्री में कैसे चल रहे हैं। जैसी अपेक्षा थी, गलत हो गया और दोनों 1971 में बिल्कुल अलग हो गये और बंगलादेश बन गया। वह बनना ही था, बन गया। लेकिन महोदय, हमें इतिहास से सीखना चाहिए। जो लोग इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं, वे इसे दोहराते रहेंगे। हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए बहुत सारा धन खर्च करना पड़ता है। हमने जर्मनी से सबक सीखा है। एक बार इसका विभाजन पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में कर दिया गया। लेकिन वे फिर से एकजुट हो गए हैं और यूरोपीय संघ का हिस्सा बन गए है।

महोदय, जैसे हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ एक ही जातीय संस्कृति साझा करते हैं, वैसे ही हम श्रीलंका और भारत के साथ भी एक ही जातीय पृष्ठभूमि साझा करते है। श्रीलंका और तमिलनाडु में बोली जाने वाली भाषा एक ही है। अंग्रेज भाषा के आधार पर बंगाल का विभाजन नहीं कर सकते थे। बंगाल का विभाजन केवल धर्म के आधार पर ही हो सका। चूंकि तमिलनाडु और श्रीलंका एक ही भाषा बोलते हैं, इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच के मुद्दों पर गौर करें और मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान करें ताकि दोनों पक्षों के लोगों को लाभ हो सके।

इसलिए, हम तेलुगु देशम पार्टी की ओर से इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करते हैं और माननीय मंत्री जी को बधाई देते हैं। मैं माननीय मंत्री जी को यह ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाने के लिए बधाई देता हूं।

धन्यवाद।

श्रीमती कविता कलवकुंतला (निजामाबाद): महोदय, यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैडम, इतिहास में जब भी बंगलादेश का नाम लिया जायेगा, तो इन्दिरा जी का नाम तो हर कोई याद करेगा, लेकिन आज के लैजिस्लेशन के बाद सुषमा जी का नाम भी लोग साथ में याद करेंगे। दोनों ही इतिहास में हमेशा-हमेशा के लिए अमर होकर रह जाएंगे। आशा है कि इस विधेयक से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में चिर-प्रतिक्षित शान्ति और सुधार होगा।

महोदय, मेरे सहयोगियों द्वारा काफी आंकड़े दिए गए हैं, लेकिन मैं इसे केवल शैक्षिक प्रयोजन के लिए दोहराना चाहूंगी। बेशक, भारत-बांग्लादेश समझौता 16 मई वर्ष 1974 को हुआ था। फिर, 6 सितंबर, वर्ष 2011 को एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। जब हम वर्ष 2011 की बात करेंगे तो हमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को याद करना होगा, जिन्होंने बांग्लादेश सरकार के साथ मिलकर एक पहल की थी। 40 वर्ष से लम्बित विषय में पहल करते हुए बांग्लादेश सरकार को अपने साथ लेकर जन गणना सम्पन्न की। जन गणना सम्पन्न होने के बाद इससे यह विधेयक लाने में आसानी हुई। आज हम इस विधेयक के माध्यम से बांग्लादेश में स्थित 111 भारतीय एनक्लेव के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो 17,160 एकड़ का क्षेत्र है। बांग्लादेश के 51 एनक्लेव भारत में है, जिनमें 7,110 एकड़ क्षेत्र शामिल है। जमीन की अदला-बदली कागजों में तो होती है लेकिन भौतिक तौर पर नहीं। कंट्रोल तो अपने-अपने देश में है। जुलाई में हुई जनगणना के अनुसार इस विधेयक से भारत में 51,549 लोग तथा बांग्लादेश में 14,215 लोग प्रभावित होंगे। इनकी जिंदगी में एक अच्छा चेंज आएगा और हम आशा करते हैं कि इतने दिनों तक इस सब के ऊपर जो ह्यूमेनिटेरिन वायलेशंस हो रहे थे, ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हो रहे थे, वे सब भी आज से खत्म हो जाएंगे।

भारत को प्रतिकूल कब्जे वाली 2,777 एकड़ भूमि प्राप्त होगी और 2,267 एकड़ भूमि बांग्लादेश को हस्तांतरित भी की जाएगी। इस विधेयक के माध्यम से संविधान की पहली अनुसूची का संशोधन होगा तथा असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा की सीमाओं का संशोधन होगा।

[हिन्दी]

माननीय मंत्री जी ने शुरू में ही सारे मेम्बर्स के स्पीचेज को 'नल एण्ड व्वॉयड' कर दिया, क्योंकि सभी यह कहना चाह रहे थे कि बी.जे. पी. ने पहले इसका विरोध किया था, बी.जे.पी. असम को इससे बाहर रखना चाह रही थी, लेकिन आपने इसके बारे में सारा कुछ बोल कर हमारे स्पीच को ही खत्म कर दिया। इसलिए इसमें ज्यादा कुछ बोलने को बचा नहीं है। लेकिन, यह संयोग की बात है और वक्त का तक़ाज़ा है कि जिस बी.जे.पी. ने पहले इसका विरोध किया था, अब उसी बी.जे.पी. की सरकार को इसे लेकर आना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने इस बिल का राज्य सभा में सपोर्ट किया है, वैसे ही इस हाउस में भी वह इस बिल को पारित कराने में सहयोग करेगी। इस बिल के पास होने के बाद डेफिनेटली, जैसा माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि बाइलेटरल को-ऑपरेशन होगा, सिक्यूरिटी, ट्रेड्स, सब में सुधार होगा।

हमारी पार्टी की तरफ से एक-दो सुझाव हैं, जिसके बारे में मैं कहना चाहती हूं। हमारे तेलंगाना के लोगों का दुबई, सऊदी अरब आदि देशों में माइग्रेशन का हमेशा प्रॉब्लम रहता है। पर जब से आदरणीय ,सुषमा जी विदेश मंत्री बनी हैं , हम लगभग 74 शव वापस ला सके, जो गिनती में सबसे ज्यादा, संख्या में सबसे ज्यादा है। पिछली किसी भी सरकार में ऐसा नहीं हुआ था। माननीय मंत्री जी इतनी एक्टिव हैं। जब इस बिल के माध्यम से लैंड ट्रांसफर हो जाएगा, और दोनों देशों के बीच में इतने सारे लोगों का एक्सचेंज होगा, तो मैं माननीय विदेश मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि आप इन सभी पांच राज्य सरकारों को विश्वास में लीजिए। मैं अनुरोध करूंगा कि केंद्र कृपया विकासात्मक योजनाओं की निगरानी करे। नहीं तो एक दो महीने के बाद जब इनिशियल यूफोरिया खत्म हो जाता है तो फिर वहां के लोगों के विकास के बारे में कोई नहीं सोचता है। विदेश मंत्री के रूप में, चूंकि आपने इस मुद्दे को इसके ताकक अंत तक पहुंचा दिया है, कृपया इन लोगों के विकास संबंधी पहलू पर भी ध्यान दीजिए।

जहां तक फेंसिंग की बात है, तो बॉर्डर स्टेट्स के बहुत सारे मेम्बर्स यहां इस फेंसिंग के इश्यू को उठाते हैं। बांग्लादेश के साथ हमारी पूरी बाउंड्रीज, जो तकरीबन चार हजार किलो मीटर के आस-पास है, उसकी भी पूरी फेंसिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ, हमें भारत के लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए।

महोदय, इतना कहते हुए मैं आपके माध्यम से सरकार से एक और गुज़ारिश करना चाहूंगी। भारत-बांग्लादेश के बीच के लैंड बॉर्डर्स की तो हमने बात कर ली, पर भारत-बांग्लादेश के बीच में और भी कई इश्यूज हैं। जैसे दोनों देशों के बीच में मैरीटाइम इश्यूज हैं। बांग्लादेश भी उसी जल पर दावा करता है और हम भी उसी जल पर दावा करते है। इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है।

[अनुवाद]

भारत और बांग्लादेश के बीच एक या दो नहीं बल्कि 54 नदियाँ साझा होती है। हमारे पास एक संयुक्त नदी आयोग और एक संयुक्त आर्थिक आयोग भी है। लेकिन,इनका जो रोल है और जो लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं या हिन्दुस्तान के सीमावर्ती राज्यों में रह रहे हैं, हम इन लोगों को विश्वास नहीं दे पा रहे है। महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वह इस पर विचार करें। मैं माननीय मंत्री जी से - गंगा, तीस्ता नदी और अन्य नदियों के जल के बंटवारे के संबंध में - से अनुरोध करती हूं कि वे सक्रिय भूमिका निभाएं और इन मामलों को हमेशा के लिए समाप्त करें और उनका समाधान करे।

[हिन्दी]

महोदया, हमारे नौ प्रमुख पड़ोसी हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। इन सारे देशों के साथ हमारी जो विदेश नीति है, मुझे लगता है कि कहीं-न-कहीं वह थोड़ी प्रॉब्लम में है। आपको भी मालूम है कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता में हमारा रोल बहुत ज्यादा था। लेकिन, आज एक ऐसा माहौल बन गया है कि बांग्लादेश चीन के साथ एलाइन होना चाहता है। आज बांग्लादेश चीन के साथ अपने व्यावसायिक संबंध बढ़ा रहा है।

इसी प्रकार, श्रीलंका के मुद्दे को भी देखिए। वे हमारे बहुत करीब रहे है। निस्संदेह, इन दोनों के बीच कुछ समस्याएं थीं जिन्हें हमने सुलझा लिया है। पर, अब चीनी सबमैरिन्स श्रीलंका के यहां रूकते हैं, और श्रीलंका भारत को बताते भी नहीं हैं। मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि हमारा देश बहुत बड़ा पड़ोसी है और बहुत छोटे देश है। अगर हम एक बार उनके सामने जाकर देखेंगे तो उन्हें ऑब्भियस्ली एक डर लगेगा कि इतना बड़ा एक पड़ोसी देश हमारे पास है। लेकिन एक बड़े भाई के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम एक अच्छी भूमिका निभाएं और इन देशों के बीच मुद्दों को साझा करें और सुलझाएं। उदाहरण के लिए, हमारे तमिल भाई कच्चातीवू द्वीप और मछुआरों के मुद्दे लगातार उठाते रहते है। उस पक्ष से भी हमेशा 'राम सेतु' की बात उठाई जाती है। हमने सोशल मीडिया में इसके बारे में बहुत पढ़ा है। जब भी हमारे पार्लियामेंट में 'राम सेतु' की बात उठती है तो श्रीलंका के लोग अन-कॉम्फॉर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि उनके वेसल्स को जाने में दिक्कत होती है। इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जो हमारे पार्लियामेंट में हमें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन वह दूसरे देशों के लोगों के मन में ऐंग़्ज़ाइटी पैदा करती है।

[अनुवाद]

महोदय, माननीय विदेश मंत्री बहुत जानकार व्यक्ति है। इस सरकार में उनकी ऐतिहासिक भूमिका है। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि हमारी विदेश नीति को चीन या पाकिस्तान द्वारा निर्धारित न होने दें। निःसंदेह, हमें पाकिस्तान के साथ समस्याएँ हैं और हमें चीन के साथ समस्याएँ हैं, लेकिन मेरा मानना है कि स्वतंत्र रूप से, हमें प्रत्येक देश के साथ एक अलग इकाई के रूप में व्यवहार करना चाहिए।

महोदय, हमें एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण मामले पर भी ध्यान देना चाहिए। आज, चूंकि चीन के पास अतिरिक्त पैसा है, इसलिए वह हर जगह निवेश कर रहा है। चीन ने श्रीलंका के बंदरगाहों में निवेश किया है और चीन बांग्लादेश में निवेश कर रहा है। यह भविष्य में एक समस्या होगी। इसलिए, हमें वास्तव में इसकी जांच करनी होगी।

व्यक्तिगत रूप से, यह मत सोचिए कि मैं कतिपय मुद्दों पर सरकार के रुख का विरोध कर रही हूं, लेकिन बुलेट ट्रेन प्राप्त करने और बुलेट ट्रेन पर 60,000 करोड़ रुपये खर्च करने के बजाय, हम अपने पड़ोसी देशों में निवेश क्यों नहीं करते। हमें नेपाल को और अधिक धन देने की आवश्यकता है, और हमें अफगानिस्तान में और अधिक धन निवेश करने की आवश्यकता है। हमारे पास एक अस्थिर अफगानिस्तान नहीं हो सकता, और हमारे पास एक अस्थिर पाकिस्तान नहीं हो सकता। आइए हम पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में और अधिक काम करें और हमारी विदेश नीति चीन और पाकिस्तान द्वारा निर्धारित न हो। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक है। हमारी विदेश मंत्री सुषमा जी ने इसे यहाँ लाकर पहले ही सेन्चुरी मार दी है। यह 119वाँ संशोधन है, लेकिन जब यह पास करेंगे तो यह कोई को-इन्सीडेंस नहीं है कि यह हैंड्रेड्थ होगा, तो आपकी सेन्चुरी के लिए भी आपको बधाई हो।

वर्ष 1974 में इन्दिरा गाँधी और मुजिबुर्रहमान की इंदिरा-मुजीब चुक्ती एग्रीमेंट हुई थी। हमें 41 वर्ष लग गए इस देश में संसद में इस मामले को लाने और इससे निबटने में, जबकि वर्ष 1974 में ही बांग्लादेश उस एग्रीमेंट को रेक्टिफाई कर चुका था। हमारे कानून के तहत, हमारे संविधान के तहत हमें संविधान में संशोधन लाना था। मैं चूँकि खुद विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ, पहले ही यह कह देना चाहिए, अक्सर स्टैंडिंग कमेटी में किसी मामले को भेजने में सरकार यह कहती है कि समय जाया होता है। ढाई महीने में स्टैंडिंग कमेटी ने यूनैनिमसली रिपोर्ट पेश कर दी। फिर भी सरकार को चार महीने से ज्यादा का समय लग गया, सवा चार महीने लग गए, अपना मन बनाने और कुछ लोगों को मनाने में, देर है, पर दुरूस्त है। विदेश मंत्रालय ने विदेश मंत्री के नेतृत्व में पहलकदमी की है, जिसका यह नतीजा है। वरना कल तक यह बात चल रही थी कि होना है या नहीं होना है, कहाँ तक होना है, ट्रंकेटेड होगा या पूरा होगा, इसके लिए भी आपको बधाई है।

सबसे अच्छा होता कि यह उस दौर में जब मिसेज इन्दिरा गाँधी प्राइम मिनिस्टर थीं और उधर मुजिबुर्रहमान देश को आजाद कराने के बाद बंगबन्धु का पूरी दुनिया में एक कद था, उस वक्त इसे लागू कर सकते थे। सरकार किस तरह से काम करती है, यह इस सरकार या उस सरकार की बात नहीं है, मामला यह है कि उस वक्त यह नहीं हुआ। चूंकि उसके लिए स्टेट्समैनशिप चाहिए और हिम्मत चाहिए। हमेशा कुछ लोग होते है, आज भी हैं, सरहद के उस पार भी हैं, सरहद के इस पार भी हैं, जो इन तमाम सवालों को तर्क के साथ, तथ्य के साथ या मानवीय दृष्टिकोण से नहीं देखकर राजनीतिक, धर्म या अल्ट्रानेशनलिज्म की तरह देखते हैं। इस तरह से डिस्प्यूट को सॉल्व करने के बजाए पाला जाता है। उस कंट्रोवर्सी की कीमत हमें चुकानी पड़ती है। भारत बांग्लादेश के बीच उतने ज्यादा डिस्प्यूट्स नहीं हैं। लैंड बाउंड्री के डिस्प्यूट्स इस बिल से कम से कम

परमानेंटली सेटल होंगे। इससे जो स्क्रिमिज होती हैं, चाहे वह रैब हो चाहे हमारे यहां बीएसएफ हो, कभी-कभार सीमा पर जो होता है, वह भी बंद होगा। जो सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, स्मग्लिंग का प्रश्न है या जो देश की विरोधी ताकतें हैं, जो हंगामा करना चाहती हैं, ऐसी शक्तियां जो सीमा पर ऐसा माहौल पैदा करती हैं या ऐसे माहौल का फायदा उठाना चाहती हैं, उनके ऊपर भी अंकुश लगेगा, लेकिन यह आज का विषय नहीं है।

मैं इस वक्त ज्योति बसु, बंगाल के पूर्व चीफ मिनिस्टर की बात को याद करूंगा। इसी छींटमहल का मामला, एन्क्लेव का मामला, बेरूबारी यूनियन जो दो टुकड़े हो गई, कुछ हमारे हिस्से में है, कुछ उनके हिस्से में है, बीच में तीन बीघा का कोरीडोर का मामला था, इसी प्रोटोकाल के तहत, लैंड-बार्डर एग्रीमेंट के तहत वर्ष 1992 के जून महीने में एक खत एक्सचेंज करके भारत-बांग्लादेश में उस मामले को हल कर लिया गया। उस वक्त वाम मोर्चे के अन्दर भी बहुत-से प्रश्न थे। यह बात वर्ष 1950 से चल रही है। यह सब बातें आ गयी हैं, मैं इनके बारे में नहीं बोल रहा हूं, 'नेहरू नून एग्रीमेन्ट' हो या उच्चतम न्यायालय का रेफरैन्स हो। रेडक्लीफ साहब जो किए थे, अभी प्रो. सुगत बोस ने एक अच्छे हिस्टोरियन की तरह अपनी बात को रखा है। उनका मिशन बहुत हड़बड़ी में हुआ है। पूरा देश पार्टीशन के लिए तैयार था, लेकिन बंगाल पार्टीशन के लिए तैयार नहीं था। अगर उस वक्त कांग्रेस नेतृत्व 'नेहरू लियाकत एग्रीमेन्ट' मान लेती, या सी.आर.दास, सरद बोस, ए.के. फज़लुल हक की रहनुमाई को स्वीकार कर लेते तो हमें आज यह टुकड़ा देखने को नहीं मिलता। वह इतिहास है। नेतृत्व को दूरदर्शी होना पड़ता है। एक घर के तीन टुकड़े हो गये, हम फिर से मिलन की बात नहीं करते हैं। बांग्लादेश आजाद रहे, पाकिस्तान अपनी जगह पर रहे, हम अपनी जगह पर रहें, चूंकि हमारे देश का साइज ऐसा है, हम जब भी यह कहते हैं कि चलो एक हो जाएंगे तो बांग्लादेश के अंदर परेशानी हो जाती है। भारत विरोधी तत्व कहते हैं कि भारत हमें ले लेना चाहता है। हम अच्छे संबंध चाहते हैं। हम अच्छे संपर्क चाहते हैं। हमारे अंदर जो एक्सचेन्ज है, चाहे वह कल्चर, लैंग्वेज, लिट्रेचर, ट्रेड, कॉमर्स या तिज़ारत हो, वे और अच्छे होने चाहिए। हमने संघर्ष की कीमत चुकाई है; अब, हमें सहयोग की फसल काटनी है। यह ज्यादा जरूरी है, हमारे पड़ोसी देश के साथ संपर्क करने के लिए। आपकी भाषा में सी.बी.एम. होता है - कान्फिडेन्स बिल्डिंग मेजर्स, जैसे हम ने गंगा

के पानी का मुआयना किया था,उसी तरह कविता जी ने कहा है कि ऐसे कई इश्यूज हैं, 'आगे और पीछे देखने के लिए"। वह हमारा लोकल बॉर्डर ट्रेड हो, जो ट्रेडिशनली होते थे, रेडक्लीफ साहब ने लकीर खींच दिया, सियासी माहौल ऐसा बन गया, दंगा-फसाद का माहौल हो गया, हम दो टुकड़ों में बंट गये, लेकिन गांव तो एक ही है, लोग तो एक ही हैं। वहां कैटल्स की स्मगलिंग की जाती है। आतंकी इस पार से उस पार हो जाते हैं, लेकिन गांव के लोगों को जो जरूरत है, उनको हम शेयर नहीं कर सकते हैं। सरकार को यह कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से लोकल बॉर्डर ट्रेड को, जो लोकल हाट की बात है, बांग्लादेश से भी प्रपोजल था, उसको आप आगे बढ़ायें।

मैं खुद उत्तर दिनाजपुर सीमा-क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। त्रिपुरा से लेकर पूरे नॉर्थ-ईस्ट का बॉर्डर ट्रेड बढ़ना चाहिए। इसी तरह हमारा जो ट्रांजिट की फैसिलिटी है, बांग्लादेश को फायदा हो, हमें भी फायदा हो, नॉर्थ-ईस्ट के साथ हमारा जो मूल भूखंड है, उसका सिर्फ इंटीग्रेशन, यह सिर्फ कोलकाता, अगरतल्ला और गुवाहाटी का मामला नहीं है। नॉर्थ-बंगाल और नॉर्थ-ईस्ट के साथ, चाहे बांग्लादेश के चिट्टागोंग के साथ साबरूम हो कर, त्रिपुरा को सी-ऐक्सेस मिले या बांग्लादेश के पोर्ट को नेपाल के साथ ट्रेड करने के लिए हमारे नॉर्थ बंगाल के अंदर से कॉरिडोर मिले। पूरे विश्व में इस तरह से रिजनल कोऑपरेशंस हो रहे हैं तो हमें भी यह पूरे एशिया में दिखाना पड़ेगा। मैं इस बात को इसलिए खींच रहा हूं कि इस वक्त एशिया में कई मुल्क के अंदर बमबारी हो रहे हैं, लोग अपने मामले को हल नहीं कर पा रहे हैं, गोलीबारी हत्या और खून-खराबा हो रहा है। ऐसे समय में हम दो देशों के बीच में एग्रीमेन्ट कर रहे हैं और यह संसद इसको पास कर रही है, यह पूरे विश्व के सामने एक नमूना है। हम पंचशील की बात करते थे, हम शांति की बात करते थे, सदियों से हम जिस बात को कहते आये हैं, दक्षिण एशिया जो पूरे विश्व को दे सकती है, बुद्ध, जैन के जमाने से, आज हम उस मिशाल को पूरे विश्व के सामने रख सकते हैं कि मामला गोली से नहीं बोली से हल हो सकता है और इसका यह नमूना है।

दूसरी बात यह है कि स्टैंडिंग कमेटी में बड़ा अच्छा अनुभव हुआ है कि जब पहले यह प्रश्न आया, मैं इस ओर मंत्री महोदया का ध्यान आर्किष्ट कराना चाहता हूं, चूंकि उस वक्त हमारे देश में ऐसा हो गया, उसके लिए

हमें अफसोस है, वर्षो से बांग्लादेश मतलब - इलीगल माइग्रेन्ट। बांग्लादेशी इलीगल, वह फ्रेज बन गया है, वह क्वाइन हो गया है कि बांग्लादेशी हमारे देश के अंदर घुसपैठ कर लेना चाहते हैं। बांग्लादेश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हिन्दुस्तान का मतलब है कि वह हमें ले लेगा। उसने पाकिस्तान को हरा कर बांग्लादेश को आजाद किया है तो हो सकता है कि वह यहां कब्जा कर ले, हमारे ट्रेड और कॉमर्स को ले ले। इससे भय, जेनोफोबिया का वातावरण तैयार होता है। वह हम ने माननीय सदस्यों के अंदर भी देखा है। बाद में हमारे चेयर मैन और श्रीमती सुजाता सिंह दी देन फॉरेन सेक्रेट्री थी,मैं उनकी बात भी करूंगा कि उसने सामने से नेतृत्व किया और उसने हमें आश्वस्त किया। उन्होंने जो प्रजैन्टेशन दिए उससे लोगों के मन में जो भय था उसे दूर किया गया और कमेटी की प्रक्रिया में ऐसा होता है। स्टैंडिंग कमेटी में कन्सेन्सस बिल्ड-अप करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। तृणमूल कांग्रेस जो बंगाल की रूलिंग पार्टी है, सुगत बोस ने कमेटी में कहा है कि उसके बाद क्या होगा? चूंकि एक डर या भय रहता है, जिम्मेदारी रहती है। आबादी का मामला हो, पुनर्वास का मामला हो। कमेटी में हम लोगों ने होम मिनिस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को भी बुलाया और समस्या सुलझाने की कोशिश की कि हम लोग यह जिम्मेदारी ले रहे हैं। लोग ह्यूमन प्रोबल्म को जमीन की समस्या समझ सकते हैं, लोग इसे देश की समस्या समझ सकते हैं।

जब हम कूच बिहार में इनक्लेव के लोगों से बात करते हैं, जो एडवेंस पोजिशन में हैं, उसे डिज्यूर करना है, डिफैक्टो करना है। लेकिन इनक्लेव में खेती का प्रश्न, रोटी का प्रश्न, दवाई का प्रश्न, अस्पताल का प्रश्न, थाने का प्रश्न और शिक्षा का प्रश्न इन सबसे उनको बहुत परेशानी होती है। जहां वे रहते हैं वह उनका देश नहीं, जहां वे जाते हैं तो कहा जाता है, तुम कहां से आए हो। बच्चों को स्कूलों में भर्ती करने के लिए लोकल गार्जियन का नाम पिता के रूप में लिखाना पड़ता है नहीं तो वे कहेंगे कि तुम दूसरे देश से आए हो, इस समस्या से उनको मुक्ति मिलेगी। यह केवल शुरूआत है, अंत नहीं। जब इनक्लेव का मामला हल हो जाएगा, एडवेंस पोजिशन का मामला हल हो जाएगा, जैसे कविता जी ने कहा चाहे वह तीस्ता जल की बात हो या बाकी नदियों की बात हो, चाहे ट्रांजिट की बात हो, चाहे एनर्जी का मामला हो, चाहे सिक्युरिटी का मामला हो। आज के दिन बांग्लादेश

की हुकूमत हमारे देश की सुरक्षा से संबंधित एक सकारात्मक रवैया अपना रही है। हम भी अपने देश के किसी हिस्से से बांग्लादेश के खिलाफ काम करने की इजाजत नहीं दे सकते, हमारे देश के खिलाफ भी बांग्लादेश को काम करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। नार्थ-ईस्ट की बहुत सारी समस्याएं सिक्युरिटी एंगल से बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। विदेश मंत्रालय ने रास्ता दिखाया कि किस तरह से जब देश का मामला या मानवीय प्रश्न आता है, तब सदन के अंदर और सदन के बाहर कैसे जुड़ाव पैदा होता है। इससे सीख लेकर बाकी विभाग भी काम कर सकते हैं कि किस तरह स्टैंडिंग कमेटी का इस्तेमाल करके विधेयक को एक साथ मिलाकर आम सहमति से तैयार की जा सकती है। अगर हम विदेश के साथ जमीन का मामला हल करने के लिए समझौता करने के लिए एक राय हो सकते हैं तो क्या देश के अंदरूनी मामले में एक नहीं हो सकते? ...(व्यवधान) यह दिलचस्प होगा। मुझे एक मिनट बोलने की इजाजत दीजिये। यह बंगाली में एक उद्धरण है। महान आनंदा शंकर रॉय ने देश के विभाजन के बाद लिखाः

[अनुवाद]

तेलर शिशी भांगलो बोले

खुकुर परे राग करो

तोमरा जे शब बुरो खोका

भरत भंगे भग करो

तार बेला?

[हिन्दी]

देश का बंटवारा एक हकीकत है, हम वहां से वापस नहीं आ सकते, लेकिन हम अच्छे पड़ोसी की तरह दूसरे देशों के साथ जी सकते हैं। यह संदेश हम दूसरे मुल्क को दे सकते हैं। जब बच्चा शीशी तोड़ देता है तो

हम उसके ऊपर गुस्सा करते हैं और जब बड़े बच्चे मुल्क को तोड़ रहे हैं तब कोई नहीं देखता कि क्या हो रहा है? हम तोड़ने की बजाए जोड़ने की बात कर रहे हैं। इस पर हम सब एक राय हैं, यह बहुत ही गौरव की बात है।

[अनुवाद]

श्री वाराप्रसाद राव वेलगापल्ली (तिरुपति): महोदय, मैं सभापति महोदय को यह अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी पार्टी, वाई.एस.आर. पार्टी की ओर से, इस ऐतिहासिक कानून को लाने के लिए माननीय मंत्री को बधाई देती हू। विशेष रूप से पिछले दस महीनों से जहां अधिकांश विधेयक पर कोई सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण चर्चा नहीं हुई है, इस विधेयक ने हमें इतनी सारी खुशियों के आदान-प्रदान का पर्याप्त अवसर दिया है। वो मुझे आज अखबारों में देखने को मिला। आज सुबह, उन्होंने यह उल्लेख करने की कृपा की थी कि हमें भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री को श्रेय देना चाहिए जिन्होंने इस माहौल को बहुत अनुकूल बनाया है। मुझे उम्मीद है कि यह आगे भी जारी रहेगा।

विधान वर्ष 1974 के भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते को लागू करेगा और भूमि अदला-बदली की अनुमति देगा। बांग्लादेश को 260 एकड़ जमीन और भारत को 174 एकड़ जमीन मिलती है। आंकड़े अलग-अलग हैं और इसलिए, माननीय मंत्री स्पष्ट कर सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश को वास्तव में कितनी भूमि मिलती है।

इस कानून से भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध स्थापित होंगे। यदि माननीय विदेश मंत्री तीस्ता जल विवाद के अन्य प्रमुख मुद्दे को हल कर सकें, तो हमारे सबसे मित्रवत पड़ोसी बांग्लादेश के साथ हमारे बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध होंगे।

मैंने कुछ अखबारों में पढ़ा कि 10,000 एकड़ से ज्यादा एन्क्लेव बांग्लादेश में जा रहे हैं और इससे सीमाएं सिकुड़ने वाली है। माननीय मंत्री वाद-विवाद का उत्तर देते समय इन बिंदुओं को स्पष्ट कर सकते है। मेरा मानना है कि इससे सीमा की रूपरेखा बदल जाती है। यदि सदस्यों को एक छोटा सा मानचित्र वितरित किया गया होता तो हम इस बात को और अधिक बेहतर समझते।

अब मुद्दा यह है कि 54,000 से अधिक लोगों को राज्य का दर्जा देने का समाधान इस विधान के माध्यम से किया जाना है। इनमें से 34,000 लोगों के भारत और शेष के बांग्लादेश आने की संभावना है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 41 वर्षों से इन लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और कानून-व्यवस्था से संबंधित बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करायी गयी है। भगवान का शुक्र है, माननीय मंत्री ने यह सुनिश्चित करने की महती जिम्मेदारी ली है कि इन लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इस पर बहुत जल्द विचार किया जा सकता है।

नागरिकता के संबंध में मेरी राय है कि लोगों को विकल्प दिया जा सकता है। जो भी व्यक्ति बांग्लादेश जाना चाहता है उन्हें बांग्लादेशी नागरिकता दी जानी चाहिए तथा इसके विपरीत जो भारत आना चाहते हैं उन्हें भारतीय नागरिकता दी जानी चाहिए। हम माननीय मंत्री जी को विशेष रूप से असम को भी शामिल करने के लिए धन्यवाद देते हैं जिससे यह 100 प्रतिशत प्रचालन में आ गया है। हमारा यह भी अनुरोध है कि इन लोगों से जो भी पुनर्वास पैकेज का वादा किया गया है उसे शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए ताकि इन लोगों को मूलभूत सुख-सुविधाएँ प्रदान की जा सकें।

धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सिराजुद्दीन अज़मल (बारपेटा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि हमारी माननीय विदेश मंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज जी बहुत दयालु और उदार हैं तथा उन्होंने इस बात को एक बार फिर साबित कर दिया है। यह विचार बहुत प्रशंसनीय है और हम सभी द्वारा बहुत सराहा गया है।

अपराह्न 04.58 बजे **(माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुए*)

संविधान (एक सौ उन्नीसवें) संशोधन विधेयक जो वर्ष 1974 की भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संचालन की अनुमति देता है के बारे में मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा कि यह देश के हितों के विरुद्ध है क्योंकि इससे सीमावर्ती राज्य असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूँ और हमारा दल, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का भी येही रुख है कि पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने के अन्य तरीके भी है। असम जैसे राज्यों में अपरदन तथा बाढ़ से प्रति वर्ष लाखों हेक्टेयर भूमि का नुकसान होता है, तथा ऐसे राज्यों की भूमि देकर पड़ोसी देश के साथ अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना और सीमा विवाद सुलझाना एक मात्र रास्ता नहीं है।

हमें लगता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक कंक्रीट की दीवार खड़ी करके सीमा विवाद को स्थायी रूप से हल किया जा सकता है क्योंकि इससे 'बांग्लादेशी' की चिरस्थायी समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा, जिसे सभी अल्पसंख्यकों पर लागू किया गया है। हमारा मानना है कि चारदीवारी खड़ी करके एक स्थायी समाधान हो जाएगा। लेकिन भारत की इतने एकड़ भूमि दे देना, मुझे नहीं लगता कि यह आपके पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध रखने का एक समाधान है।

अपराह्न 05.00 बजे

राज्य सभा में एन.डी.ए. सरकार को अंतिम मंज़ूरी दे दी गई है तथा यह प्रचलन में आएगी। लेकिन एन.डी.ए. ने इसका विरोध किया था जब यू.पी.ए. सरकार ने भी ऐसा ही करने की कोशिश की थी।

महोदया, असम एक ऐसा राज्य है जहाँ प्रति वर्ष बाढ़ आती है और अपरदन होता है। भारत के सामान्य नागरिकों को बांग्लादेशी कह कर संदर्भित किया जाता है। यहाँ मैं केवल यह उल्लेख करना चाहूँगा कि कैसे इन लोगों को, जो भारत के निर्दोष नागरिक हैं, बांग्लादेशियों के रूप में संदर्भित किया गया। अचानक, रातों-रात उनके घरों में बाढ़ का पानी भर जाता है और उन्हें अपने बच्चों की जान बचानी है। ऐसी स्थिति में उनके पास अपने दस्तावेज़ों को इकट्ठा करने का समय नहीं है। अंततः, वे बाढ़ में अपने कीमती दस्तावेज़ों को खो देते है। नतीजतन, वे सैकड़ों एकड़ भूमि खो देते है। इन लोगों को अंततः दस्तावेज़ नहीं मिलते हैं और उन्हें बांग्लादेशी के रूप में संदर्भित किया जाता है। लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच एक कंक्रीट की दीवार का निर्माण होने और एक सीमा का सीमांकन करने से एक स्थायी समाधान होगा और 'बांग्लादेशी' कहलाए जाने की इस समस्या से असम के अल्पसंख्यकों को छुटकारा मिल जाएगा। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि भारत और बांग्लादेश की सीमा के इर्द-गिर्द रहने वाले लोग बहुत पीड़ित है। दोनों राष्ट्रों के बीच स्थायी रूप से भूमि का सीमांकन करके उनकी पीड़ा का स्थायी रूप से समाधान किया जाना चाहिए।

मैं असम के लोगों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी से अपने चुनावी वादे को पूरा करने का अनुरोध करूँगा जिसमें उन्होनें कहा था कि कि बांग्लादेश को एक इंच भी ज़मीन नहीं दी जाएगी। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया वादा था, और मैं माननीय विदेश मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि कृपया देश और देश के लोगों को, विशेष रूप से असम के लोगों के व्यापक हित के लिए विधेयक को वापस लिया जाए।

श्री राम प्रसाद शर्मा (तेजपुर): महोदया, मैं भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण संबंधी संविधान (एक सौ उन्नीसवें संशोधन) विधेयक 2013 पर बोलने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। हालांकि हम कभी विभाजन नहीं चाहते थे, पर यह हम पर थोपा गया और लाखों लोग विस्थापित होने पर मारे गए। यह इतिहास का एक दंड है जिसका हम सामना कर रहे है। बांग्लादेश का जन्म हमारे देश से हुआ था और उसके बाद से बांग्लादेशियों का भार असम राज्य द्वारा वहन किया जा रहा है। असम इस भार का वहन काफ़ी लंबे समय, विशेषकर वर्ष 1971 के युद्ध और बांग्लादेश की आज़ादी के बाद से कर रहा है। अवैध घुसपैठियों के रूप में आए लोग असम में ही बस गए। अतीत में विभिन्न सरकारों द्वारा किए गए सभी वादे भले ही वे कांग्रेस सरकार अथवा ए.जी.पी. सरकार द्वारा किए गए थे, किसी भी परिणाम तक पहुँचने में विफल रहे।

रेडक्लिफ द्वारा सीमा रेखा का निर्धारण लापरवाहीपूर्ण रीति से किया गया था और इसने सीमा विवाद का हल नहीं हुआ है। कई परिक्षेत्र अनिर्धारित और अपरिभाषित रह गए थे जहाँ हमारे लोग उनकी भूमि पर रहते हैं और उनके लोग हमारी भूमि में निवास करते है। प्रारंभिक चरण में हमने इस भूमि हस्तांतरण का विरोध किया था। असम ने 268.39 एकड़ भूमि के इस हस्तांतरण का विरोध किया था। मूल रूप से यह 499 एकड़ था लेकिन इसे 268.39 एकड़ पर तय गया था। मामले को बरकरार रखते हुए बंगलादेशियों ने उस गलियारे के माध्यम से भारत में घुसपैठ की और 15 लाख से अधिक मवेशियों की बांग्लादेश में तस्करी भी की। पिंग खाद्य उद्योग बांग्लादेश सीमा में स्थापित किया गया था और यह भारत से गायों की तस्करी के माध्यम से बांग्लादेश में फैला है। तटीय क्षेत्र सुरक्षा से वंचित है। सीमा क्षेत्र भी पूरी तरह सुरक्षित नही है। सीमा सुरक्षा बल समस्त सीमा क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम नहीं है। सीमा क्षेत्र की कुल लंबाई 4096 किलोमीटर है। समझौते पर 16 मई, 1974 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसे 8 दिनों बाद ठीक 41 वर्ष पूरे हो जाएंगे।

यह भी इसे निश्चित नहीं कर पाया है। फिर से, वर्ष 1992 में कुछ बस्तियां बनाई गईं। अंततः, वर्ष 2011 में डॉ. मनमोहन सिंह जी और हमारे मुख्यमंत्री श्री तरुण गोगोई जी ने बांग्लादेश जाकर एक उपसंधि पर हस्ताक्षर किए। उस उपसंधि की अब पुष्टि की जा रही है। हमने इसका विरोध किया। जहाँ तक असम की भूमि का संबंध

है, असम के स्वदेशी संगठनों ने बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण किए जाने का विरोध किया है। हमारे पास एक मजबूत विपक्ष था। हमने लड़ाई लड़ी। हमने आंदोलन किया। भारतीय जनता पार्टी उस आंदोलन का एक हिस्सा थी। … (व्यवधान) लेकिन अंततः यह राष्ट्र के हित में आया। राज्य में कांग्रेस सरकार ने एक पूर्ण रूप से विपरीत रुख अपनाया और भारत के प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भेज दिया जिसमें भूमि हस्तांतरण में असम को शामिल ना किए जाने का विरोध किया गया था। … (व्यवधान) अंतत:, हम इससे सहमत हो गए। … (व्यवधान) वह पत्र रिकॉर्ड में है।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): आप रिकॉर्ड दिखा दीजिए। … (व्यवधान)

श्री राम प्रसाद शर्मा: जब माननीय विदेश मंत्री जी बोलेंगी, तब वे उत्तर देंगी। कृपया शांत रहें। कृपया बैठ जाइए। … (व्यवधान)

यह मुख्यमंत्री जी का पत्र है। माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे। … (व्यवधान) इसलिए, हमें असम को सीमा-भूमि समझौते में शामिल करना पड़ा था। हमने इसका विरोध किया था क्योंकि हम असम में घुसपैठ के विरुद्ध पूरी सुरक्षा चाहते थे। असमिया लोगों की अस्मिता की रक्षा की जानी चाहिए। कांग्रेस सरकार असमिया लोगों, जो असम के मूल निवासियों हैं, की अस्मिता की रक्षा करने में विफल रही है। कांग्रेस के लोग असम को दूसरा बांग्लादेश बनाना चाहते थे। हमने इसका असम में और संसद में जी जान से विरोध किया। मुझे गर्व से यह कहना होगा कि आज भी हम असम के लोगों की ओर से इसका विरोध कर रहे है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बात करते रहेंगे।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं इस बात का ध्यान रखूंगा; चिंता न करे।

... (व्यवधान)

श्री राम प्रसाद शर्मा : बांग्लादेश के कब्जे वाला क्षेत्र बहुत बड़ा है। बांग्लादेशियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने के लिए पिछली सरकारों द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। ... (व्यवधान)

हम यह भी चाहते हैं कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय जैसे हिंदू बंगाली, चकमा, हाजोंग तथा ईएस.ए.आई. अल्पसंख्यक जिन्होने भारत में शरणार्थी के रूप में शरण ले रखी है, उनकी रक्षा की जाए। यही हमारी मांग है। ... (व्यवधान) हमें यह देखना होगा कि हिंदू अल्पसंख्यक, चकमा तथा ईएस.ए.आई. और अन्य लोग बांग्लादेश नहीं छोड़ रहे है। भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जमीन देते समय। ... (व्यवधान) दो सौ अड़सठ एकड़ ज़मीन एक बड़ा हिस्सा होता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों की अच्छी तरह से रक्षा की जाए। कुछ मायनों में, हम 268 एकड़ भूमि दे रहे है। ... (व्यवधान) इससे दो देशों के बीच संबंधों की एक नई प्रक्रिया और एक नया अध्याय शुरू होगा। इससे अगरतला, मिजोरम और असम में बराक घाटी जाने का एक नया ट्रांज़िट मार्ग भी खुलेगा।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ और विदेश मंत्री जी को इस पहल की शुरूआत करने के लिए बधाई देता हूँ। लेकिन साथ ही मैं असम के कांग्रेस शासित राज्य द्वारा अपनाए गए तरीकों और प्रक्रियाओं की दृढ़ता से अवहेलना करता हूँ।

धन्यवाद।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): माननीय अध्यक्ष महोदया, इस प्रकार के विधेयक में जहाँ हम विदेश मामलों के प्रति बहुत अधिक समझ नहीं रखते हैं, उन्हें विधेयक के साथ एक नक्शा भी प्रदान करना चाहिए था ताकि हम अच्छे से समझ सकें। ... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम: या हम स्क्रीन का उपयोग कर सकते है।

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री सुषमा स्वराज जी जो आज 119वें सवैधानिक संशोधन विधेयक लेकर आई हैं, यह स्वागत योग्य है। मैं उनको बधाई देता हूं।

वर्ष 1971 में बंग्लादेश का जन्म हुआ। बंग्लादेश का गठन होने के बाद वर्ष 1974 में भारत सरकार और बंग्लादेश सरकार के बीच इंदिरा गांधी और रहमान जी के नेतृत्व में सीमांकन के संबंध में जो करार हुआ था, उसके बाद डा. मनमोहन सिंह जी का वर्ष 2013 में भी इस दिशा में प्रयास रहा लेकिन उसे सही मायने में अमलीजामा पहनाने का काम आज हो रहा है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, पड़ौसी बंग्लादेश का रिश्ता एक मित्र देश के रूप में रहा है और आगे भी रहे, इसी के लिए यह बिल लाया गया है। बंग्लादेश को बनाने में हमें काफी बलिदान देना पड़ा था। इस बिल में जो थोड़ी-बहुत परेशानी थी, माननीय मंत्री जी ने सीमा से लगने वाली राज्य सरकारों से बातचीत करके उसका समाधान करने का प्रयास किया है। जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में कहा है। मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए कि भारत के जो लोग बंगलादेश पहुंच गए हैं और बंगलादेश के लोग हिंदुस्तान में हैं, वे लोग वापिस अपने-अपने देश में आ सकें, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। वर्ष 1978 में बहुत बड़ी संख्या में बंगलादेश के लोग हिंदुस्तान की सीमा में आ गए और वापिस नहीं गए। इस बिल के माध्यम से जो सीमांकन करार हो रहा है, क्या जो टापू हिंदुस्तान की सीमा में आएंगे और वहां जो बंगलादेश के लोग रह रहे हैं क्या वे वापिस बंगलादेश जाएंगे, इसे माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में जरूर बताएं।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष महोदया, आज मैं 193 कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह ऐतिहासिक अमेंडमेंट है और आज एक ऐतिहासिक दिन भी है जब भारत और बंगलादेश के बीच में जो दोस्ती है, वह और ज्यादा गहरी होने वाली है। मैं इस बारे में ज्यादा राजनीतिक तर्क नहीं देना चाहता हूं क्योंकि आज एक बहुत सुनहरा और ऐतिहासिक दिन है। भारत और बंगलादेश की जो दोस्ती है, वह आज से नहीं बल्कि वर्ष 1971 से है जब बंगलादेश की लिब्रेशन वॉर हुई। इस वक्त हमें पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की याद आती है क्योंकि उस समय इंदिरा जी की सरकार ने पाकिस्तान की आर्मी को हराकर बंगलादेश की आवाम को आजादी दी। इस वजह से आज बंगलादेश की आवाम और भारत की जनता पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का सम्मान करती है। वर्ष 1974 में इंदिरा गांधी जी और मुजिबुर्रहमान के बीच में ऐतिहासिक एग्रीमेंट हुआ, जिसके बारे में चर्चा हो चुकी है। वर्ष 2011 में इस दोस्ती के बीच में एक विशेष समय आया जब प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह शेख हसीना जी के साथ एक ऐतिहासिक प्रोटोकॉल ले कर आए। मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। मंत्री जी को भी पता होगा कि इस बिल के साथ जितना ज्ञान हमें बांटना चाहिए था, वह नहीं बांट पाए। अभी भी संसद में बहुत लोग चाहते हैं कि इस बिल के बारे में वे और ज्यादा बारीकी से समझ पाएं क्योंकि कहीं न कहीं आज इस बिल को लेकर बहुत कन्फ्यूजन से, प्रोपेगेंडा से निकला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आगे जाकर विस्तार से इस बारे में एक डाक्यूमेंट निकालें जो सभी सांसदों को समझा पाए कि यह बिल क्यों भारत के हित में है और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी इस बिल को क्यों ले कर आए। लोगों को पता लगना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने इसका समर्थन क्यों किया था।

इस बिल में तीन मूल चीजें हैं। एक चीज एनक्लेव है। एनक्लेव वह चीज है जो भारत की मिट्टी या बंगलादेश की मिट्टी है, एक देश की मिट्टी दूसरे देश की सीमाओं में बहुत अंदर तक समा चुकी है कि वहां प्रशासन की किसी प्रकार की भी सुविधा लोगों को नहीं दे पाते हैं। इंडिया के अंदर बंगलादेश के ऐसे 51 एनक्लेव्स हैं और बंगलादेश के अंदर इंडिया के 111 एनक्लेव्स हैं। अगर आप भूमि का आकलन देखें तो भारत के जो 111 एनक्लेव्स हैं, उनकी कुल भूमि 17170 एकड़ है और बंगलादेश के जो 51 इनक्लेव्स हैं, उनका आंकड़ा 7100

एकड़ हैं। यहां हमारे यूडीएफ के साथी ने कहा कि इसमें हम भारत की मिट्टी बंगलादेश को दे रहे हैं, यह गलत है क्योंकि वे सिर्फ एनक्लेव्स की बात कह रहे हैं। एनक्लेव के अलावा एक चीज एडवर्स पोजेशन है। इसका मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के अंदर ऐसा कोई क्षेत्र है, जिस पर बंगलादेश का कब्जा है। कब्जे का मतलब यह है कि वहां दूसरे देश के प्रशासन का कंट्रोल है। वैसे ही एडवर्स पोजेशन अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बंगलादेश में कोई ऐसा क्षेत्र है जो कानूनी तौर पर बंगलादेश का है लेकिन इंडिया का वहां प्रशासनिक कंट्रोल है। यदि एरिया देखें कि किसके पास कितना एरिया आता है, तो इंडिया के पास 2,777 एकड़ भूमि और बंगलादेश के पास 2738 एकड़ भूमि है। जहाँ बंगलादेश 2,738 एकड़ भारतीय भूमि पर एडवर्स पज़ेशन कर चुका है। उससे हम आज 470 एकड़ भूमि भारत लेकर आए हैं। इसका मतलब यह हुआ है कि ...(व्यवधान) रेडक्लिफ ने जो बाउंड्री बनायी ...(व्यवधान) मैडम स्पीकर, कुछ लोगों को तथ्य पसंद नहीं हैं, वे राजनीतिक लाभ के लिए नहीं चाहते कि सत्य बाहर आए। ...(व्यवधान) आपके प्रधानमंत्री जी खुद इसका समर्थन कर रहे हैं, शायद उन्होंने कुछ सोचकर इसका समर्थन किया होगा। ...(व्यवधान) सूटबूट की सरकार ने इस बिल में सूझबूझ लगायी है। ...(व्यवधान) सोच-समझ से यह बिल आगे बढ़ा है। जो ऐतिहासिक भूल की गयी थी, रेडक्लिफ ने ऐसा बाउंड्री बनाया था कि बंगलादेश के पास 2738 एकड़ भूमि उस समय के ईस्ट पाकिस्तान के एडवर्स पजेशन में था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इस बिल से उस ईस्ट पाकिस्तान से हम लैंड वापस लेकर आए हैं और इंडिया को 470 एकड़ भूमि मिली है। ...(व्यवधान) इसे हम लेकर आये हैं। हमने यहाँ एन्क्लेव्स की बात की, एडवर्स पजेशन की बात की।

तीसरी बात अन-डिमार्केटेड बाउंड्री के संबंध में है। छः किलोमीटर तक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जहाँ पर हमने सीमा बनायी ही नहीं। यह त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और असम में है। उस छः किलोमीटर पर हमने कभी सीमा नहीं बनायी, इसलिए अभी तक इसके बारे में पता नहीं है कि वहाँ पर की वह मिट्टी बंगलादेश की है या भारत की मिट्टी है। आज इस प्रोटोकौल और इस ऐतिहासिक बिल के द्वारा हमने उस छः किलोमीटर पर अपनी सीमा बनायी है। इससे क्या लाभ होगा? इससे यह लाभ होगा कि जो हमारी मिट्टी है, वह हमारे पास वापस आ

गयी है। और इससे मंत्री जी भी सहमत होंगी कि एडवर्स पजेशन के क्षेत्र में असम को स्पेशल केस के हिसाब से देखा गया है। एडवर्स पजेशन में क्या होता है, इस बिल में हमने यह सिद्धांत निकाला है कि चलो यह भारत की मिट्टी है, लेकिन चूंकि इस पर बहुत समय से बंगलादेश का प्रशासनिक कंट्रोल रहा है, उसे हम बंगलादेश को दे देते हैं और बंगलादेश की मिट्टी जो भारत में है, यह लीगली बांग्लादेश है, लेकिन बहुत समय से वहाँ पर भारत का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, उसे हम भारत में ले लेते हैं। लेकिन इस बिल में असम के केस में स्पेशल क्लॉज़ आया है, जिसके बारे में मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी अपने जवाब में इसका समर्थन या असमर्थन कर सकती हैं, कि असम का 738 एकड़ भूमि बंगलादेश के पास एडवर्स पजेशन के रूप में था। प्रिंसिपल के मुताबिक यह भूमि बंगलादेश के पास जाना चाहिए। दूसरे राज्यों में यही हुआ है। लेकिन असम के केस में, आज असम को उस एडवर्स पजेशन से 478 एकड़ भूमि मिली है। ...(व्यवधान) आप तथ्य में जाइए।

तीसरा ह्यूमैनिटेरियन लाभ है। कुछ लोग, जो न भारत के हैं, न बंगलादेश के हैं, उनको किसी तरह की कानूनी सुविधाएँ, जो मिलनी चाहिए, वह नहीं मिलती है, आज उनको वह सहायता मिल गयी है। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया है।

चौथा लाभ सिक्योरिटी का हुआ है। मैंने कहा कि छः किलोमीटर की अन-डिमार्केटेड बाउंड्री है। क्या हम नहीं चाहते कि अपनी बाउंड्री को डिमार्क करें, ताकि हम उस पर फेंसिंग कर पाएं। सिक्योरिटी की दृष्टि से हम भारत की बाउंड्री को सुरक्षित कर पाएंगे। इसलिए असम में जो अन-डिमार्केटेड बाउंड्री थी, उस लालटिटीला और डुमाबाड़ी बाउंड्री के डिमार्केट होने के बाद असम को 714 एकड़ भूमि और मिली है। साथ ही साथ, असम को जो कुल भूमि मिली है, यह मिनिस्ट्री का रिकॉर्ड है कि 1240 एकड़ भूमि है अब बाउंड्री पर हम फेंसिंग कर पाएंगे और इससे भारत को लाभ होगा।

फिर प्रश्न उठता है कि हम क्यों इस पर राजनीति कर रहे हैं? क्यों हमने इस बिल का असमर्थन किया? जहां पर हमें दिखता है कि बाउंडरी की फेंसिंग हो पाएगी, जहां दिख रहा है कि बांग्लादेश से लैण्ड हम वापस ला रहे हैं, जहां पर यह दिखता है कि भारत और बांग्लादेश की दोस्ती और गहरी होगी, तो क्यों वहां हम

राजनीति कर रहे हैं? क्यों हमने पहले उसका अपोज किया, अब समर्थन कर रहे हैं। पहले असम को उसमें से निकाला, अब असम को उसमें शामिल कर रहे हैं। जब यह देखा जा रहा है कि सभी का लाभ होता है, तब यह प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों किया गया? खुद सरकार ही इसका उत्तर दे पाएगी। आज यह बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, आज हम सभी को इस पर गौरव करना चाहिए। आज हमें प्रधानमंत्री मोदी जी और विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी को बधाई देनी चाहिए, जिन्होंने राष्ट्रीय हित में इस बिल को प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय हित में यह बिल लाए हैं, स्टेट बीजेपी ने चाहे जो कहा हो, लेकिन राष्ट्रीय हित में उन्होंने यह निर्णय लिया है। हम उनका स्वागत करते हैं और हम भी सहमत हैं कि अगर हमारे पड़ोसी देश में किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे वह धर्म के कारण हो, संस्कृति के कारण हो या भाषा के कारण हो, तो उन लोगों भारत द्वारा सुरक्षा दी जानी चाहिए। यह हमारा दायित्व बनता है। पूरे दक्षिण एशिया में भारत सर्वश्रेष्ठ देश है। हमारा दायित्व है कि हम सिर्फ अपने देश की इकोनोमी के बारे में नहीं, बल्कि पूरे साउथ एशिया को, अपने पूरे नेबरहुड को लीडरशिप दें। सभी देशों की शांति और स्टेबिल्टी में हमारा ही लाभ है। हम चाहते हैं कि आज यह एक ऐतिहासिक दिन है, हम सभी को इस पर गौरव करना चाहिए। हम शुक्रिया अदा करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, सलमान खुर्शीद जी को और धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को और विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी को।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री राजेन गोहेन (नौगोंग) : अध्यक्ष महोदया, आज लैण्ड डील के बारे में जो चर्चा हो रही है, उसको समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश के साथ जो लैण्ड डील हो रही है, अगर यह लैण्ड डील देश की सुरक्षा को सामने रखकर की गयी है तो सबसे अच्छी और सही बात है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि आज यहां जिस तरह से 1चर्चा हो रही है, जिस तरह से बांग्लादेशियों के प्रति हम सद्भावना एवं सिम्पैथी दिखा रहे हैं, आज इन्हीं बांग्लादेशियों के कारण असम में असमीज लोगों का क्या हाल हो रहा है, उसके प्रति आज तक किसी ने कोई सिम्पैथी नहीं दिखाई। असम आज खुद बांग्लादेश का एक एनक्लेव बन

गया है। उस एनक्लेव को कैसे हटाएंगे, यह भी आज इस सदन को सोचना होगा।...(व्यवधान) एक नेबरिंग कंट्री को हमें कमजोर नहीं सोचना चाहिए। आज वहां हसीन जी हैं, वह प्रो-इंडिया हैं, लेकिन कल जब खालिदा जिया आ जाएंगी, तब यही हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है।...(व्यवधान) इसलिए हमें सोच-समझकर आगे बढ़ना चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : राजन जी, आप इधर देखकर अपनी बात कंप्लीट कीजिए।

श्री राजेन गोहेन : मैडम, इसलिए मैं सदन से यही विनती करूंगा कि यह लैण्ड डील की गयी है, ठीक है, इसके लिए बाउंडरी सेटलमेंट होना चाहिए और बाउंडरी का परमानेंट डिमार्केशन हो जाना चाहिए। इसके साथ-साथ अपने देश की सुरक्षा भी परमानेंट होनी चाहिए। जब तक देश की सुरक्षा परमानेंट नहीं होगी, सिर्फ लैंड डील ही होगी, उनके प्रति सिम्पैथी दिखाकर यह डील करेंगे तो हमारे लिए कल भविष्य में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। बांग्लादेशियों से मुक्ति मिलने के लिए असम के लोगों ने छः वर्ष आन्दोलन किया है और 855 लोग शहीद हुए हैं, लेकिन आज तक मुक्ति मिली नहीं। कांग्रेस ने जिस तरह से हमें षडयंत्र का हिस्सा बना दिया, उससे निकलना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। इसलिए अब हमारी सरकार को, आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से आश्वासन दिया है...(व्यवधान) आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस विश्वास से असम के लोगों को बोला था कि असम को बांग्लादेशियों से मुक्त कराएंगे। बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां से निकालने के प्रश्न पर किसी भी हालत में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लैंड डील की गई है, हमें थोड़ी कम जमीन मिली और उन्हें ज्यादा जमीन मिली, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी सीमा सुरक्षित रहनी चाहिए। असम बांग्लादेशियों का एक इन्क्लेव बन गया है, लेकिन कल कहीं ऐसा न हो कि किसी दूसरे हिस्से में एक और इन्क्लेव बन जाए। इसलिए उसके प्रति भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमें अच्छा पड़ोसी तो चाहिए, लेकिन हम अपने घर पर कब्जा करने के लिए पड़ोसी को नहीं कह सकते और न ही उसे देने की बात कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश से हमारे अच्छे सम्बन्ध हों, लेकिन हमें उससे बचकर भी रहना पड़ेगा, क्योंकि असम को बचाना है। यह काम सिर्फ हमारी सरकार ही कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तो कभी ऐसा किया नहीं...(व्यवधान)

असम को बर्बाद करने वाले यही हैं, सारे असम को बर्बाद कर दिया। इसलिए इस लैंड सैटलमेंट की बात पर मेरी मोदी जी से प्रार्थना है कि बांग्लादेशियों को असम से बाहर निकालकर असम को सुरक्षित बनाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, इस पर कांग्रेस पार्टी के श्री अधीर रंजन चौधरी से लेकर बीजेपी के राजेन गोहेन सहित कुल 16 सांसदों ने भाग लिया है। मैंने चर्चा के लिए इस बिल को प्रस्तुत करते समय एक प्रार्थना की थी कि राज्य सभा में यह बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ, अगर वैसी सद्भावना यहां भी बनेगी तो एक अच्छा संदेश बांग्लादेश को जाएगा। मैं यह कह सकती हूं कि एक सांसद ए.यू.डी.एफ. के श्री सिराजुद्दीन अजमल ने बिल के विरोध में बात कही, बाकी सभी ने अपनी-अपनी बातें कहीं और कुल मिलाकर इस बिल का समर्थन किया है।

दो भाषण तो इतने भावुकतापूर्ण हुए हैं कि सारे सांसद सुनकर भाव-विभोर हो गए, भाई सुगत बोस जी का और अहलुवालिया जी का। मैं यह भी कहना चाहूंगी, शायद आप अंदर सुन रही होंगी टी.वी. पर कि शायद यह पहली चर्चा है जिसमें राजनीति के साथ-साथ संगीत की स्वरलहरियां भी बही हैं। अहलुवालिया जी ने और सुगत बोस जी ने तो कविता सुनाई ही थी, लेकिन बाद में मोहम्मद सलीम भाई ने भी उसमें एक कविता जोड़ी। बांग्लादेश की जो अच्छी और श्रेष्ठ रचनाएं हैं, वे यहां इस बिल के संदर्भ में रखी गईं। कुछ सांसदों ने कुछ प्रशन उठाए हैं, कुछ ने कुछ चिंताएं व्यक्त की हैं और कुछ ने सुझाव दिए हैं।

जहां तक अधीर रंजन चौधरी जी का प्रश्न है, मुझे थोड़ा सा दुख जरूर हुआ क्योंकि उन्होंने जो बात कही, जिस भाव से मैंने बिल को रखा था, उस भाव को वह समझे नहीं। मैंने स्वयं इंदिरा-मुजीब समझौते का जिक्र किया था। मैंने स्वयं डॉ. मनमोहन सिंह और शेख हसीना के प्रोटोकॉल का जिक्र किया। हम इस बिल के पहले विरोध में थे, क्योंकि हम इसे असम के हित की अनदेखी मानते थे, उसका जिक्र मैंने स्वयं किया। लेकिन सर्वसम्मति बनाने के लिए हमने असम को शामिल किया, इसका भी जिक्र किया। ये सारी बातें बहुत ही पारदर्शिता के साथ मैंने प्रारम्भ में ही रख दी थीं, फिर भी उन्होंने अपना पहला वाक्य कहा कि मैं सदन को गुमराह कर रही हूं। मुझे नहीं मालूम कि उन्हें कौन सी बात मेरी सदन को गुमराह करने वाली लगी। पूरा इतिहास खोलकर जैसे-जैसे जो चीज हुई थी, उसे मैंने चर्चा के लिए रखते समय कह दिया। लेकिन बाद में उन्होंने कुछ सुझाव दिए कि आधार कार्ड उनको मिलना चाहिए, जन-धन योजना का लाभ उनको मिलना चाहिए, राशन

कार्ड उनको मिलने चाहिए। मैं अधीर बाबू को कहना चाहूंगी कि ये सारे सुझाव राज्य सरकार पूरे करेगी। लेकिन उसके लिए जो धनराशि की आवश्यकता है, आपने टेम्पर्री रिलीफ कैम्प की बात की, उसके लिए धनराशि हमने पश्चिम बंगाल सरकार को देने का काम किया है और उनके साथ हमारा जो समझौता हुआ है, जैसा मैंने कहा था कि उन्होंने 3008 करोड़ रुपये का पैकेज मांगा, उसमें से 775 करोड़ रुपये ऐसा है जो फिक्स एक्सपेंडिचर होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए होगा, एनक्लेवस में और कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में जहां आकर लोग बसेंगे। बाकी 2234 करोड़ रुपये परिवर्तनीय है, वेरियबल है, जो इस पर आधारित होगा कि कितने लोग आएंगे। जैसा मैंने कहा कि 3500 से 35000 तक का आकलन है तो 35 हजार को सामने रखकर यह पैकेज तय किया गया है। धनराशि देने का काम सरकार ने माना है। गृह मंत्रालय को उसकी नोडल एजेंसी बनाया गया है। लेकिन जो चीजें आप चाह रहे हैं कि हों, वे राज्य सरकार के द्वारा होगा।

उसके बाद एक विषय आया जो पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं था। सी.के. रामचन्द्रन जी अन्ना-डीएमके की तरफ से बोले। उन्होंने कचतिवु का प्रश्न उठाया। उनका प्रश्न इस मायने में प्रासंगिक हो जाता है कि बेरूबाड़ी के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया था, जिसमें उन्होंने यह बात कही है कि जब भी भारत का कोई भू-भाग किसी दूसरे देश को ट्रांसफर होता है तो उसमें संविधान संशोधन जरूरी है। दोनों सदन संविधान संशोधन पारित करें और आधे राज्य उसका अनुमोदन करें, तभी लागू होता है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के.एन. रामचन्द्रन (श्रीपेरम्बुदुर): आपने बिना कोई संशोधन किए यह समझौता कर लिया है। ... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : कच्चतिवु में ऐसा हुआ था। वह सदन के पटल पर रख दिया गया था। उसमें संविधान संशोधन नहीं हुआ था। इसलिए इन लोगों का कहना है कि जब हम बांग्लादेश के साथ टैरिटरी ट्रांसफर कर रहे

हैं और संविधान संशोधन कर रहे हैं तो उसमें क्यों नहीं हुआ? मैं बताना चाहूंगी कि उसमें पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता और दूसरे मुख्यमंत्री श्री करूणानिधि ने उच्चतम न्यायालय में केस डाला हुआ है और मैटर सबजुडिस है। इसलिए सबजुडिस मैटर पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका हमने नोट लिया है।

[अनुवाद]

डॉ. एम. तंबिदुरै [करूर]: माननीय अध्यक्ष महोदया, अभी हमारी विदेश मंत्री जी ने कहा कि मेरी नेता अम्मा जी ने भी उच्चतम न्यायालय में एक मामला दायर किया था। यह एक तथ्य है। केन्द्र सरकार का क्या रुख है? जब केंद्र सरकार हलफनामा दायर कर रही है, तो वह उसके विरुद्ध जा रहे है। यही हम कह रहे है। इसे संसद द्वारा पारित नहीं किया गया था। जो हुआ वह एक कानूनी प्रक्रिया है। इसलिए आपने कहा कि हमने जो कुछ भी किया है, विशेषकर क्षेत्रीय विषयों के संदर्भ में, उसे दोनों सदनों द्वारा पारित करना होता है। अगर वे हमारे देश से दूसरे देश को कुछ भी दे रहे हैं, तो यह करना होगा। हम ऐसा ही कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय हलफ़नामा दायर कर रहा है, वह अलग तरीके से हलफ़नामा दायर कर रहा है। यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय ने भी इस पर गौर किया था। यही हम कह रहे है। इसे ठीक करने के लिए कृपया अपने लोगों को निर्देश दे।

श्रीमती सुषमा स्वराज: माननीय उप अध्यक्ष जी जैसा कि मैंने बताया है कि मामला *विचाराधीन*है। इसलिए, मैं इस सदन में उस मामले का उत्तर नहीं दे सकती, विशेषकर इस संबंध में जब हम बांग्लादेश के साथ सीमा-भूमि समझौते के बारे में बात कर रहे है। इसलिए यह प्रश्न प्रासंगिक नहीं है। यह केवल एक मायने में ही प्रासंगिक था और मुझे लगता है मैंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

उसके बाद जब चर्चा आई तो उसमें दो प्रश्न आए जिनमें चिंता व्यक्त की गई है। हमारे यहां से विनायक राउत जी और रविन्द्र जेना ने अपनी चिंता व्यक्त की है। इन दोनों ने अवैध घुसपैठ की भी बात कही है। विनायक जी ने गृह मंत्री जी के उत्तर का उल्लेख करते हुए कहा है कि हमारी सीमा पर 88 फीसदी फेंसिंग हुई है, बाकी

की नहीं हुई है। इसका समाधान इसमें निहित है। मैं विनायक जी और रविन्द्र जी दोनों से कहना चाहूंगी कि 88 परसेंट भूमि पर फेंसिंग क्यों हुई है और बाकी पर फेंसिंग का काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बाकी की भूमि की सीमा निधाररित ही नहीं थी। जब लैंड बाउंड्री तय हो जाएगी तो बाकी की सीमा की भी फेंसिंग हो जाएगी। वहां फेंसिंग न होने के कारण, सीमा पर किसी तरह की बाधा न होने के कारण आबाद रूप से, अवैध रूप से लोग आते हैं, वह रूकेगा। इसलिए उसका समाधान इसी में निहित है जो बिल हम ले कर आ रहे हैं।

श्रीमती के. कविता ने अपनी बात कहते हुए सदन में दो बातें रखीं। उन्होंने कहा कि मेरीटाइम बाउंड्री सैटल्ड नहीं है, यह बाउंड्री सैटल्ड है। महोदया, मैं आपके माध्यम से उनको और सभी को बताना चाहती हूं कि 7 जुलाई, 2014 को मेरीटाइम बाउंड्री भी बंगलादेश के साथ सैटल्ड हो गई है। इंटरनेशनल ट्रिब्युनल में यह मामला गया था, आर्बिट्रेशन के माध्यम से एक अवार्ड आ गया जो 7 जुलाई, 2014 को आ गया और जब इंटरनेशनल ट्रिब्युनल का अवार्ड आता है तो वह बाइंडिंग होता है और यह तय होता है कि जो जिसे मिला है, वह उसे स्वीकार करेगा। हमारी मेरीटाइम बाउंड्री सैटल हो गई है। जहां तक नदियों का प्रश्न है, वह मामला अभी चल रहा है। उसमें सबसे बड़ा मामला तिस्ता नदी का है और दूसरी नदियों का भी है। जहां तक नदियों का मामला है, नदी जल का विवाद अभी चल रहा है। लेकिन जिस तरह से हमने इसे निपटाया है, हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह की एक आम सहमति पश्चिम बंगाल के साथ बनाकर हम उसमें कुछ कर पायें। लेकिन अभी तक वह विवाद जिंदा है, परंतु हमारी मैरिटाइम बाउंड्री सैटल हो गई है।

दूसरी बात आपने कही कि हमें बिग ब्रदर का एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, बड़े भाई वाला। मैं कविता जी को बताना चाहूंगी कि हिंदी में शब्द एक ही है बड़े भाई, अंग्रेजी में दो तरह से कहा जाता है, एक है बिग ब्रदर और दूसरा एल्डर ब्रदर। जो बिग ब्रदर का एटीट्यूड है, वह एरोगेंस का प्रतीक होता है, इसलिए उसे एरोगेन्ट कहते हैं। एल्डर ब्रदर केरिंग होता है और इसलिए मैं यहां सदन में खड़े होकर कहना चाहूंगी कि भारत का एटीट्यूड हमारे सभी पड़ोसी देशों के साथ बिग ब्रदर का नहीं है, एल्डर ब्रदर का है, जो भारत की संस्कृति है। भारत मे बड़ा भाई बहुत केयर करने वाला, ध्यान रखने वाला होता है तो हम जब भी अपना एटीट्याूड रखेंगे,

केवल एल्डर ब्रदर का रखेंगे, बिग ब्रदर का एटीट्यूड हम नहीं रखेंगे।...(व्यवधान) भारत प्रधानमंत्री जी द्वारा परिलक्षित होता है। इसलिए, यह 'उनके' जैसा है, 'किसी और' जैसा नहीं।

अध्यक्ष जी,मौ. सलीम साहब ने हम पर एक आरोप लगा दिया कि उन्होंने ढाई महीने के अंदर रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन हमने सवा चार महीने लगा दिये। मौ. साहब यह सच नहीं है। एक सितम्बर को कमेटी गठित हुई, हमने 16 सितम्बर को यह बिल आपको दिया, आपने एक दिसम्बर को रिपोर्ट दे दी, ढाई महीने में आपने बिल्कुल काम पूरा कर दिया। लेकिन एक दिसम्बर को जब वह रिपोर्ट यहां टेबल हुई तो उसके 19 दिन के बाद 19 दिसम्बर को सत्र समाप्त हो गया और आपने इस बिल को लाने से पहले हमसे बहुत अपेक्षाएं की थीं। स्टैंडिंग कमेटी ने यह चाहा था कि हम पश्चिम बंगाल के साथ पैकेज भी तय कर लें। आपने यह चाहा था कि हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी देख लें। इतना काम आपने हमें करने के लिए कहा था, जो उस सत्र की समाप्ति से पहले नहीं हो सकता था, 19 दिसम्बर को सत्र समाप्त हो गया। उसके बाद सत्र फरवरी में आया और वह बजट सत्र आया, जो राष्ट्रपति जी के आभिभाषण से शुरू होता है। राष्ट्रपति आभिभाषण के बाद रेल बजट और उसके बाद जनरल बजट आता है और उसके बाद रिसैस आती है। ये सारा समय और यह अंतराल हमने इसमें लगाया कि हम पश्चिम बंगाल के साथ पैकेज तय कर लें, बाकी चीजें तय कर लें और इस बिल को एक ऐसे रूप में ला सकें, जिससे सर्वसम्मति बन सके। इसीलिए मैंने डा.शशि थरूर जी से उसी दिन कह दिया था कि बजट सत्र के दूसरे खंड में हम इस बिल को ले आयेंगे और मुझे यह लगता है कि अपने पूरे वचन की पूर्ति करते हुए हम इसे यहां ले आये हैं तो जो सवा चार महीने की देरी आपको लग रही है, वह देरी हमारे पार्ट पर नहीं हुई है।

जहां तक गौरव गोगोई का प्रश्न है, यह ठीक है कि हमारे यहां से असम के सांसदों ने राष्ट्रीय हित में बिल का समर्थन किया है। लेकिन अपने असम की व्यथा श्री आर.पी.शर्मा ने भी कही और श्री राजेन गोहेन ने भी कही। लेकिन गौरव जी आपने जो बात कही है, वह ठीक है कि 738 एकड़ जमीन असम के एडवर्स पजेशन में थी। इस समझौते में 470 एकड़ जमीन हमारे पास आई है, 268 एकड़ जमीन नहीं आई है। जिस समय प्रोटोकोल साइन करने के लिए मुख्य मंत्री, श्री तरूण गोगोई गये थे, तब वह इसे स्वीकार करके आए थे कि 470 एकड़

हमारे पास आएगी और 268 एकड़ उनके पास जायेगी। लेकिन उसके बाद लौटने पर जब उन्होंने असम की जनभावना देखी और उन्हें यह लगा कि असम में इस चीज का विरोध हो रहा है कि हमारी 268 एकड़ जमीन क्यों जा रही है तो बीच में एक समय ऐसा आया जब उन्होंने भी पूरी की पूरी भूमि लेने की बात की और यह मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूं। आपने चूंकि प्रश्न उठाया है, इसलिए मुझे जवाब देना पड़ रहा है। यह एक आर्टिकल है, जो कि हमारे द्वारा लिखा हुआ नहीं है, जिसमें यह लिखा गया है -

[अनुवाद]

मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी ने हाल ही में कहा था कि राज्य सरकार तब तक समझौते का समर्थन नहीं कर सकती है जब तक कि बांग्लादेश अपने कब्जे वाली जमीन को असम को वापस नहीं कर देता। इसका मतलब, 738 एकड़ भूमि है। ढाका में समझौते पर हस्ताक्षर करने के समय गोगोई जी भी तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के साथ मौजूद थे। बांग्लादेश से लौटने के बाद, उन्होंने समझौते पर भी संतुष्टि व्यक्त की थी लेकिन अब वह अपने पहले के रुख से पीछे हट रहे है। एल.बी.ए. के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री जी ने बांग्लादेश के कब्जे वाली असम की भूमि को वापस लाए जाने के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानना चाहा।

[हिन्दी]

इसलिए एक समय ऐसा आया, जब यह लगा कि असम की जनभावना को देखते हुए मुख्यमंत्री भी यह चाह रहे हैं कि यह 738 की 738 एकड़ भूमि हमारे पास आनी चाहिए। तब मैंने प्रधान मंत्री जी से बात की तो उन्होंने कहा कि एक रास्ता निकल सकता है कि हम असम को एक तरफ रखकर इस बिल को आगे बढ़ायें, ताकि कम से कम पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय का मामला तो सैटल हो। यह जो असम वाला है, इसको रीनिगोशिएट करें। रीनिगोशिएशन में हमें सफलता मिलती या नहीं मिलती, यह मैं नहीं कह सकती पूरी मिलती, आंशिक मिलती, लेकिन असम के हित में ही हमने असम को अलग रखने का फैसला किया था। लेकिन जब मैंने कांग्रेस नेतृत्व से बात की, यहां शशि थरूर जी और वहां गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा जी से बात

की तो उन्होंने कहा कि वे इंटरनल पार्टी मीटिंग के बाद बताएंगे। बाद में उन्होंने हमसे कहा कि चीफ मिनिस्टर से हमारी बात हो गई है। उन्होंने कहा कि आप असम अलग क्यों रख रहे हैं? मैंने कहा कि अब असम के सारे राजनीतिक दल एक साथ हो गए हैं, वहां के मुख्य मंत्री भी इसका विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने जा कर बात की और वापस मुझे बताया कि नहीं! मुख्य मंत्री ऑन बोर्ड हैं, मुख्य मंत्री आपको पत्र भी लिखेंगे और हम आपसे कह रहे हैं कि आप असम को शामिल कर के लाइए तभी समर्थन मिलेगा और उसके बाद उनका पत्र आया। ...(व्यवधान) मैं वही तो कह रही हूँ कि उनके कहे मुताबिक जो उन्होंने कहा था कि पत्र आएगा, पत्र आया और प्रधान मंत्री जी को उन्होंने अलग लिखा,मुझे अलग लिखा और आखिरी सैंटेंस यह था कि “मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करना चाहूँगी कि आप ज़रूरी कदम उठाएं ताकि असम से संबंधित खंडों को शामिल करके उपरोक्त प्रोटोकॉल को संसद द्वारा अनुमोदित किया जा सके।" जब मुख्य मंत्री का यह पत्र आ गया, कांग्रेस नेतृत्व से बात हो गई और बाकी दलों ने भी यह कहा कि सर्वसम्मति बनाने के लिए आप असम को शामिल ही कर लें तो ठीक है, तो खुद प्रधान मंत्री जी ने मुझे कहा कि देखिए जनतंत्र में सदन की भावना जनभावना का ही प्रतिबिंब होती है। इसलिए बेहतर यह होगा कि हम असम को शामिल कर के चलें। फिर हमने असम को इसमें शामिल कर लिया और एक सर्वसम्मति बनाने की दृष्टि से हम लोग यहां आए। मैंने कोई चीज़ इसमें छुपाई नहीं थी। आपने जो कहा वह बिल्कुल ठीक है कि 738 एकड़ में से 470 एकड़ आ रही है, 268 एकड़ नहीं आ रही है। हमारे तिरूपति के एक सांसद श्री वाराप्रसाद राव जी ने प्रश्न पूछा था कि कुल ज़मीन कितनी जा रही है? कुल ज़मीन हमें जो एडवर्स पज़ेशन में है, वह 2777 एकड़ हमारे पास रहेगी, 2267 उनके पास जाएगी। हमें 510 एकड़ ज्यादा मिल रही है। यह तो एडवर्स पज़ेशन का मामला है। जो इंक्लेव्स का मामला है, आपने अखबार में बिल्कुल ठीक पढ़ा है कि उसमें 10 हज़ार एकड़ जा रही है। हमारे पास से 17 हज़ार जा रही है और उनके पास से 7 हज़ार आ रही है। लेकिन वह जो 10 हज़ार एकड़ है, राव जी, वह बिल्कुल नोशनल है। गौरव बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि वे इंक्लेव्स बिल्कुल अंदर हैं। उनमें एक्सेस नहीं है, हम वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं और जो आपने कहा कि सीमाएं श्रिंक हो रही हैं, वह सीमा पर नहीं है, उन इंक्लेव्स की अदला-बदली के कारण,

सीमा नहीं बदल रही है, वह तो अंदर हैं, भारत के भी बहुत अंदर हैं और बांग्लादेश वाले भी बहुत अंदर हैं। इसलिए उससे सीमा नहीं सिकुड़ रही है। लेकिन हाँ नोशनल तौर पर 10 हज़ार एकड़ ट्रांस्फर हो रही है। जो एडवर्स पोज़ेशन में लैण्ड है, उसमें 510 एकड़ हमें ज्यादा मिल रही है। यह ज़मीन का मामला है। गौरव जी ने कहा कि हम इसे डॉक्युमेंटेशन कर दें और यह बता दें कि क्या-क्या हम इसमें देना चाह रहे हैं, यह एक अच्छा सुझाव है, हम लोग ज़रूर इसमें डॉक्युमेंटेशन कर देंगे ताकि यह भी पता चल जाए कि इंक्लेव्स में कितनी-कितनी ज़मीन है, एडवर्स पज़ेशन में कितनी-कितनी ज़मीन कहां-कहां कैसे-कैसे जा रही है, लेकिन यह बिल्कुल सही है कि एडवर्स पज़ेशन में यह तय किया गया कि जिसके पास जिसका कब्ज़ा है, उतना रख लो और वह हर जगह हमें हमारा कब्ज़ा ज्यादा मिला। पश्चिम बंगाल में भी हमें ज्यादा मिल रही है, त्रिपुरा में भी ज्यादा मिल रही है, मेघालय में भी ज्यादा मिल रही है, लेकिन असम में उनके ऑक्युपेशन में 738 एकड़ थी, जिस पर समझौता हुआ है कि 470 एकड़ हमारे पास आएगी और 268 एकड़ उनके पास जाएगी, इसका पूरा डॉक्युमेंटेशन हम लोग कर देंगे, बल्कि हमें और ज्यादा अच्छा लगेगा कि सारे सांसदों को पता चल जाएगा।

अब मैं अंत में केवल एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि प्रश्न यही थे और चिंताएं भी यही थीं। मुझे नहीं लगता कि एक भी प्रश्न इसमें अनुत्तरित रहा है। सबके प्रश्नों का उत्तर मैने दे दिया है। सिराजुद्दीन साहब ने एयूडीएफ की तरफ से यह बात कही है कि मैं बिल को विदड्रॉ करूं तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि बिल तो हम लोग विदड्रॉ नहीं कर रहे हैं। आपने सदन की भावना भी देख ली है, लेकिन मेरा आपसे यह निवेदन होगा कि आपको जो अपनी बात कहनी थी, वह कह दी, वह प्रोसिडिंग्स में दर्ज भी हो गई है। अगर हम वोटिंग के समय यह बात दिखा दें कि एक भी वोट खिलाफ नहीं गया है, जैसे मैंने कहा था कि राज्य सभा में एक भी पीला बटन नहीं दबा, कोई एब्सटैंशन नहीं थी, एक भी लाल बटन नहीं दबा, कोई भी नो नहीं था, अगर यहां भी यह बिल इसी तरह से पारित हो जाए कि केवल आइज़ ही आइज़ हों तो बांग्लादेश को ही नहीं हमारे पड़ोसी देशों को भी और विश्व को भी एक बहुत बढ़िया संदेश जाएगा कि इस तरह के मसलों पर भारत में राजनैतिक दलों में

कोई विमत नहीं होता है, बल्कि सब एक साथ केवल राष्ट्र हित में सोचते हैं, राष्ट्रहित में फैसला करते हैं। इसी विनम्र निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।

[अनुवाद]

श्री गौरव गोगोई : माननीय माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे एक छोटे से स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब तो बहुत बात क्लियर हो गई है।

[अनुवाद]

श्री गौरव गोगोई : महोदया, मैं असम द्वारा अर्जित भूमि के रकबे के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूँ। भारत की माननीय विदेश मंत्री जी प्रतिकूल कब्ज़े के अधीन भूमि के बारे में बात करने में बिलकुल सही हैं, जहाँ बांग्लादेश में प्रतिकूल कब्जे के अधीन 738 एकड़ भूमि थी जो असम की है। 470 एकड़ से अधिक प्रतिकूल कब्जे के अधीन भूमि को असम में वापस जोड़ा जाएगा। क्या यह भी सही है कि असम में लालतितीला-डुमाबड़ी क्षेत्र में अचिह्नित सीमाओं को औपचारिक रूप देने से प्रतिकूल कब्जे के अधीन 470 एकड़ भूमि के अलावा असम को अतिरिक्त भूमि भी मिलेगी? लालतितीला-डुमाबड़ी क्षेत्र में अचिह्नित सीमाओं को अंतिम रूप देने पर क्या असम अतिरिक्त 714 एकड़ भूमि प्राप्त करेगा, जैसा कि एम.ई.ए. प्रलेखन द्वारा कहा गया है? इस प्रकार असम के लिए कुल प्राप्त की जाने वाली भूमि 1240 एकड़ है। क्या माननीय मंत्री जी इसे स्पष्ट करेंगी क्योंकि ये भूमि अभिलेख हैं। जो भूमि असम को प्रतिकूल कब्जे से प्राप्त होती है तथा जो भूमि अचिह्नित सीमाओं को अंतिम रूप देने से प्राप्त होती है, हम उसके बारे में कहना चाहते थे।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : गौरव जी, जो बात वहाँ विरोध की हुई, वह अकेले अड्वर्स पज़ेशन के बारे में हुई कि 738 एकड़ में से 470 मिल रही है, 268 उधर जा रही है। उस 268 को लेकर आन्दोलन हो रहा था। इसलिए

मैंने यह बात कही, जो बाकी बात आप कह रहे हैं कि अनडिमार्केट बाउन्ड्रीज डिमार्केट हो जाने के बाद मिलेगी, वह सही है। लेकिन जो विरोध था वह उन 268 एकड़ को लेकर था, जो अड्वर्स पज़ेशन में हमें कम मिल रही थी।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो-नो, एक के बाद एक इतने क्लेरिफिकेशन नहीं होते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि मैं सभा के मतदान पर विचारार्थ प्रस्ताव रखूं, मैं सभा को सूचित करना चाहती हूँ कि यह एक संविधान (संशोधन) विधेयक होने के कारण मतदान विभाजन द्वारा होगा।

शहरी विकास मंत्री, आवासन और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू]: महोदया, हमें माननीय सदस्यगण को अपनी-अपनी जगह पर बैठने के लिए याद दिलाना होगा। तभी उनके मत दर्ज होंगे।

माननीय अध्यक्ष: दूसरे विधेयक पर मतदान पहले ही दोपहर में हो चुका है। कल भी उन्होंने मतदान किया था। मुझे लगता है कि हर कोई यह जानता है कि मतदान कैसे करना है और कहाँ से करना है।

दीर्घायें साफ़ होने दीजिए।

माननीय अध्यक्षा: अब, लॉबी को साफ कर दिया गया है।

माननीय सदस्यगण, आप सभी मतदान करने तथा अन्य सब कुछ के बारे में जानते है। इसलिए, कोई निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न यह है:

"भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुए समझौते और उसके प्रोटोकॉल के अनुसरण में भारत द्वारा क्षेत्रों का अधिग्रहण करने और बांग्लादेश को कुछ क्षेत्रों के हस्तांतरण को प्रभावी करने के लिए भारत के संविधान को और संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए, जैसा कि राज्य सभा द्वारा पारित किया गया है।"

लोक सभा का विभाजन:

विभाजन संख्या.1 **पक्ष में, 'हां' वाले** **अपराह्न 5:47 बजे**

आदित्यानाथ, योगी

अडसुल, श्री आनंदराव

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

आलूवालिया, श्री एस.एस.

अली, श्री इदरिस

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अरूणमणिदेवन, श्री ए.

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बन्द्योपाध्याय, श्री सुदीप

बनर्जी, श्री कल्याण

[6*]बनर्जी, श्री प्रसून

बनसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री बोध सिंह

[6*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

भगत, श्री सुदर्शन

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव

*भारती मोहन, श्री आर.के.

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बीजू, श्री पी. के.

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

बोस, प्रो. सुगाता

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौधरी, श्री संतोख सिंह

चौधरी, श्री जितेन्द्र

चौहान, श्री पी.पी.

चौटाला, श्री दुष्यंत

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

छेवेंग, श्री थुपस्तान

छोटेलाल, श्री

चिन्नईयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, श्री बीरेंद्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चूड़ासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

[7*]दत्ता, श्री शंकर प्रसाद

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डेका, श्री रामेन

देव, कुमारी सुष्मिता

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

ध्रुवनारायण, श्री आर.

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दोहरे, श्री अशोक कुमार

[7*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

[8*]एलुमलाई, श्री वी.

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्री राहुल जी

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गीत, श्री अनंत गंगाराम

घोष, श्रीमती अर्पिता

[8*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गोई, श्री गौराव

[9*]गोपाल, डॉ. के.

गोपालकृष्णन, श्री सी.

गोपालकृष्णन, श्री आर.

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गौड़ा, श्री एस. पी. मुदहानुमे

गुप्ता, श्री सुधीर

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हंसदक, श्री विजय कुमार

*हरि, श्री जी.

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

*जाधव, श्री संजय हरिभाऊ

[9*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

जायप्रश्न, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जयवर्धन, डॉ. जे.

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

[10*]श्रीमती कविता कल्वाकुंतला

कामराज, डॉ. के.

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

करुणाकरण, श्री पी.

[10*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

*खान, श्री मोहम्मद बदरुद्दुज़ा

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

[11]*खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

[11]* पर्ची के द्वारा मतदान किया।

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

कृस्तप्पा, श्री एन.

कुलस्ते, श्री फग्गनसिंह

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री राविंदर

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

लोखंडे, श्री सदाशिव

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

महतो, डॉ. मृगांका

महतो, श्री विद्युत बरन

महताब, श्री भर्तृहरि

महेन्द्रन, श्री सी.

माझी, श्री बलभद्र

मंडल, डॉ. तापस

मांझी, श्री हरि

मरबी, श्री कमल भान सिंह

मरागठम, श्रीमती के.

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

[12*]मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

*मोदी, श्री नरेन्द्र

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

मुखर्जी, श्री अभिजित

मुंडा, श्री करिया

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

[12*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

मुनियप्पा, श्री के.एच.

नगर, श्री रोड़मल

नागराजन, श्री पी.

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

[13*]नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

पाटल, श्रीमती कमला

[14*]पाला, श्री विनसेंट एच.

[13*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

[14*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

पाण्डेय, श्री रविन्द्र कुमार

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पार्थिपन, श्री आर.

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री कमलेश

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पाटसानी , श्री प्रसन्ना कुमार

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

पोद्दार, श्रीमती अपरूपा

प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

[15*]प्रसाद, डॉ. भागीरथ

प्रताप, श्री कृष्ण

[15*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

*प्रेमचंद्रन, श्री एन.के.

राजा, श्री ए. अनवर

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री आर.

*राघवन, श्री एम.के.

राय, श्री नित्यानंद

राज, श्रीमती कृष्णा

राजभर, श्री हरिनारायण

राजेन्द्रन, श्री एस.

राजेश, श्री एम.बी.

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

[16*]रामचंद्रन, श्री के.एन.

रामचंद्रन, श्री मुल्लापल्ली

राव, श्री एम. वेंकटेश्वर

राव (अवंती), श्री मुत्तमसेट्टी श्रीनिवास

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

रे, श्री बिष्णु पद

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

[16*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

[17*]रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

*रेणुका, श्रीमती बुत्ता

रिजीजू, श्री किरेन

रिओ, श्री नेफिउ

रॉय, प्रो. सौगत

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री चन्दुलाल

साहु, श्री लखन लाल

साईं, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

सलीम, श्री मोहम्मद

[17*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

समल, डॉ. कुलमणि

सांपला, श्री विजय

संपत, डॉ. ए.

संघमिता, *डॉ. ममताज

संजर, श्री आलोक

सरेन,डॉ. उमा

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सातव, श्री राजीव

सत्यबामा, श्रीमती वी.

सत्पथी, श्री तथागत

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

[18*]सेनथिलनाथन, श्री पी.आर.

[18*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

*शनवास, श्री एम.आई.

शर्मा, डॉ. महेश

शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर भरतेन्द्र

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री नागेंद्र

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री रवनीत

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीराम, श्री मलयाद्रि

श्रीरामुलु, श्री बी.

[19*]सुन्दरम, श्री पी.आर.

सुरेश, श्री डी.के.

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

[20*]स्वराज, श्रीमती सुषमा

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

टीचर, श्रीमती पी.के. श्रीमथि

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

तंबिदुरै, डॉ. एम.

[21*]थरूर, डॉ. शशि

19* पर्ची के द्वारा मतदान किया।

20* पक्ष में होने के लिए स्लिप के माध्यम से संशोधित किया।

21* पर्ची के द्वारा मतदान किया।

*थोमस, प्रो. के.वी.

तिवारी, श्री मनोज

तोमार, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

त्रिवेदी, श्री दिनेश

उदयकुमार, श्री एम.

उसेंडी, श्री विक्रम

उटवाल, श्री मनोहर

वनारोजा, श्रीमती आर.

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसंती, श्रीमती एम.

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेलागपल्ली, श्री वरप्रसाद राव

[22*]वेंकटेश बाबू, श्री टी.जी.

[22*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

वेणुगोपाल, डॉ. पी

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

वर्मा, डॉ. अनशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विचारे, श्री राजन

वेंगा, श्री चिंतामन नवाशा

यदव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव, श्री ओम प्रकाश

विपक्ष में 'न' वाले

शून्य

उपस्थिति से बचना

शून्य

… (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : इनके साथ ही एनांउस करना होगा, नहीं तो दोबारा करना होगा। एक ही स्लिप है, इसको जोड़कर एनाउंस करें तो बेहतर होगा, नहीं तो दोबारा करना पड़ेगा। यह रिकार्ड में जाएगा।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: आगे सुधार[23*] के अधीन, मत विभाजन का परिणाम हैः

पक्ष में, 'हां' वाले: 320

विपक्ष में 'न' वाले: 001

उपस्थिति से बचना: 000

प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता में बहुमत द्वारा तथा उनकी उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[23*] निम्नलिखित सदस्यों ने भी स्लिप्स के माध्यम से अपना मत रिकॉर्ड/संशोधित किया:

पक्ष में, 'हां' वाले: 320 + एस./श्री प्रसून बनर्जी, आर.के. भारती मोहन, शंकर प्रसाद दत्ता, वी. एलुमलाई, डॉ. के. गोपाल, एस./श्री जी. हरि, संजय हरिभाऊ जाधव, श्रीमती कविता कल्वकुंतला, एस./श्री मोहम्मद बदरुद्दुज़ा खान, मल्लिकार्जुन खड़गे, अर्जुन राम मेघवाल, नरेंद्र मोदी, थोटा नरसिम्हम, विनसेंट एच. पाला, डॉ. भागीरथ प्रसाद, एस./श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, एम.के. राघवन, के.एन. रामचन्द्रन, पी. श्रीनिवास रेड्डी, श्रीमती बुत्ता रेणुका, डॉ. ममताज संघमिता, एस./श्री पी.आर. सेनथिलनाथन, एम. आई. शनवास, पी.आर. सुन्दरम, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री शशि थरूर, प्रो. के.वी. थोमस, श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू**= 348**

विपक्ष में 'न' वाले: 001 - श्रीमती सुषमा स्वराज = **000**

उपस्थिति से बचना:000

खंड 2 परिभाषाएं

माननीय अध्यक्ष: अब सभा में विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ होगा।

इससे पहले कि मैं खंड 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखूं, मैं कहना चाहूँगी कि यह एक संविधान (संशोधन) विधेयक है, मतदान विभाजन द्वारा होगा।

दीर्घायें पहले से ही स्पष्ट है।

प्रश्न यह है:

"वह खंड 2 विधेयक का हिस्सा है।"

लोक सभा का विभाजन:

विभाजन संख्या.2 **पक्ष में, 'हां' वाले** **अपराह्न 5:51 बजे**

आदित्यानाथ, योगी

अडसुल, श्री आनंदराव

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

आलूवालिया, श्री एस.एस.

अली, श्री इदरिस

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अरूणमणिदेवन, श्री ए.

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बन्द्योपाध्याय, श्री सुदीप

बनर्जी, श्री कल्याण

[24*]बनर्जी, श्री प्रसून

बनसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री बोध सिंह

भगत, श्री सुदर्शन

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव

*भारती मोहन, श्री आर.के.

भारती, सुश्री उमा

[24*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बीजू, श्री पी. के.

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

बोस, प्रो. सुगाता

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौधरी, श्री संतोख सिंह

चौधरी, श्री जितेन्द्र

*श्री पी. पी. चौहान

चौटाला, श्री दुष्यंत

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

छेवेंग, श्री थुपस्तान

छोटेलाल, श्री

चिन्नईयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, श्री बीरेंद्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

चूड़ासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

[25*]दत्ता, श्री शंकर प्रसाद

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डेका, श्री रामेन

देव, कुमारी सुष्मिता

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

ध्रुवनारायण, श्री आर.

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दोहरे, श्री अशोक कुमार

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

[25*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

[26*]एलुमलाई, श्री वी.

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्री राहुल जी

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गीत, श्री अनंत गंगाराम

घोष, श्रीमती अर्पिता

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गोई, श्री गौराव

*गोहेन,,श्री राजेन

[26*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

*गोपाल, डॉ. के.

गोपालकृष्णन, श्री सी.

गोपालकृष्णन, श्री आर.

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गौड़ा, श्री एस. पी. मुदहानुमे

गुप्ता, श्री सुधीर

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हंसदक, श्री विजय कुमार

[27*]हरि, श्री जी.

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

जाधव, श्री संजय हरिभाऊ

जायप्रश्न, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

[27*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जयवर्धन, डॉ. जे.

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

[28*]श्रीमती कविता कल्वाकुंतला

कामराज, डॉ. के.

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

करुणाकरण, श्री पी.

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

[28*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

*खान, श्री मोहम्मद बदरुद्दुज़ा

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

कृस्तप्पा, श्री एन.

कुलस्ते, श्री फग्गनसिंह

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री के. अशोक

श्री कौशलेन्द्र कुमार

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री राविंदर

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

लोखंडे, श्री सदाशिव

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

महतो, डॉ. मृगांका

महतो, श्री विद्युत बरन

महताब, श्री भर्तृहरि

महेन्द्रन, श्री सी.

माझी, श्री बलभद्र

मंडल, डॉ. तापस

मांझी, श्री हरि

मरबी, श्री कमल भान सिंह

मरागठम, श्रीमती के.

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

[29*]मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

[29*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मोदी, श्री नरेन्द्र

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

मोइली, श्री एम. वीरप्पा

मुखर्जी, श्री अभिजित

मुंडा, श्री करिया

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

[30*]मुनियप्पा, श्री के.एच.

नगर, श्री रोड़मल

नागराजन, श्री पी.

[30*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

*नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक

ओराम, श्री जुएल

पाटल, श्रीमती कमला

[31]*पाला, श्री विनसेंट एच.

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

[31]* पर्ची के द्वारा मतदान किया।

श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पार्थिपन, श्री आर.

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री कमलेश

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पाटसानी , श्री प्रसन्ना कुमार

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

पोद्दार, श्रीमती अपरूपा

प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

प्रसाद, डॉ. भागीरथ

प्रताप, श्री कृष्ण

[32*]प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राजा, श्री ए. अनवर

राधाकृष्णन, श्री पोन

[32*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

राधाकृष्णन, श्री आर.

राघवन, श्री एम.के.

राय, श्री नित्यानंद

राज, श्रीमती कृष्णा

राजभर, श्री हरिनारायण

*राजेन्द्रन, श्री एस.

राजेश, श्री एम.बी.

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

रामचंद्रन, श्री के.एन.

रामचंद्रन, श्री मुल्लापल्ली

राव, श्री एम. वेंकटेश्वर

राव (अवंती), श्री मुत्तमसेट्टी श्रीनिवास

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

रे, श्री बिष्णु पद

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

[33]*रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

[33]* पर्ची के द्वारा मतदान किया।

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

*रेणुका, श्रीमती बुत्ता

रिजीजू, श्री किरेन

रिओ, श्री नेफिउ

रॉय, प्रो. सौगत

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री चन्दुलाल

साहु, श्री लखन लाल

साईं, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

सलीम, श्री मोहम्मद

समल, डॉ. कुलमणि

सांपला, श्री विजय

संपत, डॉ. ए.

*डॉ. ममताज संघमिता

संजर, श्री आलोक

सरेन,डॉ. उमा

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सातव, श्री राजीव

सत्यबामा, श्रीमती वी.

सत्पथी, श्री तथागत

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

*सेनथिलनाथन, श्री पी.आर.

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

[34]*शनवास, श्री एम.आई.

शर्मा, डॉ. महेश

शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह जी

[34]* पर्ची के द्वारा मतदान किया।

शेट्टी, श्री गोपाल

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर भरतेन्द्र

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री नागेंद्र

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीराम, श्री मलयाद्रि

श्रीरामुलु, श्री बी.

[35*]सुन्दरम, श्री पी.आर.

सुरेश, श्री डी.के.

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

स्वराज, श्रीमती सुष्मा

तडस, श्री रामदास सी.

[35*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

टीचर, श्रीमती पी.के. श्रीमथि

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

तंबिदुरै, डॉ. एम.

[36*]थरूर, डॉ. शशि

थोमस, प्रो. के. वी.

तिवारी, श्री मनोज

*तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

त्रिवेदी, श्री दिनेश

उदयकुमार, श्री एम.

[36*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

उसेंडी, श्री विक्रम

उटवाल, श्री मनोहर

वनारोजा, श्रीमती आर.

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसंती, श्रीमती एम.

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेलागपल्ली, श्री वरप्रसाद राव

[37]*वेंकटेश बाबू, श्री टी.जी.

वेणुगोपाल, डॉ. पी

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

वर्मा, डॉ. अनशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री राजेश

---

[37]* पर्ची के द्वारा मतदान किया।

वर्मा, श्रीमती रेखा

विचारे, श्री राजन

वेंगा, श्री चिंतामन नवाशा

यदव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव, श्री ओम प्रकाश

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

<u>विपक्ष में 'न' वाले:</u>

शून्य

<u>उपस्थिति से बचना:</u>

शून्य

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: सुधार के अधीन[38*] विभाजन का परिणाम हैः

[38*] निम्नलिखित सदस्यों ने भी स्लिप्स के माध्यम से अपना मत रिकॉर्ड/संशोधित किया:

पक्ष में, 'हां' वाले: 323

विपक्ष में 'न' वाले: 000

उपस्थिति से बचना: 000

प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता में बहुमत द्वारा तथा उनकी उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक के खंड 2 में जोड़ा गया

खंड 3 संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, खंड 3 में सात सरकारी संशोधन है। माननीय मंत्री जी

संशोधन प्रस्तुत हुआ :

[हिन्दी]

पक्ष में, 'हां' वाले: 323 + एस./श्री प्रसून बनर्जी, आर.के. भारती मोहन, पी.पी. चौहान, शंकर प्रसाद दत्ता, वी. एलुमलाई, राजेन गोहेन, डॉ. के. गोपाल, श्री जी. हरि, श्रीमती कविता कल्वकुंतला, एस./श्री मोहम्मद बदरुद्दुज़ा खान, अर्जुन राम मेघवाल, के.एच. मुनियप्पा, थोटा नरसिम्हम, विनसेंट एच. पाला, एन.के. प्रेमचन्द्रन, एम.के. राघवन, एस. राजेन्द्रन, पी. श्रीनिवास रेड्डी, श्रीमती बुत्ता रेणुका, डॉ. ममताज संघमिता, एस./श्री पी.आर. सेनथिलनाथन, एम.आई. शनवास, पी.आर. सुन्दरम, शशि थरूर, नरेन्द्र सिंह तोमर, श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू**=349**
विपक्ष में 'ना' वाले:000
उपस्थिति से बचना:000

पृष्ठ 2, पंक्ति 20 और 21 में, -

"संविधान (एक सौ उन्नीसवें संशोधन) आधिनियम, 2013" के स्थान पर

"संविधान (सौवें संशोधन) आधिनियम, 2015" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

पृष्ठ 2, पंक्ति 22 में, -

"संविधान (एक सौ उन्नीसवें संशोधन) आधिनियम, 2013" के स्थान पर

"संविधान (सौवें संशोधन) आधिनियम, 2015" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

पृष्ठ 2, पंक्ति 27 और 28 में, -

"संविधान (एक सौ उन्नीसवें संशोधन) आधिनियम, 2013" के स्थान पर

"संविधान (सौवें संशोधन) आधिनियम, 2015" प्रतिस्थापित किया जाए। (3)

पृष्ठ 2, पंक्ति 29 और 30 में, -

"संविधान (एक सौ उन्नीसवें संशोधन) आधिनियम, 2013" के स्थान पर

"संविधान (सौवें संशोधन) आधिनियम, 2015" प्रतिस्थापित किया जाए। (4)

पृष्ठ 2, पंक्ति 34 में, -

"संविधान (एक सौ उन्नीसवें संशोधन) आधिनियम, 2013" के स्थान पर

"संविधान (सौवें संशोधन) आधिनियम, 2015" प्रतिस्थापित किया जाए। (5)

पृष्ठ 2, पंक्ति 38 और 39 में, -

"संविधान (एक सौ उन्नीसवें संशोधन) आधिनियम, 2013" के स्थान पर

"संविधान (सौवें संशोधन) आधिनियम, 2015" प्रतिस्थापित किया जाए। (6)

पृष्ठ 2, पंक्ति 40 में, -

"संविधान (एक सौ उन्नीसवें संशोधन) आधिनियम, 2013" के स्थान पर

"संविधान (सौवें संशोधन) आधिनियम, 2015" प्रतिस्थापित किया जाए। (7)

(श्रीमती सुषमा स्वराज)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): आप पहले ही दो खंडों में मतदान कर चुके है। अब, फिर से आप इसे एक साथ ही एक से सात तक ले जा रहे है।

माननीय अध्यक्ष: जी हाँ, उन्हें एक साथ ही किया जाएगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: आप इसे पहले कर सकते थे।

माननीय अध्यक्ष: ये संशोधन हैं न कि खंड।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : खड़गे जी, एक ही क्लॉज में संशोधन है और उसी में सात लाइनों में संशोधन है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: ये खंड 3 में संशोधन है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री गौरव गोगोई, कृपया अपनी जगह पर जाएं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : केवल एक क्लॉज में संशोधन है और वह सात लाइनों में 119वें लिखा है, जिसे 100वें लिखना है। इसलिए सातों संशोधन एक ही क्लॉज, क्लॉज 3 में हैं और केवल इतना संशोधन है कि 119वें को 100वें किया जाए।

<u>सांय 06.00 बजे</u>

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : छः बज गए हैं। आप सभी की सहमति से सभा की कार्रवाई का समय इस बिल के पास होने तक आगे बढ़ाया जाय?

कई माननीय सदस्य : हां।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: इससे पहले कि संशोधित खंड 3 को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाए, मैं यह कहना चाहूंगा कि चूंकि यह एक संविधान (संशोधन) विधेयक है, इसलिए इस पर मत विभाजन द्वारा होना चाहिए।

अब, दीर्घायें पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है।

प्रश्न यह है:

"खंड 3, यथासंशोधित, विधेयक का हिस्सा बना रहेगा।"

लोक सभा का विभाजन:

विभाजन संख्या.3 **पक्ष में, 'हां' वाले** **अपराह्न 5:55 बजे**

आदित्यानाथ, योगी

अडसुल, श्री आनंदराव

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

आलूवालिया, श्री एस.एस.

अली, श्री इदरिस

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

अरूणमणिदेवन, श्री ए.

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बन्द्योपाध्याय, श्री सुदीप

बनर्जी, श्री कल्याण

[39*]बनर्जी, श्री प्रसून

बनसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री बोध सिंह

भगत, श्री सुदर्शन

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव

*भारती मोहन, श्री आर.के.

भारती, सुश्री उमा

[39*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बीजू, श्री पी. के.

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

बोस, प्रो. सुगाता

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौधरी, श्री संतोख सिंह

चौधरी, श्री जितेन्द्र

चौहान, [40*]श्री पी. पी.

चौटाला, श्री दुष्यंत

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

छेवेंग, श्री थुपस्तान

छोटेलाल, श्री

चिन्नईयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, श्री बीरेंद्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

*चौधरी, श्री अधीर रंजन

चूड़ासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

[40*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

*दत्ता, श्री शंकर प्रसाद

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डेका, श्री रामेन

देव, कुमारी सुष्मिता

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

ध्रुवनारायण, श्री आर.

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दोहरे, श्री अशोक कुमार

[41]*दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

[41]* पर्ची के द्वारा मतदान किया।

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

*एलुमलाई, श्री वी.

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्री राहुल जी

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गीत, श्री अनंत गंगाराम

घोष, श्रीमती अर्पिता

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गोई, श्री गौराव

गोहेन, श्री राजेन

*गोपाल, डॉ. के.

*गोपालकृष्णन,श्री सी।

गोपालकृष्णन, श्री आर.

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गौड़ा, श्री एस. पी. मुदहानुमे

गुप्ता, श्री सुधीर

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हंसदक, श्री विजय कुमार

[42]*हरि, श्री जी.

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

जाधव, श्री संजय हरिभाऊ

जायप्रश्न, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

[42]* पर्ची के द्वारा मतदान किया।

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जयवर्धन, डॉ. जे.

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

[43*]श्रीमती कविता कल्वाकुंतला

कामराज, डॉ. के.

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

करुणाकरण, श्री पी.

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

[43*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

*खान, श्री मोहम्मद बदरुद्दुज़ा

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

कृस्तप्पा, श्री एन.

कुलस्ते, श्री फग्गनसिंह

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री के. अशोक

श्री कौशलेन्द्र कुमार

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री रविंदर

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

लोखंडे, श्री सदाशिव

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

महतो, डॉ. मृगांका

महतो, श्री विद्युत बरन

महताब, श्री भर्तृहरि

महेन्द्रन, श्री सी.

माझी, श्री बलभद्र

मंडल, डॉ. तापस

मांझी, श्री हरि

मरबी, श्री कमल भान सिंह

मरागठम, श्रीमती के.

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्र, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

*मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मोदी, श्री नरेन्द्र

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

[44]*मोइली, श्री एम. वीरप्पा

मुखर्जी, श्री अभिजित

मुंडा, श्री करिया

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

मुनियप्पा, श्री के.एच.

नगर, श्री रोड़मल

नागराजन, श्री पी.

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

[44]* पर्ची के द्वारा मतदान किया।

*नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

पाटल, श्रीमती कमला

[45*]पाला, श्री विनसेंट एच.

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

पाण्डेय, श्री रविन्द्र कुमार

[45*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पार्थिपन, श्री आर.

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री कमलेश

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पाटसानी , श्री प्रसन्ना कुमार

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

पोद्दार, श्रीमती अपरूपा

प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

प्रसाद, डॉ. भागीरथ

प्रताप, श्री कृष्ण

[46*]प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राजा, श्री ए. अनवर

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री आर.

[46*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

*राघवन, श्री एम.के.

राय, श्री नित्यानंद

राज, श्रीमती कृष्णा

राजभर, श्री हरिनारायण

राजेन्द्रन, श्री एस.

राजेश, श्री एम.बी.

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

रामचंद्रन, श्री के.एन.

रामचंद्रन, श्री मुल्लापल्ली

राव, श्री एम. वेंकटेश्वर

राव (अवंती), श्री मुत्तमसेट्टी श्रीनिवास

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

रे, श्री बिष्णु पद

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

[47*]रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

[47*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

*रेणुका, श्रीमती बुत्ता

रिजीजू, श्री किरेन

रिओ, श्री नेफिउ

रॉय, प्रो. सौगत

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री चन्दुलाल

साहु, श्री लखन लाल

साईं, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

सलीम, श्री मोहम्मद

समल, डॉ. कुलमणि

सांपला, श्री विजय

संपत, डॉ. ए.

*डॉ. ममताज संघमिता

संजर, श्री आलोक

सरेन,डॉ. उमा

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सातव, श्री राजीव

सत्यबामा, श्रीमती वी.

सत्पथी, श्री तथागत

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

*सेनथिलनाथन, श्री पी.आर.

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

[48*]शनवास, श्री एम.आई.

शर्मा, डॉ. महेश

शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

[48*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर भरतेन्द्र

सिंह, श्री अभिषेक

[49*]सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री नागेंद्र

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री रवनीत

सिंह, श्री सत्यपाल

[49*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीराम, श्री मलयाद्रि

श्रीरामुलु, श्री बी.

*सुन्दरम, श्री पी.आर.

सुरेश, श्री डी.के.

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

*स्वराज, श्रीमती सुषमा

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

टीचर, श्रीमती पी.के. श्रीमथि

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

तंबिदुरै, डॉ. एम.

[50*]थरूर, डॉ. शशि

प्रो. के. वी. थोमस

तिवारी, श्री मनोज

*तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

त्रिवेदी, श्री दिनेश

उदयकुमार, श्री एम.

[50*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

उसेंडी, श्री विक्रम

उटवाल, श्री मनोहर

वनारोजा, श्रीमती आर.

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसंती, श्रीमती एम.

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेलागपल्ली, श्री वरप्रसाद राव

[51]*वेंकटेश बाबू, श्री टी.जी.

*वेणुगोपाल, डॉ. पी.

वर्मा, डॉ. अनशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विचारे, श्री राजन

[51]* पर्ची के द्वारा मतदान किया।

वेंगा, श्री चिंतामन नवाशा

यदव, श्री हुक्मदेव नारायण

[52*]यादव, श्री ओम प्रकाश

येदियुरप्पा, *श्री बी.एस.

<u>विपक्ष में 'न' वाले</u>

शून्य

<u>उपस्थिति से बचना</u>

शून्य

[52*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष, अध्यक्ष (लोक सभा): सुधार के अधीन रहते हुए, अध्यधीन[53*], प्रभाग का परिणाम है:

पक्ष में, 'हां' वाले: 318

विपक्ष में 'न' वाले: 001

उपस्थिति से बचना: 000

प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता में बहुमत द्वारा तथा उनकी उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 , यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

माननीय अध्यक्ष: दीर्घायें कुछ समय के लिए खोली जा सकती है।

पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची तथा तीसरी अनुसूची

[53*] निम्नलिखित सदस्यों ने भी स्लिप्स के माध्यम से अपना मत रिकॉर्ड/संशोधित किया:

पक्ष में, 'हां' वाले: 318 + एस./श्री प्रसून बनर्जी, आर.के. भारती मोहन, पी.पी. चौहान, अधीर रंजन चौधरी, शंकर प्रसाद दत्ता, वी. एलुमलाई, डॉ. के. गोपाल, एस./श्री सी. गोपालकृष्णन, जी. हरि, श्रीमती कविता कल्वकुंतला, एस./श्री मोहम्मद बदरुद्दुज़ा खान, जनार्दन मिश्र, एम. वीरप्पा मोइली, थोटा नरसिम्हम, विनसेंट एच. पाला, एन.के. प्रेमचन्द्रन, एम.के. राघवन, पी. श्रीनिवास रेड्डी, श्रीमती बुत्ता रेणुका, डॉ. ममताज संघमिता, एस./श्री पी.आर. सेनथिलनाथन, एम.आई. शनवास, भरत सिंह, पी.आर. सुन्दरम, श्रीमती सुषमा स्वराज, डॉ. शशि थरूर, एस./श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू, डॉ. पी. वेणुगोपाल, एस./श्री ओम प्रकाश यादव, बी.एस. येदियुरप्पा **=350**
विपक्ष में 'ना' वाले:000
उपस्थिति से बचना:000

माननीय अध्यक्ष: पहली, दूसरी और तीसरी अनुसूची में कोई संशोधन नहीं है। यदि सभा सहमत है, तो मैं सभी अनुसूचियों को सभा के मतदान के लिए एक साथ रखूँगी जिसमें विभाजन द्वारा मतदान का परिणाम प्रत्येक अनुसूची पर लागू माना जाएगा।

अनेक माननीय सदस्य: हाँ।

माननीय अध्यक्ष: दीर्घायें स्पष्ट होने दीजिए --

अब, दीर्घायें पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है।

इसलिए, जैसा कि सहमति हुई है, मैं अब पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची को सदन के मतदान के लिए रखती हूँ।

प्रश्न यह है:

"कि पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची तथा तीसरी अनुसूची विधेयक का हिस्सा है।"

लोक सभा का विभाजन:

विभाजन संख्या.4 **पक्ष में, 'हां' वाले** **सायं 6:03 बजे**

आदित्यानाथ, योगी

अडसुल, श्री आनंदराव

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

आलूवालिया, श्री एस.एस.

अली, श्री इदरिस

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

एंटोनी, श्री एंटो

अरूणमणिदेवन, श्री ए.

आजाद, श्री कीर्ति

बाबू, डॉ. रविन्द्र

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

[54]*बंदोपाध्याय, श्री सुदीप

बनर्जी, श्री कल्याण

*बनर्जी, श्री प्रसून

बनसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री बोध सिंह

भगत, श्री सुदर्शन

[54]* पर्ची के द्वारा मतदान किया।

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव

[55*]भारती मोहन, श्री आर.के.

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बीजू, श्री पी. के.

बिरला, श्री ओम

बोहरा, श्री रामचरण

बोस, प्रो. सुगाता

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

[55*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौधरी, श्री संतोख सिंह

चौधरी, श्री जितेन्द्र

चौहान, श्री पी.पी.

चौटाला, श्री दुष्यंत

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

छेवेंग, श्री थुपस्तान

छोटेलाल, श्री

चिन्नईयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, श्री बीरेंद्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

*चौधरी, श्री अधीर रंजन

चूड़ासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

[56]*दत्ता, श्री शंकर प्रसाद

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डेका, श्री रामेन

*देव, कुमारी सुष्मिता

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

ध्रुवनारायण, श्री आर.

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

[56]* पर्ची के द्वारा मतदान किया।

दोहरे, श्री अशोक कुमार

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

[57*]एलुमलाई, श्री वी.

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्री राहुल जी

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गांधी, श्रीमती सोनिया

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

[57*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

गीत, श्री अनंत गंगाराम

घोष, श्रीमती अर्पिता

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

[58]*गोगोई, श्री गौरव

*गोहेन, श्री राजेन

*गोपाल, डॉ. के.

गोपालकृष्णन, श्री सी.

गोपालकृष्णन, श्री आर.

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गौड़ा, श्री एस. पी. मुदहानुमे

गुप्ता, श्री सुधीर

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हंसदक, श्री विजय कुमार

*हरि, श्री जी.

---

[58]* पर्ची के द्वारा मतदान किया।

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

जाधव, श्री संजय हरिभाऊ

जायप्रश्न, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जयवर्धन, डॉ. जे.

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

*श्रीमती कविता कल्वाकुंतला

कामराज, डॉ. के.

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

करुणाकरण, श्री पी.

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

[59*]खान, श्री मोहम्मद बदरुद्दुज़ा

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

[59*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

कृस्तप्पा, श्री एन.

कुलस्ते, श्री फग्गनसिंह

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री राविंदर

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

श्री सदाशिव लोखंडे

डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज

महतो, डॉ. बंशीलाल

महतो, डॉ. मृगांका

महतो, श्री विद्युत बरन

महताब, श्री भर्तृहरि

महेन्द्रन, श्री सी.

माझी, श्री बलभद्र

मंडल, डॉ. तापस

मांझी, श्री हरि

मरबी, श्री कमल भान सिंह

मरागठम, श्रीमती के.

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

[60*]मिश्रा, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मोदी, श्री नरेन्द्र

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

[61*]मोइली, श्री एम. वीरप्पा

मुखर्जी, श्री अभिजित

मुंडा, श्री करिया

[60*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

[61*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

मुनियप्पा, श्री के.एच.

नगर, श्री रोड़मल

नागराजन, श्री पी.

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

*नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

नेते, श्री अशोक महादेवराव

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

पाटल, श्रीमती कमला

[62*]पाला, श्री विनसेंट एच.

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय

परस्ते, श्री दलपत सिंह

परसुरमन, श्री के.

पार्थिपन, श्री आर.

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री कमलेश

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

[63*]पाटसाणी, श्री प्रसन्न कुमार

[62*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

[63*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

पोद्दार, श्रीमती अपरूपा

प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

प्रधान, श्री नागेंद्र कुमार

प्रसाद, डॉ. भागीरथ

प्रताप, श्री कृष्ण

[64*]प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राजा, श्री ए. अनवर

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री आर.

*राघवन, श्री एम.के.

राय, श्री नित्यानंद

राज, श्रीमती कृष्णा

राजभर, श्री हरिनारायण

राजेन्द्रन, श्री एस.

राजेश, श्री एम.बी.

राजोरिया, डॉ. मनोज

[64*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

रामचंद्रन, श्री के.एन.

रामचंद्रन, श्री मुल्लापल्ली

राव, श्री एम. वेंकटेश्वर

राव (अवंती), श्री मुत्तमसेट्टी श्रीनिवास

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

रे, श्री बिष्णु पद

रे, श्री रविन्द्र कुमार

रेड्डी , श्री जे. सी. दिवाकर

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

[65*]रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

*रेणुका, श्रीमती बुत्ता

रिजीजू, श्री किरेन

रिओ, श्री नेफिउ

रॉय, प्रो. सौगत

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री चन्दुलाल

साहु, श्री लखन लाल

[65*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

साईं, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

सलीम, श्री मोहम्मद

समल, डॉ. कुलमणि

सांपला, श्री विजय

संपत, डॉ. ए.

[66*]डॉ. ममताज संघमिता

संजर, श्री आलोक

सरेन,डॉ. उमा

शर्मा, श्री राम प्रसाद

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सातव, श्री राजीव

सत्यबामा, श्रीमती वी.

सत्पथी, श्री तथागत

[66*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

[67*]सेनथिलनाथन, श्री पी.आर.

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

*शनवास, श्री एम.आई.

शर्मा, डॉ. महेश

शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

[67*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर भरतेन्द्र

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री नागेंद्र

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राम किशोर

सिंह, श्री रवनीत

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री वीरेंद्र

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीराम, श्री मलयाद्रि

श्रीरामुलु, श्री बी.

[68]*सुन्दरम, श्री पी.आर.

सुरेश, श्री डी.के.

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

स्वराज, श्रीमती सुष्मा

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

---

[68]* पर्ची के द्वारा मतदान किया।

तंवर, श्री कंवर सिंह

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

टीचर, श्रीमती पी.के. श्रीमथि

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

तंबिदुरै, डॉ. एम.

[69]*थरूर, डॉ. शशि

प्रो. के. वी. थोमस

तिवारी, श्री मनोज

तोमार, श्री नरेन्द्र सिंह

त्रिपाठी, श्री शरद

त्रिवेदी, श्री दिनेश

उदयकुमार, श्री एम.

---

[69]* पर्ची के द्वारा मतदान किया।

उसेंडी, श्री विक्रम

उटवाल, श्री मनोहर

वनारोजा, श्रीमती आर.

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसंती, श्रीमती एम.

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेलागपल्ली, श्री वरप्रसाद राव

[70]*वेंकटेश बाबू, श्री टी.जी.

वेणुगोपाल, डॉ. पी

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

वर्मा, डॉ. अनशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री राजेश

---

[70]* पर्ची के द्वारा मतदान किया।

वर्मा, श्रीमती रेखा

विचारे, श्री राजन

वेंगा, श्री चिंतामन नवाशा

यदव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव, श्री ओम प्रकाश

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

विपक्ष में 'न' वाले

शून्य

उपस्थिति से बचना

शून्य

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : सुधार के अधीन रहते हुए, अध्यधीन[71]*, प्रभाग का परिणाम है:

पक्ष में, 'हां' वाले: 333

विपक्ष में 'न' वाले: 000

उपस्थिति से बचना: 000

प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता में बहुमत द्वारा तथा उनकी उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची तथा तीसरी अनुसूची को विधेयक में जोड़ा गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष: अब मंत्री जी यह प्रस्ताव पेश कर सकते हैं कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाए।

---

[71]* निम्नलिखित सदस्यों ने भी स्लिप्स के माध्यम से अपना मत रिकॉर्ड/संशोधित किया:

पक्ष में, 'हां' वाले: 333 + एस./श्री सुदीप बंदोपाध्याय, प्रसून बनर्जी, आर.के. भारती मोहन, अधीर रंजन चौधरी, शंकर प्रसाद दत्ता, कुमारी सुष्मिता देव, एस./श्री वी. एलुमलाई, श्री गौरव गोगोई, राजेन गोहेन, डॉ. के. गोपाल, श्री जी. हरि, श्रीमती कविता कल्वकुंतला, एस./श्री मोहम्मद बदरुद्दुज़ा खान, अनूप मिश्रा, एम. वीरप्पा मोइली, थोटा नरसिम्हम, विनसेंट एच. पाला, प्रसन्न कुमार पाटसाणी, एन.के. प्रेमचन्द्रन, एम.के. राघवन, पी. श्रीनिवास रेड्डी, श्रीमती बुत्ता रेणुका, डॉ. ममताज संघमिता, एस./श्री पी.आर. सेनथिलनाथन, एम.आई. शनवास, पी.आर. सुन्दरम, डॉ. शशि थरूर, श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू**= 361**

विपक्ष में 'ना' वाले:000

उपस्थिति से बचना:000

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदया, प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: इससे पहले कि मैं यथा संशोधित विधेयक को पारित किए जाने हेतु सदन के मतदान के लिए सभा पटल पर रखूँ, मैं कहना चाहूँगी कि यह एक संविधान (संशोधन) विधेयक है, मतदान विभाजन द्वारा होगा।

अब, दीर्घायें पहले से ही स्पष्ट है।

प्रश्न यह है:

“विधेयक को, यथा संशोधित, पारित किया जाए।”

लोक सभा का विभाजन:

विभाजन संख्या.5 **पक्ष में, 'हां' वाले** **सायं 6:08 बजे**

आदित्यानाथ, योगी

अडसुल, श्री आनंदराव

आडवाणी, श्री एल.के.

अग्रवाल, श्री राजेन्द्र

अहिर, श्री हंसराज गंगाराम

अहलावत, श्रीमती संतोष

[72]*आलूवालिया, श्री एस.एस.

अली, श्री इदरिस

अमरप्पा, श्री कराडी सनगन्ना

अनंतकुमार, श्री

अंगड़ी, श्री सुरेश सी.

---

[72]* पर्ची के द्वारा मतदान किया।

एंटोनी, श्री एंटो

अरूणमणिदेवन, श्री ए.

आजाद, श्री कीर्ति

डॉ. रविन्द्र बाबू

बादल, श्रीमती हरसिमरत कौर

बहेड़िया,श्री सुभाष चन्द्र

बैस, श्री रमेश

बाला, श्रीमती अंजू

बालियान, डॉ. संजीव

बन्द्योपाध्याय, श्री सुदीप

बनर्जी, श्री कल्याण

[73]*बनर्जी, श्री प्रसून

बनसोडे, वकील शरदकुमार मारुति

---

[73]* पर्ची के द्वारा मतदान किया।

बशीर, श्री ई.टी. मोहम्मद

भाभोर, श्री जसवंतसिंह सुमनभाई

भगत, श्री बोध सिंह

भगत, श्री सुदर्शन

भामरे, डॉ. सुभाष रामराव

[74]*भारती मोहन, श्री आर.के.

भारती, सुश्री उमा

भट्ट, श्रीमती रंजनबेन

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बिधूड़ी, श्री रमेश

बीजू, श्री पी. के.

बिरला, श्री ओम

*बिश्वास, श्री राधेश्याम

बोहरा, श्री रामचरण

[74]* पर्ची के द्वारा मतदान किया।

बोस, प्रो. सुगाता

चंद, श्री निहाल

चंदेल, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह

चौधरी, श्री सी. आर.

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्री पी. पी.

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री राम तहल

चौधरी, श्री संतोख सिंह

चौधरी, श्री जितेन्द्र

चौहान, श्री पी.पी.

[75*]चौटाला, श्री दुष्यंत

चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र

चावड़ा, श्री विनोद लखमाशी

[75*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

छेवेंग, श्री थुपस्तान

छोटेलाल, श्री

चिन्नईयन, श्री एस. सेल्वाकुमार

चौबे, श्री अश्विनी कुमार

चौधरी, श्री बीरेंद्र कुमार

चौहन, श्री नंदकुमार सिंह

[76*]चौधरी, श्री अधीर रंजन

चूड़ासमा, श्री राजेशभाई

दानवे, श्री रावसाहेब पाटिल

दस्तीदार, डॉ. काकोली घोष

*दत्ता, श्री शंकर प्रसाद

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

डेका, श्री रामेन

*देव, कुमारी सुष्मिता

[76*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

देवी, श्रीमती रमा

देवी, श्रीमती वीणा

धर्मबीर, श्री

धोत्रे, श्री संजय

ध्रुवनारायण, श्री आर.

धुर्वे, श्रीमती ज्योति

दोहरे, श्री अशोक कुमार

दिवाकर, श्री राजेश कुमार

दुबे, श्री निशिकांत

दुबे, श्री सतीश चंद्रा

द्विवेदी, श्री हरिश्चंद्र उर्फ हरीश

[77*]एलुमलाई, श्री वी.

गद्दीगौदर, श्री पी.सी.

गायकवाड़, डॉ. सुनील बलीराम

[77*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्री राहुल जी

गांधी, श्रीमती मेनका संजय

गांधी, श्रीमती सोनिया

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गौतम, श्री सतीश कुमार

गीत, श्री अनंत गंगाराम

घोष, श्रीमती अर्पिता

गिलुवा, श्री लक्ष्मण

गोई, श्री गौराव

[78*]गोहेन,,श्री राजेन

*गोपाल, डॉ. के.

गोपालकृष्णन, श्री सी.

गोपालकृष्णन, श्री आर.

[78*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

गौड़ा, श्री डी.वी. सदानन्द

गौड़ा, श्री एस. पी. मुदहानुमे

गुप्ता, श्री सुधीर

गुर्जर, श्री कृष्णपाल

हंसदक, श्री विजय कुमार

*हरि, श्री जी.

हरिबाबू, डॉ. कम्भम्पति

*हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह

जाधव, श्री संजय हरिभाऊ

जायप्रश्न, डॉ. संजय

जरदोश, श्रीमती दर्शना विक्रम

जाट, प्रो. सांवर लाल

जौनपुरिया, श्री सुखबीर सिंह

जयवर्धन, डॉ. जे.

जिगाजिनगी, श्री रमेश

जोशी, डॉ. मुरली मनोहर

जोशी, श्री चंद्र प्रकाश

जोशी, श्री प्रल्हाद

ज्योति, साध्वी निरंजन

[79*]श्रीमती कविता कल्वाकुंतला

कामराज, डॉ. के.

कारान्दलाजे, कुमारी शोभा

करुणाकरण, श्री पी.

कश्यप, श्री दिनेश

कश्यप, श्री वीरेन्द्र

कस्वां, श्री राहुल

कटारिया, श्री रतन लाल

कटील, श्री नलीन कुमार

कौशिक, श्री रमेश चन्द्र

[79*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

*खान, श्री मोहम्मद बदरुद्दुज़ा

खंडूरी ए.वी.एस.एम्., मेजर जनरल. (सेवानिवृत्त) बी.सी.

खन्ना, श्री विनोद

खड़गे, श्री मल्लिकार्जुन

खुबा, श्री भगवंत

किंजरापु, श्री राम मोहन

किशोर, श्री जुगल

किशोर, श्री कौशल

कोली, श्री बहादुर सिंह

कोश्यारी, श्री भगत सिंह

कृस्तप्पा, श्री एन.

श्री फग्गनसिंह कुलस्ते

कुमार, डॉ. वीरेंद्र

कुमार, कुंवर सर्वेश

कुमार, श्री धर्मेन्द्र

कुमार, श्री के. अशोक

कुमार, श्री कौशलेन्द्र

कुमार, श्री पी.

कुमार, श्री शांता

कुंडारिया, श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई

कुशवाहा, श्री रविंदर

लेखी, श्रीमती मीनाक्षी

लोखंडे, श्री सदाशिव

महाराज, डॉ. स्वामी साक्षीजी

महतो, डॉ. बंशीलाल

महतो, डॉ. मृगांका

महतो, श्री विद्युत बरन

महताब, श्री भर्तृहरि

महेन्द्रन, श्री सी.

माझी, श्री बलभद्र

मंडल, डॉ. तापस

मांझी, श्री हरि

मरबी, श्री कमल भान सिंह

मरागठम, श्रीमती के.

मौर्य, श्री केशव प्रसाद

मीना, श्री अर्जुन लाल

मीना, श्री हरीश

मेघवाल, श्री अर्जुन राम

मिश्र, श्री अनूप

मिश्र, श्री भैरों प्रसाद

मिश्रा, श्री दद्दन

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्रा, श्री कलराज

मोदी, श्री नरेन्द्र

मोहन, श्री एम. मुरली

मोहन, श्री पी.सी.

महापात्र, डॉ. सिद्धांत

[80*]मोइली, श्री एम. वीरप्पा

मुखर्जी, श्री अभिजित

मुंडा, श्री करिया

मुंडे, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ

मुनियप्पा, श्री के.एच.

नगर, श्री रोड़मल

नागराजन, श्री पी.

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

[*]नरसिम्हम, श्री थोटा

नाथ, श्री चाँद

नटर्जी, श्री जे.जे.टी.

नेते, श्री अशोक महादेवराव

[80*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

निषाद, श्री अजय

निषाद, श्री राम चरित्र

निशंक, डॉ. रमेश पोखरियाल

ओराम, श्री जुएल

पाटल, श्रीमती कमला

*पाला, श्री विनसेंट एच.

पाण्डेय, डॉ. महेन्द्र नाथ

पाण्डे, श्री हरि ओम

पाण्डे, श्री राजेश

श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय

परस्ते, श्री दलपत सिंह

परसुरमन, श्री के.

पार्थिपन, श्री आर.

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री चिराग

पासवान, श्री कमलेश

पासवान, श्री रामचंद्र

पासवान, श्री रामविलास

पाटसानी , श्री प्रसन्ना कुमार

पटेल, डॉ. के. सी.

पटेल, श्री देवजी एम

पटेल, श्री लालूभाई बाबूभाई

पटेल, श्री नट्टूभाई गोमनभाई

पटेल, श्री प्रह्लाद सिंह

पटेल, श्री सुभाष

पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन

पाठक, श्रीमती रीती

पाटिल, श्री सी. आर.

पाटिल, श्री कपिल मोरेश्वर

पाटील, श्री संजय काका

पटोले, श्री नाना

फुले, साध्वी सावित्री बाई

पोद्दार, श्रीमती अपरूपा

प्रभाकरन, श्री के.आर.पी.

प्रधान, श्री नागेंद्र कुमार

प्रसाद, डॉ. भागीरथ

प्रताप, श्री कृष्ण

[81*]प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.

राजा, श्री ए. अनवर

राधाकृष्णन, श्री पोन

राधाकृष्णन, श्री आर.

[*]राघवन, श्री एम.के.

राय, श्री नित्यानंद

राज, श्रीमती कृष्णा

[81*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

राजभर, श्री हरिनारायण

राजेन्द्रन, श्री एस.

राजेश, श्री एम.बी.

राजोरिया, डॉ. मनोज

राजपूत, श्री मुकेश

राजू, श्री अशोक गजपति

राजू, श्री गोकाराजू गंगा

राम, श्री जनक

राम, श्री विष्णु दयाल

रामचंद्रन, श्री के.एन.

रामचंद्रन, श्री मुल्लापल्ली

राव, श्री एम. वेंकटेश्वर

राव (अवंती), श्री मुत्तमसेट्टी श्रीनिवास

राठौर, श्री डी. एस.

राठौर, कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन

राठवा, श्री रामसिंह

राऊत, श्री विनायक भाऊराव

रावल, श्री परेश

रावत, श्रीमती प्रियांका सिंह

रे, श्री बिष्णु पद

रे, श्री रविन्द्र कुमार

[82]*रेडी,श्री जे.सी.दिवाकर

रेड्डी, श्री कोंडा विश्वेश्वर

रेड्डी, श्री मेकापति राजा मोहन

*रेड्डी, श्री पी. श्रीनिवास

रेड्डी, श्री वाई.वी. सुब्बा

*रेणुका, श्रीमती बुत्ता

रिजीजू, श्री किरेन

रिओ, श्री नेफिउ

[82]* पर्ची के द्वारा मतदान किया।

रॉय, प्रो. सौगत

रूडी, श्री राजीव प्रताप

साहु, श्री चन्दुलाल

साहु, श्री लखन लाल

साईं, श्री विष्णु देव

सैनी, श्री राजकुमार

सलीम, श्री मोहम्मद

समल, डॉ. कुलमणि

सांपला, श्री विजय

संपत, डॉ. ए.

[83*]डॉ. ममताज संघमिता

संजर, श्री आलोक

सरेन,डॉ. उमा

शर्मा, श्री राम प्रसाद

[83*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

सरस्वती, श्री सुमेधानन्द

सातव, श्री राजीव

सत्यबामा, श्रीमती वी.

सत्पथी, श्री तथागत

सवाईकर, एड. नरेन्द्र केशव

सावंत, श्री अरविंद

[84*]सेनथिलनाथन, श्री पी.आर.

शाह, श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी

*शनवास, श्री एम.आई.

शर्मा, डॉ. महेश

शेखावत, श्री गजेंद्र सिंह जी

शेट्टी, श्री गोपाल

शेवाले, श्री राहुल

शिंदे, डॉ. श्रीकांत एकनाथ

[84*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

शिरोले, श्री अनिल

श्याल, डॉ. भारतीबेन डी.

सिद्देश्वर, श्री जी.एम.

सिग्रीवाल, श्री जनार्दन सिंह

सिम्हा, श्री प्रताप

सिंह, डॉ. जितेन्द्र

सिंह, डॉ. नेपाल

सिंह, डॉ. प्रभास कुमार

सिंह, डॉ. सत्यपाल

सिंह, डॉ. यशवंत

सिंह, जनरल (सेवानिवृत्त) विजय कुमार

सिंह, कुंवर भरतेन्द्र

सिंह, राव इंद्रजीत

सिंह, श्री अभिषेक

सिंह, श्री भरत

सिंह, श्री भोला

सिंह, श्री दुष्यंत

सिंह, श्री गणेश

सिंह, श्री हुकुम

सिंह, श्री कीर्ति वर्धन

सिंह, श्री लल्लू

सिंह, श्री नागेंद्र

सिंह, श्री पशुपति नथ

सिंह, श्री आर.के.

सिंह, श्री राजनाथ

सिंह (राजू भैय्या), श्री राजवीर

सिंह, श्री राकेश

सिंह, श्री राम किशोर

सिंह, श्री रवनीत

सिंह, श्री सत्यपाल

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री सुनील कुमार

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्री वीरेंद्र

सोलंकी, डॉ. किरिट पी.

सोमैया, डॉ. किरिट

सोनकर, श्री विनोद कुमार

सोनकर, श्रीमती नीलम

सोनोवाल, श्री सर्बानंद

श्रीराम, श्री मलयाद्रि

श्रीरामुलु, श्री बी.

[85]*सुन्दरम, श्री पी.आर.

सुरेश, श्री डी.के.

---

[85]* पर्ची के द्वारा मतदान किया।

सुरेश, श्री कोडिकुन्नील

स्वराज, श्रीमती सुष्मा

तडस, श्री रामदास सी.

टम्टा, श्री अजय

तंवर, श्री कंवर सिंह

तासा, श्री कामाख्या प्रसाद

टीचर, श्रीमती पी.के. श्रीमथि

तेली, श्री रामेश्वर

टेनी, श्री अजय मिश्रा

तंबिदुरै, डॉ. एम.

[86*]थरूर, डॉ. शशि

प्रो. के. वी. थोमस

तिवारी, श्री मनोज

*तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह

[86*] पर्ची के द्वारा मतदान किया।

त्रिपाठी, श्री शरद

त्रिवेदी, श्री दिनेश

उदयकुमार, श्री एम.

उसेंडी, श्री विक्रम

उटवाल, श्री मनोहर

वनारोजा, श्रीमती आर.

वर्धन, डॉ. हर्ष

वसंती, श्रीमती एम.

वसावा, श्री प्रभुभाई नागरभाई

वेलागपल्ली, श्री वरप्रसाद राव

[87]*वेंकटेश बाबू, श्री टी.जी.

वेणुगोपाल, डॉ. पी

वेणुगोपाल, श्री के.सी.

---

[87]* पर्ची के द्वारा मतदान किया।

वर्मा, डॉ. अनशुल

वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह

वर्मा, श्री राजेश

वर्मा, श्रीमती रेखा

विचारे, श्री राजन

वेंगा, श्री चिंतामन नवाशा

यदव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादव, श्री ओम प्रकाश

येदियुरप्पा, श्री बी. एस.

विपक्ष में 'न' वाले

शून्य

उपस्थिति से बचना

शून्य

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: सुधार के अधीन[88*], प्रभाग का परिणाम हैः

पक्ष में, 'हां' वाले:	331
विपक्ष में 'न' वाले:	000
उपस्थिति से बचना:	000

[88*] निम्नलिखित सदस्यों ने भी पर्चियों के माध्यम से अपने मत दर्ज/सुधार किये:

पक्ष में, 'हां' वाले:331 + सर्वश्री एस.एस. आलूवालिया, प्रसून बनर्जी, आर.के. भारती मोहन, राधेश्याम बिश्वास, दुष्यंत चौटाला, अधीर रंजन चौधरी, शंकर प्रसाद दत्ता, कुमारी सुष्मिता देव, सर्वश्री वी. एलुमलाई, राजेन गोहेन, डॉ. के. गोपाल, सर्वश्री जी. हरि, दीपेन्द्र सिंह हुड्डा, श्रीमती कविता कल्वकुंतला, सर्वश्री मोहम्मद बदरुद्दुज़ा खान, अनूप मिश्रा, एम. वीरप्पा मोइली, थोटा नरसिम्हम, विनसेंट एच. पाला, एन.के. प्रेमचन्द्रन, एम.के. राघवन, श्रीमती कृष्णा राज, जे.सी. दिवाकर रेड्डी, पी. श्रीनिवास रेड्डी, श्रीमती बुत्ता रेणुका, डॉ. ममताज संघमिता, सर्वश्री पी.आर. सेनथिलनाथन, एम.आई. शनवास, पी.आर. सुन्दरम, डॉ. शशि थरूर, सर्वश्री नरेन्द्र सिंह तोमर, श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू **= 362**

विपक्ष में 'ना' वाले:000

उपस्थिति से बचना::000

प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाता है।

संशोधित विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित बहुमत से पारित किया जाता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: दीर्घायें अब खोली जा सकती हैं।

सभा की कार्यवाही कल, 8 मई, 2015, पूर्वाह्न 11 बजे तक स्थगित होती है।

<u>सांय 06.14 बजे</u>

लोक सभा शुक्रवार 8 मई, 2015 / 18 वैशाख, 1937 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित